

वित्तीय प्राक्कलन तथा
निष्पादन बजट
FINANCIAL ESTIMATES AND
PERFORMANCE BUDGET
2024 - 2025



कर्मचारी राज्य बीमा निगम
Employees' State Insurance Corporation

वित्तीय प्राक्कलन तथा
निष्पादन बजट
**FINANCIAL ESTIMATES AND
PERFORMANCE BUDGET**

2 0 2 4 - 2 0 2 5



सत्यमेव जयते



कर्मचारी राज्य बीमा निगम
Employees' State Insurance Corporation



वित्तीय प्राक्कलन तथा निष्पादन बजट 2024-2025

विषय सूची

विवरण	पृष्ठ संख्या
अधिशाली सारांश	3-15
बजट एक नज़र में	16
वर्ष 2023-2024 के लिए परिशोधित प्राक्कलन तथा वर्ष 2024-2025 के बजट प्राक्कलन पर व्याख्यात्मक ज़ापन	17-38
विवरण क : राजस्व प्राक्कलन	39-45
विवरण ख : व्यय प्राक्कलन	46-53
परिशिष्ट :-	
i. दिनांक 31.03.2024 तथा 31.03.2025 तक योजना के अंतर्गत व्याप्त किए जाने वाले कर्मचारियों की प्रत्याशित संख्या का सूचक विवरण	54-55
ii. वित्तीय वर्ष 1999-2000 से प्रति व्यक्ति आय और व्यय दर्शाने वाला विवरण	56
iii. पूंजीगत कार्यो और बजट आवश्यकता परिशोधित प्राक्कलन 2023-2024 तथा बजट प्राक्कलन 2024-2025 का विवरण	57-66
निष्पादन बजट 2024-2025	67-88
संलग्नक :-	
i) व्याप्ति की राज्यवार स्थिति का सूचक विवरण (दिनांक 31.03.2023 की स्थिति के अनुसार क.रा.बी. योजना के अधीन कर्मचारियों, बीमाकृत व्यक्तियों/बीमाकृत महिलाओं तथा परिवार एककों की संख्या)	89-92
ii) क.रा.बी. योजना के अंशदान से प्रति व्यक्ति आय और विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत व्यय का सूचक विवरण	93
iii) चिकित्सा शिक्षा संस्थानों/पाठ्यक्रमों की सूची	94
निष्पादन एक झलक में	97



FINANCIAL ESTIMATES AND PERFORMANCE BUDGET 2024-2025

Index

Particulars	Page Nos.
Executive Summary	3-15
Budget at a Glance	16
Explanatory Memorandum on the Revised Estimates 2023-2024 and Budget Estimates 2024-2025	17-38
Statement A: Revenue Estimates	39-45
Statement B: Expenditure Estimates	46-53
Appendices: -	
i) Statement showing the estimated number of employees covered as on 31.03.2024 and 31.03.2025	54-55
ii) Statement showing per capita income and expenditure since Financial Year 1999-2000	56
iii) Details of Capital Works and Budget requirement RE 2023-2024 & BE 2024-2025	57-66
	67-88
Performance Budget 2024-25	
Annexure: -	
i) Statement showing state-wise position of coverage (Number of employees, Insured Persons/Insured Women and family units, under Employees' State Insurance Scheme. as on 31.03.2023)	89-92
ii) Statement showing per capita income from contribution and expenditure under different heads of the Employees' State Insurance Scheme.	93
iii) List of Medical Education Institutions/Courses	94
Performance at a Glance	97



वित्तीय प्राक्कलन तथा निष्पादन बजट 2024-2025

अधिशाली सारांश

प्रस्तुत दस्तावेज में कर्मचारी राज्य बीमा निगम का वित्तीय वर्ष 2023-2024 का परिशोधित बजट प्राक्कलन तथा वर्ष 2024-2025 का बजट प्राक्कलन है।

क.रा.बी. निगम बीमाकृत व्यक्तियों को बीमारी तथा मजदूरी की हानि के फलस्वरूप विषम आकस्मिकताओं, रोजगार चोट के कारण निःशक्तता और मृत्यु; मातृत्व में संरक्षित करने तथा बीमाकृत व्यक्तियों और उनके परिवारों को हितलाभ प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।

इन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु, क.रा.बी. निगम ने प्रमुख पहल शुरू की हैं, जैसे-आशोधित बीमा चिकित्सा व्यवसायी योजना, देश में औषधालय-सह-शाखा कार्यालय तथा 61 नए क.रा.बी. निगम अस्पतालों और 35 नए औषधालयों का निर्माण, जिससे काफी हद तक बीमाकृतों की जनसंख्या के लिए प्राथमिक और द्वितीयक स्तर की चिकित्सा देखरेख की उपलब्धता में बढ़ोतरी संभावित है। हाल ही में क.रा.बी. निगम ने 3 नए अस्पताल (अर्थात् बीकानेर (राजस्थान), तिरपुर (तमिलनाडु) और भिलाई (छत्तीसगढ़) और साथ ही संबंधित राज्य सरकारों द्वारा 3 कर्मचारी राज्य बीमा योजना अस्पताल (अर्थात् कोटा (राजस्थान), मैथन (झारखंड) और भोपाल (मध्य प्रदेश) निर्मित किए गए हैं। इसके साथ ही क.रा.बी. निगम ने क.रा.बी. योजना और आयुष्मान भारत- प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बीच तालमेल का लाभ उठाने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एन.एच.ए.) के साथ भागीदारी की है, जिससे ऐसी पद्धति विकसित होगी, जहां चुनिंदा जिलों के क.रा.बी. निगम हितलाभार्थी आयुष्मान भारत- प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना नामिकागत अस्पतालों व योजना सेवाओं तक पहुंच बनाने में सक्षम होंगे और आयुष्मान भारत- प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लाभार्थी क.रा.बी. निगम की सेवाओं तक पहुंच बनाने में सक्षम होंगे।

क.रा.बी. निगम ने दिनांक 19-20 फरवरी, 2023 को आयोजित अपनी 190वीं बैठक में क.रा.बी. योजना को सुदृढ़ करने और उत्तर पूर्वी राज्यों (सिक्किम सहित) की भौगोलिक, जनसांख्यिकी, सामाजिक, औद्योगिक और वाणिज्यिक स्थितियों को ध्यान में रखते हुए उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए एक नवीन योजना को मंजूरी दी है कि प्रति औषधालय हेतु ₹ 40 लाख (त्रैमासिक ₹10 लाख) की अतिरिक्त वित्तीय सहायता (अतिरिक्त वित्तीय सहायता) प्रदान की जाएगी (मानक चिकित्सा देखरेख के अंतर्गत नियमित निधि आबंटन के अलावा)।

साथ ही, क.रा.बी. निगम ने अपनी 15 दिसम्बर, 2023 को आयोजित 192वीं बैठक में दिनांक 31.12.2021 को या उसके पूर्व रोजगार चोट में मृत्यु/निःशक्तता के मामलों में स्थायी अपंगता हितलाभ/आश्रितजन हितलाभ की दरों में बढ़ोतरी के प्रस्ताव को अनुमोदित किया है जिससे मुद्रास्फीति के परिणामस्वरूप इनके वास्तविक मूल्य में क्षरण (कमी) से बचा जा सके। बढ़ी हुई दरें 01 अगस्त, 2022 से प्रभावी होंगी।

वर्ष 2022-23 के परिशोधित प्राक्कलनों और बजट प्राक्कलनों 2023-24 में जहां कहीं भी आवश्यक हो, क.रा.बीमा योजना के तहत विभिन्न हितलाभ योजनाओं के लिए बजट शीर्षों में आवश्यक बजट प्रावधानों को शामिल किया गया है।



FINANCIAL ESTIMATES AND PERFORMANCE BUDGET 2024-2025

EXECUTIVE SUMMARY

The present document contains the Revised Budget Estimates of ESIC for the financial year 2023-2024 and the Budget Estimates for the financial year 2024-2025.

ESIC is committed to provide benefits to Insured Persons (IPs) during contingencies of sickness and consequent loss of wages, disablement and death due to employment injuries; maternity and to provide medical care to Insured Persons and their families.

To meet these objectives, ESIC has embarked on major initiatives in the form of modified IMP Scheme, Dispensary-cum-Branch-Offices and construction of 61 new ESIC hospitals and 35 dispensaries which are expected to increase availability of primary and secondary level medical care to the insured population substantially. Recently, ESIC has constructed 3 ESIC Hospitals (viz, Bikaner (Rajasthan), Tiruppur (Tamil Nadu) and Bhilai (Chhattisgarh)), and taken over 3 ESIC run hospitals (viz, Kota (Rajasthan), Maithan (Jharkhand) and Bhopal (Madhya Pradesh), from respective state governments)). Moreover, ESIC has also entered into partnership with the National Health Authority (NHA), to take advantages of synergies between the ESI Scheme and Ayushman Bharat- PMJAY which will create an ecosystem wherein ESIC beneficiaries of selected districts will be able to access services at AB-PMJAY empanelled hospitals location and vice versa.

The ESI Corporation in its 190th meeting held on 19th - 20th February, 2023, with a view to strength the ESI Scheme and considering the geographical, demographical, social, industrial and commercial conditions of North Eastern States (including Sikkim), has approved a new scheme for North Eastern States wherein the entire expenditure upto the ceiling is to be borne by ESI Corporation besides providing Additional Financial Assistance (AFA) to the tune of ₹ 40 lakh per dispensary (₹10 lakh quarterly) apart from regular fund allocation under Standard Medical Care.

Also, the ESI Corporation in its 192nd meeting held on 15th December, 2023 has approved the proposal for increase in the PDB/DB rates, to protect against erosion in the real value of these as a result of inflation, for cases employment injuries resulting in death/disablement on or before 31.12.2021. The enhanced rates are effective from 1st August, 2022.

In the Revised Estimates 2023-24 and the Budget Estimates 2024-25, wherever required, necessary budgetary provisions have therefore been incorporated across the budget heads for the new measures taken under the ESI Scheme.



वित्तीय प्राक्कलन तथा निष्पादन बजट 2024-2025

1.1.1 राज्यों क.रा.बी. योजना का विस्तार

वर्तमान में, यह योजना 36 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों तक विस्तारित है। क.रा.बी.निगम 2.0 के शुभारंभ के बाद से क.रा.बी. योजना का बड़े पैमाने पर भौगोलिक विस्तार हुआ है और दिनांक 31.08.2023 तक यह योजना देश के 643 जिलों तक विस्तारित हो गई है, जिसमें 535 पूर्ण रूप से अधिसूचित जिले और 108 आंशिक रूप से अधिसूचित जिले शामिल हैं, जिनमें उनके जिला मुख्यालय क्षेत्र और प्रमुख औद्योगिक केंद्र शामिल हैं। यह योजना 135 जिलों में गैर-अधिसूचित है।

चूंकि स्वास्थ्य राज्य का विषय है इसलिए क.रा.बी.निगम व्याप्ति की गति को बढ़ाने के लिए राज्यों के साथ निकट समन्वय में कार्य कर रहा है और राज्यों से प्राथमिक और माध्यमिक देखरेख की व्यवस्था करने का अनुरोध किया जा रहा है। इस संबंध में, क.रा.बी.निगम ने समय-सीमा के अनुसार व्याप्ति के विस्तारण के क्रम में चिकित्सा व्यवस्थाएं करने के लिए राज्यों के साथ परामर्श के पश्चात चिकित्सा देखरेख को पूरक बनाने की पहल भी की है।

देश के विशाल भौगोलिक क्षेत्र में क.रा.बी. योजना के विस्तारण के साथ-साथ, क.रा.बी. योजना के तहत सभी पात्र कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों को क.रा.बी.निगम सामाजिक सुरक्षा का हितलाभ उपलब्ध करा रहा है।

श्रम संहिता, 2020 के अंतर्गत कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम

क.रा.बी. अधिनियम, 1948, अन्य 08 केंद्रीय कानूनों सहित सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (2020 का 36) में समाहित किया गया है। केंद्र सरकार ने हितधारकों के परामर्श के लिए 13.11.2020 को भारत के राजपत्र में सामाजिक सुरक्षा संहिता (केंद्रीय) नियम, 2020 पर मसौदा नियमों को अधिसूचित किया है।

क.रा.बी. अधिनियम के तहत उपलब्ध लाभों को संहिता में बनाए रखा गया है। क.रा.बी. योजना सहित सामाजिक सुरक्षा संहिता में किसी भी सदस्य या लाभार्थी को सामाजिक सुरक्षा संहिता की धारा 142 के प्रावधानों के अनुसार लाभ प्राप्त करने के लिए अपने आधार को अपने आधार को जोड़ना (सीड/वीजिट करना) आवश्यक होगा।

सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 में क.रा.बी. योजना की व्याप्ति को अधिसूचित जिले/क्षेत्रों में 10 या अधिक कर्मचारियों को रोजगार देने वाले सभी प्रतिष्ठानों अखिल भारतीय स्तर (पैन इंडिया) तक बढ़ाया जाएगा। हालांकि, नियोक्ताओं और कर्मचारियों से योगदान अधिसूचित तिथि से एकत्र किया जाएगा जब क.रा.बी. निगम द्वारा लाभ प्रदान किए जाएंगे।

सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 की धारा 1(7) के साथ पठित पहली अनुसूची के अनुसार 10 से कम व्यक्तियों वाले प्रतिष्ठान की स्वैच्छिक व्याप्ति के प्रावधान को शामिल किया गया है। नियोक्ता द्वारा चयन करने पर प्रतिष्ठान के रूप में बागानों के लिए व्याप्ति का प्रावधान संहिता में किया गया है। क.रा.बी. योजना के तहत व्याप्ति में एक बड़ा बदलाव लाया गया है जिसके तहत संहिता की पहली अनुसूची (पूर्वोक्त) के प्रावधान के अनुसार घातक या जीवन जोखिम व्यवसाय में लगे प्रतिष्ठानों को उनके द्वारा नियोजित प्रत्येक कर्मचारी को व्याप्त करना होगा। अधिसूचना द्वारा केंद्र सरकार घातकपूर्ण उद्योगों और जीवन जोखिम में डालने वाले व्यवसाय को अधिसूचित करेगी।

संहिता में असंगठित कामगारों, गिग वर्कर्स, प्लेटफॉर्म वर्कर्स और अन्य लाभार्थियों के लिए विशेष योजना का प्रावधान शामिल किया गया है।



1.1.1 EXPANSION OF ESI SCHEME

At present, the scheme is extended to 36 states and Union Territories. There has been a massive geographical expansion of ESI Scheme since the launch of ESIC 2.0 and the scheme as on 31.08.2023 stands extended to 643 districts of the country which includes 535 fully notified districts and 108 partially notified districts including their district headquarters areas and prominent industrial centers. The scheme is non-notified in 135 districts.

ESIC is working in close coordination with States to increase the pace of coverage since health is a state subject and the States are being requested to make arrangements for primary and secondary care. In this regard, ESIC has also taken the initiative to supplement medical care after consultation with States for making medical arrangements, in order to extend coverage as per the timelines.

Simultaneous with expansion of ESI Scheme to a vast geographical area of the country, ESIC in making the benefits of Social Security available to all eligible employees and their family members under ESI Scheme.

The ESI Act under the Code on Social Security, 2020:

The ESI Act, 1948 along with 8 other Central Labour enactments, has been subsumed in the Code on Social Security, 2020 (Act 36 of 2020). The Central Govt. has notified the draft rules namely the Code on Social Security (Central) Rules, 2020 in the Gazette of India on 13.11.2020 for stakeholder consultation.

Benefits available under the ESI Act have been retained in the Code. Any member or beneficiary of the Social Security Code including under ESI Scheme would be required to seed their Aadhaar for seeking benefits as per provisions of Section 142 of the Code of Social Security.

In the Code of Social Security 2020, the coverage of the ESI Scheme shall be extended PAN India to all establishments employing 10 or more employees, as against the notified district/areas. However, contribution from employers and employees will be collected from the notified date when the benefits are provided by ESIC.

As per section 1(7) of the Code of Social Security, 2020 read with its first schedule, provision for voluntary coverage of establishment with less than 10 persons has been incorporated. Coverage for plantations as an establishment, on opting by the employer has been provisioned in the Code. A major change has been brought in the coverage under ESI Scheme whereby as per the provision of first schedule of the Code (ibid), establishments engaged in hazardous or life-threatening occupation will have to cover every employee employed by them. The Central Govt. by notification shall notify the hazardous industries and life-threatening occupation.

Provision for special scheme for unorganized workers, gig workers, platform workers and other beneficiaries have been included in the Code.



वित्तीय प्राक्कलन तथा निष्पादन बजट 2024-2025

सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 में सन्निहित प्रावधानों के संबंध में आवश्यक बजटीय प्रावधान सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 के नियम अधिसूचित होने के पश्चात् किए जाएंगे।

1.1.2. राज्यों द्वारा राज्य क.रा.बी. सोसायटी का गठन

क.रा.बी.निगम ने दिनांक 18.12.2015 को आयोजित अपनी 167^{वीं} बैठक में राज्य स्तर पर संगठन की व्यापक संरचना को अनुमोदित किया तथा तत्पश्चात निगम ने दिनांक 06.12.2017 को आयोजित अपनी 172^{वीं} बैठक में क.रा.बी. अधिनियम 1948 की धारा 58(5) के अंतर्गत राज्य स्वायत्त निकाय/सोसायटी की नई संरचना के होने वाले गठन को अनुमोदित किया। राज्यों के लिए इस निकाय को एक सोसायटी के साथ-साथ एक न्यास के रूप में भी पंजीकृत करना अपेक्षित होगा तथा क.रा.बी. निगम सोसायटी के बैंक खाते में सीधे निधि जारी करेगा। राज्य क.रा.बी.सोसायटी के गठन के लिए अब तक 22 राज्य/संघ राज्यक्षेत्र सहमत हो गए हैं। केंद्रीय सरकार ने 7 और राज्यों यथा- तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, नागालैण्ड, त्रिपुरा, पंजाब और अरुणाचल प्रदेश को सोसायटी का गठन करने की मंजूरी दे दी है। वर्तमान में, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा और हिमाचल प्रदेश के राज्यों में क.रा.बी. सोसायटियां प्रचालन में हैं। इन चार राज्यों में सोसायटी के बैंक खाते में सीधे तौर पर निधि अंतरण की जा रही है।

राज्य स्वायत्त सोसायटी के गठन से क.रा.बी. योजना के बीमाकृत व्यक्तियों और लाभार्थियों को बेहतर प्राथमिक और द्वितीयक देख-रेख द्वारा चिकित्सा हितलाभ आपूर्त करने वाली सेवा में बहुत सुधार होगा। कर्मचारी राज्य बीमा निगम नियमित रूप से राज्यों को सोसायटी बनाने के लिए प्रोत्साहित करता रहा है जो उन्हें निम्नलिखित मुख्य लाभ प्रदान करेगी:-

- निधि उपलब्धता में स्वायत्तता: निधियों को राज्य राजकोष के माध्यम से भेजे जाने को अधिदेशात्मक बनाने के बजाए, निधियों के लिए सोसायटी को स्वायत्तता प्रदान करें।
- समय पर चिकित्सा जनशक्ति की नियुक्ति: नियमित कार्मिकों की नियुक्ति होने तक संविदा आधार पर चिकित्सा जनशक्ति की समय पर नियुक्ति सुनिश्चित की जाए।
- प्रतिपूर्ति बिल का त्वरित निपटान: राज्य बजटीय प्रकाशन (रिलीज) की प्रतीक्षा किए बिना बीमाकृत व्यक्तियों के प्रतिपूर्ति बिलों के निपटान में तेजी लाई जाए।
- औषधि एवं मरहम-पट्टी की उपलब्धता में वृद्धि: समर्पित निधि आवंटन के माध्यम से क.रा.बी.योजना अस्पतालों और औषधालयों में औषधि एवं मरहम-पट्टी की उपलब्धता में सुधार।
- प्रभावी उपकरण खरीद: सोसायटी में, विशेषकर उपकरण खरीद के संदर्भ में, अधिक सुविज्ञ निर्णय लेने को सक्षम करते हुए चिकित्सा सेवाओं की गुणवत्ता में वृद्धि करना।
- राज्य द्वारा संचालित अस्पताल और औषधालय का रखरखाव: राज्य द्वारा संचालित अस्पतालों और औषधालयों की मरम्मत और रखरखाव को प्राथमिकता दी जाए।

1.2 अंशदान आय

क.रा.बी. अंशदान को दिनांक 01.07.2019 से 6.5 प्रतिशत से घटाकर 4 प्रतिशत कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त आर्थिक गतिविधियों में सुधार के साथ, अंशदान आय से राजस्व संग्रह में पिछले दो वित्तीय वर्षों की तुलना में सुधार आया है तथा तदनुसार अंशदाय आय परिशोधित प्राक्कलन 2023-2024 तथा बजट प्राक्कलन 2024-25 के लिए क्रमशः रु. 2088000 लाख तथा रु. 2296800 लाख होने का अनुमान लगाया गया है।



FINANCIAL ESTIMATES AND PERFORMANCE BUDGET 2024-2025

Necessary budgetary provisions as envisaged under Code of Social Security, 2020 shall be made after notification of rules under the Code of Social Security, 2020.

1.1.2. Formation of State ESI Society by States

ESI Corporation in its 167th meeting held on 18.12.2015 approved the broad structure of an organization at the State level and subsequently, in the 172nd meeting of the Corporation held on 06.12.2017, the new structure of the State Autonomous Body/Society was approved to be constituted under section 58(5) of ESI Act, 1948. The States are required to register the body as a Society, as well as a Trust and ESIC shall release the fund to the bank account of the Society directly. As of date 22 States/UTs have consented to form the State ESI Society. The Central Government has accorded approval for the formation of society to seven more States viz, Tamil-Nadu, Chhattisgarh, Maharashtra, Nagaland, Tripura, Punjab & Arunachal Pradesh. Presently, ESI Societies are in operation in the States of Maharashtra, Chhattisgarh, Tripura and Himachal Pradesh. Fund transfers to these four states are being made directly to the bank account of the society.

The formation of State Autonomous Society will greatly improve service delivery of Medical benefits to the Insured Persons and the beneficiaries of the ESI Scheme, by way of better Primary & Secondary Care. ESIC has regularly been encouraging the States to form the Society which will provide them the following salient benefit: -

- i. Autonomy in Fund Availability: Grant autonomy to society for the funds, rather than mandating the funds to be routed through the State Treasury.
- ii. Timely medical manpower engagement: Ensure the timely engagement of medical manpower on contract until regular personnel are appointed.
- iii. Prompt Reimbursement Bill Settlement: Expedite the settlement of reimbursement bills for Insured Persons without having to await state budgetary releases.
- iv. Enhanced Availability of Drugs and Dressings: Improve the availability of drugs and dressings in ESIS Hospitals and dispensaries through dedicated fund allocation.
- v. Effective Equipment Procurement: Enhance the quality of medical services by enabling more informed decision-making within the Society, particularly in the context of equipment procurement.
- vi. State Hospital and Dispensary Maintenance: Prioritize the repair and maintenance of state-operated hospitals and dispensaries.

1.2 CONTRIBUTION INCOME

The rate of ESI Contribution has been reduced from 6.5 percent to 4 percent w.e.f. 01.07.2019. Further with the improvement in economic activities, revenue collection from contribution income has been improved as compared to two financial years and accordingly contribution income has been projected at ₹ 2088000 Lakh for Revised Estimates 2023-2024 and ₹ 2296800 Lakh for Budget Estimates 2024-2025 respectively.



वित्तीय प्राक्कलन तथा निष्पादन बजट 2024-2025

1.3 चिकित्सा सेवाएँ

वर्ष 2023-2024 के परिशोधित प्राक्कलनों में चिकित्सा हितलाभों (1.3.1 से 1.3.6) के लिए कुल ₹ 1430539 लाख का प्रावधान है जोकि वर्ष 2023-24 की अनुमानित अंशदान आय का 69% है। इसी प्रकार बजट प्राक्कलन 2024-2025 में ₹ 1638029 लाख का प्रावधान है जो अनुमानित अंशदान आय का लगभग 71% है।

1.3.1 राज्य क.रा.बी योजना / सोसाइटी द्वारा चिकित्सा सेवाओं का प्रावधान

क.रा.बी. लाभार्थियों के लिए चिकित्सा सेवाओं का पर्याप्त प्रावधान करने के लिए राज्य सरकारों को सुगमता प्रदान करने हेतु अध्यक्ष, क.रा.बी. निगम ने 'खातागत भुगतान' जारी करने की पद्धति के संबंध में पिछले सभी पत्रों के अधिक्रमण में राज्य क.रा.बी योजना / सोसायटी को 'खातागत भुगतान' जारी करने के लिए संशोधित नीति को मंजूरी दी है जो कि वित्तीय वर्ष 2021-22 से प्रभावी है।

क.रा.बी. निगम ने दिनांक 19-20 फरवरी, 2023 को आयोजित अपनी 190वीं बैठक में क.रा.बी. योजना को सुदृढ़ करने और उत्तर पूर्वी राज्यों (सिक्किम सहित) की भौगोलिक, जनसांख्यिकी, सामाजिक, औद्योगिक और वाणिज्यिक स्थितियों को ध्यान में रखते हुए उत्तर पूर्वी राज्यों (असम को छोड़कर) के लिए मंजूरी दे दी है कि- (क) अधिकतम सीमा तक का पूरे खर्च का वहन क.रा.बी. निगम द्वारा किया जाएगा और (ख) वित्तीय वर्ष 2023-2024 से, बीमाकृत व्यक्ति की संख्या 50,000 होने तक अथवा अतिरिक्त पांच वर्षों के लिए, जो भी पहले हो, प्रति औषधालय ₹ 40 लाख (त्रैमासिक ₹ 10 लाख) की अतिरिक्त वित्तीय सहायता (अतिरिक्त वित्तीय सहायता) प्रदान करना (मानक चिकित्सा देखरेख के अंतर्गत नियमित निधि आबंटन के अलावा)। असम के नए कार्यान्वित जिलों के लिए, यह योजना केवल प्रथम पांच वर्षों के लिए होगी। वित्त वर्ष 2022-23 से 5 वर्षों के लिए उत्तर-पूर्वी राज्यों (असम को छोड़कर पर सिक्किम सहित) के लिए लचीली उप-सीमा की अनुमति देने हेतु भी अनुमोदन किया गया।

तदनुसार, 'खातागत नीति' के अंतर्गत परिशोधित प्राक्कलन वर्ष 2023-2024 तथा बजट प्राक्कलन वर्ष 2024-2025 के लिए उत्तर पूर्वी राज्यों (असम को छोड़कर पर सिक्किम सहित) हेतु क्रमशः 350 लाख रुपये और 400 लाख रुपये के अतिरिक्त वित्तीय सहायता सहित, राज्य क.रा.बी. योजना/ सोसायटी हेतु 527092 लाख रुपये और 579965 लाख रुपये का आवंटन किया गया।

हाल ही में, क.रा.बी.निगम ने 3 क.रा.बी.निगम अस्पतालों (अर्थात, बीकानेर (राजस्थान), तिरुपुर (तमिलनाडु) और भिलाई (छत्तीसगढ़)) का निर्माण किया है, और 3 क.रा.बी.योजना द्वारा संचालित अस्पतालों (अर्थात, कोटा (राजस्थान), मैथान (झारखंड) और भोपाल(मध्य प्रदेश) का संबन्धित राज्य सरकारों से ग्रहण किया है। इस संबंध में, संबन्धित बजट शीर्षों के अंतर्गत, वर्ष 2023-24 के लिए ₹ 6400 लाख तथा बजट प्राक्कलन वर्ष 2024-2025 के लिए ₹ 16700 लाख के अनुपूरक प्राक्कलन के रूप में बजटीय प्रावधान किया है।



1.3 MEDICAL SERVICES

The total provision for Medical Benefits (1.3.1 to 1.3.6) in Revised Estimates 2023-2024 is ₹ 1430539 Lakh which is about 69 percent of projected contribution income for 2023-24. Similarly, the provision of ₹ 1638029 Lakh has been made in Budget Estimates 2024-2025 is about 71 percent of projected contribution income.

1.3.1 PROVISION OF MEDICAL SERVICES BY STATE ESI SCHEME / SOCIETY:

In order to facilitate State Governments for making adequate provision of medical services to ESI beneficiaries, the Chairman, ESIC, in super-session of all previous communication regarding modalities for release 'On Account Payment' has approved a revised policy for releasing 'On Account Payment' to State ESI Scheme / Society w.e.f. FY 2021-22.

The ESI Corporation in its 190th meeting held on 19th - 20th February, 2023 with a view to strength the ESI Scheme and considering the geographical, demographical, social, industrial and commercial conditions of North Eastern States (including Sikkim) has approved for North Eastern States (except Assam), (a) the entire expenditure up-to the ceiling to be borne by ESI Corporation and (b) providing Additional Financial Assistance (AFA) to the tune of ₹ 40 lakh per dispensary (₹ 10 lakh quarterly) (apart from regular fund allocation under Standard Medical Care) till the IP population reaches 50,000 or for additional five years, whichever is earlier, w.e.f. FY 2023-24. For newly implemented districts of Assam, the Scheme will be for first five years only. It was also approved to allow flexible sub-ceiling for North Eastern States (including Sikkim except Assam) for 5 years w.e.f. FY 2022-23.

Accordingly, under the 'On Account Policy' an allocation of ₹ 527092 Lakh and ₹ 579965 Lakh has been made towards State ESI Scheme/Society, including an AFA of ₹ 350 Lakh and ₹ 400 Lakh for North Eastern States (including Sikkim except Assam), for Revised Estimates 2023-2024 and Budget Estimates 2024-2025 respectively.

Recently, ESIC has constructed 3 ESIC Hospitals (viz, Bikaner (Rajasthan), Tiruppur (Tamil Nadu) and Bhilai (Chhattisgarh)), and taken over the 3 ESIS run hospitals (viz, Kota (Rajasthan), Maithan (Jharkhand) and Bhopal (Madhya Pradesh), from respective state governments)). In this regard, budgetary provisions have been provided as Supplementary Estimates of ₹ 6400 Lakh for the year 2023-24 and Budget Estimates 2024-25 of ₹ 16700 Lakh under the respective budget heads.



वित्तीय प्राक्कलन तथा निष्पादन बजट 2024-2025

1.3.2 नए कार्यान्वित क्षेत्रों में चिकित्सा सेवाओं का प्रावधान

ऐसे स्थानों पर जहां स्वास्थ्य देखरेख प्रदान करने के लिए निगम की अपनी अवसंरचना नहीं है, नामांकित नए बीमाकृत व्यक्तियों को चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने के लिए, आशोधित नियोक्ता उपयोगन औषधालय (एम-ईयूडी) तथा आशोधित बीमा चिकित्सा व्यवसायी (एम-आइएमपी) योजना आरंभ की गई है, जिससे प्राथमिक देखरेख सेवाएं प्रदान की जाती हैं। द्वितीयक देखरेख चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने के लिए संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों को जानी-मानी निजी स्वास्थ्य देखरेख संस्थाओं के साथ टाइ-अप करने के लिए पहले से ही प्राधिकृत कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक जिले में औषधालय-सह-शाखा कार्यालय स्थापित किए जा रहे हैं ताकि जिले स्तर पर रेफरल और प्रतिपूर्ति के लिए सभी टाइ-अप पर नजर रखी जा सके।

इससे आगे, नए कार्यान्वित क्षेत्रों में चिकित्सा देखरेख की उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु क.रा.बी. निगम ने पहले ही राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एन.एच.ए.) के साथ समझौता ज्ञापन कर लिया है ताकि क.रा.बी. निगम लाभार्थी आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (ए.बी.पी.एम.जे.ए.वाई.) नामिकायित अस्पतालों में सेवाओं के लिए सीधे जाने में सक्षम हो सकें साथ ही क.रा.बी.मा लाभार्थी भी देश भर में ए.बी.पी.एम.जे.ए.वाई. नामिकायित अस्पतालों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं की पोर्टेबिलिटी का लाभ उठा सकेंगे। और दूसरा पक्ष भी इसका लाभ उठा सकेगा। ऐसी अपेक्षा है कि इस संबंध से आगे क.रा.बी. निगम के उन अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाओं की उच्च मांग होगी जो अभी अल्प उपयोग में आ रहे हैं और परिणामस्वरूप ऐसे स्थानों पर आधारभूत ढांचे के सुधार में मदद मिलेगी।

तत्पश्चात् दिनांक 13.09.2019 को आयोजित क.रा.बी. निगम की 178^{वीं} बैठक में लिए गए निर्णय के बाद क.रा.बी. निगम ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेवाई) के सहयोग से देश के 157 जिलों में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के पैनलबद्ध अस्पतालों के माध्यम से क.रा.बी. हितलाभार्थियों को नकदी-रहित चिकित्सा सेवाएं प्रदान की हैं।

औषधालयों तथा आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबीपीएमजेवाई) के लिए परिशोधित प्राक्कलन 2023-2024 में ₹ 4192 लाख और बजट प्राक्कलन 2024-2025 में ₹ 5200 लाख उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

1.3.3 अति विशिष्टता उपचार (एसएसटी)

क.रा.बी. निगम देशभर में 2546 टाइ-अप (टीयूएच) अस्पतालों के माध्यम से अति विशिष्टता उपचार सेवाएं प्रदान कर रहा है, जिसमें मई 2017 से संकल्पना अध्ययन के प्रमाण के सफलतापूर्वक समाप्त होने के बाद यूटीआई-आईटीएसएल की सेवाओं को बिल प्रक्रमण एजेंसी (बीपीए) के रूप में लिया गया है। 'रेफरल्स' धन्वंतरि और यूटीआई मॉड्यूल के माध्यम से ऑनलाइन जनरेट किए जा रहे हैं। इस प्रणाली के माध्यम से किए गए भुगतानों का ऑनलाइन अनुवीक्षण किया जा रहा है ताकि पारदर्शिता आए और टाइ-अप अस्पतालों को समय पर भुगतान हो। इसके अलावा सुचारू कामकाज और हितधारकों के लिए बेहतर पारदर्शिता हेतु यूटीआई-आईटीएसएल विभिन्न परिवर्तनों के साथ-साथ क.रा.बी. निगम की आवश्यकता के अनुसार लगातार बीपीए एप्लिकेशन का उन्नयन कर रहा है।

अति विशिष्टता उपचार और द्वितीयक देखभाल के लिए परिशोधित प्राक्कलन 2023-2024 में ₹ 199035 लाख और बजट प्राक्कलन 2024-2025 में ₹ 225425 लाख की राशि प्रदान की जा रही है।



1.3.2 PROVISION OF MEDICAL SERVICES IN NEWLY IMPLEMENTED AREAS

Medical services for newly enrolled IPs at places where Corporation do not have its own infrastructure for health care delivery, modified Employer Utilization Dispensary (m-EUD) & modified Insurance Medical Practitioner (m-IMP) scheme have been extended to cater to Primary care service requirements of IPs. For providing secondary care medical services, Regional Offices concerned, have already been authorized to tie-up with reputed private health care institutions. Apart from this, DCBOs are being established in districts in order to oversee all tie-ups for referral and reimbursement at district level.

Moreover, to ensure the availability of medical care in newly implemented areas, ESI Corporation has already entered into an MoU with National Health Authority (NHA) to enable ESIC beneficiaries to access services of Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana (AB PMJAY) empanelled hospitals. ESI beneficiaries shall also be able to avail benefits from portability of services provided by AB-PMJAY empanelled hospitals across the country and vice versa. It is expected that this relation would further create higher demand for health services at under-utilized hospitals of ESI Corporation and consequently support the improvement of infrastructure and facilities at such places.

Subsequent to decision taken in 178th ESI Corporation meeting held on 13.09.2019, ESIC has collaborated with PMJAY in 157 districts of the country for providing cashless medical services to ESI Beneficiaries through PMJAY empanelled hospitals.

For DCBOs and Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana (AB PMJAY), an amount of Rs. 4192 Lakh are being provided in Revised Estimated 2023-24 and Rs. 5200 Lakh in Budget Estimates 2024-25.

1.3.3 SUPER SPECIALITY TREATMENT (SST)

ESIC is providing SST services through 2546 tie-up hospitals (TUHs) across India wherein services of UTI-ITSL have been taken on board as a Bill Processing Agency (BPA) after the successful completion of a proof of concept study since May 2017. Referrals are generated through Dhanwantri and UTI module online. Payments through this system are being monitored online to bring transparency and timely payment to the TUH. Further, UTI-ITSL is continually upgrading the BPA application as per the requirement of ESIC along with various changes being implemented for smooth functioning and better transparency for all stakeholders.

For SST & Secondary Care, an amount of ₹ 199035 Lakh is being provided in Revised Estimates 2023-2024 and ₹ 225425 Lakh in Budget Estimates 2024-25.



वित्तीय प्राक्कलन तथा निष्पादन बजट 2024-2025

1.3.4 चिकित्सा तथा अन्य उपस्करों का प्रापण

क.रा.बी.निगम ने उपस्करों की खरीद हेतु व्यवस्थित सुधार किए हैं। विभिन्न अस्पतालों के लिए उपस्करों के प्रतिमानकों की समीक्षा तथा समरूप विनिर्देशों सहित केंद्रीकृत खरीद, जेईएम (जेम) के माध्यम से प्रापण आदि इनमें से कुछेक हैं। इन उपस्करों के प्रापण के लिए परिशोधित प्राक्कलन 2023-2024 तथा बजट प्राक्कलन 2024-2025 में क्रमशः ₹ 42090 लाख तथा ₹ 51465 लाख की राशि आबंटित की गई है।

1.3.5 बीमाकृत महिला (आइडब्ल्यू) और बीमाकृत व्यक्ति (आइपी) को उसकी पत्नी के लिए प्रसूति व्यय

जीवन-निर्वाह सूचकांक की लागत में वृद्धि होने के परिणामस्वरूप प्रसूति से संबंधित व्यय में हुई वृद्धि के दृष्टिगत क.रा.बी.निगम ने दिनांक 13.02.2020 को आयोजित अपनी 181^{वीं} बैठक में प्रसूति खर्चों की मौजूदा राशि को 5,000 रुपये से बढ़ाकर 7,500 रुपये कर दिया है। परिशोधित प्राक्कलन वर्ष 2023-2024 और बजट प्राक्कलन वर्ष 2024-25 के लिए क्रमशः ₹ 610 लाख तथा ₹ 620 लाख की राशि आवंटित की गई है।

1.3.6 चिकित्सा शिक्षा परियोजनाएँ

क.रा.बी. योजना के तहत प्रदान की जाने वाली सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने संलग्नक-III में दी गई तालिका अनुसार चिकित्सा महाविद्यालयों, दंत चिकित्सा महाविद्यालयों, नर्सिंग महाविद्यालयों और पराचिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना की है।

स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम

क.रा.बी. निगम के अस्पतालों में डीएनबी पाठ्यक्रम चालू हैं: बापूनगर, इंदौर, जयपुर, झिलमिल, लुधियाना, ओखला, रोहिणी, बिहटा, सनतनगर।

एन.बी.ई.एम.एस. ने वर्ष 2023-24 के लिए संज्ञाहरण, सामान्य काय-चिकित्सा, सामान्य शल्य चिकित्सा (सर्जरी), प्रसूति एवं स्त्री रोग, नेत्र विज्ञान, हड्डी रोग, बाल रोग, कान, नाक एवं गला और तपेदिक एवं छाती रोगों, पारिवारिक चिकित्सा (फेमिली मेडिसिन), शरीर क्रिया विज्ञान, औषध विज्ञान(फार्माकोलोजी), सूक्ष्मजैविकी(माइक्रोबायोलोजी) में 109 डीएनबी सीटें (पोस्ट एमबीबीएस डीएनबी-56, पोस्ट एमबीबीएस डिप्लोमा-16, पोस्ट डिप्लोमा डीएनबी-37) आबंटित की हैं।

शैक्षिक वर्ष 2022-23 से स्नातकोत्तर सीटों को बढ़ाकर 394 कर दिया गया है।

इन चिकित्सा शिक्षा संस्थानों के संचालन और अनुरक्षण के लिए वर्ष 2023-2024 के परिशोधित प्राक्कलन में ₹ 81820 लाख और वर्ष 2024-2025 के बजट प्राक्कलन में ₹ 86520 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है।



1.3.4 PROCUREMENT OF MEDICAL AND OTHER EQUIPMENT

ESIC has undertaken systemic reforms for purchase of equipment. Review of norms of equipment for various hospitals, centralized purchase with uniform specifications, procurement through GeM etc are a few of them. For procurement of these equipment, an amount of ₹ 42090 Lakh and ₹ 51465 Lakh has been allocated in the Revised Estimates 2023-2024 and Budget Estimates 2024-2025 respectively as capital expenditure.

1.3.5 CONFINEMENT EXPENSES TO AN INSURED WOMEN (IW) AND AN INSURED PERSON (IP) IN RESPECT OF HIS WIFE

Keeping in view the rise in the cost of living index resulting in increase in expenditure related to confinement, existing amount of confinement expenses has been increased from ₹ 5,000 to ₹ 7,500 by ESI Corporation in its 181st meeting held on 13.02.2020.

An amount of ₹ 610 Lakh and ₹ 620 Lakh have been allocated for Revised Estimates 2023-2024 and Budget Estimates 2024-25 respectively.

1.3.6 MEDICAL EDUCATION PROJECTS

In order to improve the quality of services provided under the ESI Scheme, the ESI Corporation has established Medical Colleges, Dental Colleges, Nursing Colleges and Para-medical Colleges as tabled at Annexure-III

POST GRADUATE COURSES

Diplomate of National Board (DNB) Courses are offered at ESIC Hospitals viz, Bapunagar, Indore, Jaipur, Jhimil, Ludhiana, Okhla, Rohini, Bihta, Sanathnagar

National Board of Examinations in Medical Sciences (NBEMS) has allotted 109 DNB seats (Post MBBS DNB-56, Post MBBS Diploma-16, Post Diploma DNB-37 in Anaesthesia, General Medicine, General Surgery, Obstetrics & Gynaecology, Ophthalmology, Orthopaedic, Paediatrics, ENT & Tuberculosis & Chest Disease, Family Medicine, Physiology, Pharmacology, Microbiology for the year 2023-24.

Post Graduate Seats have been increased to 394 from the Academic Year 2022-23.

For running and maintaining these medical education institutions an allocation of ₹ 81820 Lakh and ₹ 86520 Lakh has been provided in the Revised Estimates 2023-2024 and Budget Estimates 2024-2025 respectively.



वित्तीय प्राक्कलन तथा निष्पादन बजट 2024-2025

1.4. नकद एवं अन्य हितलाभ

वर्ष 2023-2024 के परिशोधित प्राक्कलन में नकद हितलाभ और अन्य हितलाभों के लिए कुल ₹ 254060 लाख और वर्ष 2024-2025 के बजट प्राक्कलन में ₹ 256680 लाख का प्रावधान है। वर्ष 2023-2024 के परिशोधित प्राक्कलन तथा वर्ष 2024-2025 के बजट प्राक्कलन के लिए नकद और अन्य हितलाभों के लिए ये प्रावधान संबंधित अनुमानित अंशदान आय का लगभग क्रमशः 12 प्रतिशत और 11 प्रतिशत है। इसमें वर्ष 2023-2024 के परिशोधित प्राक्कलन के लिए स्थायी निःशक्तता निधि, आश्रित हितलाभ निधि और क.रा.बी.निगम कोविड-19 राहत योजना निधि में किए गए क्रमशः ₹ 61500 लाख, ₹ 72900 लाख और ₹ 8000 लाख का प्रावधान शामिल है।

इसी प्रकार बजट प्राक्कलन 2024-2025 के लिए स्थायी निःशक्तता निधि में ₹ 58600 लाख, आश्रितजन हितलाभ निधि में ₹ 71000 लाख तथा क.रा.बी. निगम कोविड-19 राहत योजना निधि में ₹ 7600 लाख का प्रावधान किया गया है।

हालांकि, वित्त वर्ष 2023-2024 के दौरान स्थायी निःशक्तता निधि, आश्रित हितलाभ निधि और क.रा.बी. निगम कोविड-19 राहत योजना निधि के लिए भुगतान का अनुमान क्रमशः ₹ 44500 लाख, ₹ 43600 लाख और ₹ 12500 लाख तथा वर्ष 2024-2025 के बजट प्राक्कलन में यह अनुमान ₹ 37600 लाख, ₹ 38000 लाख और ₹ 13100 लाख लगाया गया है।

1.4.1 स्थायी निःशक्तता हितलाभ (पीडीबी) और आश्रितजन हितलाभ (डीबी) दरों में वृद्धि.

क.रा.बी. निगम ने दिनांक 15 दिसंबर, 2023 को आयोजित अपनी 192वीं बैठक में उन मामलों के लिए स्थायी निःशक्तता हितलाभ (पीडीबी)/ आश्रितजन हितलाभ (डीबी) की दरों में वृद्धि के प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया है, जहां दिनांक 31.12.2021 को या उससे पहले रोजगार चोटों के परिणामस्वरूप मृत्यु/निःशक्तता हुई हो। यह वृद्धि दिनांक 1 अगस्त, 2022 से प्रभावी है। दिसंबर, 2022 तक केवल स्थायी निःशक्तता हितलाभ (पीडीबी) और आश्रितजन हितलाभ (डीबी) के बकाया भुगतान की भरपाई के लिए क्रमशः 8659 लाख रुपये और 7376 लाख रुपये का प्राक्कलित अतिरिक्त वित्तीय प्रभाव परिशोधित प्राक्कलन वर्ष 2023-2024 के लिए संबंधित आरक्षित निधि (रिज़र्व फंड) के संभावित भुगतान का प्रावधान किया गया है।

1.4.2 क.रा.बी. निगम कोविड-19 राहत योजना

कोविड-19 के कारण मृतजन के परिवारों को सहायता और राहत प्रदान करने के लिए, अध्यक्ष, क.रा.बी. निगम ने क.रा.बी. निगम कोविड-19 राहत योजना' को मंजूरी दी। यह योजना बीमाकृत व्यक्तियों के लिए एक कल्याणकारी उपाय है जो कि दो वर्ष की अवधि के लिए 24.03.2020 से प्रभावी है और यह कोविड-19 के कारण बीमाकृत व्यक्ति की मृत्यु के मामले में उसके आश्रितों को राहत प्रदान करती है। कोविड-19 के कारण बीमाकृत व्यक्ति की मृत्यु के मामले में, उसके परिवार के पात्र आश्रितों को आवधिक भुगतान सीधे बैंक खाते में किया जाता है। अब यह योजना दिनांक 23.03.2022 से बंद की गई।



1.4. CASH AND OTHER BENEFITS

The total provision for Cash Benefits & Other Benefits for Revised Estimates 2023-2024 is ₹ 254060 Lakh and for Budget Estimates 2024-2025 is ₹ 256680 Lakh. These provisions for Cash & Other Benefits works out about 12 percent and 11 percent of projected contribution income for Revised Estimates 2023-24 and Budget Estimates 2024-25 respectively. These includes a provision of ₹ 61500 Lakh, ₹ 72900 Lakh and ₹ 8000 Lakh in the Permanent Disablement Fund, Dependent Benefit Fund and ESIC COVID-19 Relief Scheme Fund for Revised Estimates 2023-2024 respectively.

Similarly, provision of ₹ 58600 Lakh in the Permanent Disablement Fund, ₹ 71000 Lakh in the Dependent Benefit Fund and ₹ 7600 Lakh in ESIC COVID-19 Relief Scheme Fund have been made for Budget Estimates 2024-25 respectively.

However, projections for pay-out have been estimated at ₹ 44500 Lakh, ₹ 43600 Lakh and ₹ 12500 Lakh for financial 2023-2024 and ₹ 37600 Lakh, ₹ 38000 Lakh and ₹ 13100 Lakh for Budget Estimates 2024-2025 from Permanent Disablement Fund, Dependent Benefit Fund and ESIC COVID-19 Relief Scheme Fund respectively.

1.4.1 ENHANCEMENT OF PERMANENT DISABLEMENT BENEFIT (PDB) AND DEPENDANTS' BENEFIT (DB) RATES

The ESI Corporation in its 192nd meeting held on 15th December, 2023 has approved the proposal for increase in the PDB/DB rates for cases where the employment injuries resulting in death/disablement on or before 31.12.2021. The increases are effective from 1st August, 2022. The Estimated additional financial impact of ₹ 8659 Lakh and ₹ 7376 Lakh to offset the arrears payment of PDB & DB respectively only up to December, 2022 has been provided in projection of pay-out for respective Reserve Funds for Revised Estimates 2023-24.

1.4.2 ESIC COVID-19 RELIEF SCHEME

In order to provide help and succour to the families of the IPs who died due to COVID-19, the Chairman, ESIC approved the 'ESIC COVID-19 Relief Scheme', This scheme is a welfare measure for IPs made effective for a period of two years w.e.f. 24.03.2020 and it provides relief to the dependants of the IP in case of his/her death due to COVID-19. In case of death of IP due to COVID-19, the eligible dependant's family members of IP are paid periodic payments directly to the bank account. The Scheme has been discontinued from 23.03.2022.



वित्तीय प्राक्कलन तथा निष्पादन बजट 2024-2025

1.4.3 औषधालय-सह-शाखा कार्यालय (डीसीबीओ)

बीमाकृत व्यक्तियों को प्राथमिक चिकित्सा देखभाल सुविधाएं प्रदान करने के लिए, क.रा.बी. निगम ने दिनांक 29.05.2018 को आयोजित अपनी 174वीं बैठक में प्रत्येक व्याप्त जिले में एक औषधालय-सह-शाखा कार्यालय (डीसीबीओ) स्थापित करने को मंजूरी दी है। यह जिले में के लिए द्वितीयक चिकित्सा देखरेख हेतु रेफरल, नकद हितलाभों के भुगतान और आशोधित नियोक्ता उपयोगन औषधालयों, बीमा चिकित्सा व्यवसायियों को दवाओं के सुनिश्चित वितरण भी करेगा। तथापि, बाद में संसाधनों का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने ऐसे जिलों में औषधालय-सह-शाखा कार्यालय खोलने का निर्णय लिया जिनमें कोई क.रा.बी. औषधालय नहीं है और जहां 10 किमी के दायरे में बीमाकृत व्यक्तियों की संख्या 3000 या उससे अधिक है।

वर्तमान में, दिनांक 04.10.2023 तक की स्थिति अनुसार 104 औषधालय-सह-शाखा कार्यालय कार्य कर रहे हैं तथा 54 औषधालय-सह-शाखा कार्यालयों को प्रचालात्मक बनाया जाना है।

इसके लिए वर्ष 2023-2024 के परिशोधित प्राक्कलन और वर्ष 2024-2025 के बजट प्राक्कलन में क्रमशः ₹4192 लाख और ₹ 5200 लाख की राशि आबंटित की गई है।

1.4.4 अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना

अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना (एबीवीकेवाई) कर्मचारी राज्य बीमा (क.रा.बी.) अधिनियम, 1948 के अंतर्गत व्याप्त कर्मचारियों के लिए एक कल्याणकारी उपाय है, जो बीमाकृत व्यक्ति (आईपी) की बेरोजगारी की आकस्मिकता में श्रमिक के जीवनकाल में एक बार 90 दिनों तक नकद क्षतिपूर्ति के रूप में दिया जाता है।

यह योजना दिनांक 01.07.2018 को लागू हुई और कोविड-19 महामारी के दौरान बेरोजगार हुए बीमाकृत व्यक्तियों को राहत प्रदान करने के लिए दिनांक 24.03.2020 से पात्रता और अन्य शर्तों में छूट के साथ दिनांक 01.07.2020 से दिनांक 30.06.2021 तक और दिनांक 01.07.2021 से दिनांक 30.06.2022 तक दो बार बढ़ाई गई। वर्तमान में, इस योजना को रियायती पात्रता शर्तों के साथ अन्य दो वर्षों अर्थात्, दिनांक 01.07.2022 से 30.06.2024 तक के लिए और आगे बढ़ा दिया गया है।

तदनुसार, वर्ष 2023-2024 के परिशोधित प्राक्कलन और वर्ष 2024-2025 के बजट प्राक्कलन में "अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना" के अंतर्गत राशि को घटाते हुए क्रमशः ₹ 150 लाख और ₹ 160 लाख आबंटित किए गए हैं।

1.5 चिकित्सा संस्थानों और अन्य परियोजनाओं का निर्माण (कृपया परिशिष्ट-III देखें)

1.5.1 वर्ष 2022-2023 के दौरान कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने 03 परियोजनाएं पूरी की हैं जिनमें ₹ 5463 लाख की कुल राशि पंजीकृत की गई है और ₹ 5160 लाख को पहले के कमीशन भवनों के लिए और पूंजीकृत किया गया है।

1.5.2 प्रणाली की समीक्षा और कड़ी निगरानी के साथ मामला विशिष्ट देखे जाने के साथ वर्ष 2008-2009 की सभी परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। अंधेरी के ओपीडी ब्लॉक का काम 14.08.2023 को पूरा हो चुका है और शेष कार्य भी लगभग फरवरी 2024 तक पूरा हो जाएगा।



1.4.3 DISPENSARY-CUM-BRANCH OFFICE (DCBO)

To provide primary medical care facilities to IPs, the ESI corporation in its 174th meeting held on 29.05.2018 has approved the setting up a Dispensary-Cum-Branch Office (DCBO) in each of the covered districts for providing primary medical care to IPs. It may also do referrals for secondary medical care, payment of cash benefits and ensuring distribution of drugs to Modified Employer Utilization Dispensary, IMPs in the district. However, subsequently to ensure optimal utilization of resources, the ESIC decided to open DCBOs in such districts which have no ESI Dispensary and having IP population of 3000 or more within a radius of 10 KM.

Presently, 104 DCBOs are functioning (as on 04.10.2023) and 54 DCBOs are yet to be make operational.

For the same, an amount of ₹4192 Lakh and ₹5200 Lakh for Revised Estimates 2023-2024 and Budget Estimates 2024-2025 respectively.

1.4.4 ATAL BEEMIT VYAKTI KALYAN YOJANA

Atal Beemit Vyakti Kalyan Yojana (ABVKY) is a welfare measure for the employees covered under the Employees' State Insurance (ESI) Act, 1948 in the form of cash compensation up to 90 days once in lifetime of the worker in the contingency of Insured Persons' (IPs) unemployment.

The scheme came into force on 01.07.2018 and extended twice from 01.07.2020 to 30.06.2021 and from 01.07.2021 to 30.06.2022 in order to provide relief to those IPs who became unemployed during the Covid-19 pandemic with the relaxed eligibility and other conditions w.e.f. 24.03.2020. Presently, the scheme has been further extended for another two years I.e. from 01.07.2022 to 30.06.2024 with relaxed eligibility conditions.

Accordingly, in Revised Estimate 2023-2024 and Budget Estimate 2024-2025 an allocation has been made at reduced amount of ₹150 Lakh and ₹160 Lakh respectively under the "ATAL BEEMIT VYAKTI KALYAN YOJANA".

1.5 CONSTRUCTION OF MEDICAL INSTITUTIONS AND OTHER PROJECTS (PLEASE SEE APPENDIX-III)

1.5.1 During the year 2022-23, ESIC has completed 03 projects in which total amount of ₹5463 Lakh has been capitalized and ₹5160 Lakh has also been further capitalized for earlier commissioned buildings.

1.5.2 With system review and developing case specific approach along with strict monitoring, all project of 2008-09 have been completed (except the project of Pandu Nagar, Kanpur and ESI Hospital Andheri.) The OPD Block of Andheri has been completed and inaugurated on 14.08.2023 and remaining work will be tentatively completed by Feb.2024)



वित्तीय प्राक्कलन तथा निष्पादन बजट 2024-2025

- 1.5.3** भारत सरकार के निर्देश पर क.रा.बी. निगम भवनों की छत पर सौर ऊर्जा परियोजना की स्थापना श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा मैसर्स राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड (आरईआईएल) को सौंपा गया है। तदनुसार आरईआईएल (श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा नियुक्त) को क.रा.बी. निगम के सभी व्यवहार्य प्रतिष्ठानों में देश भर में काम शुरू करने का निर्देश दिया गया है। क.रा.बी. निगम के लिए 31.66 मेगावाट का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। देश भर में क.रा.बी. भवनों के लिए चरणबद्ध तरीके से कार्य किया जा रहा है। तदनुसार राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक और इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड (श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा नियुक्त) को निर्देशित किया गया है कि वे देश भर में क.रा.बी. निगम की सभी संभाव्य स्थापनाओं में कार्य प्रारम्भ करें।

राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड (आरईआईएल) ने सूचित किया है कि 5.38 मेगावाट के सोलर पैनल को लगा दिया गया है और विभिन्न क.रा.बी. निगम के स्थलों का सर्वेक्षण पूर्ण हो चुका है और सौर पैनल की स्थापना के लिए 5.756 मेगावाट क्षमता के लिए पीपीए पर हस्ताक्षर किए गए और आगे 3.35 मेगावाट को अंतिम रूप दिया गया है और समझौता प्रक्रियाधीन है।

- 1.5.4** चिकित्सा संस्थानों और अन्य परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए कुल परिव्यय का प्राक्कलन नीचे दिए गए विवरण के अनुसार किया गया है: -

क्रम सं	परियोजना	2023-24 के लिए परिशोधित प्राक्कलन (लाख में)	2024 -25 के लिए बजट प्राक्कलन (लाख में)
1	चिकित्सा शिक्षण संस्थान	10393	56205
2	अस्पताल/औषधालय	1004	24919
3	क्षेत्रीय कार्यालय/उप क्षेत्रीय कार्यालय एवं शाखा कार्यालय	3793	10523
4	नई परियोजनायें (अस्पताल/औषधालय/क्षेत्रीय कार्यालय/उप क्षेत्रीय कार्यालय एवं शाखा कार्यालय)	133240	286171
5	जमीन की खरीद	1000	20000
	कुल	149430	397818

1.6 सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी)

कर्मचारी राज्य बीमा निगम की सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी पहल ने प्रमुख प्रक्रियाओं के डिजिटलीकरण को बढ़ावा दिया है, जिससे बीमाकृत व्यक्तियों, नियोक्ताओं और कर्मचारियों सहित सभी हितधारकों के लिए लिए कागजी कार्रवाई और प्रशासनिक बोझ कम हो गया है। ऑनलाइन पोर्टल और मोबाइल एप्लिकेशन की शुरुआत ने लाभार्थियों को सशक्त बनाया है जिससे वे अपने हितलाभ और स्वास्थ्य देखभाल से संबंधित जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं और इसने पारदर्शिता और पहुंच को बढ़ावा दिया है। प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने के लिए कर्मचारी राज्य बीमा निगम की प्रतिबद्धता के परिणामस्वरूप डेटा विश्लेषण क्षमताओं में भी सुधार हुआ है, जिससे योजना और ई-गवर्नेंस के प्रावधानों की प्रभावशीलता और संपोषणीयता को बढ़ाने के लिए डेटा-संचालित निर्णय लेने में सक्षम हो पा रहे हैं।



FINANCIAL ESTIMATES AND PERFORMANCE BUDGET 2024-2025

- 1.5.3** On the direction of Government of India, installation of Solar Power Project on roof Top of ESIC buildings has been assigned by the MoL&E, GoI to M/s Rajasthan Electronics & Instruments Ltd. (REIL). Accordingly, REIL (appointed by MoL&E) has been instructed to take up the works across the country in all the feasible establishments of ESIC. A target of 31.66 MW was finalized for ESIC. Work is being taken for the ESI buildings across the country in phased manner. Accordingly, Rajasthan Electronic and Instruments Limited (appointed by M/o Labour and Employment) has been instructed to take up the work across the country in all feasible establishments of ESIC.

REIL has informed that installation of Solar PV panel for 5.38 MW completed and further survey of various site of ESIC have been completed and PPA signed for 5.756 MW capacity for installation of solar PV panel and further 3.35 MW is finalized and agreement is under process.

- 1.5.4** The Total outlay for execution of medical institutions and other projects has been estimated as per details given below: -

Sl. No.	Projects	Revised Estimates 2023-24 (₹ In Lakh)	Budget Estimates 2024-25 (₹ In Lakh)
1	Medical Education Institutions	10393	56205
2	Hospitals/Dispensaries	1004	24919
3	RO/SROs and Branch Offices	3793	10523
4	New Projects (Hospitals/Dispensaries/ ROs/SROs and Branch Office)	133240	286171
5.	Purchase of land	1000	20000
	Total	149430	397818

1.6 INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY (ICT)

ESIC's ICT initiatives have led to the digitization of key processes, reducing paperwork and administrative burdens for all stakeholders including the Insured Persons, Employers and staff. The introduction of online portals and mobile applications has empowered beneficiaries to conveniently access their benefit and healthcare-related information, promoting transparency and accessibility. ESIC's commitment to leveraging technology has also resulted in improved data analytics capabilities, enabling data-driven decision-making to enhance the effectiveness and sustainability of the provisions of the scheme and e-governance.



वित्तीय प्राक्कलन तथा निष्पादन बजट 2024-2025

कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने वर्ष 2022-2023 में तरह- तरह की पहल की है जिसमें मातृत्व हितलाभ बीमारी हितलाभ (एसबी), विस्तारित बीमारी हितलाभ (ईएसबी), और अस्थायी विकलांगता हितलाभ (टीडीबी) जैसे कर्मचारी राज्य बीमा निगम के हितलाभों के लिए ऑनलाइन दावे प्रस्तुत करने का प्रावधान शामिल है, बुजुर्ग लाभार्थियों के लिए नमूना संग्रह को प्रभावी बनाना, "आस्क एन अपॉइंटमेंट मोबाइल ऐप" के माध्यम से ओपीडी चेक-इन नंबर, बहुभाषी सामग्री आदि प्राप्त करना, बीमाकृत व्यक्ति से सुझाव और प्रतिक्रिया मांगने के लिए एसएमएस सुविधा, आईपी पोर्टल के माध्यम से उनके व्यक्तिगत या पारिवारिक विवरण में बदलाव का विकल्प, बीमाकृत व्यक्तियों को ई-पहचान कार्ड को सुरक्षित रूप से स्टोर करने, एक्सेस करने और साझा करने में सक्षम बनाने के लिए डिजी लॉकर के साथ एकीकरण, कर्मचारी राज्य बीमा निगम के पेंशनभोगियों के पेंशन भुगतान पर्ची का प्रावधान आदि।

इसके अलावा, एक नए सेवा प्रदाता को परियोजना 'पंचदीप' के संचालन और प्रबंधन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने पीएमयू सेवाओं के लिए एक परामर्श एजेंसी की नियुक्ति और जेम (GEM) के माध्यम से अपने मौजूदा आईटी प्रोजेक्ट पंचदीप 1.0 को पंचदीप 2.0 में अपग्रेड करने के लिए आईटी सलाहकारों और एक परामर्श इकाई (सीईपीएम) की नियुक्ति की भी परिकल्पना की है।

तदनुसार, संपूर्ण आईटी बुनियादी ढांचे के संचालन और रख-रखाव के लिए वर्ष 2023-2024 के परिशोधित प्राक्कलन में 25542 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है और वर्ष 2024-25 के बजट प्राक्कलन में 8872 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है।

1.7 भर्ती

वर्ष 2024-25 के लिए निम्नलिखित संवर्गों/पदों में भर्ती के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई है/शुरू करने की संभावना है:

क्र.सं.	संवर्ग/पद	भर्ती की स्थिति
1.	शिक्षण संकाय में	115-सह आचार्य 491 सहायक आचार्य की भर्ती प्रक्रियाधीन हैं। आगे वर्ष 2024-25 के लिए मांगपत्र प्राप्त होने के उपरांत विज्ञापन को प्रकाशित किए जाने का प्रस्ताव है।
2.	विशेषज्ञ श्रेणी-II	72 विशेषज्ञ श्रेणी-II की भर्ती प्रक्रियाधीन है। आगे वर्ष 2024-25 के लिए मांगपत्र प्राप्त होने के उपरांत विज्ञापन को प्रकाशित किए जाने का प्रस्ताव है।
3.	बीमा चिकित्सा अधिकारी श्रेणी-II	1120 रिक्तियों के लिए 14.12.2021 को विज्ञापन जारी किया गया है। आगे वर्ष 2024-25 के लिए मांगपत्र प्राप्त होने के उपरांत विज्ञापन को प्रकाशित किए जाने का प्रस्ताव है।
4.	नर्सिंग एवं पैरा-मेडिकल	1038 रिक्तियों के लिए 29.09.2023 को विज्ञापन जारी किया गया है। आगे वर्ष 2024-25 के लिए मांगपत्र प्राप्त होने के उपरांत विज्ञापन को प्रकाशित किए जाने का प्रस्ताव है।
5.	सामाजिक सुरक्षा अधिकारी	वर्ष 2024-25 के लिए मांगपत्र प्राप्त होने के उपरांत विज्ञापन को प्रकाशित किए जाने का प्रस्ताव है।



FINANCIAL ESTIMATES AND PERFORMANCE BUDGET 2024-2025

ESIC has implemented various initiatives in the year 2022-2023 which included provision to submit the online claims for ESI Benefits like Maternity Benefit, Sickness Benefit (SB), Extended Sickness Benefit (ESB), and Temporary Disablement Benefit (TDB), enabling sample collection for elderly beneficiaries, obtaining OPD check-in numbers, multilingual content, etc. through “Ask an Appointment Mobile app”, SMS facility for seeking suggestions and feedback from the Insured person, option to initiate changes to their personal or family details through the IP portal, integration with Digi Locker to enable the Insured Persons to securely store, access, and share the e-Pehchaan Card, provisioning of Pension Pay slip of the ESIC Pensioners, etc.

Further, a new Service Provider has been entrusted with the Operation and management of project ‘Panchdeep’. ESIC also envisions the engagement of a consulting agency for PMU services, engagement of IT Consultants and engagement of a Consulting Entity (CEPM) to upgrade its existing IT Project Panchdeep 1.0 to Panchdeep 2.0, through GeM.

Accordingly, provision of ₹ 25542 Lakh has been made in Revised Estimates of 2023-2024 and ₹ 8872 Lakh have been provisioned in the Budget Estimates for 2024-25 towards running and maintenance of entire IT infrastructure.

1.7 RECRUITMENT

Action has been initiated/likely to be initiated for undertaking recruitment in following Cadres/Posts for the year 2024-25:

Sl. No.	Cadre/Post	Status of Recruitment
01	Teaching Faculty	Recruitment of 115-Associate Professor, 491 Assistant Professor is in process. Further, Advt. Proposed to be released after receiving indent for the 2024-25.
02	Specialist Gr. II	Recruitment of 72 Specialist Grade-II is in process. Further, Advt. Proposed to be released after receiving indent for the 2024-25.
03	Insurance Medical Officer Gr. II	Advt. Released on 14.12.2021 for 1120 vacancies, Further, Advt. Proposed to be released after receiving indent for the 2024-25.
04	Nursing and Para-Medical Cadres	Advt. Released on 29.09.2023 for 1038 vacancies, Further, Advt. Proposed to be released after receiving indent for the 2024-25.
05	Social Security Officers	Advt. Proposed to be released after receiving indent for the 2024-25.



वित्तीय प्राक्कलन तथा निष्पादन बजट 2024-2025

6.	प्रवर श्रेणी लिपिक, बहुकार्य कर्मचारी, आशुलिपिक	मांगपत्र प्राप्त होने के उपरांत विज्ञापन को प्रकाशित किए जाने का प्रस्ताव है, संभावित रिक्तियां- प्रवर श्रेणी लिपिक-457, बहुकार्य कर्मचारी-735 आशुलिपिक-74 कुल संभावित रिक्तियां- 1266 वर्ष 2024-25 के लिए मांगपत्र प्राप्त होने के उपरांत विज्ञापन को प्रकाशित किए जाने का प्रस्ताव है।
7.	सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा	प्रक्रियाधीन

तदनुसार, परिशोधित प्राक्कलन 2023-2024 और बजट प्राक्कलन 2024-2025 के लिए प्रत्येक के लिए 10025 लाख रुपये का प्रावधान किया गया हैं।

1.8 प्रशासन

वर्ष 2022-23 के दौरान कुल आय के हिस्से के रूप में प्रशासनिक लागत 5 प्रतिशत थी। चालू वर्ष (2023-2024) और अगले वित्तीय वर्ष (2024-2025) में इसके लगभग 8 प्रतिशत होने की उम्मीद है, जिसका मुख्य कारण वेतन एवं भत्ते और कर्मचारियों से संबंधित लाभ निधि में प्रावधान के कारण स्थापना लागत में वृद्धि है। यह कर्मचारी राज्य बीमा (केंद्रीय) नियम, 1950 के नियम 31ए के तहत प्रशासनिक खर्चों के लिए केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित 15 प्रतिशत की सीमा के भीतर है।

1.8.1 स्वच्छता कार्य योजना (एसएपी)

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार के निदेशों के अनुपालन में, एसएपी से संबंधित व्यय की बुकिंग और निगरानी के उद्देश्य से एक अलग बजट शीर्ष बनाया गया है। इस मद में परिशोधित प्राक्कलन 2023-24 एवं बजट प्राक्कलन वर्ष 2024-2025 में क्रमशः ₹177 लाख और ₹237 लाख का बजट प्रावधान किया गया है।

1.9 महिला एवं बाल बजट

भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के निदेशानुसार कर्मचारी राज्य बीमा निगम महिला एवं बाल बजट प्रकोष्ठ का गठन किया गया है। कर्मचारी राज्य बीमा योजना के तहत सभी बजट शीर्षों में, परिशोधित प्राक्कलन 2023-2024 और बजट प्राक्कलन 2024-2025 में महिलाओं के लिए अनुमानित बजट प्रावधान क्रमशः 891600 लाख और 1011900 लाख रखा गया है। महिला और बाल बजट का विस्तृत बजट शीर्ष-वार आबंटन क्रमशः परिशोधित प्राक्कलन 2023-2024 और वर्ष 2024-25 के बजट प्राक्कलन के स्पष्टात्मक जापन के पैरा संख्या 10 और 18 में दिया गया है।

1.10 प्रमुख गतिविधियों पर धन परिव्यय का सारांश

क्र.सं.	बजट प्राक्कलन 2024-2025 में प्रमुख गतिविधियाँ	निधि आबंटन (लाख में)
1.	कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पतालों/औषधालयों में नए चिकित्सा और अन्य उपकरणों की खरीद	51465
2.	अस्पतालों/ औषधालयों का उत्थान एवं पुनरुद्धार	53828
3.	कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पतालों/औषधालयों/कार्यालयों के लिए भूमि की खरीद	20000



FINANCIAL ESTIMATES AND PERFORMANCE BUDGET 2024-2025

06	UDC, MTS & Steno	Advt. Proposed to be released after receiving indent, Tentative vacancies for UDC-457, MTS-735 and Steno 74, Total Tentative vacancies-1266. Further, Advt. Proposed to be released after receiving indent for the 2024-25.
07	Limited Departmental Competitive Examination	Under Process

Accordingly, a provision of ₹ 10025 Lakh each has been made for the Revised Estimates 2023-2024 and Budget Estimates 2024-2025.

1.8 ADMINISTRATION

The administrative cost as a part of the total income was at 5 percent during the year 2022-23. It is expected to be approximately 8 percent in the current year (2023-2024) and next financial year (2024-2025) mainly due to increased establishment cost on account of pay and allowances and provision in Employees' related Benefit Funds. This is well within the ceiling of 15 percent as prescribed by the Central Government for administrative expenses under Rule 31A.

1.8.1 SWACHHATA ACTION PLAN (SAP)

In pursuance of Ministry of Labour and Employment, Government of India directions, a separate budget head for the purpose of booking and monitoring the expenditure related to SAP has been created. Under this head a budget provision has been made for ₹ 177 Lakh and ₹ 237 Lakh in the Revised Estimate 2023-24 and Budget Estimates for the year 2024-2025 respectively.

1.9 GENDER AND CHILD BUDGET

As per the directions of Ministry of Labour and Employment, Government of India, ESIC Gender & Child Budget Cell has been constituted. Across all budget heads under ESI Scheme, an approximate budget provision for female have been worked out at ₹ 891600 Lakh and ₹ 1011900 Lakh in the Revised Estimates 2023-2024 and Budget Estimates 2024-2025 respectively. The detailed budget head wise allocation of Gender and Child Budget is provided at Para No. 10 and 18 of Explanatory Memorandum to the Revised Estimates 2023-2024 and Budget Estimates for the year 2024-25 respectively.

1.10 SUMMARY OF FUNDS OUTLAY ON MAJOR ACTIVITIES

Sl. No.	Major activities in Budget Estimates 2024-2025	Fund allocation (₹ in Lakh)
1.	Procurement of new medical & other equipment in ESIC Hospitals/ Dispensaries	51465
2.	Uplifting & Renovation of Hospitals/ Dispensaries	53828
3.	Purchase of land for ESIC Hospitals / Dispensaries Offices	20000



वित्तीय प्राक्कलन तथा निष्पादन बजट 2024-2025

4.	चिकित्सा, पैरामेडिकल, अभियंता और लिपिक वर्गीय विभिन्न पदों की भर्ती	10025
5.	औषधालयों सह शाखा कार्यालयों पर व्यय	5200
6.	जागरूकता एवं प्रचार-प्रसार पर व्यय	3500
7.	आशोधित ईयूडी एवं आशोधित आईएमपी योजना	1130
8.	आयुष्मान भारत-पीएमजेएवाई के अंतर्गत व्यय	200
9.	स्वच्छता कार्य योजना (एसएपी) के अंतर्गत व्यय	237
	कुल	145585
#IMP का मतलब इंश्योरेंस मेडिकल प्रैक्टिशनर और EUD का मतलब एम्प्लॉयर यूटिलाइजेशन डिस्पेंसरी है।		




FINANCIAL ESTIMATES AND PERFORMANCE BUDGET 2024-2025

4.	Recruitment to the various post of Medical, Paramedical, Engineer and Ministerial cadres	10025
5.	Expenditure on DCBO	5200
6.	Expenditure on Awareness and Publicity	3500
7.	Modified EUD & Modified IMP Scheme#	1130
8.	Expenditure under Ayushman Bharat – PMJAY	200
9.	Expenditure under Swachhata Action Plan (SAP)	237
	TOTAL	145585
#IMP stands for Insurance Medical Practitioner and EUD stands for Employer Utilization Dispensary		




वित्तीय प्राक्कलन तथा निष्पादन बजट 2024-2025

1.11 राजस्व और व्यय का हिस्सा (बजट प्राक्कलन 2024-2025)



चित्र क्रमांक 1: व्यय का हिस्सा



चित्र क्रमांक 2: राजस्व का हिस्सा



1.11 Share of revenue and expenditure (Budget Estimates 2024-2025)





Figure No.1: Share of Expenditure





वित्तीय प्राक्कलन तथा निष्पादन बजट 2024-2025

क.रा.बी.निगम - बजट एक नज़र में					
लेखा शीर्ष	वास्तविक 2022-2023	बजट प्राक्कलन 2023-2024	परिशोधित प्राक्कलन 2023-2024	बजट प्राक्कलन 2024-2025	
क. राजस्व प्राप्तियां					(₹ लाख में)
i)	अंशदान	1740305.00	1914000.00	2088000.00	2296800.00
ii)	चिकित्सा हितलाभ पर निगम द्वारा प्रारंभ में किए गए खर्च में राज्य सरकारों का हिस्सा।	0.00	0.00	0.00	0.00
iii)	मुआवज़ा	0.00	0.00	0.00	0.00
iv)	ब्याज	674508.00	691791.00	737635.00	791134.00
v)	किराया, दरें और कर	799.25	1600.00	20586.00	24786.00
vi)	फीस, जुर्माना और ज़बती	5547.93	5200.00	6050.00	6150.00
vii)	चिकित्सा शिक्षा प्राप्तियाँ	5657.52	4500.00	7000.00	7100.00
viii)	विविध	41517.59	4000.00	4500.00	4500.00
	कुल राजस्व प्राप्ति:	2468335.29	2621091.00	2863771.00	3130470.00
ख)	राजस्व व्यय				
क)	हितलाभ				
i)	चिकित्सा हितलाभ	1160034.00	1406197.00	1430539.00#	1638029.00
ii)	नकद हितलाभ:	280467.74	225272.00	254060.00	256680.00
iii)	अन्य हितलाभ:	252.27	400.00	232.00	290.00
	कुल हितलाभ:	1440754.01	1631869.00	1684831.00	1894999.00
ख)	प्रशासनिक व्यय	132885.91	283308.00	228752.00	257823.00
ग)	पूँजीगत निर्माण के लिए प्रावधान	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल राजस्व व्यय (क+ख+ग)	1573639.92	1915177.00	1913583.00	2152822.00
ग	पूँजीगत व्यय				(₹ लाख में)
i)	निगम के कार्यालय (कर्मचारी आवास सहित)	51.36	11940.00	3793.00	10523.00
ii)	अस्पताल एवं औषधालय	75723.63	279341.00	135244.00	331090.00
iii)	चिकित्सा शिक्षा परियोजनाएँ	2.26	34023.00	10393.00	56205.00
iv)	अन्य परिसंपत्तियाँ	18666.00	59121.00	52097.00#	62331.00
	कुल पूँजीगत व्यय	94443.25	384425.00	201527.00	460149.00
	कुल व्यय (ख+ग)	1668083.17	2299602.00	2115110.00	2612971.00
	राजस्व आय का राजस्व व्यय से अधिक होना (क-ख)	894695.37	705914.00	950188.00	977648.00

#इसमें 3 नए क.रा.बी. निगम अस्पताल और हाल ही में लिए गए (टेकओवर) 3 क.रा.बी. निगम अस्पताल चलाने के लिए वर्ष 2023-24 में रुपए 6356 लाख का अनुपूरक प्राक्कलन समाहित है।



FINANCIAL ESTIMATES AND PERFORMANCE BUDGET 2024-2025

E.S.I.C. - BUDGET AT A GLANCE					
	Head of Account	Actuals 2022-2023	Budget Estimates 2023-2024	Revised Estimates 2023-2024	Budget Estimates 2024-2025
A. REVENUE RECEIPTS					(₹ in Lakhs)
i)	Contribution	1740305.00	1914000.00	2088000.00	2296800.00
ii)	State Govts. Share towards medical benefit initially incurred by the Corporation.	0.00	0.00	0.00	0.00
iii)	Compensation	0.00	0.00	0.00	0.00
iv)	Interest	674508.00	691791.00	737635.00	791134.00
v)	Rent, Rates & Taxes	799.25	1600.00	20586.00	24786.00
vi)	Fees, Fines & Forfeiture	5547.93	5200.00	6050.00	6150.00
vii)	Medical Education Receipts	5657.52	4500.00	7000.00	7100.00
viii)	Miscellaneous	41517.59	4000.00	4500.00	4500.00
	TOTAL REVENUE RECEIPT:	2468335.29	2621091.00	2863771.00	3130470.00
B. REVENUE EXPENDITURE					
a) BENEFITS:					
i)	Medical Benefits:	1160034.00	1406197.00	1430539.00#	1638029.00
ii)	Cash Benefits:	280467.74	225272.00	254060.00	256680.00
iii)	Other Benefits:	252.27	400.00	232.00	290.00
	Total Benefits:	1440754.01	1631869.00	1684831.00	1894999.00
b)	ADMINISTRATIVE EXPENDITURE	132885.91	283308.00	228752.00	257823.00
c)	Provision for Capital Construction	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL REVENUE EXPENDITURE (a+b+c)	1573639.92	1915177.00	1913583.00	2152822.00
C CAPITAL EXPENDITURE					(₹ in Lakhs)
i)	Offices of the Corporation (with staff quarters)	51.36	11940.00	3793.00	10523.00
ii)	Hospitals & Dispensaries	75723.63	279341.00	135244.00	331090.00
iii)	Medical Education Projects	2.26	34023.00	10393.00	56205.00
iv)	Other Assets	18666.00	59121.00	52097.00#	62331.00
	TOTAL CAPITAL EXPENDITURE	94443.25	384425.00	201527.00	460149.00
	TOTAL EXPENDITURE (B+C)	1668083.17	2299602.00	2115110.00	2612971.00
	EXCESS OF REVENUE INCOME OVER REVENUE EXPENDITURE (A-B)	894695.37	705914.00	950188.00	977648.00

including Supplementary Estimates for 2023-24 of ₹ 6356 lakhs in respect of operationalization of 3 new ESIC hospitals and recently taken over of 3 ESIS hospitals)



वित्तीय प्राक्कलन तथा निष्पादन बजट 2024-2025

वर्ष 2023 - 2024 के परिशोधित प्राक्कलन और वर्ष 2024 - 2025 के बजट प्राक्कलन का विवरणात्मक जापन

वित्त वर्ष 2023 - 2024 के लिए कर्मचारी राज्य बीमा निगम की प्राप्तियों और व्यय के बजट प्राक्कलन को बजट और लेखा उप-समिति और स्थायी समिति द्वारा क्रमशः दिनांक 18.01.2023 और 22.01.2023 को अनुमोदित किया गया था। इन प्राक्कलनों को क.रा.बी.निगम ने दिनांक 19.02.2023 एवं 20.02.2023 को आयोजित अपनी 190वीं बैठक में अंगीकृत किया था। केंद्र सरकार ने अपने पत्र संख्या जी-20017/02/2023-एसएस-1 दिनांक 11.04.2023 के माध्यम से बजट को मंजूरी दी।

क.रा.बी.योजना का विस्तार उन जिलों के पूरे क्षेत्र को शामिल करता है जहां योजना वर्तमान में चल रही है।

क रा बी नि 2.0 के तहत दूसरी पीढ़ी के सुधारों को जारी रखते हुए क.रा.बी.निगम ने विजन - 2024 के अनुसार निम्नलिखित के साथ क.रा.बी.योजना के अखिल भारतीय विस्तार के लिए एक कार्य योजना तैयार की है।

क्र.सं.	विषय	लक्ष्य वर्ष
1	241 जिलों में योजना को पूरी तरह से लागू करना	31 मार्च 2024

देश के विशाल भौगोलिक क्षेत्र में क.रा.बी.योजना के विस्तार के साथ-साथ सभी पात्र कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों को क.रा.बी.योजना के तहत सामाजिक सुरक्षा का लाभ उपलब्ध कराना है।

सामाजिक सुरक्षा कोड, 2020 (2020 का अधिनियम 36) अधिसूचित किया जा चुका है। कार्यान्वयन की प्रभावी तिथि भी शीघ्र ही अधिसूचित होने की उम्मीद है। यह कोड सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में आठ अन्य केंद्रीय कानूनों के साथ क रा बी अधिनियम, 1948 को समाहित करता है। एक बार अधिसूचित होने के बाद क.रा.बी.योजना को देश के सभी क्षेत्रों में लागू करने का प्रस्ताव है।

वर्तमान में, इस योजना की उपस्थिति 611 जिलों में है जिनमें 503 पूर्ण रूप से अधिसूचित और 108 आंशिक रूप से अधिसूचित वे जिले शामिल हैं जहां प्रमुख औद्योगिक केंद्र और उनके जिला मुख्यालय क्षेत्र व्याप्त हैं।

वर्ष 2023-2024 के लिए संशोधित प्राक्कलन और वित्त वर्ष 2024-2025 के लिए बजट प्राक्कलन तैयार किए जा चुके हैं। "बजट एक नज़र में" इन प्राक्कलनों को राजस्व और व्यय के व्यापक प्रमुख शीर्षों के अंतर्गत दर्शाता है।



FINANCIAL ESTIMATES AND PERFORMANCE BUDGET 2024-2025

EXPLANATORY MEMORANDUM TO THE REVISED ESTIMATES FOR THE YEAR 2023-2024 AND THE BUDGET ESTIMATES FOR THE YEAR 2024-2025

The Budget Estimates of receipts and expenditure of the Employees' State Insurance Corporation for the financial year 2023-2024 were approved by the Budget & Accounts Sub-Committee and Standing Committee on 18.01.2023 and 22.01.2023 respectively. These estimates were adopted by the ESI Corporation in its 190th meeting held on 19.02.2023 & 20.02.2023. The Central Government approved the Budget vide their letter No. G-20017/02/2023-SS-I dated 11.04.2023.

EXTENSION OF ESI SCHEME COVERING WHOLE OF THE AREA OF DISTRICTS WHERE SCHEME IS RUNNING AT PRESENT

In continuation to second generation reforms under ESIC 2.0, ESIC has worked out an action plan for Pan India coverage of ESI scheme with the following targets

S. No.	Subject	Target Year
1	To fully implement the Scheme in 241 Districts	31st March, 2024

Simultaneous with expansion of ESI Scheme to a vast geographical area of the country is to make the benefits of social security available under ESI Scheme to all eligible employees and their family members.

Code on Social security, 2020 (Act 36 of 2020) has been notified. The effective date of implementation is also expected to be notified shortly. The code subsumes ESI Act, 1948 along with eight other central enactments in the field of Social Security. Once notified ESI Scheme is proposed to be made applicable to entire area of the country.

Presently, the Scheme has presence in 611 Districts which includes 503 fully notified Districts and 108 partially notified Districts where prominent industrial centres and their district Headquarters area are covered.

The Revised Estimates for the year 2023-2024 and Budget Estimates for the financial year 2024-2025 have been prepared. "Budget at a Glance" indicates these estimates under broad major heads of revenue and expenditure.



वित्तीय प्राक्कलन तथा निष्पादन बजट 2024-2025

2. वर्ष 2022-2023 के लिए संशोधित प्राक्कलन और वर्ष 2023-2024 के लिए बजट प्राक्कलन निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए तैयार किए गए हैं: -

2.1.1 अंशदान आय

- I. नियोक्ता और कर्मचारी के हिस्से के अंशदान का भुगतान नियोक्ता द्वारा कर्मचारी राज्य बीमा (केंद्रीय) नियम, 1950 के नियम 51 द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार किया जाता है। वर्ष 2023-2024 के लिए, नियोक्ता के अंशदान की दर कर्मचारी को देय वेतन का 3.25 प्रतिशत है और कर्मचारी का अंशदान 0.75 प्रतिशत है जो 01.07.2019 से प्रभावी है। उपर्युक्त नियमों के नियम 52 के तहत प्रतिदिन रु 176/- तक वेतन पाने वाले कर्मचारियों को वर्तमान में उनके अंशदान के भुगतान से छूट दी गई है जो 06.09.2019 से प्रभावी है, वर्ष 2024-25 के लिए अंशदान की दर वही अर्थात् किसी कर्मचारी को देय वेतन का 4 प्रतिशत होगी |
- II. वर्ष 2023-2024 के पहले सात महीनों के दौरान देखे गए रुझानों को ध्यान में रखा गया है।
- III. वर्ष 2023-2024 के दौरान बकाया वसूली का लक्ष्य रु 78755 लाख है और 04/2023 से 07/2023 की अवधि के दौरान रु 11988 लाख वास्तव में प्राप्त हो चुके हैं।

2.1.2 ब्याज आय

- I. क. रा. बी. सामान्य आरक्षित निधि, आकस्मिक आरक्षित निधि और पूंजीगत निर्माण आरक्षित निधि के निवेश पर ब्याज से आय।
- II. वर्ष 2022-2023 के वास्तविक आँकड़ों में पूर्व अवधि की मदें शामिल नहीं हैं।

2.1.3 क्षतिपूर्ति

यदि किसी राज्य में बीमाकृत व्यक्तियों को बीमारी हितलाभ भुगतान की घटनादर अखिल भारतीय औसत के 150 प्रतिशत से अधिक पाई जाती है और उस राज्य में बीमारी हितलाभ दिनों की औसत संख्या 3 दिनों से अधिक हो तो, ऐसे व्यय राशि को क रा बी अधिनियम की धारा 58(2) के तहत किये गये करार के अनुसार राज्य सरकार और निगम के बीच साझा किया जाता है। चूँकि बीमारी हितलाभ की घटनादर निर्धारित सीमा के भीतर थी, अतः संशोधित प्राक्कलन 2023-2024 और बजट प्राक्कलन 2024-2025 में कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

2.1.4 किराया, दरें और कर

i) कार्यालय भवन (कर्मचारी क्वार्टर सहित), और (ii) अस्पतालों और औषधालयों (कर्मचारी क्वार्टर सहित) के संबंध में किराया, दरें व कर वसूली योग्य हैं। निगम द्वारा निर्मित और स्वामित्व वाले अस्पताल और औषधालय भवनों के संबंध में किराया, साझा करने योग्य व्यय का हिस्सा है लेकिन सीमा से बाहर है। अतः यह निगम और राज्य सरकारों के बीच अधिकतम सीमा तक 7:1 के निर्धारित अनुपात में विभाजित हो जाता है। तदनुसार, संशोधित प्राक्कलन 2023-2024 और बजट प्राक्कलन 2024-25 में कार्यालय भवनों और कर्मचारी क्वार्टरों के संबंध में मुख्य रूप से कर्मचारियों से मकान किराया भत्ते की वसूली के अलावा किराए की आनुपातिक कटौती पर विचार किया गया है।



FINANCIAL ESTIMATES AND PERFORMANCE BUDGET 2024-2025

2. The Revised Estimates for 2022-2023 and Budget Estimates for 2023-2024 have been prepared considering the following: -

2.1.1 CONTRIBUTION INCOME

- I. Employer's and employee's shares of contribution are payable by the employers as per the rates prescribed by Rule 51 of the Employees State Insurance (Central) Rule, 1950. For the year 2023-2024, the rate of employer's contribution is 3.25 percent of the wages payable to an employee and the employee's contribution of 0.75 percent effective from 01.07.2019. Employees drawing wages up to ₹ 176/- per day are presently exempted from payment of their contribution, under Rule 52 of the ibid Rules, effective from 06.09.2019 for the year 2024-25, the rate of contribution shall be same i.e. 4 percent of the wages payable to an employee.
- II. Trends noticed during the first seven months of 2023-2024 have been taken into consideration.
- III. Target of ₹ 78755 Lakhs for Recovery of arrear during 2023-2024 and actual receipt of ₹ 11988 lakhs for the period 04/2023 to 07/2023.

2.1.2 INTEREST INCOME

- I. Income from interest on investment of E.S.I. General Reserve, Contingency Reserve Fund and Capital Construction Reserve Fund.
- II. Prior period items are not included in actual 2022-2023.

2.1.3. COMPENSATION

Where the incidence of sickness benefits payment to Insured Persons in any state is found to exceed 150 percent of the all India Average and the average number of sickness benefit days in that state is more than 3 days, the amount of such expense is shared between the State Government and the Corporation as may be fixed by an Agreement, U/S 58 (2) of E.S.I. Act. As incidence of sickness benefit was within the prescribed limit, no provision has been made in the Revised Estimates 2023-2024 and Budget Estimates 2024-2025.

2.1.4 RENT, RATES AND TAXES

Rents, Rates and Taxes are recoverable in respect of (i) Office buildings (including staff quarters), and (ii) Hospitals and dispensaries (including staff quarters). The rent in respect of hospital and dispensary buildings constructed and owned by the Corporation forms part of the shareable expenditure but outside the ceiling. It thus gets apportioned between the Corporation and State Governments in the prescribed ratio of 7:1 up-to the ceiling. Accordingly, proportionate deduction of rent has been considered in Revised Estimates 2023-2024 and Budget Estimates 2024-25 besides rent in respect of Office buildings and staff quarters chiefly on account of HRA recoveries from staff.



वित्तीय प्राक्कलन तथा निष्पादन बजट 2024-2025

2.1.5. राज्य सरकार का हिस्सा

दिल्ली में, जहां योजना का प्रबंधन सीधे क.रा.बी.निगम द्वारा किया जाता है, चिकित्सा सेवा पर पूरा खर्च प्रारंभ में निगम द्वारा किया गया था और बाद में यह दिल्ली सरकार के साथ साझा हुआ। क.रा.बी.निगम द्वारा वहनयोग्य राशि से अधिक हुआ व्यय यथासमय दिल्ली सरकार से वसूलनीय है। वर्ष 1989-90 तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार चिकित्सा सेवा और सीमा से अधिक हुए व्यय के 1/8वें हिस्सा को साझा कर भुगतान कर रही थी। वर्ष 1990-91 से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने इस दलील पर अपने हिस्से का भुगतान नहीं किया है कि वे करार के अभाव में सीमा से अधिक हुए खर्च का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं हैं। हालाँकि, क.रा.बी.निगम ने दिनांक 31.3.2022 तक कुल रु 273012 लाख का दावा दिल्ली सरकार के समक्ष कर दिया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से कोई उत्तर न मिलने के कारण संशोधित प्राक्कलन 2023-2024 और बजट प्राक्कलन 2024-2025 में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। जब भी क.रा.बी.निगम को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से कोई धनराशि प्राप्त होगी, उसे संबंधित वर्ष में वास्तविक प्राप्ति के रूप में दर्ज किया जाएगा।

2.1.6. फीस, जुर्माना और ज़ब्ती

इस शीर्ष में निगम को, समय पर, नियोक्ता और कर्मचारी दोनों के अंशदान का भुगतान करने में विफलता के कारण नियोक्ता पर लगाए गए हरज़ानों की प्राप्ति शामिल हैं।

2.1.7. चिकित्सा शिक्षा प्राप्ति

चिकित्सा शिक्षा प्राप्ति में छात्रों द्वारा भुगतान किए गए शुल्क शामिल हैं, जैसे शिक्षा शुल्क, छात्रावास शुल्क और चिकित्सा शिक्षा के कारण प्राप्त कोई अन्य राशि।

2.1.8. विविध प्राप्ति

इनमें डुप्लिकेट पहचान पत्रों की लागत के कारण प्राप्ति, छुट्टी वेतन और पेंशन अंशदान की वसूलियां, अदालतों द्वारा डिक्री की राशि सहित कानूनी मुकदमों की लागत की वसूली, प्राप्ति जिन्हें अन्य मौजूदा शीर्षों के तहत वर्गीकृत नहीं किया जा सकता, लेखापरीक्षा में अस्वीकृत व अधिक भुगतान की वसूलियाँ; पिछले वर्षों में किए गए सेवा व्यय की वसूलियाँ और नकद हितलाभ, भर्ती के लिए आवेदकों द्वारा जमा किया गया शुल्क, निगम कर्मचारियों के चिकित्सा हितलाभ हेतु अंशदान आदि शामिल हैं।

2.2. व्यय

2.2.1 चिकित्सा हितलाभ

दिल्ली और नोएडा (उ. प्र.) में औषधालयों को छोड़कर, जहां योजना का प्रबंधन सीधे निगम द्वारा किया जाता है, 'चिकित्सा हितलाभ' शीर्ष के तहत व्यय को निगम और संबंधित राज्य सरकारों के बीच निर्धारित सीमा तक 7:1 के अनुपात में साझा किया जाता है। हालाँकि, दिनांक 19.02.2019 को आयोजित निगम की 177वीं बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार, वर्ष 2019-20 से तीन वर्षों के लिए क.रा.बी.योजना को निर्धारित सीमा तक चलाने का पूरा खर्च, क.रा.बी.निगम द्वारा वहन किया जाएगा।



2.1.5 STATE GOVT. SHARE

In Delhi, where the Scheme is directly administered by the E.S.I. Corporation, the entire expenditure on medical care was incurred initially by the Corporation and was subsequently sharable with Government of Delhi. Expenditure incurred beyond the amount bearable by ESIC is recoverable from the Government of Delhi in due course. The Govt. of NCT of Delhi had been sharing and paying 1/8th share of expenditure on medical care plus expenses incurred over and above the ceiling up to the year 1989-90. From the year 1990-91 the Govt. of NCT of Delhi did not pay their share on the plea that they are not liable to pay the expenditure beyond the ceiling in the absence of agreement. However, the claim of ESIC for ₹ 273012 Lakhs as on 31.3.2022 has already been made with the Delhi Govt. Keeping in view of non-response of Govt. of NCT of Delhi, no provisions have been made in Revised Estimates 2023-2024 and Budget Estimates 2024-2025. Any sum of money, whenever received by the ESIC from the Govt of NCT of Delhi, would be booked as actuals in the year of receipt.

2.1.6. FEES, FINES & FORFEITURES

This Head includes receipts on account of damages levied on the employers due to their failure to pay contribution, both employers' and employees' share, to the Corporation in time.

2.1.7. MEDICAL EDUCATION RECEIPTS

Medical education receipts include the fee paid by the students, like tuition fee, hostel fee and any other amount received on account of medical education.

2.1.8. MISCELLANEOUS RECEIPTS

These include receipts on account of cost of duplicate identity cards, recoveries of leave salary and pension contributions, recovery of cost of law suits including amounts of decrees by courts, receipts which cannot be classified under the other existing heads, recoveries of over-payments and dis-allowance in audit; recoveries of service expenditure incurred in previous years and recoveries of cash benefits, fees deposited by the applicants for recruitment, contribution towards medical benefit of ESI Employees etc.

2.2. EXPENDITURE

2.2.1 MEDICAL BENEFIT

The expenditure under the Head 'Medical Benefit', except in Delhi and dispensaries in Noida (U.P.) where the Scheme is directly administered by the Corporation, is shared between the Corporation and the concerned State Governments in the prescribed ratio of 7:1 up-to the ceiling. However, as per the decision taken in the 177th meeting of the Corporation held on 19.02.2019, the entire expenditure on running the ESI Scheme, up to the prescribed ceiling, shall be borne by the ESIC for three years starting from 2019-20.



वित्तीय प्राक्कलन तथा निष्पादन बजट 2024-2025

2.2.2 व्यावसायजन्य रोग केंद्र

निगम ने क रा बी अस्पताल, के के नगर,चेन्नई(तमिलनाडु), कराबी अस्पताल, जोका (प. बंगाल), क रा बी अस्पताल, अंधेरी(मुंबई), क रा बी अस्पताल, इंदौर (म.प्र.), क रा बी अस्पताल, अलवर (राजस्थान) क रा बी अस्पताल, बिहटा (पटना), क रा बी अस्पताल, बसईदारापुर (दिल्ली) में व्यावसायजन्य रोग केंद्र स्थापित किए हैं ।

2.2.3 चिकित्सा शिक्षा परियोजनाएँ

राज्य सरकारों द्वारा अधिग्रहण तक, चिकित्सा शिक्षा संस्थानों के चालू खर्च को पूरा करने के लिए बजट प्रावधान किए जा रहे हैं ताकि उन्हें अति विशिष्ट उपचार हेतु उत्कृष्टता का केंद्र बनाया जा सके ।

2.2.4 आदर्श अस्पताल, क.रा.बी.निगम अस्पताल और क.रा.बी.निगम चिकित्सा महाविद्यालय

क.रा.बी.निगम ने दिनांक 14.12.2001 को हुई अपनी बैठक में चिकित्सा सेवा की गुणवत्ता में सुधार करने और राज्य सरकारों द्वारा संचालित अस्पतालों के लिए एक बेंचमार्क के रूप में काम करने के उद्देश्य से प्रत्येक राज्य में आदर्श अस्पताल स्थापित करने का निर्णय लिया। इस निर्णय के अनुसरण में, प्रत्येक राज्य में कम से कम एक अस्पताल का अधिग्रहण किया गया या राज्य में क.रा.बी.निगम आदर्श अस्पताल के रूप में चलाने के लिए एक नए अस्पताल का निर्माण किया गया। मॉडल अस्पतालों के अलावा, निगम ने कुछ राज्य अस्पतालों को अपने हाथ में लिया है/राज्यों में नए अस्पतालों का निर्माण किया है और उन्हें सीधे क.रा.बी.निगम द्वारा चलाया जा रहा है।

2.2.5 राज्य सरकारों को भुगतान

क.रा.बी.निगम ने दिनांक 10.09.2021 को आयोजित अपनी 185वीं बैठक में राज्य सरकार को ऑन अकाउंट पेमेंट (ओएपी) की पूरी नीति को परिशोधित किया है । इस नीति के अनुसार, प्रति बीमाकृत व्यक्ति प्रतिवर्ष अधिकतम सीमा रु 3000/- है जिसमें प्रति बीमाकृत व्यक्ति प्रतिवर्ष रु 2,600 चिकित्सा सेवा व्यय की पात्रता ('प्रशासन' मद के तहत व्यय के लिए रु 1300 की अधिकतम उप सीमा के साथ) शामिल है । इसके अलावा राज्य सरकारें रु 200 प्रति बीमाकृत व्यक्ति प्रति वर्ष परियोजना कार्यान्वयन योजना (पीआईपी) के तहत व्यय करने तथा पिछले वित्त वर्ष के दौरान राज्य द्वारा संचालित क रा बी अस्पतालों और औषधालयों में क.रा.बी.निगम के धनवंतरी मॉड्यूल के कार्यान्वयन की सीमा के अनुसार आनुपातिक आधार पर रु 200 प्रति बीमाकृत व्यक्ति प्रतिवर्ष की हकदार हैं ।

उपर्युक्त के अलावा, यदि समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान सभी राज्य संचालित क रा बी अस्पतालों में बिस्तर अधिभोग 70% से अधिक है, तो राज्य सरकारें प्रोत्साहन के रूप में रु 200/- प्रति बीमाकृत व्यक्ति प्रतिवर्ष और रु 20/- प्रति बीमाकृत व्यक्ति प्रतिवर्ष निवारक एवं प्रोत्साहन स्वास्थ्य सेवाओं के अंतर्गत व्यय हेतु दावा करने के लिए भी प्राधिकृत हैं।



2.2.2 OCCUPATIONAL DISEASES CENTRE

The Corporation has set up Occupational Disease Centers at E.S.I. Hospital, K.K. Nagar, Chennai, (Tamil Nadu), E.S.I. Hospital Joka (W.B.), E.S.I. Hospital Andheri (Mumbai), E.S.I Hospital Indore (M.P.), E.S.I Hospital Alwar (Rajsthan), E.S.I Hospital Bihta (Patna)E.S.I. Hospital, Basaidarapur (Delhi).

2.2.3 MEDICAL EDUCATION PROJECTS

Budget provisions are being made to meet the ongoing expenditure in medical education institutions, till their take over by State Govts. for making them centres of excellence for super specialty treatment.

2.2.4 MODEL HOSPITALS & ESIC HOSPITALS AND ESIC MEDICAL COLLEGES.

The ESI Corporation in its meeting held on 14.12.2001 decided to set up Model Hospitals in each state, to improve the quality of medical care, and also to serve as a benchmark for the Hospitals run by the State Governments. In accordance with this decision, at least one hospital in a State was taken over or a new hospital was constructed in the State to be run as ESIC Model Hospital. In addition to the model hospitals, the Corporation has taken over some of the State hospitals/ constructed new hospitals in the States and they are being run directly by ESIC.

2.2.5 PAYMENT TO STATE GOVERNMENTS

ESI Corporation in its 185th meeting held on 10.09.2021 revised the entire policy of On Account Payment (OAP) to State Government. As per the policy, the overall ceiling is ₹ 3,000/- per IP per annum, which consists of entitlement for medical care expenditure of ₹ 2,600 per IP per annum (with maximum sub ceiling of ₹ 1300 for expenditure under "Administration" head) alongwith entitlement of ₹ 200 per IP per annum for incurring expenditure under Project Implementation Plan (PIP) and Entitlement of ₹ 200 per IP per annum on pro-rata basis based on extent of implementation of ESIC Dhanwantari module in State ESI hospitals & dispensaries during previous financial year.

Besides above, State Governments are also authorised to claim for ₹ 200/- per IP per annum as incentive, if bed occupancy in all the State ESI hospitals is more than 70% during the concluded financial year, and ₹ 20/- per IP per annum for expenditure under Preventive & Promotive Health Services.



वित्तीय प्राक्कलन तथा निष्पादन बजट 2024-2025

बजट प्राक्कलन

प्रत्येक वित्त वर्ष के आरंभ में, राज्य क.रा.बी. योजनाओं/सोसाइटियों के लिए द्वि-वार्षिक किशतों की गणना और निधि जारी करने हेतु 'खातागत' (ऑन अकाउंट) भुगतान के अंतर्गत निधियों का बजटीय आवंटन करने के लिए क.रा.बी. निगम के क्षेत्रीय कार्यालयों को सूचित किया जाता है।

गणना की कार्य-रीति

प्रचलित नीति के अनुसार, राज्य क.रा.बी. योजनाओं/सोसाइटियों की बजटीय पात्रता 2021-22 से प्रभावी पिछले तीन पूर्ण वित्तीय वर्षों के दौरान किए गए प्रति बीमाकृत व्यक्ति पर हुए वास्तविक व्यय के औसत पर आधारित है। मुद्रास्फीति की लागत और बीमाकृत व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि प्रचलित अधिकतम सीमा के अधीन को देखते हुए वास्तविक प्रति बीमाकृत व्यक्ति व्यय का औसत 10 प्रतिशत तक बढ़ाया गया है।

जैसा कि ऊपर बताया गया है, राज्य सरकारें परिशोधित प्राक्कलन प्रस्तुत करते हुए निधि की अतिरिक्त आवश्यकता प्रस्तुत करने के लिए भी अधिकृत हैं। अतिरिक्त निधि, यदि अनुमोदित हो, उसी वित्तीय वर्ष की 31 दिसंबर तक जारी की जाएगी बशर्ते कि वर्ष का कुल आवंटन उप-सीमा सहित अधिकतम राशि की पात्रता के भीतर हो।

• पूर्ण और अंतिम निपटान

राज्य क.रा.बी. योजना द्वारा विभिन्न उप-शीर्षों और व्यापक उच्चतम सीमा के अध्यक्षीन व्यय की गई शेष राशि, यदि कोई हो, को जारी करने के लिए संबंधित वित्तीय वर्षों का लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र आवश्यक होगा।

इसके अलावा, उपर्युक्त नीति में अतिविशिष्टता उपचार पर व्यय का प्रावधान सम्मिलित नहीं हैं क्योंकि क.रा.बी. निगम ने दिनांक 07.08.2015 को आयोजित अपनी 166वीं बैठक में हितलाभार्थियों के सामने आने वाली कठिनाइयों का अवलोकन किया तथा निर्णय लिया कि अति-विशिष्टता उपचार के व्यय को सीधे क.रा.बी. निगम द्वारा वहन किया जाएगा।

पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए विशेष वित्तीय प्रावधान

क.रा.बी.निगम ने दिनांक 19-20 फरवरी, 2023 को आयोजित अपनी 190वीं बैठक में पूर्वोत्तर राज्यों (सिक्किम सहित) की भौगोलिक, जनसांख्यिकीय, सामाजिक, औद्योगिक और वाणिज्यिक स्थितियों पर विचार करते हुए निम्नानुसार निर्णय लिया है:

- 1 वित्त वर्ष 2023-24 से पांच वर्ष की अवधि के लिए या जब तक बीमाकृत व्यक्तियों की संख्या 50,000 तक नहीं होती, जो भी पहले हो, पूर्वोत्तर राज्यों (असम को छोड़कर) के लिए अधिकतम सीमा तक 100 % व्यय क.रा.बी.निगम द्वारा वहन किया जाएगा।
- 2 वित्त वर्ष 2023-24 से पूर्वोत्तर राज्यों (असम को छोड़कर पर सिक्किम सहित) के लिए पांच वर्षों के लिए प्रति औषधालय 40 लाख रुपये की अतिरिक्त वित्तीय सहायता (अतिरिक्त वित्तीय सहायता) प्रदान करना ।



BUDGETARY ESTIMATION

At the beginning of each financial year, budgetary allocation of funds under 'On Account' payment is communicated to Regional Offices of ESI Corporation for calculations & release of bi-annual instalments to State ESI Schemes / Societies.

CALCULATION MODALITIES

As per the prevalent policy, budgetary entitlement of State ESI Schemes/Societies is based on average of actual per IP expenditure incurred during last three completed financial years w.e.f. 2021-22. The average of actual per IP expenditure is further enhanced by 10 percent considering cost of inflation and increase in nos. of IPs subject to prevailing maximum ceiling.

State Governments are also authorized to submit additional requirement of fund through submission of revised estimate as explained above. Additional fund, if approved, shall be released by 31stDecember of the same financial year subject to total allocation of the year being within the entitlement of ceiling amount including sub-ceiling.

FULL AND FINAL SETTLEMENT

Audit certificate of concerned financial years shall be required for release of balance fund spent by State ESI Scheme, if any, subject to various sub-heads and broader ceiling.

Further, above policy does not contain the provisions towards expenditure on super specialty treatment as the ESI Corporation in its 166th meeting held on 07.08.2015 took stock of the difficulties being faced by the beneficiaries and decided that the expenditure on super specialty treatment would be borne directly by the ESI Corporation.

SPECIAL FINANCIAL PROVISIONS FOR NER

ESI Corporation in its 190th meeting held on 19th-20th February, 2023, considering the geographical, demographical, social, industrial and commercial conditions of North Eastern States (including Sikkim) has decided as under:

- 1 100% expenditure upto the ceiling shall be borne by ESI Corporation w.e.f. FY 2023-24 for a period of five years or till IP population reaches 50,000, whichever is earlier for North Eastern States (except Assam).
- 2 Additional Financial Assistance (AFA) w.e.f. FY 2023-24 to the tune of ₹ 40 lakh per dispensary for five years for North Eastern States (including Sikkim except Assam).



वित्तीय प्राक्कलन तथा निष्पादन बजट 2024-2025

3 पूर्वोत्तर राज्यों (असम को छोड़कर पर सिक्किम सहित) के लिए 2022-23 से पांच वर्षों के लिए प्रति वर्ष ₹ 1,800/- प्रति बीमाकृत व्यक्ति की अधिकतम कैपिंग के साथ लचीली प्रशासनिक उप-सीमा की अनुमति प्रदान करना।

इसके अलावा, उपर्युक्त नीति में अति विशिष्टता उपचार पर व्यय के प्रावधान शामिल नहीं हैं क्योंकि क.रा.बी.निगम ने दिनांक 07.08.2015 को आयोजित अपनी 166^{वीं} बैठक में लाभार्थियों के सामने आने वाली कठिनाइयों का जायजा लिया और निर्णय लिया कि अति विशिष्टता उपचार का व्यय सीधे क.रा.बी. निगम द्वारा वहन किया जाएगा।

2.2.6 अति विशिष्टता उपचार

क.रा.बी.निगम पूरे भारत में 2546 टाई-अप अस्पतालों (टीयूएच) के माध्यम से एसएसटी सेवाएं प्रदान कर रहा है, जिसमें मई 2017 से यूटीआई-आईटीएसएल की सेवाओं को बिल प्रोसेसिंग एजेंसी (बीपीए) के रूप में शामिल किया गया है। धन्वन्तरी और यूटीआई मॉड्यूल के माध्यम से ऑनलाइन रेफरल किए जाते हैं। भुगतान में पारदर्शिता लाने और टाई अप अस्पतालों को नियत समय पर भुगतान करने के लिए इस पद्धति के माध्यम से ऑनलाइन निगरानी की जा रही है। बिल समाशोधन की प्रक्रिया को और अधिक सुव्यवस्थित करने के लिए ताकि बीमाकृत व्यक्तियों की सेवाएं बाधित न हों, निम्नलिखित पहल पहले से ही की जा चुकी है :-

प्रवास/अतिरिक्त प्रक्रियाओं आदि का अनिवार्य ऑनलाइन विस्तार।

प्रवास /अतिरिक्त प्रक्रियाओं आदि के विस्तार के लिए ऑनलाइन अनुमोदन।

नकदीरहित (कैशलेस) चिकित्सा उपचार का लाभ उठाने के लिए टाई-अप अस्पताल (टीयूएच) में भर्ती सभी सीधे/आपातकालीन मामलों के लिए बिल प्रक्रमण एजेंसी (यूटीआई-आईटीएसएल) पोर्टल में क.रा.बी. लाभार्थी की फोटो अपलोड करने की सुविधा प्रदान करना।

2.2.7 नई पहलें

जिन स्थानों पर स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं के लिए निगम की अपनी अवसंरचना नहीं है, वहाँ के नए नामांकित बीमाकृत व्यक्तियों की प्राथमिक देखभाल सेवा की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आशोधित नियोक्ता उपयोगन औषधालय (एम-ई.यू.डी.) तथा आशोधित बीमा चिकित्सा व्यवसायी (एम-आइ.एम.पी.) योजना का विस्तार बीमाकृत व्यक्तियों की आवश्यकताओं की दृष्टि से प्राथमिक देखरेख सेवाएं प्रदान करने का प्रबंध किया गया है। द्वितीयक देखभाल चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने के लिए संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों को प्रतिष्ठित निजी स्वास्थ्य देखभाल संस्थाओं के साथ टाई-अप करने के लिए पहले ही प्राधिकृत किया जा चुका है। इसके अलावा, जिला स्तर पर रेफरल एवं प्रतिपूर्ति के लिए सभी टाई-अप व्यवस्थाओं पर निगरानी रखने हेतु प्रत्येक जिले में औषधालय सह शाखा कार्यालय (डीसीबीओ) स्थापित किए जा रहे हैं।

इसके अलावा, किसी भी घातक स्वास्थ्य स्थिति के शीघ्र निदान के लिए, 40 वर्ष और उससे अधिक आयु के बीमाकृत व्यक्तियों/बीमाकृत महिलाओं (आईपी/आईडब्ल्यू) के लिए वार्षिक निवारक स्वास्थ्य जांच कार्यक्रम माननीय श्रम और रोजगार मंत्री/अध्यक्ष, क.रा.बी.निगम द्वारा क.रा.बी.निगम की 186^{वीं} बैठक में प्रारंभ किया गया जो दिनांक 04.12.2021 को आयोजित हुई। 09 क.रा.बी.निगम अस्पतालों में वार्षिक निवारक स्वास्थ्य जांच की जा रही है।

इसके अलावा, 15 राज्यों में फैले 16 स्थानों के औद्योगिक समूहों में सभी उम्र के बीमाकृत व्यक्तियों/बीमाकृत महिलाओं (आईपी/आईडब्ल्यू) के लिए स्क्रीनिंग कैंप आयोजित किए जाते हैं।

क.रा.बी.निगम लाभार्थियों को दूर-संचार के माध्यम से सुविधा प्रदान करने के लिए क.रा.बी.निगम द्वारा सीधे संचालित सभी अस्पतालों को 1950 चिकित्सकों के साथ ई-संजीवनी पोर्टल पर जोड़ा गया है।



- 3 Flexible administrative sub-ceiling with maximum capping of ₹ 1,800/- per IP per annum w.e.f. 2022-23 for five years for North Eastern States (including Sikkim except Assam).

Further, above policy does not contain the provisions towards expenditure on super specialty treatment as the ESI Corporation in its 166th meeting held on 07.08.2015 took stock of the difficulties being faced by the beneficiaries and decided that the expenditure on super specialty treatment would be borne directly by the ESI Corporation.

2.2.6 SUPER SPECIALITY TREATMENT

ESIC is providing SST services through 2546 tie-up hospitals (TUHs) across Pan-India wherein services of UTI-ITSL have been taken on board as a bill processing agency (BPA) since May 2017. Referrals are generated through Dhanwantri and UTI module online. Payments through these systems are being monitored online to bring transparency and timely payment to the TUH. In order to further streamline the process of bill clearance, so that services to Insured Persons are not disrupted, the following initiatives were already implemented: -

Mandatory Online extension of stay/additional procedures, etc.

Online approval for extension of stay/additional procedures, etc.

Enabling features to upload ESI Beneficiary photograph in BPA (UTI-ITSL) portal for all direct/emergency cases admitted in TUH for availing cashless medical treatment.

Enabling features to upload ESI Beneficiary photograph in BPA (UTI-ITSL) portal for all directions/emergency cases admitted in tie-up hospitals for availing cashless medical treatment.

2.2.7 NEW INITIATIVES

Medical services for newly enrolled IPs at places where Corporation do not have its own infrastructure for health care deliver, modified Employer Utilization Dispensary (m-EUD) & modified Insurance Medical Practitioner (m-IMP) scheme have been extended to cater to primary care service requirements of IPs. For providing secondary care medical services, Regional Officer concerned, have already been authorized to tie-up with reputed private health care institutions. Apart from this, DCBOs are being established in each district in order to oversee all tie-ups for referral and reimbursement at district level.

Moreover, to early diagnosis of any dangerous health condition, Annual Preventive Health Check-up Programme for Insured Persons/ Insured Women (IPs/IWs) aged 40 years and above was launched by Hon'ble Minister of Labour & Employment/ Chairman, ESIC in 186th meeting of ESI Corporation held on 04.12.2021. Annual Preventive Health Checkups are being conducted in 09 ESIC hospitals.

Further, Screening camps for IP/IW of all ages are organized in industrial clusters of 16 locations spread over in 15 states.

All ESIC direct run hospitals along with 1950 doctors have been on-boarded on e-sanjeevani portal to provide teleconsultation to ESIC beneficiaries.



वित्तीय प्राक्कलन तथा निष्पादन बजट 2024-2025

2.8.1 नकद हितलाभ

बीमाकृत व्यक्तियों को बीमारी, कुछेक विनिर्दिष्ट रोगों के कारण या विस्तारित बीमारी, प्रसूति, रोजगार चोट से उत्पन्न अस्थायी या स्थायी निःशक्तता की आकस्मिकताओं में नकद हितलाभ तथा किसी व्यवसाय जन्य रोग या रोजगार चोट के फलस्वरूप यदि किसी बीमाकृत व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार के जीवित सदस्य(यों) को पेंशन के रूप में आश्रितजन हितलाभ का भुगतान किया जाता है। अंत्येष्टि खर्च भी दिया जाता है। क.रा.बी.निगम ने दिनांक 18.9.2018 को आयोजित अपनी 175वीं बैठक में बीमाकृत व्यक्ति की मृत्यु होने पर देय वर्तमान अंत्येष्टि व्यय राशि ₹10,000/- से बढ़ाकर ₹15,000/- कर दी है जो दिनांक 01.05.2019 से प्रभावी है। कर्मचारी राज्य बीमा (केन्द्रीय) नियमावली, 1950 के नियम 54 से 59 में निर्धारित दरों पर इन हितलाभों का भुगतान किया जाता है। दिनांक 27.10.2020 से क.रा.बी. औषधालयों/अस्पताल के बाहर होने वाले प्रसव के व्यय की राशि को भी ₹5000/- से बढ़ाकर ₹7,500/- तक किया गया है।

क.रा.बी. निगम ने दिनांक 15 दिसंबर, 2023 को आयोजित अपनी 192वीं बैठक में उन मामलों में जहां दिनांक 31.12.2021 को या उससे पहले रोजगार चोटों के परिणामस्वरूप मृत्यु / निःशक्तता हुई थी, उसके लिए स्थायी निःशक्तता हितलाभ /आश्रितजन हितलाभ की दरों में वृद्धि के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह वृद्धि दिनांक 01 अगस्त, 2022 से प्रभावी है।

2.8.2 राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना

इस योजना में चिकित्सा हितलाभ प्रदान करने के साथ-साथ बीमायोग्य रोजगार की पांच (5) वर्ष की न्यूनतम अर्हक अवधि के बाद कारखाना के बंद होने पर छह (6) महीनों की अधिकतम अवधि हेतु बेरोजगारी भत्ता प्रदान करने के लिए एक योजना पर विचार किया गया और निगम द्वारा अनुमोदन दिया गया है जो दिनांक 01.04.2005 से लागू है। आगे, हितलाभों की आवधिकता 24 (चौबीस) महीने की अधिकतम अवधि तक विस्तारित की गई है तथा हकदारी की शर्त के रूप में बीमायोग्य रोजगार की अवधि भी घटाकर 3 वर्ष कर दी गई है। इसके अतिरिक्त, बेरोजगारी भत्ते के दावे के प्रस्तुतीकरण की अवधि भी दिनांक 01.07.2010 से 6 महीने से बढ़ाकर 9 महीने कर दी गई है। हितलाभ की दर प्रथम 12 माह के लिए औसत दैनिक मजदूरी का 50% है और अगले 13 से 24 महीनों के लिए अंतिम औसत दैनिक मजदूरी का 25% है, जिसका दिनांक 06.09.2016 को आयोजित क.रा.बी. निगम की 169वीं बैठक के दौरान निर्णय किया गया है।

2.8.3 अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना

अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना (एबीवीकेवाई) कर्मचारी राज्य बीमा (क.रा.बी.) अधिनियम, 1948 के तहत व्याप्त (कवर) किए गए कर्मचारियों के लिए एक कल्याणकारी उपाय है, जो बीमाकृत व्यक्तियों (आईपी) की बेरोजगारी की आकस्मिकता में कर्मचारी के जीवनकाल में 90 दिनों तक नकद मुआवजे के रूप में है।

यह योजना दिनांक 01.07.2018 को लागू हुई और कोविड-19 महामारी के दौरान बेरोजगार हो गए बीमाकृत व्यक्तियों को राहत देने के लिए दिनांक 01.07.2020 से 30.06.2021 और दिनांक 01.07.2021 से 30.06.2022 तक दो बार बढ़ाई गई। योजना की पात्रता और अन्य शर्तों में दिनांक 24.03.2020 से छूट दी गई थी जोकि निम्नानुसार है :-

- I. योजना के अंतर्गत राहत की दर को औसत दैनिक आय के 25% से बढ़ाकर दावेदार की औसत दैनिक आय का 50% कर दिया गया।
- II. बीमाकृत व्यक्ति को कम से कम 2 वर्षों के लिए बीमायोग्य रोजगार में होना चाहिए और बेरोजगारी से तुरंत पूर्ववर्ती अंशदान अवधि में 78 दिनों से कम का अंशदान नहीं होना चाहिए और



2.8.1 CASH BENEFITS

Cash benefits are paid to insured persons in adverse contingencies of sickness or extended sickness on account of certain specified diseases, maternity, temporary or permanent disablement arising out of an employment injury and dependants' benefit to the surviving member(s) of the family, if an insured person who dies as a result of an occupational disease or an employment injury. Funeral Expenses are also met. The ESI Corporation in its 175th meeting held on 18.09.2018 has enhanced the Funeral Expenses from existing ₹ 10,000/- to ₹ 15,000/- w.e.f. 01.05.2019 being paid on the death of Insured Person. The rates at which these benefits are payable are prescribed in Rules 54 to 59 of the E.S.I. (Central) Rules, 1950. Confinement expenses taking place outside ESI Dispensaries/hospital from ₹ 5,000/- to ₹ 7,500/- w.e.f. 27.10.2020.

The ESI Corporation in its 192nd meeting held on 15th December, 2023 has approved the proposal for increase in the PDB/DB rates for cases where the employment injuries resulting in death/disablement on or before 31.12.2021. The increases are effective from 1st August, 2022.

2.8.2 RAJIV GANDHI SHRAMIK KALYAN YOJNA

A scheme to provide medical benefits as well as unemployment allowance up-to a maximum period of six months after a minimum qualifying period of five years of insurable employment on closure of factories was conceived and approved by the Corporation which is in force w.e.f. 1.4.2005. Further, the periodicity of benefits has been extended to a maximum period of twenty-four months and the period of insurable employment as a condition for entitlement has also been reduced to 3 years. Also, the period of submission of claim for Unemployment Allowance has been enhanced from 6months to 9 months w.e.f. 1.07.2010. The rate of benefit is 50% of the average daily wages for first 12 months and 25% of the last average daily wage for next 13 to 24 months which has been decided during 169th meeting of ESI Corporation held on 06.09.2016.

2.8.3 ATAL BIMIT VYAKTI KALYAN YOJNA

Atal Beemit Vyakti Kalyan Yojana (ABVKY) is a welfare measure for the employees covered under the Employees' State Insurance (ESI) Act, 1948 in the form of cash compensation up to 90 days once in lifetime of the worker in the contingency of Insured Persons' (IPs) unemployment.

The scheme came into force on 01.07.2018 and extended twice from 01.07.2020 to 30.06.2021 and from 01.07.2021 to 30.06.2022 in order to provide relief to those IPs who became unemployed during the Covid-19 pandemic. The eligibility and other conditions of the scheme were relaxed w.e.f. 24.03.2020 as under: -

- I. The rate of relief under the scheme was enhanced from 25% of the average daily earnings to 50% of average daily earnings of the claimant.
- II. The IP should have been in insurable employment for a minimum 2 years and should have contributed for not less than 78 days in the contribution period immediately preceding the unemployment and minimum 78 days in one of the remaining three contribution periods in two years prior to



वित्तीय प्राक्कलन तथा निष्पादन बजट 2024-2025

बेरोजगारी से पहले दो वर्षों में शेष तीन अंशदान अवधि में न्यूनतम 78 दिनों का अंशदान होना चाहिए। इससे पहले, चार अंशदान अवधियों में से प्रत्येक में 78 दिनों का न्यूनतम अंशदान आवश्यक था।

III. दावा दायर करने की प्रतीक्षा अवधि 90 दिन से घटाकर 30 दिन कर दी गई।

2.8.4 क.रा.बी.निगम कोविड-19 राहत योजना

कोविड-19 के कारण मृत बीमाकृत व्यक्तियों के परिवारों को सहायता और राहत प्रदान करने के लिए अध्यक्ष, क.रा.बी. निगम ने 'क.रा.बी.निगम कोविड-19 राहत योजना' को अनुमोदित किया। यह योजना बीमाकृत व्यक्तियों के लिए एक कल्याणकारी उपाय है जिसे दिनांक 24.03.2020 से दो वर्षों के लिए लागू किया गया तथा यह योजना कोविड-19 के कारण हुई मृत्यु के मामले में बीमाकृत व्यक्ति के आश्रितों को राहत प्रदान करती है। कोविड-19 के कारण बीमाकृत व्यक्ति की मृत्यु के मामले में, बीमाकृत व्यक्ति के आश्रित परिवार के पात्र सदस्यों को आवधिक भुगतान सीधे बैंक खाते में किया जाता है। वर्तमान में, यह योजना दिनांक 23.03.2022 को समाप्त कर दी गई है।

2.9 प्रशासनिक खर्च

प्रशासनिक व्यय में "वेतन एवं भत्ते" एवं प्रशासनिक कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति हितलाभ शामिल हैं तथा कार्यालय प्रबंधन पर सामान्य व्यय का प्रक्षेपण (प्रोजेक्शन) 7वें वेतन आयोग के प्रभाव के दृष्टिगत वस्तुओं की कीमतों और सेवा की लागत में सामान्य वृद्धि तथा भर्तियों को ध्यान में रखते हुए दर्शाया गया है। तथापि, किफायती उपायों को ध्यान में रखा गया है। केंद्र सरकार ने वर्ष 1997-98 से कुल राजस्व आय का 15 प्रतिशत नियम 31ए के तहत प्रशासनिक खर्चों के लिए प्रतिशत निर्धारित किया है।

2.10 पूंजीगत निर्माण निधि

निगम ने 2 फरवरी, 1974 को सम्पन्न बैठक में यह निर्णय लिया था कि नियोक्ताओं तथा कर्मचारियों के अंशदान से प्राप्त कुल राजस्व का 10% अस्पतालों, औषधालयों तथा अन्य चिकित्सा संस्थाओं और कार्यालय भवनों तथा स्टाफ क्वार्टर्स (कार्मिक आवास) के निर्माण के लिए पूंजीगत निर्माण आरक्षित निधि में जमा किया जाएगा। इसके पश्चात्, दिनांक 19 फरवरी, 1983 को सम्पन्न निगम की बैठक में, यह निर्णय लिया गया था कि इस व्यवस्था को कम कर अंशदान का 5% कर दिया जाए। फिर, दिनांक 17.12.2004 को सम्पन्न निगम की 129वीं बैठक में निर्णय लिया गया था कि दिनांक 01.04.2005 से इस धन व्यवस्था को घटाकर अंशदान का 1% कर दिया जाए। तत्पश्चात्, निगम की दिनांक 19.02.2019 को आयोजित 177वीं बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि पांच वर्षों के लिए निधि में कोई और परिवर्धन नहीं किए जाएंगे। दिनांक 31.03.2023 को निधि में शेष राशि रु. 572512 लाख है।

2.11 आकस्मिकता आरक्षित निधि

दिनांक 17 मार्च 1973 को आयोजित निगम के बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि राजस्व खाते के आय के अतिरिक्त रकम का 20% न्यूनतम ₹100 लाख (यदि यह रकम ₹100 लाख से कम हो तो सम्पूर्ण अतिरिक्त रकम) इस निधि में जमा की जाएगी।



unemployment. Earlier, minimum contribution of 78 days in each of four contribution periods was required.

III. The waiting period to file the claim was reduced from 90 days to 30 days

2.8.4 ESIC COVID-19 RELIEF SCHEME

In order to provide help and succour to the families of the IPs who died due to COVID-19, the Chairman, ESIC approved the 'ESIC COVID-19 Relief Scheme', This scheme is a welfare measure for IPs made effective for a period of two years w.e.f. 24.03.2020 and it provides relief to the dependants of the IP in case of his/her death due to COVID-19. In case of death of IP due to COVID-19, the eligible dependant's family members of IP are paid periodic payments directly to the bank account. Presently, the scheme is now being discontinued from 23.03.2022.

2.9 ADMINISTRATIVE EXPENSES

Administrative expenditure includes "Pay & Allowances" and provision for retirement benefits to administrative employees and expenditure on general office management has been projected keeping in view of 7th pay commission impact, the usual increase in the price of goods and cost of services and recruitments; however, austerity measures have been kept in view.

The Central Government has fixed the percentage of the administrative expenses under Rule 31A as 15 percent of total revenue income with effect from the year 1997-98.

2.10 CAPITAL CONSTRUCTION FUND

The Corporation in its meeting held on 2nd February, 1974 decided that 10% of the total revenue derived from employers' and employees' contribution was to be credited to the Capital Construction Reserve Fund for construction of hospitals, dispensaries, other medical institutions, office buildings and staff quarters. Subsequently, in the meeting of the Corporation held on 19th February, 1983, it was decided to reduce that provision to 5 percent of contribution. Further, in the 129th meeting of the Corporation held on 17.12.2004, it was decided to reduce that provision to 1 percent of Contribution w.e.f. 1.4.2005. Subsequently, it was decided not to make any further additions to the fund for five years in the 177th meeting of the Corporation held on 19.02.2019. The balance in the fund as on 31.03.2023 is ₹ 572512 lakh.

2.11 CONTINGENCY RESERVE FUND

The Corporation in its meeting held on 17th March, 1973, decided that 20 percent of the excess of income over expenditure on revenue account subject to a minimum of ₹ 100 Lakhs (whole of the excess when it is less than ₹ 100 Lakhs) was to be credited to this fund. The Standing committee and the Corporation in their meeting held on



वित्तीय प्राक्कलन तथा निष्पादन बजट 2024-2025

दिनांक 27/28 नवम्बर, 1986 को स्थायी समिति तथा निगम की संपन्न बैठकों में यह निर्णय लिया गया कि इस निधि में बकाया राशि केवल ₹7500 लाख तक सीमित रखी जानी चाहिए।

वर्ष 2023-24 के लिए परिशोधित प्राक्कलन

I. प्राप्तियाँ

3.1 निगम का राजस्व वित्तीय वर्ष 2023-2024 के लिए पहले अनुमानित ₹ 2621091 लाख की तुलना में चालू वित्त वर्ष में ₹2863771 लाख होने का अनुमान है।

अंशदान

3.2 माह अक्टूबर 2023 तक राजस्व की प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए, शेष माह के लिए बीमांकन प्राक्कलन के अनुसार प्रवृत्ति तथा पैरा 2.1 में उल्लिखित विभिन्न कारकों को ध्यान में रखते हुए अंशदान से ₹ 2088000 लाख रुपये की आय का अनुमान किया गया है। परिशोधित प्राक्कलन में वर्ष के दौरान कर्मचारियों की अतिरिक्त व्याप्ति, जिलावार कार्यान्वयन पर भी विचार किया गया है। दिनांक 31.3.2024 को कुल अनुमानित व्याप्ति 335 लाख कर्मचारी होने की सम्भावना है।

दिनांक 31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार अंशदान तथा ब्याज की कुल बकाया राशि ₹ 544473 लाख में से ₹281967 लाख फिलहाल विभिन्न कारणों से वसूली योग्य नहीं है। बकाया तथा गैर-वसूली योग्य राशि का ब्योरा निम्नलिखित है:-

क.	वर्तमान गैर-वसूली योग्य बकाया राशि	(₹ लाख में)
क)	न्यायालयों में विवादग्रस्त बकाया राशि	157777.00
ख)	परिसमापन के अधीन राशि	60774.00
ग)	दावा आयुक्त के पास लंबित राशि	1361.00
घ)	ऐसे कारखाने/स्थापनाएं जो बंद हो गई हैं तथा जिनके नियोक्ताओं का अता-पता मालूम नहीं, उनसे देय राशि	33859.00
ङ)	ऐसी राशि जिनमें डिक्री प्राप्त हो गई है परन्तु निष्पादित नहीं हुई	159.00
	योग	253930.00
ख.	रुग्ण उद्योगों से देय राशि	
(i)	ऐसे कारखानों से संबंधित मामले जो औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बीआइएफआर) से पंजीकृत हैं परन्तु पुनर्वास योजना अभी संस्वीकृत की जानी है	17915.00
(ii)	ऐसे कारखाने/स्थापनाएं जिन्हें रुग्ण घोषित कर दिया गया है तथा औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड(बीआइएफआर) द्वारा पुनर्वास योजना संस्वीकृत कर दी गई है	10122.00
ग.	वसूली अधिकारी के पास वसूली हेतु लम्बित वसूली-योग्य प्राप्य राशि	249802.00
	कुल योग	531769.00

कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम की धारा 45-सी से 45-आई के अधीन स्थापित अपने स्वयं के वसूली तंत्र के माध्यम से निगम द्वारा नियोक्ताओं से बकाया राशि की वसूली करने का भरसक प्रयत्न किया जा रहा है। जहाँ कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के उपबंधों के अधीन यदि अभियोजन तथा दाण्डिक कार्रवाई अपेक्षित है, वहां उचित कार्रवाई भी की गई है।



FINANCIAL ESTIMATES AND PERFORMANCE BUDGET 2024-2025

27th/28th November, 1986 decided that the balance in this Fund should be limited to ₹ 7500 Lakhs only.

REVISED ESTIMATES FOR THE YEAR 2023-24

I. RECEIPTS

- 3.1** The revenue of the Corporation for the current financial year 2023-2024 is estimated at ₹ 2863771.00 Lakhs as against ₹ 2621091.00 Lakhs estimated earlier.

CONTRIBUTION

- 3.2** The income from contribution has been estimated at ₹ 2088000 Lakhs keeping in view the trend of revenue up to October 2023, trend as per Actuarial estimation for remaining months and keeping the factors mentioned in para 2.1. The revised estimates also consider the additional coverage of employees during the year and district wise implementation. The total estimated coverage as on 31.03.2024 is likely to be 335 lakhs employees.
- 3.3** Out of the total amount of arrears of contribution and interest of ₹ 544473 Lakhs as on 31.3.2023, an amount of ₹ 281967 Lakhs is not recoverable for the present, due to various reasons. Details of arrears and the amount not recoverable are furnished below:

A.	Arrears not recoverable for the time being	(₹ In Lakhs)
a)	Amount of arrears disputed in courts	157777.00
b)	Amount under liquidation	60774.00
c)	Amount pending with claim commissioner	1361.00
d)	Amount due from factories/Estt Which have been closed and whereabouts of employers not known	33859.00
e)	Amount for which decree obtained but not executed	159.00
	TOTAL	253930.00
B.	Dues from sick industries	
i)	Cases in respect of Factories registered with BIFR but rehabilitation scheme yet to be sanctioned	17915.00
ii)	Factories/Establishments which have been declared sick and rehabilitation schemes sanctioned by BIFR	10122.00
C.	Recoverable due pending for Recovery with Recovery Officer	249802.00
	GRAND TOTAL	531769.00

The Corporation is vigorously pursuing the recovery of arrears with employers through its own Recovery Machinery set up under Section 45-C to 45-1 of the ESI Act. Prosecution and penal action if felt necessary under the provisions of the E.S.I. Act has also been taken.



वित्तीय प्राक्कलन तथा निष्पादन बजट 2024-2025

3.4 ब्याज

परिशोधित प्राक्कलन 2023-2024 में अनुमानित और दिखाए गए ब्याज आंकड़े सामान्य आरक्षित निधि, आकस्मिक आरक्षित निधि और पूंजीगत निर्माण आरक्षित कोष के निवेश पर प्राप्त ब्याज से संबंधित हैं। निर्धारित आरक्षित निधि खाते पर अर्जित ब्याज संबंधित निधि खाते में जमा किया जाता है। अनुमानित कुल ब्याज और इसका विनियोग इस प्रकार है : -

(₹ लाख में)	
	परिशोधित प्राक्कलन (2023-24)
गैर-निर्धारित निधि पर ब्याज	737635
निर्धारित आरक्षित निधि पर ब्याज	243262
कुल	980897

3.5 क्षतिपूर्ति

परिशोधित प्राक्कलन वर्ष 2023-24 में कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

3.6 किराया, दरें और कर

निगम द्वारा निर्मित और स्वामित्व वाले अस्पताल और औषधालय भवनों और कार्यालय भवनों और स्टाफ क्वार्टरों के संबंध में किराया ₹ 20586 लाख प्राक्कलित किया गया है।

3.7 शुल्क, जुर्माना और जब्ती

परिशोधित प्राक्कलन वर्ष 2023-24 में ₹ 6050 लाख रुपये की राशि का प्रावधान किया गया है।

3.8 चिकित्सा शिक्षा प्राप्तियां

परिशोधित प्राक्कलन वर्ष 2023-24 में ₹ 7000 लाख रुपये की राशि का प्रावधान किया गया है।

3.9 विविध प्राप्तियां

परिशोधित प्राक्कलन वर्ष 2023-24 में ₹ 4500 लाख रुपये की राशि का प्रावधान किया गया है।

II. व्यय :

वर्ष 2023-2024 के दौरान राजस्व खाते पर व्यय ₹ 1913583 लाख होने का अनुमान किया जाता है जबकि पूर्व में ₹ 1915177 लाख अनुमानित किया गया। राजस्व व्यय के विवरणों पर नीचे चर्चा की गई है:

(क) चिकित्सा हितलाभ-

4.1 इस शीर्ष के अंतर्गत कुल प्रावधान ₹ 1430539 लाख (335 लाख बीमाकृत व्यक्तियों के लिए) अनुमानित किया गया है।

4.2 अस्पताल/औषधालय

इस शीर्ष के अंतर्गत धन व्यवस्था में (i) चालू भवन की पूंजीगत लागत (भूमि की लागत रहित) के 1.67% की दर से अस्पताल एवं औषधालय भवनों का मूल्यहास (₹ 33952 लाख) और (ii) प्रक्षेपित (प्रोजेक्टिड) व्यय पर भवनों की मरम्मत एवं रखरखाव (₹ 30651 लाख) तथा (iii) अस्पतालों तथा औषधालयों के लिए किराया तथा नगरपालिका कर (₹ 3800 लाख) शामिल हैं। विशेष मरम्मत पर व्यय मूल्यहास आरक्षित निधि में प्रभारित किया जाता है, जबकि अस्पतालों और औषधालय भवनों की मरम्मत एवं अनुरक्षण (आर एण्ड एम) पर किया गया व्यय चिकित्सा हितलाभ व्यय में प्रभारित किया जाता है।



FINANCIAL ESTIMATES AND PERFORMANCE BUDGET 2024-2025

3.4 INTEREST

The interest figures estimated and shown in the Revised Estimates 2023-2024 are pertaining to interest received on investment of General Reserve Fund, Contingency Reserve Fund and Capital Construction Reserve Fund. The interest accrued on earmarked reserved fund account is credited to the respective fund account. The total interest estimated and its appropriation is as follows: -

	(₹ in Lakhs) RE (2023-24)
Interest on Non-earmarked Fund	737635
Interest on Earmarked Reserve Fund	243262
Total	980897

3.5 COMPENSATION

No provision has been made in the Revised Estimates 2023-2024.

3.6 RENT, RATES AND TAXES

Rent in respect of hospital and dispensary buildings constructed and owned by the Corporation and Office buildings and staff quarters amounting to ₹ 20586 Lakhs has been estimated.

3.7 FEES, FINES & FORFEITURES

An amount of ₹ 6050 Lakhs has been made in the Revised Estimates 2023-2024.

3.8 MEDICAL EDUCATION RECEIPTS

An amount of ₹ 7000 Lakhs has been made in the Revised Estimates 2023-2024.

3.9 MISCELLANEOUS RECEIPTS

An amount of ₹ 4500 Lakhs has been made in the Revised Estimates 2023-2024.

II. REVENUE EXPENDITURE

The expenditure on revenue account during 2023-2024 is estimated at ₹ 1913583 Lakhs as against ₹ 1915177 Lakhs anticipated earlier. The details of revenue expenditure are discussed below:

(A) MEDICAL BENEFIT

4.1 The total provision under this Head has been estimated at ₹ 1430539 Lakhs (for 335 lakhs IPs.).

4.2 HOSPITAL/DISPENSARIES

The provision under this head comprises (i) depreciation of hospitals and dispensary buildings (₹ 33952 Lakhs) at the rate of 1.67 percent of capital cost (excluding cost of land) of commissioned building and (ii) repair and maintenance of the building (₹ 30651 Lakhs) at projected expense and (iii) Rent & Municipal taxes for hospitals and dispensaries (₹ 3800 Lakhs). The expenditure on special repairs is charged to the Depreciation Reserve Fund while that of R&M of Hospitals & Dispensaries Buildings is charged to medical benefit expenditure.



वित्तीय प्राक्कलन तथा निष्पादन बजट 2024-2025

4.3 व्यवसायजन्य जन्य रोग केंद्र

इन अस्पतालों के प्रचालन का संपूर्ण व्यय क.रा.बी.निगम द्वारा वहन किया जाता है जोकि परिशोधित प्राक्कलन 2023-2024 में ₹ 125217.29 लाख रुपये है।

4.4 चिकित्सीय शिक्षा परियोजनाएं

वर्ष 2023-2024 में बजट प्रावधान ₹ 81820 लाख रुपये (चिकित्सीय शिक्षा संस्थान भवनों और अन्य परिसंपत्तियों पर मूल्यहास सहित) किया गया है।

4.5 अस्पताल और औषधालयों में आईटी रोल आउट प्रचालन पर व्यय

परिशोधित प्राक्कलन 2023-2024 में आईटी रोल आउट के तहत अस्पतालों तथा औषधालयों में कम्प्यूटरीकरण पर ₹ 16734.67 लाख रुपये का प्रावधान है।

4.6 आदर्श अस्पताल और क.रा.बी. निगम अस्पताल व क.रा.बी.निगम चिकित्सा महाविद्यालय

परिशोधित प्राक्कलन 2023-2024 में क.रा.बी. निगम अस्पतालों (आदर्श अस्पतालों सहित) चिकित्सा महाविद्यालय तथा औषधालयों के व्यय का वहन करने हेतु ₹ 6,22,799.21 लाख तथा बजट प्राक्कलन 2024-2025 में ₹ 7,17,690.78 लाख (अति विशिष्टता उपचार तथा उपस्करों की लागत सहित) का प्रावधान किया गया है।

हाल ही में, क.रा.बी.निगम ने 3 क.रा.बी.निगम अस्पतालों (अर्थात्, बीकानेर (राजस्थान), तिरुपुर (तमिलनाडु) और भिलाई (छत्तीसगढ़)) का निर्माण किया है और क.रा.बी.योजना द्वारा संचालित 3 अस्पतालों (अर्थात्, कोटा (राजस्थान), मैथन (झारखंड) और भोपाल (मध्य प्रदेश) को संबंधित राज्य सरकारों से टेकओवर किया है)। इस संबंध में, तत्संबंधी बजट शीर्षों के अंतर्गत वर्ष 2023-24 के लिए ₹ 6400 लाख के अनुपूरक प्राक्कलन के रूप में बजटीय प्रावधान किया है।

दिनांक 31.03.2023 की स्थिति के अनुसार दिल्ली तथा नोएडा स्थित औषधालयों तथा निदेशालय (चिकित्सा), दिल्ली के अतिरिक्त 7 व्यावसायिक रोग केन्द्र तथा 50 आदर्श अस्पताल एवं 8 चिकित्सा महाविद्यालय/ स्नातकोत्तर संस्थाएं क.रा.बी.निगम द्वारा सीधे रूप में संचालित होते हैं और व्यय का प्राक्कलन (स्नातकोत्तर संस्थान सहित, जहां भी लागू है) निम्नानुसार है :



4.3 OCCUPATIONAL DISEASES CENTRE

The entire expenditure on running of these Hospitals is being borne by the E.S.I. Corporation which is ₹ 125217.29 Lakhs for Revised Estimates 2023-2024.

4.4 MEDICAL EDUCATION PROJECTS

The Budget provisions for the year 2023-2024 has been done for ₹ 81820 Lakhs (including depreciation on medical education institution buildings and other assets).

4.5 EXPENDITURE ON ACCOUNT OF OPERATING EXPENSES OF IT-ROLL OUT IN HOSPITALS AND DISPENSARIES

A sum of ₹ 16734.67 Lakhs has been made in Revised Estimate 2023-2024 towards operating expenses on computerization of Hospital & Dispensaries on account of IT Roll out.

4.6 MODEL HOSPITALS & ESIC HOSPITALS AND ESIC MEDICAL COLLEGES.

For incurring expenditure by ESIC Hospitals (including Model Hospitals), Medical Colleges and Dispensaries, a sum of ₹ 622799.21 Lakhs has been provided in the Revised Estimates 2023-2024 and ₹ 717690.78 Lakhs (including SST and cost of equipment) has been provided in Budget Estimate 2024-2025.

Recently, ESIC has constructed 3 ESIC Hospitals (viz, Bikaner (Rajasthan), Tiruppur (Tamil Nadu) and Bhilai (Chhattisgarh)) and taken over the 3 ESIS run hospitals (viz, Kota (Rajasthan), Maithan (Jharkhand) and Bhopal (Madhya Pradesh), from respective state governments)). In this regard, budgetary provisions have been provided as Supplementary Estimates of ₹ 6400 Lakh for the year 2023-24 under the respective budget heads.

As on 31.3.2023 there are 7 Occupational Disease Centers, 50 Model Hospitals, 08 Medical Colleges/ PG Institutes besides D(M)D and the dispensaries of Delhi & NOIDA which are run by ESIC directly and the estimates of expenditure (including PGIs wherever applicable) is as below:



वित्तीय प्राक्कलन तथा निष्पादन बजट 2024-2025

क.रा.बी.निगम आदर्श अस्पताल/क.रा.बी.निगम अस्पताल व चिकित्सा महाविद्यालय							
क्र. सं.	अस्पताल/चिकित्सा महाविद्यालय का नाम	परिशोधित प्राक्कलन 2023-2024 (₹ लाख में)			बजट प्राक्कलन 2024-2025 (₹ लाख में)		
		उपस्कर के अतिरिक्त	उपस्कर	कुल	उपस्कर के अतिरिक्त	उपस्कर	कुल
(क)	व्यावसायजन्य रोग केंद्र						
1	जोका	18203.00	4400.00	22603.00	21018.00	4400.00	25418.00
2	के.के. नगर	25242.93	2692.76	27935.69	33107.93	9186.30	42294.23
3	अंधेरी	9194.00	600.00	9794.00	10253.00	720.00	10973.00
4	नंदा नगर, इंदौर	10209.60	230.00	10439.60	11480.60	274.00	11754.60
5	अलवर	8527.00	2500.00	33625.00	8927.00	2500.00	11427.00
6	बिहटा	8793.00	1000.00	11027.00	10540.00	1200.00	11740.00
7	बसईदारापुर	30575.00	3050.00	9793.00	36020.00	3050.00	39070.00
	कुल (क)	110744.53	14472.76	125217.29	131346.53	21330.30	152676.83
(ख)	क.रा.बी.निगम अस्पताल						
1	बेलतोला	6418.00	250.00	6668.00	7532.00	275.00	7807.00
2	आश्रमम	9700.00	80.00	9780.00	10626.00	100.00	10726.00
3	राउरकेला	3285.00	100.00	3385.00	3486.00	150.00	3636.00
4	लुधियाना	11440.00	600.00	12040.00	12629.00	300.00	12929.00
5	राजाजी नगर	31220.00	1500.00	32720.00	33600.00	1500.00	35100.00
6	बापू नगर	11747.00	250.00	11997.00	13693.00	600.00	14293.00
7	सनत नगर अस्पताल (नाचाराम)	23417.00	800.00	24217.00	27676.40	720.00	28396.40
8	जयपुर	11318.00	620.00	11938.00	12264.00	652.00	12916.00
9	जम्मू	3198.00	100.00	3298.00	3373.00	100.00	3473.00
10	नामकुम	5187.00	50.00	5237.00	6275.00	125.00	6400.00
11	फुलवारीशरीफ	4767.00	125.00	4892.00	5047.00	300.00	5347.00
12	चंडीगढ़	3995.50	200.00	4195.50	4456.00	220.00	4676.00
13	नोएडा	29511.00	800.00	30311.00	32462.10	880.00	33342.10
14	उद्योगमंडल	8466.00	200.00	8666.00	10829.00	250.00	11079.00
15	नरोड़ा	2389.20	84.50	2473.70	2685.50	94.00	2779.50
16	आदित्यपुर	4307.00	100.00	4407.00	4619.00	200.00	4819.00
17	एजुकोन	6212.00	140.00	6352.00	6262.00	100.00	6362.00
18	सनत नगर (अति विशिष्टता उपचार अस्पताल)	14776.00	2530.00	17306.00	17177.50	2530.00	19707.50
19	गुरुग्राम	11804.00	150.00	11954.00	13708.50	300.00	14008.50
20	भिवाड़ी	3213.00	10.00	3223.00	3243.00	0.00	3243.00
21	तिरुनेलवेली	6485.00	385.00	6870.00	7847.00	385.00	8232.00
22	बददी	5176.00	0.00	5176.00	5523.40	10.00	5533.40
23	पीण्या	8445.00	225.00	8670.00	9107.90	180.00	9287.90
24	मानेसर	7001.50	105.00	7106.50	7986.50	105.00	8091.50
25	वापी (गुजरात)	2674.00	105.00	2779.00	2941.50	105.00	3046.50
26	फरीदाबाद	47078.85	6722.00	53800.85	50160.15	7939.60	58099.75
27	रुद्रपुर	931.37	173.51	1104.88	1025.80	191.00	1216.80
28	जाजमऊ, कानपुर	2898.20	40.00	2938.20	3188.02	44.00	3232.02
29	वाराणसी	6212.00	225.00	6437.00	6863.00	300.00	7163.00
30	साहिबाबाद	9705.10	145.00	9850.10	10165.20	160.00	10325.20
31	सरोजिनीनगर, लखनऊ	4389.00	264.00	4653.00	4869.00	290.00	5159.00
32	अंकलेश्वर, गुजरात	2878.00	150.00	3028.00	3186.00	200.00	3386.00



FINANCIAL ESTIMATES AND PERFORMANCE BUDGET 2024-2025

ESIC Model Hospitals / ESIC Hospitals & Medical Colleges							
SI No	Name of the Hospital/Medical College	Revised Estimate 2023-2024 (₹ In lakhs)			Budget Estimate 2024-2025 (₹ In lakhs)		
		Excluding Equipment	Equipment	Total	Excluding Equipment	Equipment	Total
(A)	O.D.C.						
1	Joka	18203.00	4400.00	22603.00	21018.00	4400.00	25418.00
2	K.K. Nagar	25242.93	2692.76	27935.69	33107.93	9186.30	42294.23
3	Andheri	9194.00	600.00	9794.00	10253.00	720.00	10973.00
4	Nanda Ngr. Indore	10209.60	230.00	10439.60	11480.60	274.00	11754.60
5	Alwar	8527.00	2500.00	33625.00	8927.00	2500.00	11427.00
6	Bihta	8793.00	1000.00	11027.00	10540.00	1200.00	11740.00
7	Basaidarapur	30575.00	3050.00	9793.00	36020.00	3050.00	39070.00
	Total (A)	110744.53	14472.76	125217.29	131346.53	21330.30	152676.83
(B)	ESIC Hospital						
1	Beltola	6418.00	250.00	6668.00	7532.00	275.00	7807.00
2	Asramam	9700.00	80.00	9780.00	10626.00	100.00	10726.00
3	Rourkela	3285.00	100.00	3385.00	3486.00	150.00	3636.00
4	Ludhiana	11440.00	600.00	12040.00	12629.00	300.00	12929.00
5	Rajaji Nagar	31220.00	1500.00	32720.00	33600.00	1500.00	35100.00
6	Bapu Nagar	11747.00	250.00	11997.00	13693.00	600.00	14293.00
7	Sanath Nagar Hosp. (Nacharam)	23417.00	800.00	24217.00	27676.40	720.00	28396.40
8	Jaipur	11318.00	620.00	11938.00	12264.00	652.00	12916.00
9	Jammu	3198.00	100.00	3298.00	3373.00	100.00	3473.00
10	Namkum	5187.00	50.00	5237.00	6275.00	125.00	6400.00
11	Phulwarisharif	4767.00	125.00	4892.00	5047.00	300.00	5347.00
12	Chandigarh	3995.50	200.00	4195.50	4456.00	220.00	4676.00
13	Noida	29511.00	800.00	30311.00	32462.10	880.00	33342.10
14	Udyogmandal	8466.00	200.00	8666.00	10829.00	250.00	11079.00
15	Naroda	2389.20	84.50	2473.70	2685.50	94.00	2779.50
16	Adityapur	4307.00	100.00	4407.00	4619.00	200.00	4819.00
17	Ezhukone	6212.00	140.00	6352.00	6262.00	100.00	6362.00
18	SanathNagar(SS T Hosp.)	14776.00	2530.00	17306.00	17177.50	2530.00	19707.50
19	Gurugram	11804.00	150.00	11954.00	13708.50	300.00	14008.50
20	Bhiwadi	3213.00	10.00	3223.00	3243.00	0.00	3243.00
21	Tirunelveli	6485.00	385.00	6870.00	7847.00	385.00	8232.00
22	Baddi	5176.00	0.00	5176.00	5523.40	10.00	5533.40
23	Peenya	8445.00	225.00	8670.00	9107.90	180.00	9287.90
24	Manesar	7001.50	105.00	7106.50	7986.50	105.00	8091.50
25	Vapi(Gujarat)	2674.00	105.00	2779.00	2941.50	105.00	3046.50
26	Faridabad	47078.85	6722.00	53800.85	50160.15	7939.60	58099.75
27	Rudrapur	931.37	173.51	1104.88	1025.80	191.00	1216.80
28	Jajmau, Kanpur	2898.20	40.00	2938.20	3188.02	44.00	3232.02
29	Varanasi	6212.00	225.00	6437.00	6863.00	300.00	7163.00
30	Sahibabad	9705.10	145.00	9850.10	10165.20	160.00	10325.20
31	Sarojinagar, Lucknow	4389.00	264.00	4653.00	4869.00	290.00	5159.00
32	Ankleshwar, Gujarat	2878.00	150.00	3028.00	3186.00	200.00	3386.00



वित्तीय प्राक्कलन तथा निष्पादन बजट 2024-2025

क.रा.बी.निगम आदर्श अस्पताल/क.रा.बी.निगम अस्पताल व चिकित्सा महाविद्यालय							
33	कोल्हापुर, महाराष्ट्र	2182.00	30.00	2212.00	2182.00	50.00	2232.00
34	बिबवेवाडी, महाराष्ट्र	9081.00	600.00	9681.00	10898.00	720.00	11618.00
35	कोरबा, छत्तीसगढ़	582.00	50.00	632.00	796.00	75.00	871.00
36	रायपुर, छत्तीसगढ़	1260.00	300.00	1560.00	1498.00	350.00	1848.00
37	उदयपुर, राजस्थान	1852.00	200.00	2052.00	2307.00	250.00	2557.00
38	अंगुल, ओडिशा	2059.00	140.00	2199.00	2947.00	280.00	3227.00
39	बरेली	2114.22	1.50	2115.72	2326.53	1.65	2328.18
40	तिनसुकिया	0.00	0.00	0.00	1931.00	200.00	2131.00
	कुल (ख)	329374.94	18550.51	347925.49	369393.00	21232.25	390625.25
(ग)	चिकित्सा महाविद्यालय						
1	पी.जी.आई.एम.एस.आर और क.रा.बी.निगम चिकित्सा महाविद्यालय जोका	3354.00	20.00	3374.00	3855.00	50.00	3905.00
2	पी.जी.आई.एम.एस.आर और क.रा.बी.निगम चिकित्सा महाविद्यालय के.के.नगर	6389.94	255.10	6645.04	7323.64	199.20	7522.84
3	पीजीआईएमएसआर अंधेरी	551.00	0.00	551.00	601.00	0.00	601.00
4	क.रा.बी. और पी.जी.आई.एम.एस.आर बसईदारापुर	1251.70	6.60	1258.30	1501.70	7.26	1508.96
5	क.रा.बी.निगम चिकित्सा महाविद्यालय और पी.जी.आई.एम.एस.आर राजाजीनगर	4900.00	0.00	4900.00	5420.00	0.00	5420.00
6	गुलबर्गा चिकित्सा महाविद्यालय	13834.00	1862.00	15696.00	16989.00	2304.00	19293.00
7	गुलबर्गा दंत्य महाविद्यालय	1317.63	611.00	1928.63	1669.00	150.00	1819.00
8	एस.नगर चिकित्सा महाविद्यालय	4045.00	100.00	4145.00	4829.40	0.00	4829.40
	कुल (ग)	35643.27	2854.70	38497.97	42188.74	2710.46	44899.20
(घ)	नए अस्पताल						
1	कोटा	527.50	80.00	607.50	2757.50	160.00	2917.50
2	बीकानेर	929.00	120.00	1049.00	1457.00	200.00	1657.00
3	मैथन	28.00	1.00	29.00	269.00	100.00	369.00
4	भोपाल	880.00	300.00	1180.00	2225.00	500.00	2725.00
5	त्रिपुर	1763.00	1508.00	3271.00	7563.00	603.00	8166.00
6	भीला, छत्तीसगढ़	120.00	100.00	220.00	525.00	350.00	875.00
	कुल (घ)	4247.50	2109.00	6356.50	14796.50	1913.00	16709.50
(ङ)	दिल्ली स्थित अस्पताल						
1	झिलमिल	20908.00	427.00	21335.00	23109.00	427.00	23536.00
2	ओखला	21109.00	550.00	21659.00	21709.00	550.00	22259.00
3	रोहिणी	25506.00	500.00	26006.00	25710.00	700.00	26410.00
4	डी (एम) डी	35712.00	90.00	35802.00	40475.00	100.00	40575.00
5	बसईदारापुर	30575.00	3050.00	33625.00	36020.00	3050.00	39070.00
	कुल (ङ)	133810.00	4617.00	138427.00	147023.00	4827.00	151850.00
	(-) बसईदारापुर	103235.00	1567.00	104802.00	111003.00	1777.00	112780.00
	कुल (क+ख+ग+घ+ङ)	583245.24	39553.97	622799.21	668727.77	48963.01	717690.78

नोट : उपर्युक्त आंकड़ों में ई.बी.आर.एफ. तथा मूल्यहास के लिए प्रावधान की राशि सम्मिलित नहीं है।

\$ अनुपूरक प्राक्कलन के रूप में प्रस्तावित।



FINANCIAL ESTIMATES AND PERFORMANCE BUDGET 2024-2025

Sl No	Name of the Hospital/Medical College	Revised Estimate 2023-2024 (₹ In lakhs)			Budget Estimate 2024-2025 (₹ In lakhs)		
		Excluding Equipment	Equipment	Total	Excluding Equipment	Equipment	Total
33	Kolhapur, Maharashtra	2182.00	30.00	2212.00	2182.00	50.00	2232.00
34	Bibwewadi, Maharashtra	9081.00	600.00	9681.00	10898.00	720.00	11618.00
35	Korba, Chhattisgarh	582.00	50.00	632.00	796.00	75.00	871.00
36	Raipur, Chhattisgarh	1260.00	300.00	1560.00	1498.00	350.00	1848.00
37	Udaipur, Rajasthan	1852.00	200.00	2052.00	2307.00	250.00	2557.00
38	Angul, Odisha	2059.00	140.00	2199.00	2947.00	280.00	3227.00
39	Bareilly	2114.22	1.50	2115.72	2326.53	1.65	2328.18
40	Tinsukia	0.00	0.00	0.00	1931.00	200.00	2131.00
	Total (B)	329374.94	18550.51	347925.49	369393.00	21232.25	390625.25
(C)	Medical Colleges						
1	PGIMSR & ESIC M.College Joka	3354.00	20.00	3374.00	3855.00	50.00	3905.00
2	PGIMSR & ESIC M.College K.K. Nagar	6389.94	255.10	6645.04	7323.64	199.20	7522.84
3	PGIMSR Andheri	551.00	0.00	551.00	601.00	0.00	601.00
4	ESI&PGIMSR Basaidarapur	1251.70	6.60	1258.30	1501.70	7.26	1508.96
5	ESIC MC&PGIMSR Rajajinagar	4900.00	0.00	4900.00	5420.00	0.00	5420.00
6	Gulbarga Medical College	13834.00	1862.00	15696.00	16989.00	2304.00	19293.00
7	Gulbarga Dental College	1317.63	611.00	1928.63	1669.00	150.00	1819.00
8	S. Nagar M.College	4045.00	100.00	4145.00	4829.40	0.00	4829.40
	Total (C)	35643.27	2854.70	38497.97	42188.74	2710.46	44899.20
(D)	New Hospitals						
1	Kota	527.50	80.00	607.50	2757.50	160.00	2917.50
2	Bikaner	929.00	120.00	1049.00	1457.00	200.00	1657.00
3	Maithan	28.00	1.00	29.00	269.00	100.00	369.00
4	Bhopal	880.00	300.00	1180.00	2225.00	500.00	2725.00
5	Tripur	1763.00	1508.00	3271.00	7563.00	603.00	8166.00
6	Bhila, Chhatisgarh	120.00	100.00	220.00	525.00	350.00	875.00
	Total (D)	4247.50	2109.00	6356.50	14796.50	1913.00	16709.50
(E)	Delhi based Hospital						
1	Jhilmil	20908.00	427.00	21335.00	23109.00	427.00	23536.00
2	Okhla	21109.00	550.00	21659.00	21709.00	550.00	22259.00
3	Rohini	25506.00	500.00	26006.00	25710.00	700.00	26410.00
4	D(M)D	35712.00	90.00	35802.00	40475.00	100.00	40575.00
5	Basaidarapur	30575.00	3050.00	33625.00	36020.00	3050.00	39070.00
	Total (E)	133810.00	4617.00	138427.00	147023.00	4827.00	151850.00
	(-) Basaidarapur	103235.00	1567.00	104802.00	111003.00	1777.00	112780.00
	Total (A+B+C+D+E)	583245.24	39553.97	622799.21	668727.77	48963.01	717690.78

NOTE: Above figures do not include amount of Provision for Depreciation and EBRF.

\$ Proposed as Supplementary Estimates.



वित्तीय प्राक्कलन तथा निष्पादन बजट 2024-2025

4.7 राज्य सरकारों को भुगतान

परिशोधित प्राक्कलन 2023-2024 के लिए 527092 लाख रुपये की राशि प्रस्तावित की गई है। इस राशि में (क) परियोजना कार्यान्वयन योजना (पीआईपी) के लिए ₹ 6000 लाख रुपये के भुगतान का प्रावधान (ख) पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान 70 प्रतिशत या इससे अधिक दर्ज अधिभोग वाले क.रा.बी.योजना अस्पतालों को प्रोत्साहन के लिए राज्य सरकार को प्रति बीमाकृत व्यक्ति ₹200.00 की अतिरिक्त राशि तथा (ग) महामारी से लड़ने के लिए सभी राज्य सरकारों को लाभार्थियों के लिए निवारक एवं प्रोत्साहक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए मौजूदा उच्चतम सीमा के अतिरिक्त प्रति वर्ष 20/- रुपये प्रति बीमाकृत व्यक्ति परिवार इकाई का प्रावधान किया है। तदनुसार, 'खातागत नीति' के अंतर्गत परिशोधित प्राक्कलन वर्ष 2023-2024 के लिए उत्तर पूर्वी राज्यों (असम को छोड़कर पर सिक्किम सहित) हेतु ₹ 350 लाख के अतिरिक्त वित्तीय सहायता सहित, राज्य क.रा.बी. योजना/ सोसायटी हेतु ₹ 527092 लाख का आवंटन किया गया।

4.8 अति विशिष्टता उपचार

परिशोधित प्राक्कलन 2023-2024 में टाई-अप अस्पताल के नेटवर्क और क.रा.बी.निगम द्वारा सीधे संचालित अस्पतालों के माध्यम से अति विशिष्टता उपचार के लिए 199035 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है।

(ख) नकद हितलाभ

5.1 परिशोधित प्राक्कलन 2023-2024 में नकद हितलाभ के लिए कुल प्रावधान 254060 लाख रुपये हैं जो अंशदान आय का 12 प्रतिशत है। इसमें परिशोधित प्राक्कलन 2022-2023 के लिए बीमांकन मूल्यांकन पर आधारित स्थायी निःशक्तता निधि में 61500 लाख रुपये, आश्रितजन हितलाभ निधि में 72900 लाख रुपये और क.रा.बी.निगम कोविड -19 राहत योजना निधि में ₹ 8000 लाख किया गया है। यह भी उल्लेख किया जाता है कि दिसंबर, 2022 तक केवल स्थायी निःशक्तता हितलाभ (पीडीबी) और आश्रितजन हितलाभ (डीबी) के बकाया भुगतान की भरपाई के लिए ₹ 8659 लाख और ₹ 7376 लाख का प्राक्कलित अतिरिक्त वित्तीय प्रभाव परिशोधित प्राक्कलन वर्ष 2023-2024 से संबंधित आरक्षित निधि (रिज़र्व फंड) के लिए भुगतान के प्रक्षेपण में प्रदान किया गया है।

5.2 प्रतिवर्ष प्रति कर्मचारी हितलाभ दिनों की औसत संख्या और बीमारी हितलाभ और अस्थायी निःशक्तता हितलाभ की प्रति कर्मचारी औसत दैनिक दर राशि नीचे दर्शाई गई है :-

	वर्ष	बीमारी हितलाभ	अस्थायी निःशक्तता हितलाभ
(क) प्रतिवर्ष प्रति कर्मचारी हितलाभ दिनों की औसत संख्या (दिनों की संख्या में)	2005-2006	1.34	0.38
	2006-2007	1.12	0.32
	2007-2008	0.98	0.30
	2008-2009	0.94	0.23
	2009-2010	0.85	0.21
	2010-2011	0.55	0.21
	2011-2012	0.53	0.21
	2012-2013	0.57	0.20
	2013-2014	0.47	0.20
	2014-2015	0.45	0.21



FINANCIAL ESTIMATES AND PERFORMANCE BUDGET 2024-2025

4.7 PAYMENT TO STATE GOVTS.

A sum of ₹ 527092 Lakhs has been proposed for Revised Estimate 2023-2024. This includes (a) provision for payment towards Project implementation Plan (PIP) of ₹ 6000 Lakhs, (b) additional amount of ₹ 200.00 per IP to the State Government towards incentive for ESIS hospitals having registered occupancy of 70 percent or more during last financial year and (c) provision of ₹ 20/- per IP family unit per annum to all State Governments over & above the existing ceiling has been made for providing preventive and promotive health services to the beneficiaries so as to fight with the pandemic. Accordingly, under the 'On Account Policy' an allocation of ₹ 527092 Lakh has been made towards State ESI Scheme/Society, including an AFA of ₹ 350 Lakh for North Eastern States (including Sikkim except Assam), for Revised Estimates 2023-2024.

4.8 SUPER SPECIALITY TREATMENT

A provision of ₹ 199035 Lakhs has been made in the Revised Estimates 2023-2024 for Super speciality Treatment through tie-up hospital network and by the hospitals run by ESIC directly.

(B) CASH BENEFITS:

5.1 The total provision for Cash Benefits for Revised Estimates 2023-24 is ₹ 254060 Lakhs which is 12 percent of contribution income. This includes a provision of ₹ 61500 Lakhs in the Permanent Disablement Fund, ₹ 72900 Lakhs in the Dependent Benefit Fund and ₹ 8000 Lakhs in ESIC COVID-19 Relief Scheme Fund for Revised Estimates 2023-2024 based on actuarial valuation. It is also mentioned that the estimated additional financial impact of ₹ 8659 Lakh and ₹ 7376 Lakh to offset the arrear payment of PDB & DB respectively only up to December, 2022 has been provided in projection of pay-out for respective Reserve Funds in Revised Estimates 2023-24.

5.2 The average number of benefit days per annum per employee and the average amount of daily rate of sickness benefit and temporary disablement benefit per employee have been shown below: -

	Year	Sickness Benefit	Temporary Disablement Benefit
a) Average number of Benefit days per annum per employee (in no. of days)	2005-2006	1.34	0.38
	2006-2007	1.12	0.32
	2007-2008	0.98	0.30
	2008-2009	0.94	0.23
	2009-2010	0.85	0.21
	2010-2011	0.55	0.21
	2011-2012	0.53	0.21
	2012-2013	0.57	0.20
	2013-2014	0.47	0.20



वित्तीय प्राक्कलन तथा निष्पादन बजट 2024-2025

	वर्ष	बीमारी हितलाभ	अस्थायी निःशक्तता हितलाभ
	2015-2016	0.37	0.17
	2016-2017	0.33	0.14
	2017-2018	0.29	0.10
	2018-2019	0.28	0.09
	2019-2020	0.27	0.08
	2020-2021	0.21	0.08
	2021-2022	0.27	0.11
	2022-2023	0.26	0.10
(ख) प्रतिदिन प्रति कर्मचारी औसत हितलाभ दर (रुपये में)	2005-2006	83.11	95.21
	2006-2007	84.08	99.65
	2007-2008	96.98	99.63
	2008-2009	121.12	124.57
	2009-2010	126.80	134.10
	2010-2011	136.37	154.86
	2011-2012	160.82	177.01
	2012-2013	159.42	219.51
	2013-2014	194.25	237.52
	2014-2015	217.91	264.45
	2015-2016	261.72	287.39
	2016-2017	251.43	300.42
	2017-2018	260.19	307.36
	2018-2019	301.41	337.02
	2019-2020	316.67	365.76
	2020-2021	331.33	391.20
	2021-2022	343.98	401.49
	2022-2023	358.83	372.42

बीमारी हितलाभ और अस्थायी निःशक्तता हितलाभ के संबंध में बनाए गए प्रावधान उपर्युक्त को संज्ञान में लेते हैं।

5.3 राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना

परिशोधित प्राक्कलन 2023-2024 के लिए रु. 950 लाख रुपये की राशि का उपबंध करता है।

5.4 अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना

परिशोधित प्राक्कलन 2023-2024 में रु. 150 लाख रुपये की राशि का उपबंध किया जा रहा है।

5.4 क.रा.बी. निगम कोविड-19 राहत योजना

- 5.4.1 वर्ष हेतु अनुपूरक बजट प्राक्कलन के रूप में क.रा.बी. निगम कोविड-19 राहत योजना निधि में रु. 8000 लाख रुपये की राशि का प्रावधान किया गया है। इस निधि से वास्तविक पे-आउट को संबंधित आरक्षित निधि खाता के तहत अनुमानित किया गया है।



FINANCIAL ESTIMATES AND PERFORMANCE BUDGET 2024-2025

	Year	Sickness Benefit	Temporary Disablement Benefit
	2014-2015	0.45	0.21
	2015-2016	0.11	0.17
	2016-2017	0.33	0.10
	2017-2018	0.29	0.09
	2018-2019	0.28	0.08
	2019-2020	0.27	0.08
	2020-2021	0.21	0.11
	2021-2022	0.27	0.10
	2022-2023	0.26	
b) Average benefit rate per day per employee (In ₹)	2005-2006	83.11	95.21
	2006-2007	84.08	99.65
	2007-2008	96.98	99.63
	2008-2009	121.12	124.57
	2009-2010	126.80	134.10
	2010-2011	136.37	154.86
	2011-2012	160.82	177.01
	2012-2013	159.42	219.51
	2013-2014	194.25	237.52
	2014-2015	217.91	264.45
	2015-2016	261.72	287.39
	2016-2017	251.43	300.42
	2017-2018	260.19	307.36
	2018-2019	301.41	337.02
	2019-2020	316.67	365.76
	2020-2021	331.33	391.20
	2021-2022	343.98	401.49
	2022-2023	358.83	372.42

The provisions made in respect of sickness benefit and temporary disablement benefit takes the above into account.

5.3 RAJIV GANDHI SHRAMIK KALYAN YOJNA

The Revised Estimates for 2023-2024 provides for a sum of ₹950 Lakhs.

5.4 ATAL BEEMIT VYAKTI KALYAN YOJANA

An amount of ₹150 Lakhs is being provided in Revised Estimates 2023-2024.

5.4 ESIC COVID-19 RELIEF SCHEME

- 5.4.1** An amount ₹8000 Lakhs in ESIC COVID-19 Relief Scheme Fund have been provided as Supplementary budget Estimates for the year. Actual pay-outs from this fund have been estimated under the respective reserve fund account.



वित्तीय प्राक्कलन तथा निष्पादन बजट 2024-2025

ग. अन्य हितलाभ

6.1 चिकित्सा बोर्ड, न्यायाधिकरण को किए गए शुल्क के भुगतान, चिकित्सा बोर्ड के समक्ष प्रस्तुति के लिए बीमाकृत व्यक्तियों द्वारा यात्रा पर किए गए खर्च की प्रतिपूर्ति, चिकित्सा बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत होने के लिए बीमाकृत व्यक्ति को मजदूरी में हुई हानि के लिए देय रकम इत्यादि जैसे विविध मदों के खर्च के लिए परिशोधित प्राक्कलन 2023-2024 में ₹ 232 लाख का प्रावधान किया गया है। इस प्रावधान में जीवन प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने हेतु यात्रा व्यय का भुगतान करने के लिए प्रति लाभार्थी ₹100/- का खर्च भी शामिल है।

घ. प्रशासनिक व्यय

7.1 पूर्व के अनुमानित ₹ 283308 लाख की तुलना में वर्ष 2023-2024 के लिए प्रशासन पर कुल ₹ 228752 लाख का व्यय अनुमानित है। वर्ष 2023-2024 में प्रशासनिक लागत के रूप में कुल लागत राजस्व की 8 प्रतिशत आँकी गई है।

7.2 स्थापना व्यय (ई.बी.आर.एफ. सहित)

पूर्व के अनुमानित ₹ 206158 लाख की तुलना में वर्ष 2023-2024 के लिए स्थापना व्यय पर कुल व्यय ₹ 149788 लाख अनुमानित है।

7.3 अन्य प्रशासनिक व्यय

पूर्व के बजट प्राक्कलन में ₹ 77150 लाख की तुलना में वर्ष 2023-2024 के परिशोधित प्राक्कलन में ₹ 78964 लाख की व्यवस्था की गई है।

7.4 आकस्मिक आरक्षित निधि

परिशोधित प्राक्कलन में कोई प्रावधान नहीं किया गया है क्योंकि निधि उच्चतम सीमा तक पहुंच गई है।

7.5 पूंजीगत निर्माण निधि

इस शीर्ष में कोई प्रावधान नहीं किया गया है और शेष राशि ₹ 572512 लाख (31 मार्च 2023 तक) है। इसकी आवधिक समीक्षा की जायेगी। प्राक्कलित कार्यों के विवरण संलग्नक -III पर है।

पूंजीगत लेखा पर व्यय

8.1 वर्ष 2023-2024 के परिशोधित प्राक्कलन में पूंजीगत निर्माण आरक्षित निधि से पूरी की जाने वाली परियोजनाओं की प्रगति पर विचार करते हुए निर्माण कार्यों पर ₹149430 लाख (कार्यालय भवनों तथा स्टाफ क्वार्टरों के निर्माण के लिए ₹ 3793 लाख, अस्पतालों, औषधालयों और स्टाफ क्वार्टरों के लिए ₹ 135244 लाख तथा चिकित्सा शिक्षा परियोजनाओं के निर्माण के लिए ₹ 10393 लाख का व्यय अनुमानित किया गया है। अनुमानित कार्यों का विवरण परिशिष्ट-III पर है।

8.2 वर्ष 2023-2024 के परिशोधित प्राक्कलन में, गैर परियोजना पूंजीगत व्यय पर ₹52097 लाख का व्यय प्राक्कलित किया गया है, जिसमें उपस्कर (कार्यालय और चिकित्सा उपस्कर, दोनों) के लिए ₹ 42090 लाख का बड़ा व्यय सम्मिलित है।



C. OTHER BENEFITS

- 6.1** A provision of ₹ 232 Lakhs has been made in Revised Estimate 2023-2024 to cover expenses on miscellaneous items like fees paid to Medical Boards, Tribunals, reimbursement to IPs for expenditure on conveyance for appearing before Medical Board, payment towards loss of wages to the insured persons for appearing before the Medical Boards, etc. The provision also includes payment of travelling expenditure of ₹ 100 per beneficiary for submitting Life Certificate.

D. ADMINISTRATIVE EXPENSES

- 7.1** The total expenditure on Administration for the year 2023-2024 is projected as ₹ 228752 Lakhs against ₹ 283308 Lakhs estimated earlier. The Administrative Cost as a percentage of total Revenue works out to 8 percent for the year 2023-2024.

7.2 ESTABLISHMENT EXPENSES (Including EBRF)

The total expenditure on Establishment expenses for the year 2023-2024 is projected as ₹ 149788 Lakhs against ₹ 206158 Lakhs estimated earlier.

7.3 OTHER ADMINISTRATIVE EXPENSES

A provision of ₹ 78964 Lakhs has been made in the Revised Estimates 2023-2024 as against ₹ 77150 Lakhs in the Budget Estimates earlier.

7.4 CONTINGENCY RESERVE FUND

No provision has been made in the Revised Estimates as the fund has reached the ceiling.

7.5 CAPITAL CONSTRUCTION FUND

No provisions have been made under this head and the balance is ₹ 572512 Lakhs (as on 31st March 2023). This will be reviewed periodically. The details of estimated works are at Appendix-III.

EXPENDITURE ON CAPITAL ACCOUNT

- 8.1** In the Revised Estimates for 2023-2024, the expenditure on construction works has been estimated at ₹ 149430 Lakhs ₹ 3793 Lakhs for construction of office buildings and Staff quarters, ₹ 135244 Lakhs for construction of hospitals, dispensaries and staff quarters and ₹ 10393 Lakhs for construction of medical education projects), considering the progress of Projects undertaken. The details of estimated works are at Appendix-III.

- 8.2** In the Revised Estimates for 2023-2024, the expenditure on Non-Project Capital Expenditure has been estimated at ₹ 52097 Lakhs (This includes major expenditure of ₹ 42090 Lakhs for Equipment (both Office & Medical equipment).



वित्तीय प्राक्कलन तथा निष्पादन बजट 2024-2025

व्यय से आय का आधिक्य

- 9.1 परिशोधित प्राक्कलन के अनुसार, पूर्व के प्राक्कलित ₹ 705914 लाख की तुलना में व्यय से अधिक आय के लिए इस वर्ष ₹ 950188 लाख प्राक्कलित किया गया है।
- 9.2 निगम का एक सेवा संगठन होने के नाते, इसके संचालन में लाभ का कोई तत्व नहीं है अतः आयकर अधिनियम की धारा 10(25) (क) के अंतर्गत निगम द्वारा क.रा.बी. निधि को आयकर के भुगतान से विशेष छूट दी गई है।

लिंग और बाल बजट

- 10 परिशोधित प्राक्कलन 2023-2024 में कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अंतर्गत सभी बजट शीर्षों में से, महिलाओं के लिए ₹ 891600 लाख (इसमें बालिकाओं के लिए ₹783700 लाख सहित) के बजट का प्रावधान किया गया है।

महिलाओं के लिए मुख्य शीर्षवार महिला बजट प्रावधान का विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.सं.	योजना का विवरण/बजट शीर्ष	परिशोधित प्राक्कलन 2023-24 (₹ लाख में)
महिलाओं हेतु 100% प्रावधान		
1.	मातृत्व हितलाभ योजना	46500.00
2.	बीमाकृत महिलाओं तथा बीमाकृतों की पत्नियों के लिए प्रसूति भत्ता	600.00
महिलाओं हेतु (न्यूनतम 30% का प्रावधान)		
3.	चिकित्सा हितलाभ योजना	807300.00
4.	नकद हितलाभ योजना (मातृत्व हितलाभ योजना के अतिरिक्त)	37300.00
	कुल	891600.00



FINANCIAL ESTIMATES AND PERFORMANCE BUDGET 2024-2025

EXCESS OF INCOME OVER EXPENDITURE

- 9.1** As per the Revised Estimates, the excess of income over expenditure is estimated at ₹ 950188 Lakhs as compared to earlier estimates of ₹ 705914 Lakhs.
- 9.2** The Corporation being a service organization, there is no element of profit in its operations and therefore, specific exemption under Sec 10 (25) (A) of Income Tax Act is granted for Employees State Insurance Fund from payment of income tax by Corporation.

GENDER AND CHILD BUDGET

- 10.** Across all budget heads under ESI Scheme. An approximate budget provision for Women has been worked out at ₹ 891600 Lakhs (including budget provision for female child at ₹ 783700 Lakhs) in the Revised Estimates 2023-2024.

Major head wise Gender Budget provision for Women as detailed give below:

Sl. No.	Details of Scheme / Budget Head	Revised Estimates 2023-24 (₹ in Lakhs)
	<u>100% provision towards women</u>	
1.	Maternity Benefit Scheme	46500.00
2.	Confinement Allowance to Insured Women & Wives of IPs	600.00
	<u>Pro-women (at least 30% of provision)</u>	
3.	Medical Benefit Scheme	807300.00
4.	Cash Benefit Scheme (other than Maternity Benefit Scheme)	37300.00
	Total	891600.00



वित्तीय प्राक्कलन तथा निष्पादन बजट 2024-2025

वर्ष 2024-2025 के लिए बजट प्राक्कलन

I. प्राप्तियाँ

वित्तीय वर्ष 2024-2025 के लिए निगम का अनुमानित राजस्व ₹ 3130470 लाख है, जबकि परिशोधित प्राक्कलन वर्ष 2023-2024 में ₹ 2863771 लाख दर्शाया गया है।

अंशदान

- 11.1 जैसा कि पूर्व में स्पष्ट किया जा चुका है कि 6.5% की अंशदान दर को घटाकर 4% किये जाने के कारण वर्ष 2024-2025 के लिए अंशदान से आय ₹ 2296800 लाख प्राक्कलित की गई है, जबकि परिशोधित प्राक्कलन 2023-2024 के लिए यह ₹ 2088000 लाख है। इस वृद्धि (प्रोजेक्शन) में (क) कार्यान्वयन कार्यक्रम (परिशिष्ट-1) के अनुसार नए क्षेत्रों में 2024-2025 के दौरान लगभग 33.35 लाख कर्मचारियों की अतिरिक्त व्याप्ति और (ख) अंशदान आय के रुझान को भी ध्यान में रखा गया है। वर्ष 2024-2025 में कर्मचारियों की भारत औसत संख्या 367 लाख अनुमानित है।

तालिका में 2019-2020 से प्रतिव्यक्ति अंशदान आय दिखाई गई है :-

2019-2020 वास्तविक	2020-2021 वास्तविक	2021-2022 वास्तविक	2022-2023 वास्तविक	2023-2024 परिशोधित प्राक्कलन	2024-2025 बजट प्राक्कलन
₹ 5370*	₹ 4956	₹ 5828	₹ 5959	₹ 6523	₹ 6545

*यह आंकड़े वर्ष 2018 से 2019 तक अंशदान आय दर 6.5 प्रतिशत से घटाकर 4 प्रतिशत करने और वर्ष 2020-2021 में महामारी के प्रभाव के कारण कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि के कारण प्रतिव्यक्ति आय की घटी हुई राशि दर्शाते हैं।

ब्याज

- 11.2 बजट प्राक्कलन में प्राक्कलित तथा दर्शाए गए ब्याज आंकड़े सामान्य आरक्षित निधि, आकस्मिकता आरक्षित निधि और पूंजीगत निर्माण आरक्षित निधि के निवेश पर उद्ग्रहण किया गया ब्याज से संबंधित हैं। उद्दिष्ट आरक्षित निधि खाते पर प्रोद्भूत ब्याज संबंधित निधि खाते में जमा कर दिया है। निवेश पर ब्याज की दर में तेजी से गिरावट आई है; अतः निवेश योग्य अधिशेष में वृद्धि के बावजूद कुल ब्याज आय में निवेश के अनुरूप वृद्धि नहीं हुई। पोर्टफोलियो प्रबंधन प्रणाली के संचालन उपरांत निवेश में विविधता के प्रभाव वर्ष 2024-2025 से परिलक्षित होंगे। कुल प्राक्कलित ब्याज तथा उसका विनियोजन निम्न प्रकार है :-

(₹ लाख में)

	बजट प्राक्कलन (2024-2025)
गैर उद्दिष्ट आरक्षित निधि पर ब्याज	791134
उद्दिष्ट आरक्षित निधि पर ब्याज	260906
कुल	1052040



FINANCIAL ESTIMATES AND PERFORMANCE BUDGET 2024-2025

BUDGET ESTIMATES FOR THE YEAR 2024-2025

I. RECEIPTS

The revenue of the Corporation for the financial year 2024-2025 is estimated at ₹3130470 Lakhs as against ₹2863771 Lakhs shown in Revised Estimates 2023-2024.

CONTRIBUTIONS

- 11.1** For reasons of reduction in rate of contributions from 6.5 percent to 4 percent as explained earlier, income from Contributions for the year 2024-2025 has been estimated at ₹2296800 Lakhs as against ₹2088000 Lakhs in the Revised Estimates 2023-2024. This projection has also taken into the account (a) anticipated additional coverage of about 33.35 lakhs employees during 2024-2025 in new areas as per the implementation programme (Appendix-I) and (b) the trends of contribution income. The weighted average number of employees in 2024-2025 is estimated at 367 lakhs.

The table shows the per capita income from contribution since 2019-2020:

<u>2019-2020</u>	<u>2020-2021</u>	<u>2021-2022</u>	<u>2022-2023</u>	<u>2023-2024</u>	<u>2024-2025</u>
<u>Actuals</u>	<u>Actuals</u>	<u>Actuals</u>	<u>Actuals</u>	<u>RE</u>	<u>BE</u>
5370*	4956	₹5828	5959	6523	6545

* The figures reflect reduced amount of per capita income due to increase number of employees from 2018 to 2019 on account of reduction in rate of contribution from 6.5 percent to 4 percent and effect of Pandemic in 2020-21.

INTEREST

- 11.2** The interest figures estimated and shown in the BE is pertaining to interest received on investment of General Reserve Fund, Contingency Reserve Fund and Capital Construction Reserve Fund. The interest accrued on earmarked reserved fund account is credited to the respective fund account. Rate of interest on investment has sharply declined; hence in spite of increase in investible surplus total interest income has not increased in line with investments. The impact of diversification in investment after operationalization of Portfolio Management System will be visible from the year 2024-2025. The total estimated interest and its appropriation is as follows: -

(₹ in Lakhs)	
	BE (2024-2025)
Interest on Non-earmarked Reserve Fund	791134
Interest on Earmarked Reserve Fund	260906
Total	1052040



वित्तीय प्राक्कलन तथा निष्पादन बजट 2024-2025

क्षतिपूर्ति

- 11.3 बजट प्राक्कलन वर्ष 2024-2025 में कोई प्रावधान नहीं किया गया है।
अस्पताल/औषधालय भवनों का किराया
 11.4 निगम द्वारा निर्मित और स्वामित्व वाले अस्पताल और औषधालय भवनों और कार्यालय भवनों और स्टाफ क्वार्टरों के संबंध में किराया ₹ 24786.00 लाख प्राक्कलित किया गया है।
शुल्क, जुर्माने तथा ज़ब्तियाँ
 11.5 बजट प्राक्कलन वर्ष 2024-2025 में ₹ 6150 लाख की राशि का प्रावधान किया गया है।
चिकित्सा शिक्षा प्राप्तियाँ
 11.6 बजट प्राक्कलन वर्ष 2024-2025 में ₹ 7100 लाख की राशि का प्रावधान किया गया है।

विविध प्राप्तियाँ

- 11.7 बजट प्राक्कलन वर्ष 2024-2025 में ₹ 4500 लाख की राशि का प्रावधान किया गया है।

II व्यय

वर्ष 2023-2024 के लिए ₹ 1913583 लाख के परिशोधित प्राक्कलन की तुलना में राजस्व लेखाओं में वर्ष 2024-2025 के लिए बजट प्राक्कलन में कुल व्यय ₹ 2152822 लाख है। प्रावधानों में ₹ 239239 लाख तक की वृद्धि मुख्यतः आरक्षित निधियों के प्रावधानों के कारण है जिसकी निम्नलिखित अनुच्छेद में व्याख्या की गई है।

क. चिकित्सा हितलाभ

- 12.1 चिकित्सा हितलाभों पर व्यय के लिए कुल ₹ 1638029 लाख का प्रावधान किया गया है। उच्चतर प्रावधानों में कार्यान्वयन कार्यक्रम के अंतर्गत 33.35 लाख कर्मचारियों की अनुमानित अतिरिक्त व्याप्ति शामिल है। किए गए प्रावधानों के ब्यौरों की व्याख्या निम्नानुसार इस प्रकार की गई है :-

		(₹ लाख में)
क.रा.बी. निगम		579965.00
राज्य सरकारों को देय		
II) क.रा.बी. निगम द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किए जाने वाले व्यय :		
क)	व्यावसायिक रोग केन्द्रों वाले अस्पताल/आदर्श अस्पताल/अन्य अस्पताल/औषधालय	623040.00
ख)	अति विशिष्टता उपचार पर व्यय	225425.00
ग)	बीमाकृत महिलाओं तथा बीमाकृत व्यक्तियों की पत्नियों को प्रसूति भत्ता	620.00
घ)	अस्पताल एवं औषधालय के मूल्यहास संबंधी प्रावधान	56419.00
ङ)	मरम्मत एवं रखरखाव (अस्पताल एवं औषधालय)	55448.00
च)	भाड़ा, दरें एवं कर	4000.00
छ)	चिकित्सा शिक्षा संस्थाओं पर व्यय	86520.00
ज)	आशोधित नियोक्ता उपयोगन औषधालय (एम-ईयूडी)/एम-आईएमपी पर व्यय	1130.00
झ)	स्वच्छता कार्य योजना(एसएपी)पर व्यय	62.00
ञ)	आयुष्मान भारत के अंतर्गत व्यय	200.00
ट)	औषधालय-सह-शाखा कार्यालय (डी.सी.बी.ओ.)	5200.00
कुल :		1638029.00

* पूर्वोत्तर राज्यों (असम को छोड़कर सिक्किम सहित) के लिए ₹ 400 लाख का अतिरिक्त वित्तीय सहायता शामिल है।



FINANCIAL ESTIMATES AND PERFORMANCE BUDGET 2024-2025

COMPENSATION

11.3 No provision has been made in Budget Estimates 2024-2025.

RENT OF HOSPITAL/DISPENSARY BUILDINGS

11.4 Rent in respect of hospital and dispensary buildings constructed and owned by the Corporation and Office buildings and staff quarters amounting to ₹24786.00 Lakhs has been estimated.

FEES, FINES & FORFEITURES

11.5 An amount of ₹6150 Lakhs has been made in the Budget Estimates 2024-2025.

MEDICAL EDUCATION RECEIPTS

11.6 An amount of ₹7100 Lakhs has been made in the Budget Estimates 2024-2025.

MISCELLANEOUS RECEIPTS

11.7 An amount of ₹4500 Lakhs has been made in the Budget Estimates 2024-2025.

II. EXPENDITURE

Total expenditure in the Budget Estimates for 2024-2025 in the Revenue account is ₹2152822 Lakhs as against the Revised Estimates of ₹1913583 Lakhs for 2023-2024. The increase in provisions to an extent of ₹239239 Lakhs is mainly due to provisions towards reserve funds explained in the following paragraphs.

A. MEDICAL BENEFIT

12.1.1 A total provision of ₹1638029 Lakhs has been made towards Medical Benefits expenditure. The higher provisions include anticipated additional coverage of 33.35 lakh employees under the implementation programme. The details of the provisions made are explained here under:-

		(₹ In Lakhs)
E.S.I.C		579965.00
Payable to State Governments *		
II) Expenditure to be incurred directly by the E.S.I.C in:		0
a)	Hospital with ODCs/ Model Hospital/ Other Hospitals/dispensaries	623040.00
b)	Expenditure on Super Specialty Treatment	225425.00
c)	Confinement allowance to Insured Women & Wives of IPs	620.00
d)	Depreciation provision of Hospital & Dispensary	56419.00
e)	Repairs & Maintenance (Hospitals & Dispensary)	55448.00
f)	Rent, Rates & Taxes	4000.00
g)	Expenditure on Medical Education Institutions	86520.00
h)	Expenditure on Modified Employer Utility Dispensary (m-EUD)/m-IMP	1130.00
i)	Expenditure on Swachhata Action Plan(SAP)	62.00
j)	Expenditure under Ayushman Bharat	200.00
k)	DCBO	5200.00
TOTAL:		1638029.00

* Includes an AFA of ₹400 Lakh for North Eastern States (including Sikkim except Assam).



वित्तीय प्राक्कलन तथा निष्पादन बजट 2024-2025

- 12.2 वर्ष 2019-2020 से प्रति कर्मचारी प्रतिवर्ष चिकित्सा देखरेख पर निगम के व्यय के अंश की औसत अनुमानित लागत निम्नानुसार है :-

(₹)

2019-2020 वास्तविक	2020-2021 वास्तविक	2021-2022 वास्तविक	2022-2023 वास्तविक	2023-2024 परिशोधित प्राक्कलन	2024-2025 बजट प्राक्कलन
3,004.20	3425.88	4161.96	3972.38	4468.90	4668.01

*कर्मचारियों की भारत औसत संख्या के अनुसार परिकलित।

- 12.3 पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान 70 प्रतिशत या उससे अधिक दर्ज अधिभोग वाले क.रा.बी.योजना अस्पतालों के लिए राज्य सरकार को प्रति बीमाकृत व्यक्ति ₹ 200.00 की अतिरिक्त राशि के भुगतान का प्रावधान किया गया है।

ख. नकद हितलाभ

13. वर्ष 2023-2024 के परिशोधित प्राक्कलन तथा जिलावार व्याप्ति के कारण 29.38 लाख कर्मचारियों की संभावित अतिरिक्त व्याप्ति को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2024-2025 के दौरान नकद हितलाभों पर ₹ 256680 लाख के व्यय का अनुमान है।

अन्य हितलाभ

- 14 ₹ 290 लाख के प्रावधान में विविध मदों पर हुए खर्च यथा-चिकित्सा बोर्डों, अधिकरणों को अदा किए गए शुल्क, चिकित्सा बोर्ड के समक्ष उपस्थित होने के लिए सवारी खर्च हेतु बीमाकृत व्यक्तियों को प्रतिपूर्ति, चिकित्सा बोर्ड के समक्ष उपस्थित होने पर बीमाकृत व्यक्तियों को मजदूरी में हुई हानि के लिए भुगतान आदि सम्मिलित हैं। इस प्रावधान में जीवन प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के लिए ₹ 100/- प्रति हितलाभार्थी यात्रा खर्च का भुगतान भी शामिल है।

प्रतिव्यक्ति व्यय

15. प्रति कर्मचारी प्रतिवर्ष नकद हितलाभों की विभिन्न श्रेणियों की औसत अनुमानित लागत नीचे दर्शायी गई है:

(₹ में)

क्र.सं.	हितलाभ	2019- 2020 वास्तविक	2020-2021 वास्तविक	2021-2022 वास्तविक	2022-2023 वास्तविक	2023-2024 परिशोधित प्राक्कलन	2024-2025 बजट प्राक्कलन
i)	बीमारी हितलाभ	127.30	104.21	141.33	145.66	134.52	131.29
ii)	विस्तारित बीमारी हितलाभ	17.44	17.84	22.15	22.40	20.93	20.43
iii)	मातृत्व हितलाभ	123.02	140.20	142.72	143.13	145.26	141.80
iv)	अस्थायी निःशक्तता हितलाभ	29.79	29.71	44.65	38.20	34.99	34.14
v)	स्थायीनिःशक्तता हितलाभ (पूजीकृत मूल्य)	161.12	664.83	-	222.09	192.12	167.00
vi)	आश्रितजन हितलाभ (पूजीकृत मूल्य)	129.40	0.00	1299.80	108.19	227.73	202.33
Vii)	अन्त्येष्टि खर्च	7.63	9.99	15.87	10.66	9.68	9.46
viii)	राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना	3.05	4.73	8.54	5.25	2.97	2.91
ix)	अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना	0.01	21.27	8.58	2.07	0.47	0.46
x)	क.रा.बी.निगम कोविड-19 राहत योजना	लागू नहीं	लागू नहीं	190.98	262.84	24.99	21.66
xi)	अन्य हितलाभ	0.68	1.22	1.03	0.86	0.72	0.83
	कुल	599.44	994.01	1875.66	961.29	794.39	732.31

* कर्मचारियों की भारत औसत संख्या के अनुसार परिकलित।



FINANCIAL ESTIMATES AND PERFORMANCE BUDGET 2024-2025

- 12.2** The average approximate cost of Corporations' shares of expenditure on medical care per capita per annum since 2019-20 is as under:

(₹)

2019-2020 Actual	2020-2021 Actual	2021-2022 Actual	2022-2023 Actual	2023-2024 RE	2024-2025 BE
3,004.20	3425.88	4161.96	3972.38	4468.90	4668.01

* Calculated as per weighted average number of employees.

- 12.3** Provision has been provided for payment of additional amount of ₹ 200.00 per IP to the State Government of the ESIS hospitals registered occupancy of 70 percent or more during last financial year.

B. CASH BENEFITS

- 13** Expenditure on Cash Benefits during 2024-2025 is estimated at ₹ 256680 Lakhs keeping in view the Revised Estimates 2023-2024 and the likely additional coverage of 29.38 lakhs employees on account of district wise coverage.

OTHER BENEFITS

- 14** A provision of ₹ 290 Lakhs covers expenses on miscellaneous items like fees paid to Medical Boards, Tribunals, reimbursement to IPs for expenditure on conveyance for appearing before Medical Board, payment towards loss of wages to the insured persons for appearing before the Medical Boards, etc. The provision also includes payment of travelling expenditure of ₹ 100 per beneficiary for submitting Life Certificate.

EXPENDITURE PER CAPITA.

- 15** The average approximate cost of various categories of Cash Benefits per capita per annum works out as below:

(₹)

Sl. No	BENEFIT	2019-20 Actuals	2020-21 Actuals	2021-22 Actuals	2022-23 Actuals	2023-24 RE	2024-25 BE
i)	Sickness Benefit	127.30	104.21	141.33	145.66	134.52	131.29
ii)	Extended sickness Benefit	17.44	17.84	22.15	22.40	20.93	20.43
iii)	Maternity Benefit	123.02	140.20	142.72	143.13	145.26	141.80
iv)	Temporary Disablement Benefit	29.79	29.71	44.65	38.20	34.99	34.14
v)	Permanent Dis. Benefit (Capitalised value)	161.12	664.83	-	222.09	192.12	167.00
vi)	Dependants' Benefit (Capitalised value)	129.40	0.00	1299.80	108.19	227.73	202.33
Vii)	Funeral Expenses	7.63	9.99	15.87	10.66	9.68	9.46
viii)	Rajiv Gandhi Shramik Kalyan Yojna	3.05	4.73	8.54	5.25	2.97	2.91
ix)	Atal Bimit Vyakti Kalyan Yojna	0.01	21.27	8.58	2.07	0.47	0.46
x)	ESIC Covid -19 Relief Scheme	--NA--	NA	190.98	262.84	24.99	21.66
xi)	Other Benefits	0.68	1.22	1.03	0.86	0.72	0.83
	Total	599.44	994.01	1875.66	961.29	794.39	732.31

* Calculated as per weighted average number of employees



वित्तीय प्राक्कलन तथा निष्पादन बजट 2024-2025

16 अंशदान से आय की प्रतिशतता के अनुसार हितलाभों पर व्यय निम्नानुसार है :

हितलाभ	2019-2020 वास्तविक	2020-2021 वास्तविक	2021-2022 वास्तविक	2022-2023 वास्तविक	2023-2024 परिशोधित प्राक्कलन	2024-2025 बजट प्राक्कलन
चिकित्सा हितलाभ	55.95 %	69.12%	71%	67%	69%	71%
नकद तथा अन्य हितलाभ	11.16 %	20.06%	32%	16%	12%	11%

*कर्मचारियों की भारत औसत संख्या के अनुसार परिकलित।

ग. प्रशासनिक व्यय :

- 17.1 बजट प्राक्कलन 2024-2025 में प्रशासन पर व्यय के लिए ₹ 257823 लाख का प्रावधान किया गया है। वर्ष 2023-2024 के लिए परिशोधित प्राक्कलन में ₹ 99614 लाख की तुलना में इसमें वेतन एवं भत्तों के निमित्त ₹ 117393 लाख की व्यवस्था की गई है। परिशोधित प्राक्कलन 2023-2024 के आंकड़ों में ₹ 17779 लाख की बढ़ोतरी अपेक्षित भर्तियों, वेतन-वृद्धि के प्रभाव, महंगाई भत्ते में अनुमानित वृद्धि, पदोन्नति, सेवानिवृत्ति, नई पेंशन योजना में क.रा.बी.निगम के अंश के कारण हुई है।
- 17.2 'अन्य प्रशासनिक व्यय' शीर्ष के अंतर्गत ₹ 85337 लाख का प्रावधान वस्तुओं के मूल्य एवं सेवाओं की लागत, भर्ती व्यय, कार्यालय भवन की मरम्मत और रखरखाव में वृद्धि तथा कार्यालय भवन व अन्य सम्पत्तियों में मूल्यहास को ध्यान में रखकर किया गया है।
- 17.3 वर्ष 2024-2025 के लिए कुल राजस्व की प्रतिशतता के अनुसार प्रशासनिक लागत 8% परिकलित की गई है।

घ. महिला तथा बाल बजट

- 18 क.रा.बी.योजना के तहत सभी बजट शीर्षों में बजट प्राक्कलन 2024-2025 में महिलाओं के लिए अनुमानित बजट प्रावधान ₹ 1011900 लाख परिकलित किया गया है। (इसमें बालिकाओं हेतु ₹ 897400 लाख का प्रावधान शामिल है।)

महिलाओं के लिए मुख्य शीर्षवार महिला बजट प्रावधान का विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.सं.	योजना के ब्योरे / बजट शीर्ष	बजट प्राक्कलन 2024 - 2025 (₹ लाख में)
महिलाओं के लिए 100% प्रावधान		
1.	मातृत्व हितलाभ योजना	49800.00
2.	बीमाकृत महिला एवं बीमाकृत व्यक्तियों की पत्नियों को प्रसूति भत्ता	600.00
महिलाओं हेतु (न्यूनतम 30% का प्रावधान)		
3.	चिकित्सा हितलाभ योजना	924400.00
4.	नकद हितलाभ योजना (मातृत्व हितलाभ योजना के अलावा)	37100.00
कुल		1011900.00

ड. पूंजीगत निर्माण एवं आकस्मिकता आरक्षित निधि में योगदान :

- 19 दिनांक 19.02.2019 को आयोजित निगम की 177वीं बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसरण में जैसा ऊपर बताया गया है, पूंजीगत निर्माण आरक्षित निधि में कोई प्रावधान नहीं किया गया। प्राक्कलित कार्यों का विवरण परिशिष्ट III पर दिया गया है।
- 20 आकस्मिकता आरक्षित निधि के संबंध में वर्ष 2023-2024 के बजट प्राक्कलन में कोई प्रावधान नहीं किया गया है क्योंकि उक्त निधि में अतिशेष निर्धारित ₹ 7500 लाख के स्तर पर बना हुआ है।



FINANCIAL ESTIMATES AND PERFORMANCE BUDGET 2024-2025

16 The expenditure on benefits as a percentage of income from contribution is under:

BENEFIT	2019-20 Actuals	2020-21 Actuals	2021-22 Actuals	2022-23 Actuals	2023-24 RE	2024-25 BE
Medical Benefit	55.95 %	69.12%	71%	67%	69%	71%
Cash and Other Benefits	11.16 %	20.06%	32%	16%	12%	11%

* Calculated as per weighted average number of employees

C. ADMINISTRATIVE EXPENSES

17.1 A provision of ₹ 257823 Lakhs has been made for expenses on administration in the Budget Estimates 2024-2025. It includes ₹ 117393 Lakhs towards Pay & Allowances against ₹ 99614 Lakhs in the Revised Estimates for 2023-2024. The increase of ₹ 17779 Lakhs over the figures of Revised Estimates 2023-2024 is due to expected recruitments, impact of increments, projected increase in dearness allowance, promotion, retirement, ESIC's share of New Pension Scheme.

17.2 The provision for ₹ 85337 Lakhs under "Other Administrative Expenses" has been made keeping in view the increase in price of goods and cost of services, Recruitment expenses, Repair & Maintenance of Office building and Depreciation on Office Building & Other Assets.

17.3 The Administrative Cost as a percentage of total Revenue works out to 8 percent for the year 2024-2025.

D. GENDER AND CHILD BUDGET

18 Across all budget heads under ESI Scheme an approximate budget provision for Women has been worked out at ₹ 1011900 Lakhs (including budget provision for female child at ₹ 897400 Lakhs) in the Budget Estimates 2024-2025.

Major head wise Gender Budget provision for Women as detailed give below:

Sl. No.	Details of Scheme / Budget Head	Budget Estimates 2024 - 25 (₹ in Lakhs)
100% provision towards women		
1.	Maternity Benefit Scheme	49800.00
2.	Confinement Allowance to Insured Women & Wives of IPs	600.00
Pro-women (at least 30% of provision)		
3.	Medical Benefit Scheme	924400.00
4.	Cash Benefit Scheme (other than Maternity Benefit Scheme)	37100.00
Total		1011900.00

E. CONTRIBUTION TO CAPITAL CONSTRUCTION & CONTINGENCY RESERVE FUNDS

19 No provision has been made in respect of Capital Construction Reserve Fund in pursuance of decision taken in the 177th meeting of the Corporation held on 19.02.2019 as explained above. The details of estimated works are at Appendix-III.

20 No provision has been made in the Budget Estimates for 2023-2024 in respect of Contingency Reserve Fund as the balance in the Fund continues to remain at the prescribed level of ₹ 7500 Lakhs.



वित्तीय प्राक्कलन तथा निष्पादन बजट 2024-2025

च पूंजीगत लेखा पर व्यय

21.1 बजट प्राक्कलन वर्ष 2024-2025 के लिए पूंजीगत लेखा परिव्यय हेतु विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत अनुमान निम्नानुसार हैं :-

(i)	चिकित्सा संस्थाओं के लिए	₹ 56205.00 लाख
(ii)	अस्पतालों/औषधालयों के लिए	₹ 331090.00 लाख
(iii)	क्षेत्रीय/उप क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए	₹ 10523.00 लाख

21.2 वर्ष 2024-2025 के बजट प्राक्कलन में, गैर-अनुमानित पूंजीगत व्यय पर प्राक्कलित खर्च ₹ 62331.00 लाख रखा गया है, जिसमें कंप्यूटरों के लिए ₹ 8250 लाख और उपकरण (कार्यालय और चिकित्सा उपकरण दोनों) के लिए ₹ 51465 लाख का मुख्य व्यय शामिल है।

छ व्यय से आय का आधिक्य

22 वर्ष 2023-2024 के परिशोधित प्राक्कलन में ₹ 950188 लाख की तुलना में वर्ष 2024-2025 के बजट प्राक्कलन व्यय से आय के आधिक्य में राजस्व लेखा पर ₹ 977648 लाख की अधिक शुद्ध आय प्रत्याशित है।

राजस्व लेखा में प्राप्त एवं व्यय के अलावा वित्तीय विवरण अर्थात् विवरण क-प्राप्तियाँ एवं विवरण ख-व्यय में अन्य लेखा शीर्षों अर्थात् कर्ज जमा, आरक्षित निधियां, पेशगियां, धन प्रेषण एवं नकद शेष आदि के प्राक्कलन भी समाविष्ट हैं। वार्षिक अंशदान एवं संबंधित आरक्षित निधियों में शेष राशियों के निवेश पर जमा ब्याज के द्वारा आरक्षित निधियों से संबंधित प्रावधान प्राप्त भाग में दर्शाए गए हैं। आरक्षित निधियों में पहले से उपलब्ध अतिशेष में जमा या उससे निकासी को वर्ष के दौरान आरक्षित निधि निवेश के विस्तृत शीर्ष में व्यय भाग में दर्शाया गया है। आरक्षित निधियों में पहले से मौजूद बकाया से जमा अथवा आहरण वर्ष के दौरान आरक्षित निधि निवेश के विस्तृत शीर्ष की तुलना में व्यय भाग पर दर्शाया गए हैं।

ज जमा रोकड़ शेष

23 31 मार्च, 2024 और 2025 को बैंकों के पास अंत रोकड़ शेष और नकद शेष ₹ 2500.00 लाख होना प्रत्याशित है। यह प्रत्याशित है कि दिनांक 31.3.2024 और 31.03.2025 तक ₹ 2500.00 लाख की समेकित राशि खाता संख्या 1 (संग्रह खाता) में और खाता संख्या 2 में रहेगी। हालाँकि, जहाँ तक संभव हो साथ में नकदी /बैंक में न्यूनतम तक सीमित रहेगी।

24 परिशिष्ट-II के विवरण दर्शाते हैं :

- क. अंशदानों से प्रतिव्यक्ति आय;
- ख. राजस्व लेखा पर प्रतिव्यक्ति व्यय तथा
- ग. अंशदान आय का अंतर।

टी. एल. यादेन

टी.एल. यादेन

वित्त आयुक्त



FINANCIAL ESTIMATES AND PERFORMANCE BUDGET 2024-2025

F. EXPENDITURE ON CAPITAL ACCOUNT

21.1 The projections made towards Capital Account Outlay for Budget Estimates 2024-2025 under various heads are as follows: -

- | | | |
|-------|----------------------------|-------------------|
| (i) | For Medical Institutions | ₹ 56205.00 Lakhs. |
| (ii) | For Hospitals/Dispensaries | ₹ 331090.00Lakhs |
| (iii) | For ROs/SROs | ₹ 10523.00Lakhs |

21.2 In the Budget Estimates for 2024-2025, the expenditure on Non-Project capital expenditure has been estimated at ₹ 62331.00 Lakhs which includes major expenditure of ₹ 8250.00 Lakhs for Computers and ₹ 51465.00 Lakhs for Equipment (both Office & Medical equipment).

G. EXCESS OF INCOME OVER EXPENDITURE

22 A net excess of ₹ 977648 Lakhs of income over expenditure on revenue account has been anticipated in the Budget Estimates for 2024-2025, as compared to that of ₹ 950188 Lakhs in Revised Estimates for 2023-2024.

Apart from the receipt and expenditure on revenue account, the financial statement, viz. Statement A-Receipts and Statement B-Expenditure also contain the estimates in respect of other heads of account, viz. Debt Deposits, Reserve Funds, Advances, Remittances and Cash balance etc. The provision in respect of reserve funds by way of annual contribution and credit of interest on investment of the balances in the concerned reserve funds are indicated on the receipt side. Addition to or withdrawals from the balance already available in reserve funds have been shown on the expenditure side against the detailed head of Reserve Funds Investment during the year.

H. CLOSING CASH BALANCE

23 The closing cash balance with banks and cash in hand is anticipated at ₹ 2500.00 Lakhs on 31stMarch, 2024 and 2025. It is anticipated that a consolidated amount of ₹ 2500.00 Lakhs may remain in Account No.1 (Collection Accounts) and Account No. 2 as on 31.3.2024 and 31.03.2025. However, the cash in hand/bank will be restricted to the bare minimum as far as feasible.

24. The Statement in Appendix-II shows:

- Per capita income from contributions;
- Per capita expenditure on revenue account and
- Margin in contribution income.

T.L. YADEN
FINANCIAL COMMISSIONER



वित्तीय प्राक्कलन तथा निष्पादन बजट 2024-2025

वर्ष 2023-2024 के लिए परिशोधित प्राक्कलन वर्ष 2024-2025 के लिए बजट प्राक्कलन विवरणी-क प्राप्ति					
	लेखा शीर्ष	वास्तविक 2022-2023	बजट प्राक्कलन 2023-2024	परिशोधित प्राक्कलन 2023-2024	बजट प्राक्कलन 2024-2025
(₹ लाख में)					
	राजस्व के मुख्य शीर्ष				
i.	अंशदान	1740305.00	1914000.00	2088000.00	2296800.00
ii.	चिकित्सा हितलाभ पर राज्य सरकार का अंश जिसे प्रारंभ में निगम द्वारा व्यय किया गया।	0.00	0.00	0.00	0.00
	राजस्व के अन्य शीर्ष				
iii.	ब्याज	674508.00	691791.00	737635.00	791134.00
iv.	किराया, दरें तथा कर				
	(i) निगम के कार्यालय (स्टाफ क्वार्टरों सहित)	299.11	300.00	300.00	300.00
	(ii) अस्पताल तथा औषधालय (स्टाफ क्वार्टरों सहित)	500.14	1300.00	20286.00	24486.00
v.	शुल्क, जुर्माना तथा जब्तियां	5547.93	5200.00	6050.00	6150.00
vi.	चिकित्सा शिक्षा प्राप्तियां	5657.52	4500.00	7000.00	7100.00
vii.	विविध	41517.59	4000.00	4500.00	4500.00
	कुल-राजस्व	2468335.29	2621091.00	2863771.00	3130470.00
	कर्ज, आरक्षित निधियां, जमा, अग्रिम तथा धन प्रेषण				
	साधारण कर्ज , राज्य सरकार (महाराष्ट्र) द्वारा लौटाया गया कर्ज	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल साधारण कर्ज	0.00	0.00	0.00	0.00
	अनिधिक कर्ज				
	क.रा.बी. निगम सामान्य भविष्य निधि				
i.	कर्मचारियों का अभिदान	14569.29	17041.00	13765.00	14000.00
ii.	कर्मचारियों के अभिदान पर ब्याज	8299.60	9392.00	9130.00	9200.00
iii.	कुल अनिधिक कर्ज	22868.89	26433.00	22895.00	23200.00
	आरक्षित निधि :				
क	स्टाफ क्वार्टरों सहित निगम के कार्यालय भवनों का मूल्यहास आरक्षित निधि लेखा				



FINANCIAL ESTIMATES AND PERFORMANCE BUDGET 2024-2025

REVISED ESTIMATES FOR THE YEAR 2023-2024 BUDGET ESTIMATES FOR THE YEAR 2024-2025 STATEMENT-A RECEIPT					
	Head of Account	Actual 2022-2023	Budget Estimates 2023-2024	Revised Estimates 2023-2024	Budget Estimates 2024-2025
(₹ in Lakhs)					
	Principal Heads of Revenue				
i.	CONTRIBUTION	1740305.00	1914000.00	2088000.00	2296800.00
ii.	State Govts. Share towards medical benefit initially incurred by the Corporation	0.00	0.00	0.00	0.00
	Other Heads of Revenue				
iii.	Interest	674508.00	691791.00	737635.00	791134.00
iv.	Rent, Rates & Taxes				
	I. Office of the Corporation (including staff quarters)	299.11	300.00	300.00	300.00
	II. Hospitals & Dispensaries (including staff quarters)	500.14	1300.00	20286.00	24486.00
v.	Fees, Fines & Forfeiture	5547.93	5200.00	6050.00	6150.00
vi.	Medical Education Receipts	5657.52	4500.00	7000.00	7100.00
vii.	Miscellaneous	41517.59	4000.00	4500.00	4500.00
	TOTAL REVENUE	2468335.29	2621091.00	2863771.00	3130470.00
	Debts, Reserve Funds, Deposits, Advances and Remittances				
	Ordinary debt, loans refunded by the State Govt.(Maharashtra)	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ORDINARY DEBT	0.00	0.00	0.00	0.00
	Unfunded Debts ESIC General Provident Fund				
I.	Employees' subscription	14569.29	17041.00	13765.00	14000.00
ii.	Interest on employees' subscription	8299.60	9392.00	9130.00	9200.00
iii.	Total unfunded debts	22868.89	26433.00	22895.00	23200.00
	Reserve Funds:				
A	Depreciation Reserve Fund Account of building for the offices of Corporation including staff quarters.				



वित्तीय प्राक्कलन तथा निष्पादन बजट 2024-2025

वर्ष 2023-2024 के लिए परिशोधित प्राक्कलन वर्ष 2024-2025 के लिए बजट प्राक्कलन विवरणी-क प्राप्ति					
	लेखा शीर्ष	वास्तविक 2022-2023	बजट प्राक्कलन 2023-2024	परिशोधित प्राक्कलन 2023-2024	बजट प्राक्कलन 2024-2025
(₹ लाख में)					
i.	निधि में अंतरित वार्षिक मूल्यहास प्रभार	734.00	740.00	940.00	946.00
ii.	निवेश पर उद्ग्रहण किया गया ब्याज़	1.03	1.00	1.00	1.00
iii.	अन्य प्राप्तियाँ	0.00	0.00	137.00	147.00
iv.	घटाएं-वर्ष के दौरान अग्रिम	-4166.58	-15071.00	-8243.00	-16402.00
ख	अस्पताल तथा औषधालय भवनों (स्टाफ क्वार्टरों सहित) का मूल्यहास आरक्षित निधि लेखा				
i.	निधि में अंतरित वार्षिक मूल्यहास प्रभार	9020.19	12257.00	16383.00	30077.00
ii.	निवेश पर उद्ग्रहण किया गया ब्याज़	10207.50	10497.00	10650.00	11423.00
iii.	अन्य प्राप्तियाँ	0.00	0.00	0.00	0.00
iv.	घटाएं-वर्ष के दौरान अग्रिम	-81110.71	-58909.00	-30651.00	-53828.00
ग	चिकित्सा शिक्षा भवन के लिए मूल्यहास आरक्षित निधि				
i.	निधि में अंतरित वार्षिक मूल्यहास प्रभार	17055.93	17052.00	25800.00	25800.00
ii.	अन्य प्राप्तियाँ	0.00	0.00	0.00	0.00
iii.	निवेश पर वसूला (रियलाइज्ड) गया ब्याज़	6151.97	6312.00	5122.00	5493.00
iv.	घटाएँ—वर्ष के दौरान वास्तविक भुगतान	-289.38	0.00	-3084.00	-5985.00



FINANCIAL ESTIMATES AND PERFORMANCE BUDGET 2024-2025

REVISED ESTIMATES FOR THE YEAR 2023-2024 BUDGET ESTIMATES FOR THE YEAR 2024-2025 STATEMENT-A RECEIPT					
	Head of Account	Actual 2022-2023	Budget Estimates 2023-2024	Revised Estimates 2023-2024	Budget Estimates 2024-2025
(₹ in Lakhs)					
i.	Annual depreciation charges transferred to the fund	734.00	740.00	940.00	946.00
ii.	Interest realised on investment	1.03	1.00	1.00	1.00
iii.	Other Receipts	0.00	0.00	137.00	147.00
iv.	Deduct -Advances during the year.	-4166.58	-15071.00	-8243.00	-16402.00
B	Depreciation Reserve Fund Account of Hospital and Dispensary Building (including staff quarters).				
i.	Annual depreciation charges transferred to the fund	9020.19	12257.00	16383.00	30077.00
ii.	Interest realised on investment	10207.50	10497.00	10650.00	11423.00
iii.	Other Receipts	0.00	0.00	0.00	0.00
iv.	Deduct-Advances during the year	-81110.71	-58909.00	-30651.00	-53828.00
C	Depreciation reserve fund for Medical Education Building				
i.	Annual depreciation charges transferred to the fund	17055.93	17052.00	25800.00	25800.00
ii.	Other receipts	0.00	0.00	0.00	0.00
iii.	Interest realised on investment	6151.97	6312.00	5122.00	5493.00
iv.	Deduct actual payments during the year	-289.38	0.00	-3084.00	-5985.00



वित्तीय प्राक्कलन तथा निष्पादन बजट 2024-2025

वर्ष 2023-2024 के लिए परिशोधित प्राक्कलन वर्ष 2024-2025 के लिए बजट प्राक्कलन विवरणी-क प्राप्ति					
	लेखा शीर्ष	वास्तविक 2022-2023	बजट प्राक्कलन 2023-2024	परिशोधित प्राक्कलन 2023-2024	बजट प्राक्कलन 2024-2025
(₹ लाख में)					
घ	अन्य परिसंपत्तियों का मूल्यहास आरक्षित निधि लेखा (संयंत्र एवं मशीनरी, फर्नीचर तथा वाहन)				
i.	निधि में अंतरित वार्षिक मूल्यहास प्रभार	35660.24	64273.00	59404.00	71901.00
ii.	निवेश पर वसूला गया (रियलाइज्ड) ब्याज	16972.72	17455.00	14975.00	16061.00
iii.	अन्य प्राप्तियाँ	0.00	0.00	0.00	0.00
iv.	घटाएँ-वर्ष के दौरान अग्रिम	0.00	0.00	0.00	0.00
ड	स्थायी (आंशिक तथा पूर्ण) निःशक्तता हितलाभ आरक्षित निधि लेखा				
i.	वार्षिक प्रावधान	64854.50	57325.00	61500.00	58600.00
ii.	अन्य प्राप्तियाँ	0.00	0.00	0.00	0.00
iii.	निवेश पर वसूला गया (रियलाइज्ड) ब्याज	62985.26	64775.00	70800.00	76000.00
iv.	घटाएँ-वर्ष के दौरान वास्तविक भुगतान	-35293.47	-35800.00	-44500.00	-37600.00
च	आश्रितजन हितलाभ आरक्षित निधि लेखा				
i.	वार्षिक प्रावधान	31594.95	41826.00	72900.00	71000.00
ii.	अन्य प्राप्तियाँ	0.00	0.00	0.00	0.00
iii.	निवेश पर वसूला गया (रियलाइज्ड) ब्याज	45870.40	47174.00	24300.00	26000.00
iv.	घटाएँ-वर्ष के दौरान वास्तविक भुगतान	-35004.04	-36200.00	-43600.00	-38000.00
	क.रा.बी. निगम कोविड-19 राहत योजना आरक्षित निधि खाता				
I.	वर्ष के लिए पेंशन हेतु प्रावधान	76757.09	2260.00	8000.00	7600.00



FINANCIAL ESTIMATES AND PERFORMANCE BUDGET 2024-2025

REVISED ESTIMATES FOR THE YEAR 2023-2024 BUDGET ESTIMATES FOR THE YEAR 2024-2025 STATEMENT-A RECEIPT					
	Head of Account	Actual 2022-2023	Budget Estimates 2023-2024	Revised Estimates 2023-2024	Budget Estimates 2024-2025
(₹ in Lakhs)					
D	Depreciation Reserve Fund Account of Other Assets (Plant & Machinery, Furniture & Vehicles)				
i.	Annual depreciation charges transferred to the fund	35660.24	64273.00	59404.00	71901.00
ii.	Interest realised on investment	16972.72	17455.00	14975.00	16061.00
iii.	Other Receipts	0.00	0.00	0.00	0.00
iv.	Deduct -Advances during the year.	0.00	0.00	0.00	0.00
E	Permanent (Partial & total) Disablement Benefit Reserve Fund Account				
i.	Annual Provisions	64854.50	57325.00	61500.00	58600.00
ii.	Other receipts	0.00	0.00	0.00	0.00
iii.	Interest released on investment	62985.26	64775.00	70800.00	76000.00
iv.	Deduct-actual payments during the year	-35293.47	-35800.00	-44500.00	-37600.00
F	Dependents Benefit Reserve Fund Account				
i	Annual Provisions	31594.95	41826.00	72900.00	71000.00
ii.	Other receipts	0.00	0.00	0.00	0.00
iii.	Interest realised on investment	45870.40	47174.00	24300.00	26000.00
iv.	Deduct-actual payments during the year	-35004.04	-36200.00	-43600.00	-38000.00
	ESIC COVID-19 Relief Scheme Reserve Fund Account				
I.	Provision for pension for the year	76757.09	2260.00	8000.00	7600.00



वित्तीय प्राक्कलन तथा निष्पादन बजट 2024-2025

वर्ष 2023-2024 के लिए परिशोधित प्राक्कलन वर्ष 2024-2025 के लिए बजट प्राक्कलन विवरणी-क प्राप्ति					
	लेखा शीर्ष	वास्तविक 2022-2023	बजट प्राक्कलन 2023-2024	परिशोधित प्राक्कलन 2023-2024	बजट प्राक्कलन 2024-2025
(₹ लाख में)					
ii.	अन्य प्राप्तियाँ	0.00	0.00	0.00	0.00
iii.	निवेश पर वसूला गया (रियलाइज्ड) ब्याज	3344.61	3430.00	3700.00	4000.00
iv.	घटाएँ-वर्ष के दौरान वास्तविक भुगतान	-11864.87	-5000.00	-12500.00	-13100.00
छ	कर्मचारी हितलाभ आरक्षित निधि-पेंशन				
i.	वर्ष के लिए वार्षिक प्रावधान	-42005.91	46460.00	34600.00	34800.00
ii.	अन्य प्राप्तियाँ	110.59	0.00	0.00	0.00
iii.	निवेश पर वसूला गया (रियलाइज्ड) ब्याज	81816.04	84140.00	88700.00	95200.00
iv.	घटाएँ-वर्ष के दौरान वास्तविक भुगतान	-55985.66	-62800.00	-65700.00	-72200.00
ज	कर्मचारी हितलाभ आरक्षित निधि-उपदान				
i.	वर्ष के लिए वार्षिक प्रावधान	5010.94	13040.00	17300.00	19900.00
ii.	अन्य प्राप्तियाँ	0.00	0.00	0.00	0.00
iii.	निवेश पर वसूला गया (रियलाइज्ड) ब्याज	6670.59	6860.00	6900.00	7400.00
iv.	घटाएँ-वर्ष के दौरान वास्तविक भुगतान	-6591.99	-11700.00	-4300.00	-5200.00
झ	कर्मचारी हितलाभ आरक्षित निधि-छुट्टी नकदीकरण				
i.	वर्ष के लिए वार्षिक प्रावधान	6526.58	17002.00	20600.00	26000.00
ii.	अन्य प्राप्तियाँ	0.00	0.00	0.00	0.00
iii.	निवेश पर वसूला गया (रियलाइज्ड) ब्याज	6999.17	7198.00	6800.00	7300.00
iv.	घटाएँ-वर्ष के दौरान वास्तविक भुगतान	-4101.65	-6200.00	-3000.00	-3700.00
ञ	कर्मचारी हितलाभ आरक्षित निधि - पेंशनभोगी चिकित्सा				



FINANCIAL ESTIMATES AND PERFORMANCE BUDGET 2024-2025

REVISED ESTIMATES FOR THE YEAR 2023-2024 BUDGET ESTIMATES FOR THE YEAR 2024-2025 STATEMENT-A RECEIPT					
	Head of Account	Actual 2022-2023	Budget Estimates 2023-2024	Revised Estimates 2023-2024	Budget Estimates 2024-2025
					(₹ in Lakhs)
ii.	Other receipts	0.00	0.00	0.00	0.00
iii.	Interest realised on investment	3344.61	3430.00	3700.00	4000.00
iv.	Deduct actual payments during the year	-11864.87	-5000.00	-12500.00	-13100.00
G	Employees Benefit Reserve Fund – Pension				
I.	Annual Provision for the year	-42005.91	46460.00	34600.00	34800.00
ii.	Other receipts	110.59	0.00	0.00	0.00
iii.	Interest realized on investment	81816.04	84140.00	88700.00	95200.00
iv.	Deduct actual payments during the year	-55985.66	-62800.00	-65700.00	-72200.00
H	Employees Benefit Reserve Fund - Gratuity				
I.	Annual Provisions for the year	5010.94	13040.00	17300.00	19900.00
ii.	Other receipts	0.00	0.00	0.00	0.00
iii.	Interest realized on investment	6670.59	6860.00	6900.00	7400.00
iv.	Deduct actual payments during the year	-6591.99	-11700.00	-4300.00	-5200.00
I	Employees Benefit Reserve Fund - Leave Encashment				
i.	Annual Provision for the year	6526.58	17002.00	20600.00	26000.00
ii.	Other receipts	0.00	0.00	0.00	0.00
iii.	Interest realised on investment	6999.17	7198.00	6800.00	7300.00
iv.	Deduct actual payments during the year	-4101.65	-6200.00	-3000.00	-3700.00
J	Employees Benefit Reserve Fund - Pensioner's Medical Scheme				



वित्तीय प्राक्कलन तथा निष्पादन बजट 2024-2025

वर्ष 2023-2024 के लिए परिशोधित प्राक्कलन वर्ष 2024-2025 के लिए बजट प्राक्कलन विवरण-क प्राप्त					
	लेखा शीर्ष	वास्तविक 2022-2023	बजट प्राक्कलन 2023-2024	परिशोधित प्राक्कलन 2023-2024	बजट प्राक्कलन 2024-2025
(₹ लाख में)					
	योजना				
i.	वर्ष के लिए वार्षिक प्रावधान	0.00	1045.00	2200.00	2200.00
ii.	पेंशनभोगियों से प्राप्त अंशदान	267.74	150.00	200.00	200.00
iii.	निवेश पर वसूला गया (रियलाइज्ड) ब्याज	1376.18	1415.00	1700.00	1800.00
iv.	घटाएँ-वर्ष के दौरान वास्तविक भुगतान	-2042.24	-660.00	-2500.00	-2500.00
ट	पूँजीगत निर्माण निधि खाता				
i.	निधि में हस्तांतरित वार्षिक राशि	0.00	0.00	0.00	0.00
ii.	अन्य प्राप्तियाँ	0.00	0.00	0.00	0.00
iii.	भवनों के लिए वर्ष के दौरान निर्माण एजेंसियों को अग्रिम कटौती				
क.	निगम के कार्यालय (स्टाफ क्वार्टर सहित)	281.89	-11940.00	-3793.00	-10523.00
ख.	अस्पताल और औषधालय	2078.28	-279341.00	-135244.00	-331090.00
ग.	चिकित्सा शिक्षा परियोजनाएं	0.00	-34023.00	-10393.00	-56205.00
ठ	आकस्मिकता आरक्षित निधि खाता	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल आरक्षित निधि	213891.89	-34957.00	186104.00	-46484.00
	जमा				
i.	जमा प्रतिभूतियां	24.74	1500.00	2000.00	2000.00
ii.	अन्य जमा	713.20	3000.00	3300.00	3300.00
iii.	कुल जमा	737.94	4500.00	5300.00	5300.00
	अग्रिम				
i.	स्थायी अग्रिम	1.77	20.00	20.00	20.00
ii.	निगम के कर्मचारियों को अग्रिम:				
क.	स्थानांतरण पर अग्रिम वेतन	0.68	2.00	2.00	2.00
ख.	स्थानांतरण पर अग्रिम यात्रा	5.51	10.00	6.00	6.00



FINANCIAL ESTIMATES AND PERFORMANCE BUDGET 2024-2025

REVISED ESTIMATES FOR THE YEAR 2023-2024 BUDGET ESTIMATES FOR THE YEAR 2024-2025 STATEMENT-A RECEIPT					
	Head of Account	Actual 2022-2023	Budget Estimates 2023-2024	Revised Estimates 2023-2024	Budget Estimates 2024-2025
(₹ in Lakhs)					
i.	Annual Provision for the year	0.00	1045.00	2200.00	2200.00
ii.	Contribution received from pensioners	267.74	150.00	200.00	200.00
iii.	Interest realised on investment	1376.18	1415.00	1700.00	1800.00
iv.	Deduct actual payments during the year	-2042.24	-660.00	-2500.00	-2500.00
K	Capital construction fund account				
i.	Annual amount transferred to the fund	0.00	0.00	0.00	0.00
ii.	Other receipts	0.00	0.00	0.00	0.00
iii.	Deduct advances to Construction Agencies during the year for buildings for				
a.	Offices of the corporation (with staff quarters)	281.89	-11940.00	-3793.00	-10523.00
b.	Hospitals & Dispensaries	2078.28	-279341.00	-135244.00	-331090.00
c.	Medical Education Projects	0.00	-34023.00	-10393.00	-56205.00
L	Contingency Reserve Fund Account	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total Reserve Funds	213891.89	-34957.00	186104.00	-46484.00
	Deposits				
i.	Deposit of securities	24.74	1500.00	2000.00	2000.00
ii.	Other Deposits	713.20	3000.00	3300.00	3300.00
iii.	Total Deposits	737.94	4500.00	5300.00	5300.00
	Advances				
i.	Permanent advances	1.77	20.00	20.00	20.00
ii.	Advance to employees of the Corporation:				
a.	Advance of pay on transfer	0.68	2.00	2.00	2.00
b.	Advance of TA on transfer	5.51	10.00	6.00	6.00



वित्तीय प्राक्कलन तथा निष्पादन बजट 2024-2025

वर्ष 2023-2024 के लिए परिशोधित प्राक्कलन वर्ष 2024-2025 के लिए बजट प्राक्कलन विवरणी-क प्राप्ति					
	लेखा शीर्ष	वास्तविक 2022-2023	बजट प्राक्कलन 2023-2024	परिशोधित प्राक्कलन 2023-2024	बजट प्राक्कलन 2024-2025
(₹ लाख में)					
	भत्ता				
ग.	दौरे पर यात्रा भत्ता अग्रिम	166.30	150.00	190.00	200.00
घ.	छुट्टी यात्रा रियायत के लिए अग्रिम	379.34	1000.00	5000.00	5000.00
ङ	मोटर वाहन की खरीद हेतु अग्रिम	2.42	5.00	3.00	4.00
च.	अन्य वाहन की खरीद हेतु अग्रिम	0.00	1.00	1.00	1.00
छ.	गृह निर्माण अग्रिम	80.07	100.00	150.00	150.00
ज.	कंप्यूटर अग्रिम	261.88	300.00	300.00	300.00
i.	विविध अग्रिम (त्योहार अग्रिम, बाढ़ अग्रिम, चिकित्सा और पंखा अग्रिम)	134.63	200.00	150.00	150.00
iii.	अन्य अग्रिम:				
क.	राज्य सरकार/निर्माण/कर्मचारी बीमा (ईआई) न्यायालय को अग्रिम का भुगतान	0.00	1000.00	1000.00	1000.00
ख.	विविध	49929.43	22000.00	21000.00	21000.00
ग.	विशेष अग्रिम	46.16	50.00	52.00	52.00
	कुल अग्रिम (I+II+III)	51008.19	24838.00	27874.00	27885.00
	धन प्रेषण				
i.	नकद प्रेषण (क)	3562366.83	3600000.00	4000000.00	4000000.00
ii.	अन्य प्रेषण (ख)	26418.67	25000.00	30000.00	30000.00
	कुल प्रेषण:	3588785.50	3625000.00	4030000.00	4030000.00
	कुल ऋण, आरक्षित निधि, जमा, अग्रिम और धन प्रेषण आदि।	3877292.41	3646614.00	4272173.00	4039901.00
	कुल प्राप्तियां:	6345627.70	6267705.00	7135944.00	7170371.00
	अथ नकदी शेष	5275.94	5000.00	3301.24	2500.00



FINANCIAL ESTIMATES AND PERFORMANCE BUDGET 2024-2025

REVISED ESTIMATES FOR THE YEAR 2023-2024 BUDGET ESTIMATES FOR THE YEAR 2024-2025 STATEMENT-A RECEIPT					
	Head of Account	Actual 2022-2023	Budget Estimates 2023-2024	Revised Estimates 2023-2024	Budget Estimates 2024-2025
(₹ in Lakhs)					
c.	Advance of TA on Tour	166.30	150.00	190.00	200.00
d.	Advance for LTC	379.34	1000.00	5000.00	5000.00
e.	Advance purchase of motor conveyance	2.42	5.00	3.00	4.00
f.	Advance of purchase of other conveyance	0.00	1.00	1.00	1.00
g.	House Building Advance	80.07	100.00	150.00	150.00
h.	Computer advances	261.88	300.00	300.00	300.00
i.	Miscellaneous advance (festival advance, flood advance, medical & far advance)	134.63	200.00	150.00	150.00
iii.	Other Advances:				
a.	Advances paid to State Govt./construction/ E.I. Court	0.00	1000.00	1000.00	1000.00
b.	Miscellaneous	49929.43	22000.00	21000.00	21000.00
c.	Special Advance	46.16	50.00	52.00	52.00
	Total Advance(I+II+III)	51008.19	24838.00	27874.00	27885.00
	Remittances				
i.	Cash Remittances(a)	3562366.83	3600000.00	4000000.00	4000000.00
ii.	Other Remittances(b)	26418.67	25000.00	30000.00	30000.00
	TOTAL REMITTANCES:	3588785.50	3625000.00	4030000.00	4030000.00
	Total debts, reserve Funds, deposits, advances and remittances etc.	3877292.41	3646614.00	4272173.00	4039901.00
	TOTAL RECEIPTS:	6345627.70	6267705.00	7135944.00	7170371.00
	Opening Cash balance	5275.94	5000.00	3301.24	2500.00



वित्तीय प्राक्कलन तथा निष्पादन बजट 2024-2025

वर्ष 2023-2024 के लिए परिशोधित प्राक्कलन वर्ष 2024-2025 के लिए बजट प्राक्कलन विवरणी-क प्राप्ति					
	लेखा शीर्ष	वास्तविक 2022-2023	बजट प्राक्कलन 2023-2024	परिशोधित प्राक्कलन 2023-2024	बजट प्राक्कलन 2024-2025
(₹ लाख में)					

	प्राप्तियों का कुल योग	6350903.64	6272705.00	7139245.24	7172871.00
(क)	'नकद प्रेषण' शब्द एक लेखा चक्र से दूसरे लेखा चक्र एवं इसके विपरीत क्रम से निधियों (नकद) के अंतरण को दर्शाता है। निगम का राजस्व भारतीय स्टेट बैंक और उसके सहयोगी बैंकों के माध्यम से एकत्र किया जाता है। प्राप्त अंशदान को साप्ताहिक आधार पर टेलीग्राफिक ट्रांसफर के माध्यम से खाता संख्या 1 केंद्रीय (मुख्यालय) में हस्तांतरित किया जाता है।				
(ख)	'अन्य प्रेषण' शब्द निगम के एक कार्यालय और दूसरे कार्यालय के बीच बही खातागत (बुक्स) समायोजन को दर्शाता है। निगम के एक कार्यालय में होने वाले संव्यवहार और इसके दूसरे कार्यालय के बही खातों में समायोज्य होने वाले संव्यवहार को विनिमय खाते के माध्यम से स्थानांतरित किया जाता है और इस शीर्ष के तहत प्रदर्शित किए जाते हैं।				

टी. एल. यादेन
टी.एल. यादेन
वित्त आयुक्त



FINANCIAL ESTIMATES AND PERFORMANCE BUDGET 2024-2025

REVISED ESTIMATES FOR THE YEAR 2023-2024 BUDGET ESTIMATES FOR THE YEAR 2024-2025 STATEMENT-A RECEIPT					
	Head of Account	Actual 2022-2023	Budget Estimates 2023-2024	Revised Estimates 2023-2024	Budget Estimates 2024-2025
(₹ in Lakhs)					
	GRAND TOTAL RECEIPTS:	6350903.64	6272705.00	7139245.24	7172871.00
(a)	The term 'Cash Remittances' denotes transfer of funds (cash) from one account circle to the other and vice versa. The revenue of the Corporation is collected through the State Bank of India and its associate banks. The contribution received are transferred weekly to the Account No.1 Central (Hqrs. Office) through telegraphic transfers.				
(b)	The term 'Other Remittance' denotes book adjustments between one office of the Corporation and the other. Transactions originating in one office of the Corporation but adjustable in the books of its another office are transferred through Exchange Account and exhibited under this Head.				

T.L. YADEN

FINANCIAL COMMISSIONER



वित्तीय प्राक्कलन तथा निष्पादन बजट 2024-2025

वर्ष 2023-2024 के लिए परिशोधित प्राक्कलन वर्ष 2024-2025 के लिए बजट प्राक्कलन विवरण-ख व्यय					
	लेखा शीर्ष	वास्तविक 2022-2023	बजट प्राक्कलन 2023-2024	परिशोधित प्राक्कलन 2023-2024	बजट प्राक्कलन 2024-2025
(₹ लाख में)					
राजस्व खाते पर व्यय					
1	बीमाकृत व्यक्तियों और उनके परिवारों को हितलाभ:				
क	चिकित्सा हितलाभ:				
I.	i) चिकित्सा देखभाल उपचार और प्रसूति सुविधाओं पर निगम के व्यय के हिस्से के रूप में राज्य सरकारों को भुगतान (वर्धित सीमा और अंतिम निपटान के लिए अतिरिक्त प्रावधान)*	393549.22	518190.00	527092.00	579965.00
	II. निगम द्वारा सीधे तौर पर किया गया व्यय:				
क)	व्यावसायिक रोग केंद्र सहित अस्पताल / आदर्श अस्पताल* (# 3 नए अस्पतालों और हाल ही में अधिग्रहित 3 क.रा.बी.योजना अस्पतालों के प्रचालन के संबंध में 4247 लाख रुपये के अनुपूरक प्राक्कलन 2023-24 सहित)	411847.14	496209.00	540800.00#	623040.00
ख)	अति-विशिष्टता उपचार और द्वितीयक देखभाल (टाई-अप)	227966.00	194402.00	199035.00	225425.00
ग)	आयुष्मान भारत के अंतर्गत व्यय	0.00	500.00	100.00	200.00
घ)	औषधालय सह शाखा कार्यालय पर व्यय	4776.46	6470.00	4192.00	5200.00
ङ)	बीमाकृत महिलाओं और बीमाकृत व्यक्ति की पत्नियों को प्रसूति भत्ता	584.88	600.00	610.00	620.00
च)	अस्पताल और औषधालय के लिए मूल्यहास प्रावधान	18477.00	37600.00	33952.00	56419.00
छ)	मरम्मत और अनुरक्षण (अस्पताल और औषधालय)	20542.00	51795.00	38026.00	55448.00
ज)	अस्पताल और औषधालय के लिए किराया, भाड़ा और कर।	3425.58	4500.00	3800.00	4000.00
झ)	आशोधित नियोक्ता उपयोगिता औषधालय (एम-ईयूडी)	193.51	300.00	150.00	180.00
ञ)	बीमा चिकित्सा व्यवसायी (आईएमपी)/ आशोधित बीमा चिकित्सा व्यवसायी (एम-आईएमपी)	1237.30	2000.00	950.00	950.00
ट)	स्वच्छता कार्य योजना पर व्यय (एसएपी)	6.91	57.00	12.00	62.00
III.	चिकित्सा शिक्षा	77428.00	93574.00	81820.00	86520.00
	कुल - क - चिकित्सा हितलाभ:	1160034.00	1406197.00	1430539.00	1638029.00
*इन बजट शीर्षों को अपेक्षानुसार पुनः समूहन किया गया है					
ख.	नकद हितलाभ:				
i.	बीमारी हितलाभ	42536.42	48526.00	43060.00	46070.00
ii.	विस्तारित बीमारी हितलाभ	6541.22	7427.00	6700.00	7170.00
iii.	मातृत्व हितलाभ	41797.58	47493.00	46500.00	49760.00
iv.	अपंगता हितलाभ:				
	क. अस्थायी निःशक्तता	11155.02	13672.00	11200.00	11980.00
	ख. स्थायी निःशक्तता*	64854.50	57325.00	61500.00	58600.00



FINANCIAL ESTIMATES AND PERFORMANCE BUDGET 2024-2025

REVISED ESTIMATES FOR THE YEAR 2023-2024					
BUDGET ESTIMATES FOR THE YEAR 2024-2025					
STATEMENT-B EXPENDITURE					
	Head of Account	Actual 2022-2023	Budget Estimates 2023-2024	Revised Estimates 2023-2024	Budget Estimates 2024-2025
(₹ in Lakhs)					
Expenditure on Revenue Account					
1	Benefits to insured persons and their families:				
A	Medical Benefits:				
I.	Payment to State Govts. as Corporation's share of expenditure on medical care treatment & maternity facilities. (Additional provision for enhanced ceiling & final settlement) *	393549.22	518190.00	527092.00	579965.00
II.	Expenditure directly incurred by the Corporation on:				
a)	Hospital with occupational diseases centre/ Model Hospitals* (# including Supplementary Estimates 2023-24 of ₹ 4247 lakhs in respect of operationalization of 3 new hospitals and recently taken over of 3 ESIS hospitals)	411847.14	496209.00	540800.00#	623040.00
b)	Super Speciality Treatment & Secondary Care(tie-up)	227966.00	194402.00	199035.00	225425.00
c)	Expenditure under Ayushman Bharat	0.00	500.00	100.00	200.00
d)	Expenditure on DCBO*	4776.46	6470.00	4192.00	5200.00
e)	Confinement Allowance to Insured Women & Wives of IPs	584.88	600.00	610.00	620.00
f)	Depreciation provision of Hospital & Dispensary	18477.00	37600.00	33952.00	56419.00
g)	Repairs & Maintenance (Hospital & Dispensary)	20542.00	51795.00	38026.00	55448.00
h)	Rent, Hired and Taxes for Hospital & Disp.	3425.58	4500.00	3800.00	4000.00
i)	Modified Employer Utility Dispensary(m-EUD)	193.51	300.00	150.00	180.00
j)	Insured Medical Practitioner (IMP)/Modified Insured Medical Practitioner (m-IMP)	1237.30	2000.00	950.00	950.00
k)	Expenditure on Swachhata Action Plan (SAP)	6.91	57.00	12.00	62.00
III.	Medical Education	77428.00	93574.00	81820.00	86520.00
	Total -A - Medical Benefit:	1160034.00	1406197.00	1430539.00	1638029.00
*These budget heads have been regrouped wherever required					
B.	Cash Benefits:				
i.	Sickness Benefit	42536.42	48526.00	43060.00	46070.00
ii.	Extended Sickness Benefit	6541.22	7427.00	6700.00	7170.00
iii.	Maternity Benefit	41797.58	47493.00	46500.00	49760.00
iv.	Disablement Benefits:				
a.	Temporary Disablement	11155.02	13672.00	11200.00	11980.00
b.	Permanent Disablement (represent amount transferred to the respective earmarked fund)	64854.50	57325.00	61500.00	58600.00



वित्तीय प्राक्कलन तथा निष्पादन बजट 2024-2025

वर्ष 2023-2024 के लिए परिशोधित प्राक्कलन वर्ष 2024-2025 के लिए बजट प्राक्कलन विवरण-ख व्यय					
	लेखा शीर्ष	वास्तविक 2022-2023	बजट प्राक्कलन 2023-2024	परिशोधित प्राक्कलन 2023-2024	बजट प्राक्कलन 2024-2025
(₹ लाख में)					
	(दर्शाई गई राशि संबंधित नामोद्दिष्ट निधि में अंतरित)				
v.	आश्रितजन हितलाभ* (दर्शाई गई राशि संबंधित नामोद्दिष्ट निधि में अंतरित)	31594.95	41826.00	72900.00	71000.00
vi.	अन्त्येष्टि व्यय	3094.93	3665.00	3100.00	3320.00
vii.	राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना	1532.92	2101.00	950.00	1,020.00
viii.	अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना	603.11	977.00	150.00	160.00
ix.	क.रा.बी.निगम कोविड-19 राहत योजना** (दर्शाई गई राशि संबंधित नामोद्दिष्ट निधि में अंतरित)	76757.09	2260.00	8000.00	7,600.00
	कुल - ख - नकद हितलाभ	280467.74	225272.00	254060.00	256680.00
ग.	अन्य हितलाभ:				
i.	चिकित्सा बोर्ड और अपील अधिकरण	45.16	67.00	20.00	21.00
ii.	बीमाकृत व्यक्ति को सवारी खर्च का भुगतान	138.43	108.00	88.00	94.00
iii.	मजदूरी की हानि पर बीमाकृत व्यक्ति को भुगतान	14.19	22.00	20.00	21.00
iv.	विविध	54.44	200.00	100.00	150.00
v.	बीमाकृत व्यक्तियों को पुनर्वास भत्ता	0.05	3.00	4.00	4.00
	कुल - ग - अन्य हितलाभ	252.27	400.00	232.00	290.00
	कुल शीर्ष -1 हितलाभ	1440754.01	1631869.00	1684831.00	1894999.00
2.	प्रशासनिक व्यय				
क.	अधीक्षण:				
	अधिकारी:				
i.	वेतन	7916.71	10000.00	9000.00	14000.00
ii.	भत्ते और मानदेय	6093.03	8650.00	7000.00	7000.00
iii.	बोनस	0.00	1.00	2.00	2.00
iv.	संविदात्मक कर्मचारी	231.87	550.00	400.00	400.00
	कुल अधिकारी	14241.61	19201.00	16402.00	21402.00
	अनुसचिवीय स्थापना				
i.	वेतन	26905.26	35000.00	33000.00	40000.00
ii.	भत्ते और मानदेय	20108.84	30000.00	20000.00	22000.00
iii.	बोनस	764.97	1400.00	800.00	850.00
iv.	संविदात्मक कर्मचारी	159.78	500.00	170.00	200.00
	कुल अनुसचिवीय स्थापना:	47938.85	66900.00	53970.00	63050.00
	समूह-घ कर्मचारी				
i.	वेतन	71.56	70.00	80.00	85.00
ii.	भत्ते और मानदेय	44.39	65.00	70.00	75.00
iii.	बोनस	2.52	5.00	5.00	5.00
iv.	संविदात्मक कर्मचारी	160.22	130.00	120.00	120.00
	कुल समूह-घ कर्मचारी	278.69	270.00	275.00	285.00



FINANCIAL ESTIMATES AND PERFORMANCE BUDGET 2024-2025

REVISED ESTIMATES FOR THE YEAR 2023-2024					
BUDGET ESTIMATES FOR THE YEAR 2024-2025					
STATEMENT-B EXPENDITURE					
	Head of Account	Actual 2022-2023	Budget Estimates 2023-2024	Revised Estimates 2023-2024	Budget Estimates 2024-2025
(₹ in Lakhs)					
v.	Dependants' Benefit (represent amount transferred to the respective earmarked fund)	31594.95	41826.00	72900.00	71000.00
vi	Funeral Expenses	3094.93	3665.00	3100.00	3320.00
vii.	Rajiv Gandhi ShramikKalyanYojna	1532.92	2101.00	950.00	1,020.00
viii	Atal Bimit Vyakti Kalyan Yojna	603.11	977.00	150.00	160.00
ix)	ESIC COVID-19 Relief Scheme (represent amount transferred to the respective earmarked fund)	76757.09	2260.00	8000.00	7,600.00
	Total - B - Cash Benefits	280467.74	225272.00	254060.00	256680.00
	C. Other Benefits:				
i.	Medical Boards & Appeal Tribunals	45.16	67.00	20.00	21.00
ii	Payment to insured person on account of conveyance charges	138.43	108.00	88.00	94.00
iii.	Payment to insured person on account of loss of wages	14.19	22.00	20.00	21.00
iv.	Miscellaneous	54.44	200.00	100.00	150.00
v.	Rehabilitation allowance to IPs.	0.05	3.00	4.00	4.00
	Total -C - Other Benefits	252.27	400.00	232.00	290.00
	Total Head-1 Benefits	1440754.01	1631869.00	1684831.00	1894999.00
2.	Administrative Expenses				
	A. Superintendence:				
	Officers:				
i.	Pay	7916.71	10000.00	9000.00	14000.00
ii.	Allowances & Honoraria	6093.03	8650.00	7000.00	7000.00
iii.	Bonus	0.00	1.00	2.00	2.00
iv	Contractual employees	231.87	550.00	400.00	400.00
	Total Officers	14241.61	19201.00	16402.00	21402.00
	MINISTERIAL ESTABLISHMENT				
i.	Pay	26905.26	35000.00	33000.00	40000.00
ii.	Allowances & Honoraria	20108.84	30000.00	20000.00	22000.00
iii.	Bonus	764.97	1400.00	800.00	850.00
iv	Contractual employees	159.78	500.00	170.00	200.00
	TOTAL MINISTERIAL ESTABLISHMENT:	47938.85	66900.00	53970.00	63050.00
	GROUP D STAFF				
i.	Pay	71.56	70.00	80.00	85.00
ii.	Allowances & Honoraria	44.39	65.00	70.00	75.00
iii.	Bonus	2.52	5.00	5.00	5.00
iv	Contractual employees	160.22	130.00	120.00	120.00
	Total Group-D staff	278.69	270.00	275.00	285.00



वित्तीय प्राक्कलन तथा निष्पादन बजट 2024-2025

वर्ष 2023-2024 के लिए परिशोधित प्राक्कलन वर्ष 2024-2025 के लिए बजट प्राक्कलन विवरण-ख व्यय					
	लेखा शीर्ष	वास्तविक 2022-2023	बजट प्राक्कलन 2023-2024	परिशोधित प्राक्कलन 2023-2024	बजट प्राक्कलन 2024-2025
					(₹ लाख में)
	कुल क अधीक्षण (i)	62459.15	86371.00	70647.00	84737.00
	ख-क्षेत्र कार्य				
	अधिकारी				
i.	वेतन	189.94	760.00	760.00	800.00
ii.	भत्ते और मानदेय	122.37	705.00	705.00	750.00
iii.	बोनस	0.00	10.00	5.00	7.00
iv.	संविदात्मक कर्मचारी	0.00	12.00	8.00	12.00
	कुल-अधिकारी	312.31	1487.00	1478.00	1569.00
	अनुसचिवीय स्थापना				
i.	वेतन	11869.61	15000.00	15000.00	17000.00
ii.	भत्ते और मानदेय	8124.77	11500.00	11500.00	13000.00
iii.	बोनस	363.72	825.00	700.00	825.00
iv.	संविदात्मक कर्मचारी	4.73	80.00	100.00	100.00
	कुल अनुसचिवीय स्थापना	20362.83	27405.00	27300.00	30925.00
	समूह-घ-कर्मचारी:				
i.	वेतन	29.80	30.00	30.00	32.00
ii.	भत्ते और मानदेय	17.93	27.00	57.00	28.00
iii.	बोनस	0.98	2.00	2.00	2.00
iv.	संविदात्मक कर्मचारी	98.95	100.00	100.00	100.00
	कुल समूह-घ-कर्मचारी:	147.66	159.00	189.00	162.00
	कुल-ख-क्षेत्रीय कार्य (ii)	20822.80	29051.00	28967.00	32656.00
	ग) क-अधीक्षण एवं ख-क्षेत्र कार्य अधिकारी / कर्मचारी के लिए सामान्य व्यय				
क.	कर्मचारी कल्याण व्यय	142.82	1220.00	1220.00	1300.00
ख.	छुट्टी वेतन और पेंशन अंशदान	0.00	270.00	270.00	270.00
ग.	अनुकंपा अनुदान	0.00	5.00	5.00	5.00
घ.	भविष्य निधि जमा संबद्ध बीमा योजना	11.40	24.00	24.00	24.00
इ.	कर्मचारी हितलाभ पर व्यय (संबंधित राशि चिन्हित निधि में अंतरित)				
i.	पेंशन	0.00	46460.00	21698.00	21824.00
ii.	उपदान	1768.54	13040.00	6106.00	7023.00
iii.	छुट्टी नकदीकरण	2189.51	17002.00	6911.00	8722.00
iv.	पेंशनभोगियों की चिकित्सा योजना	0.00	1045.00	2200.00	2200.00
v.	नई पेंशन योजना के लिए क.रा.बी.निगम का अंश	6166.14	11570.00	11570.00	13550.00
च	जीएसएलआईएस के लिए क.रा.बी.निगम का अंश	9.37	100.00	170.00	175.00
	कुल-ग सामान्य व्यय (iii)	10287.78	90736.00	50174.00	55093.00



FINANCIAL ESTIMATES AND PERFORMANCE BUDGET 2024-2025

REVISED ESTIMATES FOR THE YEAR 2023-2024 BUDGET ESTIMATES FOR THE YEAR 2024-2025 STATEMENT-B EXPENDITURE					
	Head of Account	Actual 2022-2023	Budget Estimates 2023-2024	Revised Estimates 2023-2024	Budget Estimates 2024-2025
					(₹ in Lakhs)
	Total A supdt.(i)	62459.15	86371.00	70647.00	84737.00
	B-Field work				
	Officers				
i.	Pay	189.94	760.00	760.00	800.00
ii.	Allowances & Honoraria	122.37	705.00	705.00	750.00
iii.	Bonus	0.00	10.00	5.00	7.00
iv.	Contractual employees	0.00	12.00	8.00	12.00
	Total-Officers	312.31	1487.00	1478.00	1569.00
	MINISTERIAL ESTABLISHMENT				
i.	Pay	11869.61	15000.00	15000.00	17000.00
ii.	Allowances & Honorarium	8124.77	11500.00	11500.00	13000.00
iii.	Bonus	363.72	825.00	700.00	825.00
iv.	Contractual employees	4.73	80.00	100.00	100.00
	TOTAL MINISTERIAL ESTABLISHMENT	20362.83	27405.00	27300.00	30925.00
	Group - D - Staff:				
i.	Pay	29.80	30.00	30.00	32.00
ii.	Allowances & Honorarium	17.93	27.00	57.00	28.00
iii.	Bonus	0.98	2.00	2.00	2.00
iv.	Contractual employees	98.95	100.00	100.00	100.00
	TOTAL GROUP-D-STAFF:	147.66	159.00	189.00	162.00
	Total-B-Field work (ii)	20822.80	29051.00	28967.00	32656.00
	Common Expenses for A-Supdt. & B-Field Work Officers/Staffs				
a.	Staff Welfare Expenses	142.82	1220.00	1220.00	1300.00
b.	Leave Salary & Pension Contribution	0.00	270.00	270.00	270.00
c.	Compassionate Grants	0.00	5.00	5.00	5.00
d.	PF Deposit Linked Insurance Scheme	11.40	24.00	24.00	24.00
e.	Exp. on Employee Benefits (represent amount transferred to the respective earmarked fund)				
i.	Pension	0.00	46460.00	21698.00	21824.00
ii.	Gratuity	1768.54	13040.00	6106.00	7023.00
iii.	Leave Encashment	2189.51	17002.00	6911.00	8722.00
iv.	Pensioners' Medical Scheme	0.00	1045.00	2200.00	2200.00
v.	ESIC Share of New Pension Scheme	6166.14	11570.00	11570.00	13550.00
f.	ESIC Share of GSLIS	9.37	100.00	170.00	175.00
	Total -C Common Expenses (iii)	10287.78	90736.00	50174.00	55093.00



वित्तीय प्राक्कलन तथा निष्पादन बजट 2024-2025

वर्ष 2023-2024 के लिए परिशोधित प्राक्कलन वर्ष 2024-2025 के लिए बजट प्राक्कलन विवरण-ख व्यय					
	लेखा शीर्ष	वास्तविक 2022-2023	बजट प्राक्कलन 2023-2024	परिशोधित प्राक्कलन 2023-2024	बजट प्राक्कलन 2024-2025
(₹ लाख में)					
I	कुल स्थापना व्यय (i+ii+iii)	93569.73	206158.00	149788.00	172486.00
	घ. अन्य प्रशासनिक व्यय				
1	बिजली और ऊर्जा (पावर)	2102.21	3150.00	3200.00	3670.00
2	जल प्रभार	158.22	300.00	310.00	365.00
3	बीमा	76.42	450.00	200.00	250.00
4	किराया, दरें और कर	4030.13	6650.00	5500.00	6000.00
5	वाहन, संचालन और अनुरक्षण (भाड़ा सहित)	439.18	830.00	550.00	610.00
6	डाक-व्यय, टेलीफोन और संचार शुल्क	1171.84	1275.00	1350.00	1560.00
7	मुद्रण और लेखन-सामग्री	514.78	1135.00	850.00	850.00
8	यात्रा और सवारी व्यय				
	क) निगम/स्थायी समिति/क्षेत्रीय बोर्ड/स्थानीय समिति	56.85	185.00	185.00	205.00
	ख) अन्य (क.रा.बी.निगम कर्मचारी)	1294.08	1220.00	1470.00	1650.00
9	संगोष्ठी/कार्यशालाओं पर व्यय	58.24	250.00	50.00	280.00
10	अभिदान व्यय - सामयिकी	33.28	100.00	100.00	117.00
11	लेखापरीक्षा शुल्क	7.87	500.00	350.00	420.00
12	क) विधिक प्रभार	363.14	790.00	1035.00	1150.00
	ख) विधिक विवाद अधिनिर्णय के अंतर्गत भुगतान पर व्यय	0.00	0.00	0.00	0.00
13	बीमा न्यायालय	214.29	300.00	300.00	300.00
14	आईएसएसए (ईसा) और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को अंशदान	91.90	160.00	130.00	130.00
15	गृह-व्यवस्था व्यय	2952.19	4500.00	4800.00	5450.00
16	स्वच्छता कार्य योजना (एसएपी)	20.47	107.00	165.00	175.00
17	बैंक खाते के अनुरक्षण के लिए प्रभार और अन्य बैंक प्रभार	891.78	1150.00	1322.00	1360.00
18	हानि	0.00	0.00	0.00	0.00
19	मरम्मत और अनुरक्षण - कंप्यूटर और अन्य	5226.01	8360.00	12455.00	7520.00
20	भर्ती व्यय	2608.83	10155.00	10025.00	10025.00
21	राजस्व वसूली प्रकोष्ठ	55.43	150.00	180.00	203.00
22	विज्ञापन और प्रचार	2000.30	3500.00	3400.00	3500.00
23	वाच एण्ड वार्ड	4462.06	5500.00	6000.00	7065.00
24	प्रशिक्षण	87.99	450.00	900.00	960.00
25	विविध*	2080.17	2500.00	2680.00	2800.00
26	कार्यालय भवन और स्टाफ क्वार्टरों की मरम्मत और अनुरक्षण।	2495.15	11008.00	11624.00	15396.00
27	परामर्शदात्री सेवाएं	14.13	200.00	200.00	225.00
28	निवेश प्रबंधन प्रभार	252.04	400.00	400.00	500.00
29	मूल्यहास	5557.20	11875.00	9033.00	12601.00
II	कुल - घ अन्य प्रशासनिक व्यय	39316.18	77150.00	78964.00	85337.00
	कुल प्रशासनिक व्यय (I + II)	132885.91	283308.00	228752.00	257823.00



FINANCIAL ESTIMATES AND PERFORMANCE BUDGET 2024-2025

REVISED ESTIMATES FOR THE YEAR 2023-2024 BUDGET ESTIMATES FOR THE YEAR 2024-2025 STATEMENT-B EXPENDITURE					
	Head of Account	Actual 2022-2023	Budget Estimates 2023-2024	Revised Estimates 2023-2024	Budget Estimates 2024-2025
					(₹ in Lakhs)
I	TOTAL ESTABLISHMENT EXPENSES (i+ii+iii)	93569.73	206158.00	149788.00	172486.00
	D. Other Admin. Expenses				
1	Electricity and Power	2102.21	3150.00	3200.00	3670.00
2	Water Charges	158.22	300.00	310.00	365.00
3	Insurance	76.42	450.00	200.00	250.00
4	Rent, Rates and Taxes	4030.13	6650.00	5500.00	6000.00
5	Vehicles, Running and Maintenance (including Hire Charges)	439.18	830.00	550.00	610.00
6	Postage, Telephone and Communication Charge	1171.84	1275.00	1350.00	1560.00
7	Printing and Stationary	514.78	1135.00	850.00	850.00
8	Travelling and Conveyance Expenses				
	a) Corporation / Standing Committee / Regional Board / Local Committee	56.85	185.00	185.00	205.00
	b) Others (ESIC Employees)	1294.08	1220.00	1470.00	1650.00
9	Expenses on Seminar / Workshops	58.24	250.00	250.00	280.00
10	Subscription Expenses - periodicals	33.28	100.00	100.00	117.00
11	Audit Fees	7.87	500.00	350.00	420.00
12	a) Legal Charges	363.14	790.00	1035.00	1150.00
	b) Expenses on payment of award under legal dispute	0.00	0.00	0.00	0.00
13	Insurance Courts	214.29	300.00	300.00	300.00
14	Contribution to ISSA & other International Organisations	91.90	160.00	130.00	130.00
15	House Keeping Expenses	2952.19	4500.00	4800.00	5450.00
16	Swachhata Action Plan (SAP)	20.47	107.00	165.00	175.00
17	Charges for maintaining bank accounts & other bank charges	891.78	1150.00	1322.00	1360.00
18	Losses	0.00	0.00	0.00	0.00
19	Repair and Maintenance - Computers & Others	5226.01	8360.00	12455.00	7520.00
20	Recruitment Expenses	2608.83	10155.00	10025.00	10025.00
21	Revenue Recovery Cell	55.43	150.00	180.00	203.00
22	Advertisement and Publicity	2000.30	3500.00	3400.00	3500.00
23	Watch & Ward	4462.06	5500.00	6000.00	7065.00
24	Training	87.99	450.00	900.00	960.00
25	Miscellaneous*	2080.17	2500.00	2680.00	2800.00
26	Repair and Maintenance of Office Building & Staff Quarters.	2495.15	11008.00	11624.00	15396.00
27	Consultancy Services	14.13	200.00	200.00	225.00
28	Investment Management charges	252.04	400.00	400.00	500.00
29	Depreciation	5557.20	11875.00	9033.00	12601.00
II	Total - D Other Admin. Expenses	39316.18	77150.00	78964.00	85337.00
	Total Admin. Exp. (I + II)	132885.91	283308.00	228752.00	257823.00



वित्तीय प्राक्कलन तथा निष्पादन बजट 2024-2025

वर्ष 2023-2024 के लिए परिशोधित प्राक्कलन वर्ष 2024-2025 के लिए बजट प्राक्कलन विवरण-ख व्यय					
	लेखा शीर्ष	वास्तविक 2022-2023	बजट प्राक्कलन 2023-2024	परिशोधित प्राक्कलन 2023-2024	बजट प्राक्कलन 2024-2025
(₹ लाख में)					
3	पूँजीगत निर्माण और आकस्मिकता आरक्षित निधि में योगदान:-				
	क. पूँजीगत निर्माण निधि में वार्षिक अंशदान (अंशदान आय का 1%)	0.00	0.00	0.00	0.00
	ख. आकस्मिकता आरक्षित निधि में वार्षिक अंशदान	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल शीर्ष-4 पूँजीगत निर्माण और आकस्मिकता आरक्षित निधि में अंशदान।	0.00	0.00	0.00	0.00
	राजस्व लेखा पर कुल व्यय :	1573639.92	1915177.00	1913583.00	2152822.00
4	पूँजीगत लेखा पर व्यय				
(क)	गैर-परियोजना				
	i.) वाहन	64.00	70.00	70.00	70.00
	ii) संयंत्र और उपस्कर (चिकित्सा और गैर-चिकित्सा दोनों) (# 3 नए अस्पतालों और हाल ही में अधिग्रहित 3 क.रा.बी.योजना अस्पतालों के प्रचालन के लिए उपस्कर और अन्य पूँजीगत सम्पत्तियों की खरीद के संबंध में 2109 लाख रुपये के अनुपूरक प्राक्कलन 2023-24 सहित)	15243.00	49494.00	42090.00#	51465.00
	iii) फर्नीचर और फिक्सचर्स	1229.00	2382.00	2300.00	2385.00
	iv) कंप्यूटर	2042.00	7030.00	7500.00	8250.00
	v) पुस्तकें	88.00	140.00	132.00	156.00
	vi) चिकित्सा शिक्षा अनुदान	0.00	5.00	5.00	5.00
	कुल (क)	18666.00	59121.00	52097.00	62331.00
(ख)	परियोजनाएं				
	कार्यालय भवन और स्टाफ क्वार्टर्स	51.36	11940.00	3793.00	10523.00
	स्टाफ क्वार्टर्स सहित अस्पताल और औषधालय	75723.63	279341.00	135244.00	331090.00
	चिकित्सा महाविद्यालय और स्टाफ क्वार्टर्स	2.26	34023.00	10393.00	56205.00
	कुल (ख)	75777.25	325304.00	149430.00	397818.00
	कुल योग-पूँजीगत व्यय (क+ख)	94443.25	384425.00	201527.00	460149.00
5	कुल व्यय (1+2+3+4)	1668083.17	2299602.00	2115110.00	2612971.00
6	ऋण, आरक्षित निधि, जमा अग्रिम और धन प्रेषण अनिधिक ऋण:				
6क	क.रा.बी.निगम सामान्य भविष्य निधि				
	अभिदाताओं को भुगतान	22278.26	22180.00	24000.00	25000.00
	कुल-अनिधिक ऋण	22278.26	22180.00	24000.00	25000.00
6ख	आरक्षित निधि				
(i)	निगम के कार्यालय भवनों के लिए मूल्यहास आरक्षित निधि (स्टाफ क्वार्टर्स सहित) निवेश खाता				



FINANCIAL ESTIMATES AND PERFORMANCE BUDGET 2024-2025

REVISED ESTIMATES FOR THE YEAR 2023-2024 BUDGET ESTIMATES FOR THE YEAR 2024-2025 STATEMENT-B EXPENDITURE					
	Head of Account	Actual 2022-2023	Budget Estimates 2023-2024	Revised Estimates 2023-2024	Budget Estimates 2024-2025
(₹ in Lakhs)					
3	Contribution to Capital Construction & Contingency Reserve Funds: -				
	A. Annual contribution to Capital Construction Fund (@ 1% of contribution income)	0.00	0.00	0.00	0.00
	B. Annual contribution to Contingency Reserve Fund	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total Head-4 Contributions to Capital Construction & Contingency Reserve Funds.	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL EXPENDITURE ON REVENUE ACCOUNTS:	1573639.92	1915177.00	1913583.00	2152822.00
4	Expenditure on Capital Account				
(A)	Non-Project				
	i) Vehicles	64.00	70.00	70.00	70.00
	ii) Plant & Equipment (both medical & Non-Medical) (# including Supplementary Estimates 2023-24 of ₹ 2109 lakhs in respect of purchase of equipment and other capital assets for operationalization of 3 new hospitals and recently taken over of 3 ESIS hospitals)	15243.00	49494.00	42090.00#	51465.00
	iii) Furniture & Fixture	1229.00	2382.00	2300.00	2385.00
	iv) Computers	2042.00	7030.00	7500.00	8250.00
	v) Books	88.00	140.00	132.00	156.00
	vi) Medical Education Aid	0.00	5.00	5.00	5.00
	Total (A)	18666.00	59121.00	52097.00	62331.00
(B)	Projects				
	Office Building & Staff Qtrs.	51.36	11940.00	3793.00	10523.00
	Hospital & Dispensaries including Staff Qtrs.	75723.63	279341.00	135244.00	331090.00
	Medical Colleges & Staff Qtrs.	2.26	34023.00	10393.00	56205.00
	TOTAL(B)	75777.25	325304.00	149430.00	397818.00
	Grand Total-Capital Expenditure (A+B)	94443.25	384425.00	201527.00	460149.00
5	TOTAL EXPENDITURE (1+2+3+4)	1668083.17	2299602.00	2115110.00	2612971.00
6	DEBTS, RESERVE FUNDS, DEPOSITS ADVANCES AND REMITTANCES UNFUNDED DEBT:				
6A	ESIC General Provident Fund				
	Payment to Subscribers	22278.26	22180.00	24000.00	25000.00
	TOTAL-UNFUNDED DEBTS	22278.26	22180.00	24000.00	25000.00
6B	RESERVE FUNDS				
(i)	Depreciation Reserve Fund for office buildings of the Corporation (including staff quarters) investment account				



वित्तीय प्राक्कलन तथा निष्पादन बजट 2024-2025

वर्ष 2023-2024 के लिए परिशोधित प्राक्कलन वर्ष 2024-2025 के लिए बजट प्राक्कलन विवरण-ख व्यय					
	लेखा शीर्ष	वास्तविक 2022-2023	बजट प्राक्कलन 2023-2024	परिशोधित प्राक्कलन 2023-2024	बजट प्राक्कलन 2024-2025
(₹ लाख में)					
	वर्ष के दौरान निवेश	-3431.55	-14330.00	-7165.00	-15308.00
(ii)	अस्पताल और औषधालय भवन का मूल्यहास आरक्षित निधि (स्टाफ क्वार्टर सहित) निवेश खाता				
	वर्ष के दौरान निवेश	-61883.02	-36155.00	-3618.00	-12328.00
(iii)	अन्य परिसंपत्तियों का मूल्यहास आरक्षित निधि (संयंत्र और मशीनरी, फर्नीचर और वाहन) निवेश खाता				
	वर्ष के दौरान निवेश	52632.96	81728.00	74379.00	87962.00
(iv)	स्थायी (आंशिक और कुल) अपंगता हितलाभ आरक्षित निधि निवेश खाता				
	वर्ष के दौरान निवेश	92546.29	86300.00	87800.00	97000.00
(v)	आश्रितजन हितलाभ आरक्षित निधि निवेश खाता				
	वर्ष के दौरान निवेश	42461.31	52800.00	53600.00	59000.00
(vi)	क.रा.बी.निगम कोविड-19 राहत योजना के लिए मूल्यहास आरक्षित निधि				
	वर्ष के दौरान निवेश	68236.83	690.00	-800.00	-1500.00
(vii)	चिकित्सा शिक्षा भवनों के लिए मूल्यहास आरक्षित निधि				
	वर्ष के दौरान निवेश	22918.52	23364.00	27838.00	25308.00
(viii)	कर्मचारी हितलाभ आरक्षित निधि: पेंशन				
	वर्ष के दौरान निवेश	-16064.94	67800.00	57600.00	57800.00
(ix)	कर्मचारी हितलाभ आरक्षित निधि: उपदान				
	वर्ष के दौरान निवेश	5089.54	8200.00	19900.00	22100.00
(x)	कर्मचारी हितलाभ आरक्षित निधि: छुट्टी नकदीकरण				
	वर्ष के दौरान निवेश	9424.10	18000.00	24400.00	29600.00
(xi)	कर्मचारी हितलाभ आरक्षित निधि: पेंशनभोगी चिकित्सा योजना				
	वर्ष के दौरान निवेश	-398.32	1950.00	1600.00	1700.00
(xii)	क.रा.बी.निगम सामान्य भविष्य निधि निवेश खाता				
	वर्ष के दौरान निवेश	22278.00	22180.00	-1105.00	-1800.00
(xiii)	पूँजीगत निर्माण निधि निवेश खाता				
	वर्ष के दौरान निवेश	2360.17	-325304.00	-149430.00	-397818.00
(xiv)	आकस्मिकता आरक्षित निधि निवेश खाता				
	वर्ष के दौरान निवेश	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल आरक्षित निधियां:	236169.89	-12777.00	184999.00	-48284.00
6ग	जमा:				
	i. प्रतिभूति जमा राशि	1143.78	1000.00	1400.00	1500.00
	ii. अन्य जमा	3667.20	5000.00	4000.00	4500.00
	कुल जमा:	4810.98	6000.00	5400.00	6000.00



FINANCIAL ESTIMATES AND PERFORMANCE BUDGET 2024-2025

REVISED ESTIMATES FOR THE YEAR 2023-2024 BUDGET ESTIMATES FOR THE YEAR 2024-2025 STATEMENT-B EXPENDITURE					
	Head of Account	Actual 2022-2023	Budget Estimates 2023-2024	Revised Estimates 2023-2024	Budget Estimates 2024-2025
(₹ in Lakhs)					
(i)	Depreciation Reserve Fund for office buildings of the Corporation (including staff quarters) investment account				
	Investment during the year	-3431.55	-14330.00	-7165.00	-15308.00
(ii)	Depreciation Reserve Fund of Hospital & Dispensary Building (including staff quarters) Investment Account.				
	Investment during the year	-61883.02	-36155.00	-3618.00	-12328.00
(iii)	Depreciation Reserve Fund of Other Assets (Plant & Machinery, Furniture & Vehicles)				
	Investment during the year	52632.96	81728.00	74379.00	87962.00
(iv)	Permanent (Partial & Total) Disablement Benefit Reserve Fund Investment Account				
	Investment during the year	92546.29	86300.00	87800.00	97000.00
(v)	Dependents Benefit Reserve Fund Investment Account				
	Investment during the year	42461.31	52800.00	53600.00	59000.00
(vi)	Depreciation reserve fund for ESIC COVID-19 Relief Scheme				
	Investment during the year	68236.83	690.00	-800.00	-1500.00
(vii)	Depreciation reserve fund for Medical Education Building				
	Investment during the year	22918.52	23364.00	27838.00	25308.00
(viii)	Employees Benefit Reserve Fund: Pension				
	Investment during the year	-16064.94	67800.00	57600.00	57800.00
(ix)	Employees Benefit Reserve Fund: Gratuity				
	Investment during the year	5089.54	8200.00	19900.00	22100.00
(x)	Employees Benefit Reserve Fund: Leave Encashment				
	Investment during the year	9424.10	18000.00	24400.00	29600.00
(xi)	Employees Benefit Reserve Fund: Pensioners Medical Scheme				
	Investment during the year	-398.32	1950.00	1600.00	1700.00
(xii)	ESIC General Provident Fund Investment Account				
	Investment during the year	22278.00	22180.00	-1105.00	-1800.00
(xiii)	Capital Construction Fund Investment Account				
	Investment during the year	2360.17	-325304.00	-149430.00	-397818.00
(xiv)	Contingency Reserve fund Investment Account				
	Investment during the year	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RESERVE FUNDS:	236169.89	-12777.00	184999.00	-48284.00
6C	DEPOSITS:				
	i. Deposits of Securities	1143.78	1000.00	1400.00	1500.00
	ii. Other Deposits	3667.20	5000.00	4000.00	4500.00
	TOTAL DEPOSITS:	4810.98	6000.00	5400.00	6000.00



वित्तीय प्राक्कलन तथा निष्पादन बजट 2024-2025

वर्ष 2023-2024 के लिए परिशोधित प्राक्कलन वर्ष 2024-2025 के लिए बजट प्राक्कलन विवरण-ख व्यय					
	लेखा शीर्ष	वास्तविक 2022-2023	बजट प्राक्कलन 2023-2024	परिशोधित प्राक्कलन 2023-2024	बजट प्राक्कलन 2024-2025
(₹ लाख में)					
6घ	अग्रिम				
क.	स्थायी अग्रिम	3.70	105.00	105.00	117.00
ख.	निगम के कर्मचारी को अग्रिम				
	i. स्थानांतरण पर अग्रिम वेतन	0.30	2.00	2.00	2.00
	ii. स्थानांतरण पर अग्रिम यात्रा भत्ता	1.69	480.00	550.00	625.00
	iii. दौरे पर अग्रिम यात्रा भत्ता	226.21	650.00	635.00	725.00
	iv. छुट्टी यात्रा रियायत के लिए अग्रिम	594.87	2450.00	2450.00	2650.00
	v. मोटर वाहन की खरीद के लिए अग्रिम	0.00	0.00	0.00	0.00
	vi. कंप्यूटर एडवांस	245.42	1050.00	1050.00	1150.00
	vii. अन्य वाहन की खरीद के लिए अग्रिम	0.00	0.00	0.00	0.00
	viii. गृह निर्माण अग्रिम	153.48	3400.00	3400.00	3400.00
	ix. विविध अग्रिम (त्योहार, बाढ़ और पंखा अग्रिम)	201.08	175.00	275.00	300.00
	कुल	1426.75	8312.00	8467.00	8969.00
ग.	अन्य अग्रिम				
	I. राज्य सरकार/निर्माण एजेंसियों को भुगतान किया गया अग्रिम	16106.80	10000.00	15000.00	15000.00
	II. विविध	64345.74	50000.00	50000.00	50000.00
	III विशेष अग्रिम	13870.02	25000.00	1000.00	1000.00
	कुल अग्रिम:	95749.31	101624.00	82934.00	83938.00
*माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में जमा अग्रिम शामिल है					
6ड	धन प्रेषण				
	नकद प्रेषण (क)	1775262.07	2000000.00	2000000.00	2000000.00
	अन्य प्रेषण (ख)	1815342.6	2000000.00	2000000.00	2000000.00
	कुल धन प्रेषण:	3590604.67	4000000.00	4000000.00	4000000.00
	कुल- ऋण, आरक्षित निधि जमा, अग्रिम और धन प्रेषण (6क+6ख+6ग+6घ+6ड):	3955858.90	4090788.00	4297333.00	4066654.00
7	कुल संवितरण:	5626391.85	6390390.00	6412443.00	6679625.00
8	क.रा.बी. सामान्य आरक्षित निधि:-				
	I. वर्ष के दौरान (ग) निवेश (शुद्ध प्राप्ति)	964649.26	-154189.50	906801.24	0.00
	II. कटौती- आरक्षित निधि निवेश खाते हस्तांतरण	236169.89	-30704.00	184999.00	-48284.00
	क.रा.बी. सामान्य आरक्षित निधि में हस्तांतरित किया गया अधिशेष	728479.37	-123485.00	721802.24	490746.00
9	अंत शेष (हाथ/बैंक में नकदी)	3301.24	5000.00	2500.00	2500.00
10	कुल योग व्यय	6350903.64	6271904.50	7139245.24	7172871.00



FINANCIAL ESTIMATES AND PERFORMANCE BUDGET 2024-2025

REVISED ESTIMATES FOR THE YEAR 2023-2024 BUDGET ESTIMATES FOR THE YEAR 2024-2025 STATEMENT-B EXPENDITURE					
	Head of Account	Actual 2022-2023	Budget Estimates 2023-2024	Revised Estimates 2023-2024	Budget Estimates 2024-2025
(₹ in Lakhs)					
6D	ADVANCES				
a.	Permanent advance	3.70	105.00	105.00	117.00
b.	Advance to employee of the Corporation				
	i. Advance of pay on transfer	0.30	2.00	2.00	2.00
	ii. Advance on TA on transfer	1.69	480.00	550.00	625.00
	iii. Advance of TA on Tour	226.21	650.00	635.00	725.00
	iv. Advance for LTC	594.87	2450.00	2450.00	2650.00
	v. Advance for purchase of motor conveyance	0.00	0.00	0.00	0.00
	vi. Computer Advance	245.42	1050.00	1050.00	1150.00
	vii. Advance for purchase of other conveyance	0.00	0.00	0.00	0.00
	viii. House Building Advance	153.48	3400.00	3400.00	3400.00
	ix. Miscellaneous Advances (Festival Flood & Fan advances)	201.08	175.00	275.00	300.00
	Total	1426.75	8312.00	8467.00	8969.00
c.	Other Advances				
	I. Advances paid to State Govt./construction agencies.	16106.80	10000.00	15000.00	15000.00
	II. Miscellaneous	64345.74	50000.00	50000.00	50000.00
	III Special Advances	13870.02	25000.00	1000.00	1000.00
	Total Advances:	95749.31	101624.00	82934.00	83938.00
*Includes advance deposited with Hon'ble Delhi High Court					
6E	Remittances				
	Cash Remittances(a)	1775262.07	2000000.00	2000000.00	2000000.00
	Other Remittances (b)	1815342.6	2000000.00	2000000.00	2000000.00
	TOTAL REMITTANCES:	3590604.67	4000000.00	4000000.00	4000000.00
	Total-Debts, Reserve Funds Deposits, Advances and Remittances (6A+6B+6C+6D+6E):	3955858.90	4090788.00	4297333.00	4066654.00
	TOTAL DISBURSEMENT:	5626391.85	6390390.00	6412443.00	6679625.00
7	ESI General Reserve: -				
8	I. Investment during the(c) year (Net of Realisation)	964649.26	-154189.50	906801.24	0.00
	II. Deduct-transfers to reserve fund investment account	236169.89	-30704.00	184999.00	-48284.00
	Surplus Transferred to ESI General Reserve	728479.37	-123485.00	721802.24	490746.00
9	Closing balance (Cash in hand)/Bank	3301.24	5000.00	2500.00	2500.00
10	GRAND TOTAL EXPENDITURE	6350903.64	6271904.50	7139245.24	7172871.00
(a)	The term 'Cash Remittances' denotes transfer of funds (cash) from one account circle to the other and vice versa.				



वित्तीय प्राक्कलन तथा निष्पादन बजट 2024-2025

वर्ष 2023-2024 के लिए परिशोधित प्राक्कलन वर्ष 2024-2025 के लिए बजट प्राक्कलन विवरण-ख व्यय					
	लेखा शीर्ष	वास्तविक 2022-2023	बजट प्राक्कलन 2023-2024	परिशोधित प्राक्कलन 2023-2024	बजट प्राक्कलन 2024-2025
(₹ लाख में)					
(क)	'नकद प्रेषण' शब्द एक लेखा चक्र से दूसरे लेखा चक्र एवं इसी प्रकार से क्रम से निधियों (नकद) के अंतरण को दर्शाता है। निगम का राजस्व भारतीय स्टेट बैंक और उसके सहयोगी बैंकों के माध्यम से एकत्र किया जाता है। प्राप्त अंशदान को साप्ताहिक आधार पर टेलीग्राफिक ट्रांसफर के माध्यम से खाता संख्या 1 केंद्रीय (मुख्यालय) में अंतरित किया जाता है।				
(ख)	'अन्य प्रेषण' शब्द निगम के एक कार्यालय और दूसरे कार्यालय के बीच बही खातागत समायोजन को दर्शाता है। निगम के एक कार्यालय में होने वाले संव्यवहार और इसके दूसरे कार्यालय की बहीखाते में समायोज्य होने वाले संव्यवहार को विनिमय खाते के माध्यम से अंतरित किया जाता है और इस शीर्ष के तहत प्रदर्शित किए जाते हैं।				

टी. एल. यादेन

टी.एल. यादेन

वित्त आयुक्त



FINANCIAL ESTIMATES AND PERFORMANCE BUDGET 2024-2025

REVISED ESTIMATES FOR THE YEAR 2023-2024 BUDGET ESTIMATES FOR THE YEAR 2024-2025 STATEMENT-B EXPENDITURE					
	Head of Account	Actual 2022-2023	Budget Estimates 2023-2024	Revised Estimates 2023-2024	Budget Estimates 2024-2025
(₹ in Lakhs)					
(a)	The term 'Cash Remittances' denotes transfer of funds (cash) from one account circle to the other and vice versa. The revenue of the Corporation is collected through the State Bank of India and its associate banks. The contribution received are transferred weekly to the Account No.1 Central (Hqrs. Office) through telegraphic transfers.				
(b)	The term 'Other Remittance' denotes book adjustments between one office of the Corporation and the other. Transactions originating in one office of the Corporation but adjustable in the books of its another office are transferred through Exchange Account and exhibited under this Head.				

T.L. YADEN

FINANCIAL COMMISSIONER



वित्तीय प्राक्कलन तथा निष्पादन बजट 2024-2025

परिशिष्ट - 1

31 मार्च 2021 और 2023 तक व्याप्त किए गए कर्मचारियों की संख्या
और इस योजना के अंतर्गत 31 मार्च, 2024 और 31 मार्च, 2025 तक व्याप्त किए जाने की योजना

क्र.सं.	राज्य / क्षेत्र	कर्मचारियों की संख्या					
		31-3-2022 की स्थिति के अनुसार	31-3-2023 की स्थिति के अनुसार	1.4.2023 से 31.3.2024 के दौरान चरणबद्ध	31-3-2024 की स्थिति के अनुसार	1.4.2024 से 31.3.2025 के दौरान चरणबद्ध	31-3-2025 की स्थिति के अनुसार
1	2	3	4	5	6	7	8
	आंध्र प्रदेश						
1	i) तिरुपति	230550	262340	25237	287577	27665	315242
	ii) विजयवाड़ा	542510	575510	55364	630874	60690	691564
	iii) विशाखापट्टनम	332800	355660	34214	389874	37506	427380
2	तेलंगाना	1399860	1545930	148718	1694648	163025	1857674
3	असम, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश	283297	306680	40041	336183	43893	368523
4	बिहार	327620	376980	36265	413245	39754	453000
5	चंडीगढ़ (यूटी)	118760	127660	12281	139941	13462	153403
6	छत्तीसगढ़	459590	502070	48299	550369	52946	603315
	दिल्ली						
7	i) राजेंद्र प्लेस	310550	316600	30457	347057	33387	380444
	ii) नंद नगरी	154500	164940	15867	180807	17394	198201
8	iii) रोहिणी	203840	222210	21377	243587	23433	267020
9	iv) ओखला	527280	543690	52303	595993	57335	653328
10	गोवा	153390	174580	16795	191375	18410	209785
	गुजरात						
11	i) अहमदाबाद	666280	722820	69535	792355	76225	868580
12	ii) वडोदरा	392690	420860	40487	461347	44382	505728
13	iii) सूरत	341410	368360	35436	403796	38845	442641
	हरियाणा						
14	i) फरीदाबाद	773410	829090	79758	908848	87431	996280
15	ii) गुड़गांव	945550	1036680	99729	1136409	109323	1245731
16	iii) करनाल	257810	289470	27847	317317	30526	347843
17	हिमाचल प्रदेश	305720	326520	31411	357931	34433	392364
18	जम्मू व कश्मीर	111440	119510	11497	131007	12603	143610
19	झारखंड	393410	452220	43504	495724	47689	543412
	कर्नाटक						
20	i) बेंगलुरु	806240	867090	83414	950504	91438	1041943
21	ii) हबली	320690	352470	33908	386378	37170	423547
22	iii) पीण्चा	418720	455060	43777	498837	47988	546825
23	iv) बोम्मसंद्रा	540280	599130	57636	656766	63181	719947
24	v) गुलबर्गा	158040	175720	16904	192624	18530	211155
25	vi) मैसूर	231050	248260	23883	272143	26180	298323
26	vii) मेंगलोर	172250	183700	17672	201372	19372	220744
	केरल						
27	i) विश्वर	137420	912020	14113	160813	15470	176283
28	ii) एर्नाकुलम	339400	368780	35477	404257	38889	443146
29	iii) कोल्लम	126630	126310	12151	138461	13320	151781



FINANCIAL ESTIMATES AND PERFORMANCE BUDGET 2024-2025

APPENDIX - I

NUMBER OF EMPLOYEES COVERED UPTO 31ST MARCH 2021 AND 2023 AND PLANNED TO BE COVERED UNDER THE SCHEME UPTO 31ST MARCH, 2024 AND 31ST MARCH, 2025

S.No.	STATE / REGION	No. of Employees					
		As on 31-3-2022	As on 31.03.202 3	Phased during 1.4.23 to 31.3.202 4	As on 31-3-2024	Phased during 1.4.2024 to 31.3.2025	As on 31-3-2025
1	2	4	3	4	6	7	8
	ANDHRA PRADESH						
1	i) TIRUPATI	230550	262340	25237	287577	27665	315242
	ii) VIJAYAWADA	542510	575510	55364	630874	60690	691564
	iii) VISAKHAPATNAM	332800	355660	34214	389874	37506	427380
2	TELANGANA	1399860	1545930	148718	1694648	163025	1857674
3	ASSAM, MEGHALYA, NAGALAND, SIKKIM, TRIPURA, MANIPUR, MIZORAM & ARUNACHAL PRADESH	283297	306680	40041	336183	43893	368523
4	BIHAR	327620	376980	36265	413245	39754	453000
5	CHANDIGARH(UT)	118760	127660	12281	139941	13462	153403
6	CHATTISGARH	459590	502070	48299	550369	52946	603315
	DELHI						
7	i) RAJENDER PLACE	310550	316600	30457	347057	33387	380444
	ii) NAND NAGARI	154500	164940	15867	180807	17394	198201
8	iii) ROHINI	203840	222210	21377	243587	23433	267020
9	iv) OKHLA	527280	543690	52303	595993	57335	653328
10	GOA	153390	174580	16795	191375	18410	209785
	GUJARAT						
11	i) AHMEDABAD	666280	722820	69535	792355	76225	868580
12	ii) VADODARA	392690	420860	40487	461347	44382	505728
13	iii) SURAT	341410	368360	35436	403796	38845	442641
	HARYANA						
14	i) FARIDABAD	773410	829090	79758	908848	87431	996280
15	ii) GURGOAN	945550	1036680	99729	1136409	109323	1245731
16	iii) KARNAL	257810	289470	27847	317317	30526	347843
17	H.P.	305720	326520	31411	357931	34433	392364
18	J & K	111440	119510	11497	131007	12603	143610
19	JHARKHAND	393410	452220	43504	495724	47689	543412
	KARNATAKA						
20	i) BANGALORE	806240	867090	83414	950504	91438	1041943
21	ii) HUBLI	320690	352470	33908	386378	37170	423547
22	iii) PEENYA	418720	455060	43777	498837	47988	546825
23	iv) BOMASUNDRA	540280	599130	57636	656766	63181	719947
24	v) GULBARGA	158040	175720	16904	192624	18530	211155
25	vi) MYSORE	231050	248260	23883	272143	26180	298323
26	vii) MANGALORE	172250	183700	17672	201372	19372	220744
	KERALA						
27	i) THRISSUR	137420	912020	14113	160813	15470	176283
28	ii) ERNAKULAM	339400	368780	35477	404257	38889	443146
29	iii) KOLLAM	126630	126310	12151	138461	13320	151781



वित्तीय प्राक्कलन तथा निष्पादन बजट 2024-2025

क्र.सं	राज्य / क्षेत्र	कर्मचारियों की संख्या					
30	iv) कोझिकोड	142540	150670	14494	165164	15889	181053
31	v) तिरुवनंतपुरम	114160	119560	11502	131062	12608	143670
	मध्य प्रदेश						
32	i) इंदौर	571760	648810	62416	711226	68420	779645
33	ii) भोपाल	303240	356740	34318	391058	37620	428678
	महाराष्ट्र						
34	i) लोअर परेल	406100	451760	43459	495219	47640	542859
35	ii) मरोल	626560	685460	65941	751401	72285	823686
36	iii) ठाणे	627310	680790	65492	746282	71792	818074
37	iv) नागपुर	316030	351880	33851	385731	37107	422838
38	v) औरंगाबाद	249840	275050	26460	301510	29005	330515
39	vi) पुणे	1167580	1319620	126947	1446567	139160	1585727
40	vii) नासिक	193680	235310	22637	257947	24814	282761
	ओडिशा						
41	भुवनेश्वर	527330	633640	60956	694596	66820	761416
42	झारसुगुडा	160380	197240	18974	216214	20800	237014
43	पुदुच्चेरी, माहे और येनम	94160	98230	9450	107680	10359	118039
	पंजाब						
44	i) चंडीगढ़ (पंजाब)	436380	465700	44800	510500	49110	559610
45	ii) जालंधर	279900	292850	28172	321022	30882	351905
46	iii) लुधियाना	389490	398320	38318	436638	42005	478643
	राजस्थान						
47	i) जयपुर	829580	907480	87300	994780	95698	1090477
48	ii) उदयपुर	190400	210080	20210	230290	22154	252444
49	iii) जोधपुर	171960	187530	18040	205570	19776	225346
	तमिलनाडु						
50	i) चेन्नै	1524800	1702000	163732	1865732	179483	2045216
51	ii) तिरुनेलवेली	171610	176690	16998	193688	18633	212320
52	iii) सेलम	377990	463620	44600	508220	48891	557111
53	iv) कोयंबटूर	708560	801540	77108	878648	84526	963174
54	v) मदुरै	405570	414110	39837	453947	43670	497617
55	vi) अंडमान द्वीपसमूह	1090	3520	339	3859	371	4230
	सिक्किम	24003	26400	2540	28940	2784	31724
	उत्तर प्रदेश						
56	i) कानपुर	441790	476870	45875	522745	50288	573033
57	ii) वाराणसी	126500	137910	13267	151177	14543	165720
58	iii) नोएडा	1066450	1205130	115934	1321064	127086	1448150
59	iv) लखनऊ	482590	546100	52535	598635	57589	656223
60	उत्तराखंड	526370	568400	54680	623080	59940	683020
	पश्चिम बंगाल						
61	i) बैरकपुर	285120	290080	27906	317986	30590	348576
62	ii) कोलकाता	1194120	1241770	119458	1361228	130950	1492178
63	iii) दुर्गापुर	244780	258200	24839	283039	27228	310267
	अखिल भारतीय	27862710	30542660	2938204	33480864	3220859	36701723



FINANCIAL ESTIMATES AND PERFORMANCE BUDGET 2024-2025

S.No.	STATE / REGION	No. of Employees					
30	iv) KOZHIKODE	142540	150670	14494	165164	15889	181053
31	v) THIRUNANTHAN PURAM	114160	119560	11502	131062	12608	143670
	M. P.						
32	i) INDORE	571760	648810	62416	711226	68420	779645
33	ii) BHOPAL	303240	356740	34318	391058	37620	428678
	MAHARASHTRA						
34	i) LOWER PAREL	406100	451760	43459	495219	47640	542859
	ii) MAROL	626560	685460	65941	751401	72285	823686
36	iii) THANE	627310	680790	65492	746282	71792	818074
37	iv) NAGPUR	316030	351880	33851	385731	37107	422838
38	v) AURANGABAD	249840	275050	26460	301510	29005	330515
39	vi) PUNE	1167580	1319620	126947	1446567	139160	1585727
40	vii) NASIK	193680	235310	22637	257947	24814	282761
	ODISHA						
41	BHUBANESHWAR	527330	633640	60956	694596	66820	761416
42	JHARSUGUDA	160380	197240	18974	216214	20800	237014
43	PUDUCHERRY, MAHE & YENAM	94160	98230	9450	107680	10359	118039
	PUNJAB						
44	i) CHANDIGARH (PB)	436380	465700	44800	510500	49110	559610
	ii) JALANDHAR	279900	292850	28172	321022	30882	351905
46	iii) LUDHIANA	389490	398320	38318	436638	42005	478643
	RAJASTHAN						
47	i) JAIPUR	829580	907480	87300	994780	95698	1090477
48	ii) UDAIPUR	190400	210080	20210	230290	22154	252444
49	iii) JODHPUR	171960	187530	18040	205570	19776	225346
	TAMIL NADU						
50	i) CHENNAI	1524800	1702000	163732	1865732	179483	2045216
51	ii) TIRUNELVELI	171610	176690	16998	193688	18633	212320
52	iii) SALEM	377990	463620	44600	508220	48891	557111
53	iv) COIMBATORE	708560	801540	77108	878648	84526	963174
54	v) MADURAI	405570	414110	39837	453947	43670	497617
55	vi) AN ISLANDS	1090	3520	339	3859	371	4230
	SIKKIM	24003	26400	2540	28940	2784	31724
	UTTAR PRADESH						
56	i) KANPUR	441790	476870	45875	522745	50288	573033
57	ii) VARANASI	126500	137910	13267	151177	14543	165720
58	iii) NOIDA	1066450	1205130	115934	1321064	127086	1448150
59	iv) LUCKNOW	482590	546100	52535	598635	57589	656223
60	UTTRAKHAND	526370	568400	54680	623080	59940	683020
	WEST BENGAL						
61	i) BARRACKPORE	285120	290080	27906	317986	30590	348576
62	ii) KOLKATA	1194120	1241770	119458	1361228	130950	1492178
63	iii) DURGAPUR	244780	258200	24839	283039	27228	310267
	ALL INDIA	27862710	30542660	2938204	33480864	3220859	36701723



वित्तीय प्राक्कलन तथा निष्पादन बजट 2024-2025

परिशिष्ट- II

प्रति व्यक्ति आय-व्यय का सूचक विवरण

वर्ष	प्रतिवर्ष प्रति कर्मचारी अंशदान आय की राशि	राजस्व लेखों में व्यय	अन्तर
1999-2000	1,578	1,261	317
2000-2001	1,608	1,306	302
2001-2002	1,676	1,397	279
2002-2003	1,840	1,488	352
2003-2004	1,961	1,564	397
2004-2005	2,306	1,602	704
2005-2006	2,421	1,577	844
2006-2007	2,782	1,503	1,279
2007-2008	3,196	1,485	1,711
2008-2009	3,115	1,711	1,404
2009-2010	2,944	2,020	924
2010-2011	3,919	2,229	1,690
2011-2012	4,449	2,637	1,812
2012-2013	4,937	3,438	1,499
2013-2014	5,679	3,883	1,796
2014-2015	6,052	4,298	1,754
2015-2016	6,054	4,400	1,654
2016-2017	6,127	4,326	1,801
2017-2018	6,258	3,542	2,716
2018-2019	7,127	3,535	3,592
2019-2020	5,370	5,331	39
2020-2021	4,956	4,949	7.43
2021-2022	5,828	6,543	-715
2022-2023	5959.44	5388.72	560.72
2023-2024 (बजट प्राक्कलन)	6522.76	5977.89	544.87
2024-2025 (बजट प्राक्कलन)	6545.36	6136.06	410.30

टिप्पणियाँ :

- क) क.रा.बी.अधिनियम के अधीन व्याप्ति के लिए मजदूरी सीमा दिनांक 1.10.2006 से ₹ 7,500/- से बढ़ाकर ₹ 10,000/- प्रतिमाह कर दी गई है।
- ख) क.रा.बी.अधिनियम के अधीन व्याप्ति के लिए मजदूरी सीमा दिनांक 01.05.2010 से ₹ 10,000/- से बढ़ाकर ₹ 15,000/- प्रतिमाह कर दी गई है।
- ग) क.रा.बी.अधिनियम के अधीन व्याप्ति के लिए मजदूरी सीमा दिनांक 01.01.2017 से ₹ 15,000/- से बढ़ाकर ₹ 21,000/- प्रतिमाह कर दी गई है।



FINANCIAL ESTIMATES AND PERFORMANCE BUDGET 2024-2025

APPENDIX - II

STATEMENT SHOWING PER CAPITA INCOME & EXPENDITURE

Year	Amount per annum per employee's Contribution Income	Expenditure on Revenue Account	MARGIN
1999-2000	1,578	1,261	317
2000-2001	1,608	1,306	302
2001-2002	1,676	1,397	279
2002-2003	1,840	1,488	352
2003-2004	1,961	1,564	397
2004-2005	2,306	1,602	704
2005-2006	2,421	1,577	844
2006-2007	2,782	1,503	1,279
2007-2008	3,196	1,485	1,711
2008-2009	3,115	1,711	1,404
2009-2010	2,944	2,020	924
2010-2011	3,919	2,229	1,690
2011-2012	4,449	2,637	1,812
2012-2013	4,937	3,438	1,499
2013-2014	5,679	3,883	1,796
2014-2015	6,052	4,298	1,754
2015-2016	6,054	4,400	1,654
2016-2017	6,127	4,326	1,801
2017-2018	6,258	3,542	2,716
2018-2019	7,127	3,535	3,592
2019-2020	5,370	5,331	39
2020-2021	4,956	4,949	7.43
2021-2022	5,828	6,543	-715
2022-2023	5959.44	5388.72	570.72
2023-2024 (Revised Estimates)	6522.76	5977.89	544.87
2024-2025 (Budget Estimates)	6545.36	6135.06	410.30

NOTES:

- Wage limit for coverage under ESI Act was increased from ₹ 7500/- to ₹ 10000/- w.e.f. 1.10.2006.
- Wage limit for coverage under ESI Act was increased from ₹ 10000/- to ₹ 15000/- w.e.f.01.05.2010.
- Wage limit for coverage under ESI Act. Has been increased from ₹ 15000/- to ₹ 21000/- w.e.f. 01.01.2017.



वित्तीय प्राक्कलन तथा निष्पादन बजट 2024-2025

परिशिष्ट- III

चिकित्सा संस्थाओं, अस्पताल व औषधालयों तथा कार्यालय भवनों के संबंध में आरंभ की गई पूंजीगत परियोजनाओं के विवरण :
परिशोधित प्राक्कलन 2023-2024 तथा बजट प्राक्कलन 2024-2025 में उनकी निधि संबंधी आवश्यकताएँ

क्र.सं.	परियोजना का नाम एवं स्थान	परियोजना की लागत	दिनांक 01.04.2023 से 30.9.2023 तक किया गया वास्तविक व्यय	1.10.2023 से 31.3.2024 तक निधि की आवश्यकता	संशोधित प्राक्कलन 2023 - 2024 (6 = 4+5)	बजट प्राक्कलन 2024 -2025
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
						(₹ करोड़ में)
क. चिकित्सा संस्थान :						
1	फ़रीदाबाद, हरियाणा में चिकित्सा महाविद्यालय का निर्माण	0.00	0.00	0.25	0.25	200.00
2	मंडी (हिमाचल प्रदेश) में कर्मचारी राज्य बीमा निगम चिकित्सा महाविद्यालय का निर्माण	730.06	0.00	0.00	0.00	30.43
3	कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल बसईंदारपुर में स्नातकोत्तर संस्थान सह चिकित्सा महाविद्यालय	485.24	0.00	0.00	0.00	50.00
4	कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल बसईंदारपुर में पुनरुद्धार और स्टाफ स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम	9.71	0.00	0.00	0.00	0.50
5	कर्मचारी राज्य बीमा दंत्य महाविद्यालय का निर्माण (प्रथम वर्ष), सेक्टर-15, रोहिणी, नई दिल्ली।	8.41	0.00	0.00	0.00	0.10
6	कर्मचारी राज्य बीमा दंत्य महाविद्यालय(द्वितीय वर्ष) सेक्टर-15, रोहिणी, नई दिल्ली का निर्माण	5.45	0.00	0.00	0.00	0.20
7	कर्मचारी राज्य बीमा दंत्य महाविद्यालय का निर्माण (तृतीय वर्ष), सेक्टर-15, रोहिणी, नई दिल्ली।	9.09	0.00	0.00	0.00	0.71
8	चिकित्सा महाविद्यालय, बिहटा, पटना का निर्माण	603.6	0.00	0.00	0.00	0.00
9	मौजूदा चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, जोका, पश्चिम बंगाल में लंबित ऑडिटोरियम इंटीरियर कार्यों को पूरा करना	7.85	0.78	3.93	4.71	3.14
10	मानिकतला, कोलकाता में पीजी संस्थान का निर्माण	91.20	0.00	0.65	0.65	5.00
11	जोका, कोलकाता में स्नातकोत्तर संस्थान सह चिकित्सा महाविद्यालय का निर्माण	416.03	0.00	28.00	28.00	18.00
12	चिकित्सा महाविद्यालय, एमजीएम परेल, मुंबई पीएच-1 का निर्माण	144.94	0.00	0.00	0.00	20.00
13	परेल, मुंबई पीएच-II में नर्सिंग महाविद्यालय और स्नातकोत्तर हॉस्टल/स्टाफ आवास का निर्माण	83.14	0.00	0.00	0.00	0.00
14	चिकित्सा महाविद्यालय, अलवर का निर्माण	904.08	0.00	0.00	0.00	18.04
15	कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल अंधेरी, मुंबई का उन्नयन एवं विस्तार	250.15	10.02	10.00	20.02	15.00



FINANCIAL ESTIMATES AND PERFORMANCE BUDGET 2024-2025

APPENDIX - III

DETAILS OF CAPITAL PROJECTS UNDERTAKEN IN RESPECT OF MEDICAL INSTITUTIONS, HOSPITAL & DISPENSARIES AND OFFICE BUILDINGS: THEIR FUND REQUIREMENT IN REVISED ESTIMATES 2023-2024 & BUDGET ESTIMATES 2024-2025

Sl. No.	Name of the project & place	Cost of the project	Actual expenditure incurred from 01.04.2023 to 30.9.2023	Fund requirement from 1.10.2023 to 31.3.2024	Revised Estimates 2023-2024 (6 = 4+5)	Budget Estimates 2024-2025
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
(₹ in crore)						
A. MEDICAL INSTITUTIONS:						
1	CONSTRUCTION OF MED. COLLEGE, FARIDABAD, HARYANA.	0.00	0.00	0.25	0.25	200.00
2	CONSTRUCTION OF ESIC MED. COLLEGE AT MANDI (H.P)	730.06	0.00	0.00	0.00	30.43
3	P G INSTITUTE CUM MEDICAL COLLEGE AT ESI HOSPITAL BASAIDARAPUR.	485.24	0.00	0.00	0.00	50.00
4	RENOVATION AND STAFF PG COURSE AT ESI HOSPITAL BASAIDARAPUR.	9.71	0.00	0.00	0.00	0.50
5	CONSTRUCTION OF ESI DENATL COLLEGE (1ST YEAR), SEC-15, ROHINI , NEW DELHI.	8.41	0.00	0.00	0.00	0.10
6	CONSTRUCTION OF ESI DENATL COLLEGE (II ND YEAR), SEC-15, ROHINI , NEW DELHI.	5.45	0.00	0.00	0.00	0.20
7	CONSTRUCTION OF ESI DENATL COLLEGE (III ND YEAR), SEC-15, ROHINI , NEW DELHI.	9.09	0.00	0.00	0.00	0.71
8	Construction of Medical College, Bhita, Patna	603.6	0.00	0.00	0.00	0.00
9	Completion of pending auditorium interior works in existing medical college and hospital, JOKA,WB	7.85	0.78	3.93	4.71	3.14
10	Contraction of PG Institute at Manicktala, Kolkata	91.20	0.00	0.65	0.65	5.00
11	Construction of PG Institute cum Medical College at JOKA, Kolkata	416.03	0.00	28.00	28.00	18.00
12	CONSTRUCTION OF MEDICAL COLLEGE, MGM PAREL, MUMBAI PH-1	144.94	0.00	0.00	0.00	20.00
13	CONSTRUCTION OF NURING COLLEGE AND PG HOSTEL/ STAFF HOUSING AT PAREL, MUMBAI PH-II	83.14	0.00	0.00	0.00	0.00
14	CONSTRUCTION OF MEDICAL COLLEGE , ALWAR	904.08	0.00	0.00	0.00	18.04
15	UPGRADATION & EXTENSION OF ESIC HOSPITAL ANDHERI, MUMBAI	250.15	10.02	10.00	20.02	15.00



वित्तीय प्राक्कलन तथा निष्पादन बजट 2024-2025

क्र.सं.	परियोजना का नाम एवं स्थान	परियोजना की लागत	दिनांक 01.04.2023 से 30.9.2023 तक किया गया वास्तविक व्यय	1.10.2023 से 31.3.2024 तक निधि की आवश्यकता	संशोधित प्राक्कलन 2023 - 2024 (6 = 4+5)	बजट प्राक्कलन 2024 -2025
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
						(₹ करोड़ में)
16	अंधेरी, मुंबई(पीएच-II) में कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल के लिए स्नातकोत्तर हॉस्टल/ स्टाफ आवास का निर्माण	61.47	12.93	0.00	12.93	10.00
17	कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल, अंधेरी, मुंबई में स्टाफ क्वार्टरों का पुनरुद्धार और मरम्मत।	6.53	0.00	0.00	0.00	0.00
18	परिपल्ली, कोल्लम, केरल में चिकित्सा महाविद्यालय का निर्माण	544.26	0.00	0.00	0.00	69.00
19	इंदिरा नगर, कर्नाटक में नर्सिंग महाविद्यालय एवं अस्पताल एवं 1000 सीटों वाले सभागार का निर्माण	72.02	0.00	0.00	0.00	7.00
20	गुलबर्गा में परा चिकित्सा एवं संबद्ध स्वास्थ्य विज्ञान केंद्र का निर्माण	308.15	0.00	0.00	0.00	7.00
21	राजाजी नगर, बेंगलूर, कर्नाटक में चिकित्सा महाविद्यालय का निर्माण	319.01	0.00	1.00	1.00	19.00
22	के.के. नगर चेन्नै में कर्मचारी राज्य बीमा निगम के लिए स्नातकोत्तर संस्थान परा चिकित्सा महाविद्यालय का निर्माण	372.95	0.00	10.00	10.00	15.00
23	कोयंबटूर, तमिलनाडु में कर्मचारी राज्य बीमा निगम चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल का निर्माण	563.17	0.00	0.00	0.00	9.42
24	कर्मचारी राज्य बीमा निगम चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल परिसर सनतनगर में 335 स्टाफ क्वार्टरों को ठहाना और बुनियादी ढांचे का पुनर्विकास	6.06	0.00	3.00	3.00	3.06
25	नाचाराम, तेलंगाना में कर्मचारी राज्य बीमा परियोजना पूर्ण अस्पताल (तत्कालीन दंत्य महाविद्यालय) का निर्माण	244.49	0.00	0.00	0.00	18.11
26	सनतनगर, तेलंगाना में कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल का निर्माण	676.16	0.00	13.37	13.37	0.00
27	गुलबर्गा	1190.88	0.00	0.00	0.00	13.8
28	कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल का फेसलिफिटिंग/विस्तार और दंत्य महाविद्यालय वाशी मुंबई का निर्माण	136.09	0.00	10.00	10.00	12.54
29	पांडु नगर, कानपुर में कर्मचारी राज्य बीमा निगम दंत्य महाविद्यालय का निर्माण और कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल का पुनरुद्धार	90.24	0.00	0.00	0.00	17.00
	कुल (क)	8,340.43	23.73	80.20	103.93	562.05
	ख अस्पतालों/औषधालयों का निर्माण/पुनरुद्धार/उन्नयन					
1	करनाल, हरियाणा में कर्मचारी राज्य बीमा औषधालय सह नैदानिक केंद्र का निर्माण	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2	फरीदाबाद, सेक्टर-15ए, हरियाणा में कर्मचारी राज्य बीमा औषधालय	0.87	0.00	0.00	0.00	0.27



FINANCIAL ESTIMATES AND PERFORMANCE BUDGET 2024-2025

Sl. No.	Name of the project & place	Cost of the project	Actual expenditure incurred from 01.04.2023 to 30.9.2023	Fund requirement from 1.10.2023 to 31.3.2024	Revised Estimates 2023-2024 (6 = 4+5)	Budget Estimates 2024-2025
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
(₹ in crore)						
16	C/O PG HOSTEL/STAFF HOUSING FOR ESIC HOP. AT ANDHERI, MUMBAI. (PH-II)	61.47	12.93	0.00	12.93	10.00
17	RENOVATION & REPAIR OF STAFF QTRS AT ESIC HOSPITAL, ANDHERI, MUMBAI.	6.53	0.00	0.00	0.00	0.00
18	Construction Of Medical College At Paripally, Kollam, Kerala	544.26	0.00	0.00	0.00	69.00
19	Construction Of Nursing College & Hospital & 1000 Seater Auditorium At Indira Nagar, Karnataka	72.02	0.00	0.00	0.00	7.00
20	Construction Of Para- Medical And Allied Health Science Centre At Gulbarga	308.15	0.00	0.00	0.00	7.00
21	Construction Of Med.College, Rajaji Nagar, Bangalore, Karnataka.	319.01	0.00	1.00	1.00	19.00
22	Construction Of P.G Institute Para Medical College For Esic At K.K Nagar Chennai	372.95	0.00	10.00	10.00	15.00
23	Construction Of Esic Medical College & Hospital At Coimbatore, Tamilnadu	563.17	0.00	0.00	0.00	9.42
24	Demolition Of 335 Staff Quarters And Redevelopment Of Infrastructure At Esic Medical College And Hospital Campus Sanathnagar	6.06	0.00	3.00	3.00	3.06
25	Construction Of Esi Project Completed Hospital (Erstwhile Dental College) At Inc. Nacharam, Telangana	244.49	0.00	0.00	0.00	18.11
26	Construction Of Esi Medical College And Hospital At Sanath Nagar, Telangana	676.16	0.00	13.37	13.37	0.00
27	GULBARGA	1190.88	0.00	0.00	0.00	13.8
28	FACE LIFTING/EXPANSION OF ESI HOSPITAL & CONSTRUCTION OF DENTAL COLLEGE VASHI MUMBAI	136.09	0.00	10.00	10.00	12.54
29	Construction of ESIC Dental College and Renovation of ESI Hospital at Pandu Nagar, Kanpur	90.24	0.00	0.00	0.00	17.00
TOTAL (A)		8,340.43	23.73	80.20	103.93	562.05
B. CONSTRUCTION/RENOVATION/UPGRADATION OF HOSPITALS/DISPENSARIES						
1	CONSTN. OF ESI DISP.CUM DIAGNOSTIC CENTRE AT KARNAL, HR.	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2	ESI DISPENSARY AT FARIDABAD, SEC-15A, HR.	0.87	0.00	0.00	0.00	0.27



वित्तीय प्राक्कलन तथा निष्पादन बजट 2024-2025

क्र.सं.	परियोजना का नाम एवं स्थान	परियोजना की लागत	दिनांक 01.04.2023 से 30.9.2023 तक किया गया वास्तविक व्यय	1.10.2023 से 31.3.2024 तक निधि की आवश्यकता	संशोधित प्राक्कलन 2023 - 2024 (6 = 4+5)	बजट प्राक्कलन 2024 -2025
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
(₹ करोड़ में)						
3	मुरधल, हरियाणा में कर्मचारी राज्य बीमा औषधालय का निर्माण	4.69	0.00	0.00	0.00	0.00
4	मानेसर हरियाणा में 100 बिस्तरों वाले कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल का निर्माण (पहले से ही उद्घाटन किया गया)	68.74	0.00	0.00	0.00	3.00
5	बददी, हिमाचल प्रदेश में कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल का निर्माण।	59.67	0.00	0.00	0.00	3.20
6	ओटी ब्लॉक कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल बसईंदारपुर का पुनरुद्धार	31.30	0.00	0.00	0.00	9.39
7	क.रा.बी. अस्पताल का पुनरुद्धार एवं विस्तार, ओखला	266.20	0.00	0.00	0.00	33.00
8	एनआईए-1, करमपुरा में कर्मचारी राज्य बीमा औषधालय का पुनरुद्धार	1.92	0.00	0.00	0.00	1.40
9	मायापुरी - I, नई दिल्ली में कर्मचारी राज्य बीमा औषधालय का पुनरुद्धार	1.58	0.00	0.00	0.00	1.17
10	सेक्टर-24 नोएडा अस्पताल को नया रूप देना	143.17	0.00	0.00	0.00	24.50
11	केंद्रीय चिकित्सा स्टोर का निर्माण एवं नि(चि.)दिल्ली, दिल्ली का नवीकरण	2.74	0.00	0.00	0.00	0.50
12	नरेला में कर्मचारी राज्य बीमा औषधालय का निर्माण	40.98	0.00	0.00	0.00	39.00
13	रोहिणी में एसटीपी और ईटीपी	1.03	0.00	0.00	0.00	0.41
14	100 बिस्तरों वाला कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल गुडगांव का निर्माण(पहले ही उद्घाटन किया जा चुका है।)	64.24	0.00	0.00	0.00	2.00
15	हिसार में कर्मचारी राज्य बीमा निगम औषधालय सह नैदानिक केंद्र का निर्माण	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00
16	उड़ीसा के भुवनेश्वर में कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल को नया रूप देना	74.99	0.00	0.00	0.00	0.00
17	सरोजिनी नगर, लखनऊ में 100 बिस्तरों वाले ट्रॉमा सेंटर का निर्माण और मौजूदा अस्पताल का पुनरुद्धार	101.55	0.00	0.00	0.00	10.00
18	झारसागुडा , ओडिशा में 5 चिकित्सक वाले औषधालय और स्टाफ क्वार्टर का निर्माण (अंतिम बिल का निपटान हुआ)	12.17	0.00	0.00	0.00	0.00
19	झारसागुडा , ओडिशा में 2 चिकित्सक वाले औषधालय और स्टाफ क्वार्टर का निर्माण (अंतिम बिल का निपटान हुआ)	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20	बापूनगर, अहमदाबाद में 300 बिस्तरों वाले कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल का निर्माण	125.74	0.00	0.00	0.00	6.31
21	मणिनगर खोखरा अहमदाबाद में डी-34 औषधालय का निर्माण	25.00	0.00	0.00	0.00	1.00



FINANCIAL ESTIMATES AND PERFORMANCE BUDGET 2024-2025

Sl. No.	Name of the project & place	Cost of the project	Actual expenditure incurred from 01.04.2023 to 30.9.2023	Fund requirement from 1.10.2023 to 31.3.2024	Revised Estimates 2023-2024 (6 = 4+5)	Budget Estimates 2024-2025
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
(₹ in crore)						
3	CONSTN. OF ESI DISPENSARY MURTHAL, HR.	4.69	0.00	0.00	0.00	0.00
4	CONSTN. OF 100 BEDDED ESI HOSP. AT MANESAR, HR (ALREADY INAUGURATED.)	68.74	0.00	0.00	0.00	3.00
5	CONSTRUCTION OF ESI HOSP. AT BADDI, H.P.	59.67	0.00	0.00	0.00	3.20
6	RENOVATION OF OT BLOCK ESI HOSP. BASAIDARAPUR.	31.30	0.00	0.00	0.00	9.39
7	RENOVATION AND EXPANSION OF ESI HOSP. OKHLA.	266.20	0.00	0.00	0.00	33.00
8	RENOVATION OF ESI DISP. AT NIA-1, KARAMPURA.	1.92	0.00	0.00	0.00	1.40
9	RENOVATION OF ESI DISP. AT MAYAPURI - I, NEW DELHI.	1.58	0.00	0.00	0.00	1.17
10	FACE LIFTING INTERIOR OF SECTOR-24 NOIDA HOSPITAL	143.17	0.00	0.00	0.00	24.50
11	C/O CENTRAL MEDICAL STORE & REFURBISHMENT DMD, Delhi	2.74	0.00	0.00	0.00	0.50
12	C/O ESI DISPENSARY AT NARELA	40.98	0.00	0.00	0.00	39.00
13	STP & ETP AT ROHINI	1.03	0.00	0.00	0.00	0.41
14	C/O 100 BEDDED ESIC HOSPITAL GURGAON (ALREADY INAUGURATED.)	64.24	0.00	0.00	0.00	2.00
15	C/O ESIC DISPENSARY CUM DIAGNOSTIC CENTRE AT HISSAR	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00
16	Facelift of ESI Hospital at Bhubaneswar, Orissa	74.99	0.00	0.00	0.00	0.00
17	Construction of 100 bedded Trauma Centre and Renovation of existing Hospital at Sarojini Nagar, Lucknow	101.55	0.00	0.00	0.00	10.00
18	Construction of 5 Doctor Dispensary and staff quarters Jharsaguda, Odisha (Final bill Settled)	12.17	0.00	0.00	0.00	0.00
19	Construction of 2 Doctor Dispensary and staff quarters Jharsaguda, Odisha (Final bill Settled)	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20	CONSTRUCTION OF 300 BEDDED ESI HOSPITAL BAPUNAGAR, AHMEDABAD.	125.74	0.00	0.00	0.00	6.31
21	C/O D-34 DISPENSARY AT MANINAGAR KHOKHARA AHMEDABAD	25.00	0.00	0.00	0.00	1.00



वित्तीय प्राक्कलन तथा निष्पादन बजट 2024-2025

क्र.सं.	परियोजना का नाम एवं स्थान	परियोजना की लागत	दिनांक 01.04.2023 से 30.9.2023 तक किया गया वास्तविक व्यय	1.10.2023 से 31.3.2024 तक निधि की आवश्यकता	संशोधित प्राक्कलन 2023 - 2024 (6 = 4+5)	बजट प्राक्कलन 2024 -2025
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7. (₹ करोड़ में)
22	जयपुर में कर्मचारी राज्य बीमा आदर्श अस्पताल।	214.36	0.00	0.00	0.00	16.95
23	परेल, मुंबई में एमजीएम स्टाफ आवास का पुनरुद्धार और मरम्मत	19.69	0.00	0.00	0.00	0.00
24	अंकलेश्वर में 100 बिस्तरों वाले अस्पताल का निर्माण	92.87	0.00	0.00	0.00	0.00
25	कोलाबा मुंबई में एमडीडीसी और औषधालय	16.92	0.00	0.00	0.00	1.60
26	मडगांव, गोवा में 50 बिस्तरों वाले कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल का 100 बिस्तरों वाले अस्पताल में विस्तार /उन्नयन	91.52	0.00	0.50	0.50	1.00
27	300 बिस्तरों वाले क.रा.बी. अस्पताल कादिवली का निर्माण	214.30	0.00	0.00	0.00	10.71
28	तिरुपति, आन्ध्र प्रदेश में कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल का पुनरुद्धार, मरम्मत एवं उन्नयन	108.94	0.00	0.00	0.00	12.94
29	ऑटो नगर, विजयवाड़ा, आन्ध्र प्रदेश में कर्मचारी राज्य बीमा औषधालय सह शाखा कार्यालय का निर्माण	6.37	0.00	0.00	0.00	0.02
30	जोदीमेटला में कर्मचारी राज्य बीमा निगम औषधालय सह नैदानिक केंद्र और स्टाफ हाउसिंग	25.90	0.00	0.00	0.00	0.64
31	तिरुनेलवेली(तमिलनाडु) में 50+50 बिस्तरों वाले कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल एवं क्षेत्रीय कार्यालय का निर्माण।	56.56	0.00	0.00	0.00	5.01
32	मौजूदा अस्पताल केके नगर, तमिलनाडु का पुनरुद्धार ।		अंतिम रूप देना बाकी है	0.00	0.00	20.00
33	कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल, हुबली का पुनरुद्धार	33.17	0.00	1.50	1.50	0.00
34	देवेनगिरि , कर्नाटक में कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल का पुनरुद्धार	29.53	0.00	1.20	1.20	0.00
35	कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल, मैसूर का पुनरुद्धार	35.32	0.00	1.30	1.30	0.00
36	पीन्या , कर्नाटक में कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल का निर्माण	125.14	0.00	0.00	0.00	5.00
37	तिरुवंतपुरम, केरल में डीआईएमएस भवन का निर्माण	10.62	0.00	0.00	0.00	0.02
38	कोल्लम, केरल में 5 चिकित्सकों वाला औषधालय	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00
39	पोरुवाड़ी , कोल्लम, केरल में 3 चिकित्सकों वाला औषधालय	2.28	0.00	0.00	0.00	0.15
40	पेरिनाडु कोल्लम केरल में 3 चिकित्सक वाले औषधालय का निर्माण	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00
41	कुलशेखरपुरम केरल में 2 चिकित्सक वाले औषधालय का निर्माण	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00
42	विलाकुडी केरल में 2 चिकित्सक वाले औषधालय का निर्माण	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00
43	वडवतूर केरल में 2 चिकित्सक वाले औषधालय का निर्माण	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00
44	कदमपांडु केरल में 05 चिकित्सक वाले औषधालय का निर्माण	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00
45	राजाजीनगर, बेंगलोर, कर्नाटक में अस्पताल का निर्माण	228.07	0.00	0.00	0.00	20.00



FINANCIAL ESTIMATES AND PERFORMANCE BUDGET 2024-2025

Sl. No.	Name of the project & place	Cost of the project	Actual expenditure incurred from 01.04.2023 to 30.9.2023	Fund requirement from 1.10.2023 to 31.3.2024	Revised Estimates 2023-2024 (6 = 4+5)	Budget Estimates 2024-2025
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
(₹ in crore)						
22	ESI MODEL HOSP. AT JAIPUR.	214.36	0.00	0.00	0.00	16.95
23	RENOVATION AND REPAIR OF MGM STAFF HOUSING AT PAREL, MUMBAI	19.69	0.00	0.00	0.00	0.00
24	C/O 100 BEEDED HOSPITAL AT ANKLESHWAR	92.87	0.00	0.00	0.00	0.00
25	MDDC & DISPENSARY AT COLABA MUMBAI	16.92	0.00	0.00	0.00	1.60
26	CONSTRUCTION OF EXTENSION / UPGRADATION OF 50 BEDDED TO 100 BEDDED ESI HOSPITAL AT MARGAO, GOA	91.52	0.00	0.50	0.50	1.00
27	CONSTRUCTION OF 300 BEDDED ESI HOSPITAL KANDIVALI	214.30	0.00	0.00	0.00	10.71
28	Renovation, Repair & Upgradation Of Esi Hospital At Tirupati, AP	108.94	0.00	0.00	0.00	12.94
29	Construction Of Esi Dispensary Cum Branch Office At Auto Nagar, Vijayawada, AP	6.37	0.00	0.00	0.00	0.02
30	Esi Dispensary Cum Diagnostic Centre & Staff Housing At Jeeditmetla	25.90	0.00	0.00	0.00	0.64
31	Construction Of 50+50 Bedded Esi Hospital & Ro Office At Tirunelveli. (Tn)	56.56	0.00	0.00	0.00	5.01
32	Renovation Of Existing Hospital K.K. Nagar, Tamilnadu.	Yet to be finalized	0.00	0.00	0.00	20.00
33	Renovation Of Esi Hosp. Hubli.	33.17	0.00	1.50	1.50	0.00
34	Renovation Of Esi Hosp. Devengiri, Karnataka.	29.53	0.00	1.20	1.20	0.00
35	Renovation Of Esi Hosp., Mysore.	35.32	0.00	1.30	1.30	0.00
36	Constn. Of Esi Hosp. Peenya, Karnataka	125.14	0.00	0.00	0.00	5.00
37	Constn. Of Dims Building At Thiruvanthapuram, Kerala	10.62	0.00	0.00	0.00	0.02
38	5 Doctor Disp. At Kollam, Kerala	2.63	0.00	0.00	0.00	0.00
39	3 Doctor Disp. At Poruvazhy, Kollam, Kerala	2.28	0.00	0.00	0.00	0.15
40	C/O 3 Doctors Dispensary At Perinadu Kollam Kerala	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00
41	C/O 2 Dr. Dispensary At Kulashekhrapuram Kerala	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00
42	C/O 2 Dr. Dispensary At Vilakudy Kerala	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00
43	C/O 2 Dr. Dispensary At Vadavathur Kerala	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00
44	C/O 5 Dr. Dispensary At Kdampanandu Kerala	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00
45	Construction Of Hospital Rajajinagar, Bangalore, Kanataka	228.07	0.00	0.00	0.00	20.00



वित्तीय प्राक्कलन तथा निष्पादन बजट 2024-2025

क्र.सं.	परियोजना का नाम एवं स्थान	परियोजना की लागत	दिनांक 01.04.2023 से 30.9.2023 तक किया गया वास्तविक व्यय	1.10.2023 से 31.3.2024 तक निधि की आवश्यकता	संशोधित प्राक्कलन 2023 - 2024 (6 = 4+5)	बजट प्राक्कलन 2024 -2025
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
(₹ करोड़ में)						
46	अतिरिक्त 250 बिस्तरों वाले अस्पताल राजाजीनगर, बेंगलुरु, कर्नाटक का उन्नयन	अभी अंतिम रूप दिया जाना बाकी है	0.00	0.00	0.00	20.00
47	बालतीकुरी में 300 बिस्तरों वाले अस्पताल का निर्माण।	187.37	0.00	5.00	5.00	0.00
48	अतिरिक्त 50 बिस्तरों के लिए क.रा.बी. अस्पताल, दुर्गापुर का ऊर्ध्वाधर विस्तार	28.60	0.00	0.54	0.54	0.00
49	चाकोराथुकुलम, केरल में 5 चिकित्सकों वाले क.रा.बी. औषधालय का निर्माण।	5.19	0.00	0.52	0.52	4.67
	योग (ख)	2,584.24	0.00	10.56	10.04	249.19
(ग) क्षेत्रीय कार्यालयों/उप क्षेत्रीय कार्यालयों/शाखा कार्यालयों का निर्माण/पुनरुद्धार/उन्नयन						
1	क.रा.बी. निगम, क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़ का पुनरुद्धार/आशोधन	13.56	0.00	0.00	0.00	1.60
2	क.रा.बी. कॉलोनी, सेक्टर-56, नोएडा में स्टाफ क्वार्टरों की पुनर्सज्जा और पुनरुद्धार	28.14	0.00	0.25	0.25	0.00
3	क.रा.बी. निगम डेटा केंद्र, रोहिणी	4.98	0.00	0.00	0.00	0.06
4	उप क्षेत्रीय कार्यालय लुधियाना	अंतिम रूप देना बाकी है	0.00	0.00	0.00	10.00
5	क्षेत्रीय कार्यालय पणजी गोवा का पुनरुद्धार	8.11	0.00	0.00	0.00	0.00
6	वलुज, औरंगाबाद में शाखा कार्यालय और औषधालय का निर्माण	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00
7	चिंचवाड़ (पुणे) में शाखा कार्यालय और औषधालय का निर्माण	12.97	0.00	0.00	0.00	0.00
8	उप क्षेत्रीय कार्यालय, बिबवेवाड़ी (पुणे) को नया रूप देना	25.91	0.00	0.00	0.00	0.00
9	उप क्षेत्रीय कार्यालय, नागपुर	11.06	0.00	0.00	0.00	0.00
10	उप क्षेत्रीय कार्यालय, ठाणे, मुंबई	13.38	0.00	0.00	0.00	0.00
11	उप क्षेत्रीय कार्यालय, चिकलथाना, औरंगाबाद का निर्माण	15.24	0.00	0.00	0.00	0.00
12	उप क्षेत्रीय कार्यालय, मरोल, मुंबई का पुनरुद्धार	11.62	0.00	0.00	0.00	0.00
13	क्षेत्रीय कार्यालय लोअर परेल	26.22	0.00	0.00	0.00	0.00
14	नागपुर में स्टाफ क्वार्टर	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00
15	क.रा.बी.निगम औषधालय कारलिम, गोवा का निर्माण	4.78	0.00	0.00	0.00	0.30
16	क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर को नया रूप देना	16.31	0.00	0.00	0.00	0.00
17	जोधपुर में उप क्षेत्रीय कार्यालय तथा स्टाफ क्वार्टर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	डी.एन.नगर, अंधेरी, मुंबई में 228 स्टाफ क्वार्टरों का निर्माण	120.93	20.00	13.00	33.00	85.00
19	क्षेत्रीय कार्यालय, बेंगलुरु को नया रूप देना	18.62	0.00	0.00	0.00	2.00



FINANCIAL ESTIMATES AND PERFORMANCE BUDGET 2024-2025

Sl. No.	Name of the project & place	Cost of the project	Actual expenditure incurred from 01.04.2023 to 30.9.2023	Fund requirement from 1.10.2023 to 31.3.2024	Revised Estimates 2023-2024 (6 = 4+5)	Budget Estimates 2024-2025
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
(₹ in crore)						
46	Upgradation of additional 250 bed Hospital Rajajinagar, Bangalore, Kanataka	Yet to be finalized	0.00	0.00	0.00	20.00
47	Construction of 300 bedded Hospital at Baltikuri	187.37	0.00	5.00	5.00	0.00
48	Vertical Extension of ESI Hospital, Durgapur for additional 50 bed	28.60	0.00	0.54	0.54	0.00
	C/o 5 doctors ESI dispensary at Chakkorathukulam, Kerala	5.19		0.52	0.52	4.67
	TOTAL (B)	2,584.24	0.00	10.56	10.04	249.19
(C) CONSTRUCTION /RENOVATION/UPGRADATION OF ROs/SROs/BOs						
1	RENOVATION / MODIFICATION OF ESIC RO CHANDIGARH	13.56	0.00	0.00	0.00	1.60
2	RENOVATION AND REFURBISHMENT OF STAFF QUARTERS AT ESI COLONY SECTORE-56 NOIDA	28.14	0.00	0.25	0.25	0.00
3	ESIC DATA CENTRE ROHINI	4.98	0.00	0.00	0.00	0.06
4	SRO LUDHIANA	Yet to be finalized	0.00	0.00	0.00	10.00
5	RENOVATION OF RO PANJIM GOA	8.11	0.00	0.00	0.00	0.00
6	C/O BO & DISPENSARY WALUJ AURANGABAD	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00
7	C/O BO & DISPENSARY CHINCHWAD PUNE	12.97	0.00	0.00	0.00	0.00
8	FACE LIFTING OF SRO BIBEWADI PUNE	25.91	0.00	0.00	0.00	0.00
9	SRO NAGPUR	11.06	0.00	0.00	0.00	0.00
10	SRO THANE MUMBAI	13.38	0.00	0.00	0.00	0.00
11	C/O OF SRO CHIKALTHANA AURANGABAD	15.24	0.00	0.00	0.00	0.00
12	RENOVATION OF SRO MAROL MUMBAI	11.62	0.00	0.00	0.00	0.00
13	RO LOWER PAREL	26.22	0.00	0.00	0.00	0.00
14	STAFF QUARTERS AT NAGPUR	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00
15	CONSTRUCTION OF ESIC DISPENSARY CORLIM GOA	4.78	0.00	0.00	0.00	0.30
16	FACE LIFTING RO JAIPUR	16.31	0.00	0.00	0.00	0.00
17	SRO AND STAFF QUARTERS AT JODHPUR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	CONSTRUCTION OF 228 NOS. OF STAFF QTRS AT DN NAGAR ADHERI, MUMBAI	120.93	20.00	13.00	33.00	85.00
19	Face Lifting Ro Bangalore	18.62	0.00	0.00	0.00	2.00



वित्तीय प्राक्कलन तथा निष्पादन बजट 2024-2025

क्र.सं.	परियोजना का नाम एवं स्थान	परियोजना की लागत	दिनांक 01.04.2023 से 30.9.2023 तक किया गया वास्तविक व्यय	1.10.2023 से 31.3.2024 तक निधि की आवश्यकता	संशोधित प्राक्कलन 2023 - 2024 (6 = 4+5)	बजट प्राक्कलन 2024 -2025
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
(₹ करोड़ में)						
20	शाखा कार्यालय, एरणाकुलम, केरल का निर्माण	5.65	0.00	0.00	0.00	1.50
21	कोल्लम, केरल में शाखा कार्यालय का निर्माण	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22	उप क्षेत्रीय कार्यालय हुबली कर्नाटक का निर्माण	14.73	0.18	0.00	0.18	0.00
23	मौजूदा क.रा.बी. निगम क्षेत्रीय निदेशक कार्यालय, स्टर्लिंग रोड, चेन्नै का पुनरुद्धार/नया रूप देना	31.62	0.00	4.50	4.50	0.00
24	उप क्षेत्रीय कार्यालय विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश का निर्माण	25.80	0.00	0.00	0.00	0.77
25	क्षेत्रीय कार्यालय हैदराबाद तेलंगाना का पुनरुद्धार/नया रूप देना	24.35	0.00	0.00	0.00	4.00
योग (ग)		448.18	20.18	17.75	37.93	105.23
नई परियोजनाएं						
(घ) अस्पताल एवं औषधालय						
1.	रुद्रपुर में 100 बिस्तरों वाला अस्पताल	97.72	0.00	6.88	6.88	10.00
2.	हरिद्वार में 300 बिस्तरों वाला अस्पताल	297.63	5.40	35.00	40.40	150.00
3.	पंचकुला में क.रा.बी. औषधालय तथा शाखा कार्यालय का निर्माण	6.84	1.28	1.69	2.97	3.00
4.	सेलाकुई में 5 चिकित्सकों वाले औषधालय तथा शाखा कार्यालय का निर्माण	5.90	0.60	1.55	2.15	1.00
5.	मयूर विहार में क.रा.बी. औषधालय का निर्माण	40.68	0.00	15.00	15.00	0.00
6.	आइएमटी मानेसर में 5 चिकित्सकों वाले औषधालय का निर्माण	5.13	0.00	0.00	0.00	5.11
7.	पंचकुला में डीआइआइएमएस का निर्माण	8.38	0.31	1.89	2.20	0.00
8.	कळभ में 30 बिस्तरों वाले क.रा.बी. अस्पताल (100 बिस्तरों तक विस्तारयोग्य) का निर्माण	96.17	16.54	25.00	41.54	8.00
9.	बावल, हरियाणा में 100 बिस्तरों वाले अस्पताल तथा स्टाफ क्वार्टर का निर्माण	96.79	9.66	18.00	27.66	43.00
10.	बहादुरगढ़, हरियाणा में 100 बिस्तरों वाले अस्पताल तथा स्टाफ क्वार्टर का निर्माण	96.09	9.16	17.50	26.66	45.00
11.	ओमपुरा, जम्मू एवं कश्मीर में 100 बिस्तरों वाले क.रा.बी. निगम अस्पताल तथा स्टाफ क्वार्टर का निर्माण	158.48	14.30	25.00	39.30	96.00
12.	मानेसर, हरियाणा में 500 बिस्तरों वाले क.रा.बी.अस्पताल का निर्माण	730.00	0.00	0.00	0.00	300.00
13.	शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में 30 बिस्तरों वाले क.रा.बी. अस्पताल (100 बिस्तरों तक विस्तारयोग्य) का निर्माण	92.49	9.24	0.00	9.24	10.00
14.	आदित्यपुर में 100 बिस्तरों वाले अस्पताल का निर्माण	75.88	0.00	6.50	6.50	0.00



FINANCIAL ESTIMATES AND PERFORMANCE BUDGET 2024-2025

Sl. No.	Name of the project & place	Cost of the project	Actual expenditure incurred from 01.04.2023 to 30.9.2023	Fund requirement from 1.10.2023 to 31.3.2024	Revised Estimates 2023-2024 (6 = 4+5)	Budget Estimates 2024-2025
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
(₹ in crore)						
20	C/O Branch Office Ernakulam Kerala	5.65	0.00	0.00	0.00	1.50
21	C/O Branch Office Kollam Kerala	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22	C/O SRO Hubli Karnataka	14.73	0.18	0.00	0.18	0.00
23	Renovation / Face Lifting Of Existing ESIC RD Office, Sterling Road, Chennai	31.62	0.00	4.50	4.50	0.00
24	Construction Of SRO Vijayawada, AP	25.80	0.00	0.00	0.00	0.77
25	Renovation And Face lifting Of Regional Office Hyderabad, Telangana	24.35	0.00	0.00	0.00	4.00
TOTAL (C)		448.18	20.18	17.75	37.93	105.23

NEW PROJECTS						
(D) HOSPITALS AND DISPENSARIES						
1.	100 BEDDED HOSPITAL AT RUDRAPUR	97.72	0.00	6.88	6.88	10.00
2.	300 BEDDED HOSPITAL AT HARIDWAR	297.63	5.40	35.00	40.40	150.00
3.	CONSTRUCTION OF ESI DISPENSARY & B.O AT PANCHKULA.	6.84	1.28	1.69	2.97	3.00
4.	CONSTRUCTION OF 5 DOCTOR DISPENSARY AND B.O. AT SELAQUI.	5.90	0.60	1.55	2.15	1.00
5.	CONSTRUCTION OF ESI DISPENSARY AT MAYUR VIHAR.	40.68	0.00	15.00	15.00	0.00
6.	C/O 5 DR. DISPENSARY AT IMT MANESAR	5.13	0.00	0.00	0.00	5.11
7.	CONSTRUCTION OF DIIMS BUILDING AT PUNCHKULLA	8.38	0.31	1.89	2.20	0.00
8.	CONSTRUCTION OF 30 BEDDED ESI HOSPITAL(EXPANDABLE TO 100 BEDDED AT KALA AMB	96.17	16.54	25.00	41.54	8.00
9.	CONSTRUCTION OF 100 BEDDED HOSPITAL AND STAFF QUARTER AT BAWAL, HARYANA	96.79	9.66	18.00	27.66	43.00
10.	CONSTRUCTION OF 100 BEDDED HOSPITAL AND STAFF QUARTER AT BAHADURGARH, HARYANA	96.09	9.16	17.50	26.66	45.00
11.	CONSTRUCTION OF 100 BEDDED ESIC HOSPITAL & STAFF QUARTER AT OMPURA JAMMU AND KASHMIR	158.48	14.30	25.00	39.30	96.00
12.	CONSTRUCTION OF 500 BEDDED ESIC HOSPITAL AT MANESAR, HR	730.00	0.00	0.00	0.00	300.00
13.	Construction of 30 bedded upgradable to 100 bedded ESIC Hospital at Shahjapur UP	92.49	9.24	0.00	9.24	10.00
14.	Construction of 100 bedded hospital at Adityapur	75.88	0.00	6.50	6.50	0.00



वित्तीय प्राक्कलन तथा निष्पादन बजट 2024-2025

क्र.सं.	परियोजना का नाम एवं स्थान	परियोजना की लागत	दिनांक 01.04.2023 से 30.09.2023 तक किया गया वास्तविक व्यय	01.10.2023 से 31.03.2024 तक निधि की आवश्यकता	संशोधित प्राक्कलन 2023-2024 (6 = 4+5)	बजट प्राक्कलन 2024-2025
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
15	रांची में 100 बिस्तरों वाले अस्पताल का निर्माण (200 बिस्तरों तक विस्तार योग्य)	99.06	0.00	8.00	8.00	5.30
16	वाराणसी में 150 बिस्तरों वाले अस्पताल का निर्माण	141.98	0.00	5.00	5.00	5.00
18	रायपुर में 100 बिस्तरों वाले अस्पताल का निर्माण	141.98	0.00	5.64	5.64	0.00
19	कोरबा में 100 बिस्तरों वाले अस्पताल का निर्माण	56.31	0.00	0.25	0.25	0.00
20	भुवनेश्वर में 150 बिस्तरों वाले सुपरस्पेशलिटी अस्पताल का निर्माण	अंतिम रूप देना बाकी है	0.00	0.00	0.00	30.00
21	फुलवारीशरीफ में 100 बिस्तरों वाले अस्पताल का निर्माण	71.74	0.00	15.00	15.00	25.00
22	डुबरी में 100 बिस्तरों वाले अस्पताल का निर्माण	अंतिम रूप देना बाकी है	0.00	0.00	0.00	15.00
23	भिलाई में 100 बिस्तरों वाले अस्पताल का निर्माण	103.11	13.65	20.00	33.65	0.00
24	रायगढ़ में 100 बिस्तरों वाले अस्पताल का निर्माण	82.00	11.68	20.00	31.68	0.00
25	अंगुल में 100 बिस्तरों वाले अस्पताल का निर्माण	64.47	0.00	6.90	6.90	0.00
26	रायबरेली में क.रा.बी. औषधालय तथा शाखा कार्यालय का निर्माण	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00
27	पनकी में क.रा.बी. औषधालय तथा शाखा कार्यालय का निर्माण	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00
28	गोरखपुर (उत्तर प्रदेश) में 2 चिकित्सक वाले क.रा.बी. औषधालय तथा शाखा कार्यालय का निर्माण	2.84	0.41	0.25	0.66	0.00
29	बरेली में 100 बिस्तरों वाली वास्तु एवं अभियांत्रिकी सेवाओं का निर्माण	77.66	0.00	0.00	0.00	15.00
30	प्लॉट सं. बी-12ए, सैक्टर 80, नोएडा, उत्तर प्रदेश में क.रा.बी.निगम औषधालय तथा शाखा कार्यालय का निर्माण।	6.07	0.00	0.60	0.60	2.50
31	क.रा.बी. औषधालय राजपुरवा, कानपुर	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00
32	क.रा.बी. औषधालय नवाबगंज, कानपुर	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00
33.	नुन्हई, आगरा (उ.प्र.) में 2 चिकित्सकों वाला औषधालय	2.25	0.19	0.50	0.69	0.35
34	क.रा.बी. औषधालय मोदी नगर	1.26	0.00	0.00	0.00	0.13
35	क.रा.बी. औषधालय मिर्जापुर	0.67	0.00	0.00	0.00	0.02
36	क.रा.बी. औषधालय छिपीटोला, आगरा	1.14	0.00	0.20	0.20	0.15
37	सैक्टर 22, नोएडा, उत्तर प्रदेश में 5 चिकित्सकों वाले क.रा.बी. निगम औषधालय तथा शाखा कार्यालय का निर्माण।	5.97	0.00	0.60	0.60	3.50
38	गया, बिहार में चारदीवारी सहित औषधालय सह शाखा कार्यालय (डीसीबीओ) के निर्माण के लिए वास्तु एवं अभियांत्रिकी सेवाओं सहित निर्माण।	10.93	0.00	5.00	5.00	3.50
39	मेरठ, उत्तर प्रदेश में 100 बिस्तरों वाले अस्पताल का निर्माण	135.00	0.00	0.00	0.00	25.00
40	रायपुर में क्षेत्रीय कार्यालय तथा स्टाफ क्वार्टर का निर्माण	75.00	0.00	0.00	0.00	20.00
41	मापुसा में 05 चिकित्सकों वाले औषधालय तथा शाखा कार्यालय का निर्माण।	0.00	0.25	1.50	1.75	3.00



FINANCIAL ESTIMATES AND PERFORMANCE BUDGET 2024-2025

SI No.	Name of the project & place	Cost of The project	Actual expenditure incurred from 01.04.2023 to 30.9.2023	Fund requirement From 1.10.2023 to 31.3.2024	Revised Estimates 2023-2024 (6=4+5)	Budget Estimates 2024-2025
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
15	Construction of 100 bedded upgraded to 200 bedded hospital at Ranchi	99.06	0.00	8.00	8.00	5.30
16	Construction of 150 bedded hospital at Varanasi	141.98	0.00	5.00	5.00	5.00
17						
18	Construction of 100 bedded hospital at Raipur	141.98	0.00	5.64	5.64	0.00
19	Construction of 100 bedded hospital at Korba	56.31	0.00	0.25	0.25	0.00
20	Construction of 150 bedded Super Speciality hospital at Bhubaneswar	Yet to be finalized	0.00	0.00	0.00	30.00
21	Construction of 100 bedded hospital at Phulwarisharif	71.74	0.00	15.00	15.00	25.00
22	Construction of 100 bedded hospital at Duburi	Yet to be finalized	0.00	0.00	0.00	15.00
23	Construction of 100 bedded hospital at Bhilai	103.11	13.65	20.00	33.65	0.00
24	Construction of 100 bedded hospital at Raigarh	82.00	11.68	20.00	31.68	0.00
25	Construction of 100 bedded Hospital at Angul	64.47	0.00	6.90	6.90	0.00
26	Construction of ESI Dispensary & B.O at Raibareilly	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00
27	Construction of ESI Dispensary & B.O at Panki	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00
28	Construction of 02 doctor ESIC Dispensary and Branch Office at Gorakhpur (U.P.)	2.84	0.41	0.25	0.66	0.00
29	Construction of 100 bedded A&E Services at Bareilly	77.66	0.00	0.00	0.00	15.00
30	Construction of ESIC Dispensary and BO at Plot No.B-12A, Sector 80, Noida, UP	6.07	0.00	0.60	0.60	2.50
31	ESI Dispensary Rajpurwa, Kanpur	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00
32	ESI Dispensary Nawabganj, Kanpur	2.26	0.00	0.00	0.00	0.00
33.	02 Doctor ESIC Dispensary at Nunhai, Agra (U.P.)	2.25	0.19	0.50	0.69	0.35
34	ESI Dispensary Modinagar	1.26	0.00	0.00	0.00	0.13
35	ESI Dispensary Mirzapur	0.67	0.00	0.00	0.00	0.02
36	ESI Dispensary Chipitola, Agra	1.14	0.00	0.20	0.20	0.15
37	Construction of 5 Doctor ESIC Dispensary and BO at Sector 22, Noida, UP	5.97	0.00	0.60	0.60	3.50
38	Construction including A & E services for construction of Dispensary cum Branch Office (DCBO) including Boundary Wall at Gaya, Bihar	10.93	0.00	5.00	5.00	3.50
39	Construction of 100 bedded hospital at Meerut, UP	135.00	0.00	0.00	0.00	25.00
40	Construction of Regional Office and Staff Quarter at Raipur.	75.00	0.00	0.00	0.00	20.00
41	CONSTRUCTION OF 5 DR DISPENSARY WITH BRANCH OFFICE AT MAPUSA .	0.00	0.25	1.50	1.75	3.00



वित्तीय प्राक्कलन तथा निष्पादन बजट 2024-2025

क्र.सं.	परियोजना का नाम एवं स्थान	परियोजना की लागत	दिनांक 01.10.2023 से 30.09.2023 तक किया गया वास्तविक व्यय	01.10.2023 से 31.03.2024 तक निधि की आवश्यकता	संशोधित प्राक्कलन 2023-2024 (6 = 4+5)	बजट प्राक्कलन 2024-2025
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
42	सूरत में 200 बिस्तरों वाले (300 उन्नयन योग्य) क.रा.बी. अस्पताल, स्टाफ क्वार्टरों एवं उप क्षेत्रीय कार्यालय भवन का निर्माण	209.35	40.00	40.00	80.00	40.00
43	उदयपुर में 100 बिस्तरों वाले अस्पताल का निर्माण	80.10	0.00	4.93	4.93	0.00
44	नंदानगर, इंदौर में 300 बिस्तरों वाले अस्पताल का निर्माण।	378.63	82.95	50.00	132.95	20.00
45	बूटीबोरी, नागपुर में 200 बिस्तरों वाले अस्पताल का निर्माण	194.93	0.00	25.00	25.00	100.00
46	उत्तर गोवा में 150 बिस्तरों वाले अस्पताल का निर्माण	0.00	0.00	0.25	0.25	10.00
47	बिबवेवाड़ी, पुणे में मौजूदा अस्पताल को 50 से 100 बिस्तरों के लिए उन्नयन तथा पुनरुद्धार	53.86	0.00	10.70	10.70	10.70
48	बिबवेवाड़ी, पुणे में 200 बिस्तरों वाले (500 बिस्तर तक उन्नयन योग्य) क.रा.बी.निगम अस्पताल का निर्माण।	429.25	0.00	30.00	30.00	150.00
49	कुंडेम में 5 चिकित्सकों वाले क.रा.बी.औषधालय का निर्माण	7.55	0.00	0.00	0.00	6.80
50	आबू-रोड में 2 चिकित्सक वाले औषधालय तथा शाखा कार्यालय का निर्माण	5.91	0.00	0.59	0.59	0.00
51	अलवर में 4 चिकित्सकों वाले औषधालय तथा स्टाफ क्वार्टरों का निर्माण	3.48	0.35	0.34	0.69	0.00
52	चित्तौड़गढ़ में 04 चिकित्सकों वाले औषधालय तथा स्टाफ क्वार्टर का निर्माण।		अंतिम रूप देना बाकी है	0.25	0.00	0.25
53	बेहोर में 03 चिकित्सकों वाले औषधालय तथा स्टाफ क्वार्टर का निर्माण।	3.60	0.00	0.36	0.36	0.00
54	सीतापुर, जयपुर में 05 चिकित्सकों वाले औषधालय तथा स्टाफ क्वार्टर का निर्माण।	5.45	2.18	0.54	2.72	0.00
55	नीमराणा में 05 चिकित्सकों वाले औषधालय तथा स्टाफ क्वार्टर का निर्माण।	5.66	0.00	0.56	0.56	0.00
56	उल्लहासनगर में 100 बिस्तरों वाले क.रा.बी. निगम अस्पताल तथा 32 स्टाफ क्वार्टरों का निर्माण	102.58	7.61	20.00	27.61	50.00
57	बीकानेर, राजस्थान में 30 बिस्तरों वाले अस्पताल का निर्माण	41.15	0.00	3.50	3.50	0.00
58	कोल्हापुर में क.रा.बी.निगम अस्पताल तथा स्टाफ क्वार्टरों की मरम्मत तथा पुनरुद्धार।	37.98	3.80	7.60	11.40	15.00
59	पीथमपुरा, मध्य प्रदेश में 100 बिस्तरों वाले कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल का निर्माण	117.18	0.00	12.00	12.00	50.00
60	उद्योग नगर, कोटा, राजस्थान में 5 चिकित्सकों वाले औषधालय सह शाखा कार्यालय का निर्माण	7.83	1.30	2.38	3.68	0.00
61	भीलवाड़ा, राजस्थान में 3 चिकित्सकों वाले औषधालय का निर्माण	5.25	2.43	0.52	2.95	0.00
62	भवानी, मंडी, राजस्थान में 3 चिकित्सकों वाले औषधालय का निर्माण	4.66	0.00	0.46	0.46	0.00
63	भरतपुरा, राजस्थान में 3 चिकित्सकों वाले औषधालय का निर्माण	7.75	0.00	3.00	3.00	0.00



FINANCIAL ESTIMATES AND PERFORMANCE BUDGET 2024-2025

SI No.	Name of the project & place	Cost of The project	Actual expenditure incurred from 01.04.2023 to 30.9.2023	Fund requirement From 1.10.2023 to 31.3.2024	Revised Estimates 2023-2024 (6=4+5)	Budget Estimates 2024-2025
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
42	CONSTRUCTION OF 200 BEDDED (UPGRADABLE TO 300)ESIC HOSPITAL, SRO & STAFF QTRS AND SRO BUILDING AT SURAT.	209.35	40.00	40.00	80.00	40.00
43	CONSTRUCTION OF 100 BEDDED HOSPITAL AT UDAIPUR.	80.10	0.00	4.93	4.93	0.00
44	CONSTRUCTION OF 300 BEDDED HOSPITAL AT NandNagar INDORE.	378.63	82.95	50.00	132.95	20.00
45	CONSTRUCTION OF 200 BEDDED HOSPITAL AT BUTIBORI NAGPUR .	194.93	0.00	25.00	25.00	100.00
46	CONSTRUCTION OF 150 BEDDED HOSPITAL AT NORTH GOA.	0.00	0.00	0.25	0.25	10.00
47	UPGRADATION OF 50 TO 100 BEDS AND RENOVATION OF EXISTING HOSPITAL AT BIBVEWADI,PUNE.	53.86	0.00	10.70	10.70	10.70
48	CONSTRUCTION OF 200 BEDDED (UPGRADABLE TO 500 BEDDED) ESIC HOSPITAL AT BIBEWADI, PUNE.	429.25	0.00	30.00	30.00	150.00
49	CONSTRUCTION OF 5 DOCTOR DISPENSARY AT KUNDAIM.	7.55	0.00	0.00	0.00	6.80
50	CONSTRUCTION OF 2 DOCTOR DISPENSARY AND B.O. AT ABU-ROAD.	5.91	0.00	0.59	0.59	0.00
51	C/O 4 DR. DISPENSARY AND STAFF QUARTERS AT ALWAR	3.48	0.35	0.34	0.69	0.00
52	C/O 4 DR. DISPENSARY AND STAFF QUARTERS AT CHHITORGARH	Yet to be finalized	0.25	0.00	0.25	0.00
53	C/O 3 DR. DISPENSARY AND STAFF QUARTERS AT BEHOR	3.60	0.00	0.36	0.36	0.00
54	C/O 5 DR. DISPENSARY & STAFF QUARTERS AT SITAPUR JAIPUR	5.45	2.18	0.54	2.72	0.00
55	C/O 5 DR. DISPENSARY & STAFF QUARTERS AT NEEMRANA	5.66	0.00	0.56	0.56	0.00
56	CONSTRUCTION OF 100 ESIC HOSPITAL & 32 NO. OF STAFF QUARTER AT ULLHASNAGAR	102.58	7.61	20.00	27.61	50.00
57	CONSTRUCTION OF 30 BEDDED HOSPITAL AT BIKANER, RAJASTHAN	41.15	0.00	3.50	3.50	0.00
58	REPAIR & RENOVATION OF ESIC HOSPITAL AND STAFF QUARTERS AT KOLHAPUR.	37.98	3.80	7.60	11.40	15.00
59	CONSTRUCTION OF 100 BEDDED ESI HOSPITAL AT PITHAMPURA, MP	117.18	0.00	12.00	12.00	50.00
60	CONSTRUCTION OF 5 DR. DISPENSARY CUM BRANCH OFFICE AT UDHYOG NAGAR, KOTA, RAJASTHAN	7.83	1.30	2.38	3.68	0.00
61	CONSTRUCTION OF 3 DR. DISPENSARY AT BHILWARA, RAJASTHAN	5.25	2.43	0.52	2.95	0.00
62	CONSTRUCTION OF 3 DR. DISPENSARY, AT BHAWANI MANDI, RAJASTHAN	4.66	0.00	0.46	0.46	0.00
63	CONSTRUCTION OF 3 DR. DISPENSARY, AT BHARATPUR, RAJASTHAN	7.75	0.00	3.00	3.00	0.00



वित्तीय प्राक्कलन तथा निष्पादन बजट 2024-2025

क्र.सं.	परियोजना का नाम एवं स्थान	परियोजना की लागत	दिनांक 01.04.2023 से 30.09.2023 तक किया गया वास्तविक व्यय	01.10.2023 से 31.03.2024 तक निधि की आवश्यकता	संशोधित प्राक्कलन 2023-2024 (6 = 4+5)	बजट प्राक्कलन 2024-2025
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
64	डोडाबल्लापुर में 100 बिस्तरों वाले अस्पताल का निर्माण	81.38	0.00	7.50	7.50	8.00
65	बोम्मसंद्रा में 200 बिस्तरों वाले अस्पताल का निर्माण	200.00	0.00	0.00	0.00	180.00
66	नंजनगुड में 5 चिकित्सकों वाले औषधालय तथा निदान केंद्र का निर्माण	8.65	0.00	2.00	2.00	0.00
67	देवगेरे में अतिरिक्त 50 बिस्तरों वाले अस्पताल भवन का निर्माण	18.71	3.45	5.56	9.01	4.35
68	इनाथु में 5 चिकित्सक वाले औषधालय का निर्माण	2.92	0.00	0.00	0.00	1.77
69	कोरेटी में 02 चिकित्सक वाले औषधालय का निर्माण	3.94	0.00	2.76	2.76	0.00
70	आश्रमम, कोल्लम में आदर्श अस्पताल का विस्तार	90.00	0.00	0.00	0.00	70.00
71	हुबली में अतिरिक्त 50 बिस्तरों वाले अस्पताल भवन का निर्माण	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00
72	शिवमोग्गा, कर्नाटक में 100 बिस्तरों वाले क.रा.बी.अस्पताल का निर्माण	97.00	6.88	20.00	26.88	30.00
73	अल्वै में शाखा कार्यालय का निर्माण	1.14	0.11	0.00	0.11	0.00
74	नवडकुलम में 02 चिकित्सकों वाले औषधालय का निर्माण	5.02	2.01	3.01	5.02	0.00
75	गुलबर्गा में क.रा.बी.निगम चिकित्सा महाविद्यालय के लिए 2X10एमवीए, 110/11केवी उप केंद्र का निर्माण।	23.88	0.00	0.00	0.00	1.25
76	बेलतला में 100 बिस्तरों वाले अस्पताल का निर्माण	143.22	14.32	10.00	24.32	110.00
77	तिनसुकिया में 100 बिस्तरों वाले अस्पताल का निर्माण।	135.92	0.00	13.60	13.60	85.00
78	आसनसोल में 100 बिस्तरों वालों अस्पताल को 150 बिस्तरों के लिए उन्नयन	35.92	0.00	6.00	6.00	4.00
79	हल्दिया में 100 बिस्तरों वाले अस्पताल का निर्माण।	70.12	6.67	10.00	16.67	0.00
80	सिलीगुड़ी में 100 बिस्तरों वाले अस्पताल का निर्माण।	63.93	3.10	8.00	11.10	8.00
81	गरश्यामनगर, पश्चिम बंगाल में 100 बिस्तरों वाले क.रा.बी. अस्पताल का निर्माण	154.63	0.11	15.36	15.47	77.32
82	साणंद, गुजरात में 350 बिस्तरों वाले (500 उन्नयन योग्य) क.रा.बी. निगम अस्पताल का निर्माण	558.12	55.00	55.00	110.00	150.00
83	कलोल, गुजरात में 150 बिस्तरों वाले क.रा.बी. निगम अस्पताल का निर्माण	205.87	20.34	40.00	60.34	100.00
84	राजामहेन्द्रवरम् में 100 बिस्तरों वाले क.रा.बी. अस्पताल का निर्माण	109.30	11.68	35.00	46.68	31.22
85	काकीनाडा (आंध्र प्रदेश) में 100 बिस्तरों वाले क.रा.बी. अस्पताल का निर्माण	102.77	17.59	25.00	42.59	8.70
86	विजयनगरम् में 100 बिस्तरों वाले क.रा.बी. निगम अस्पताल का निर्माण	73.68	11.76	15.00	26.76	41.34
87	पड़दिभिमावरम् में 06 बिस्तरों वाला आदर्श औषधालय एवं नैदानिक केंद्र तथा शाखा कार्यालय	6.29	0.58	0.30	0.88	0.00
88	शीलानगर, विशाखापटनम (आंध्र प्रदेश) में 350 बिस्तर + 50 एसएसटी बिस्तर वाले क.रा.बी. निगम अस्पताल का निर्माण	384.26	0.00	20.00	20.00	200.00
89	अत्च्युतपुरम् (आंध्र प्रदेश) में 30 बिस्तरों वाले क.रा.बी. अस्पताल का निर्माण	64.25	0.11	0.00	0.11	40.00



FINANCIAL ESTIMATES AND PERFORMANCE BUDGET 2024-2025

SI No.	Name of the project & place	Cost of The project	Actual expenditure incurred from 01.04.2023 to 30.9.2023	Fund requirement From 1.10.2023 to 31.3.2024	Revised Estimates 2023-2024 (6=4+5)	Budget Estimates 2024-2025
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
64	Construction Of 100 Bedded Hospital At Doddaballapur.	81.38	0.00	7.50	7.50	8.00
65	Construction Of 200 Bedded Hospital At Bommasandra.	200.00	0.00	0.00	0.00	180.00
66	Construction Of 5 Dr. Dispensary And Diag. At Nanjangud.	8.65	0.00	2.00	2.00	0.00
67	Construction Of Additional 50 Bedded Hospital Building At Devegere.	18.71	3.45	5.56	9.01	4.35
68	Construction Of 5 Doctor Dispensary At Enathu.	2.92	0.00	0.00	0.00	1.77
69	Construction Of 5 Doctor Dispensary At Korrty.	3.94	0.00	2.76	2.76	0.00
70	Vertical Extension Of Model Hospital At Asramam Kollam.	90.00	0.00	0.00	0.00	70.00
71	Construction Of Additional 50 Bedded Hospital Building At Hubli.	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00
72	Construction Of 100 Bedded Hospital At Shivmogga	97.00	6.88	20.00	26.88	30.00
73	Construction Of Branch Office At Alwaye.	1.14	0.11	0.00	0.11	0.00
74	Construction Of 2 Dr. Dispensary, Navaikulam	5.02	2.01	3.01	5.02	0.00
75	Construction Of 2X10Mva, 110/11Kv Substation For Esic Medical College At Gulburga.	23.88	0.00	0.00	0.00	1.25
76	Construction of 100 bedded Hospital at Beltola	143.22	14.32	10.00	24.32	110.00
77	Construction of 100 bedded Hospital at Tinsukia	135.92	0.00	13.60	13.60	85.00
78	Upgradation of 100 bedded to 150 bedded hospital at Asansol	35.92	0.00	6.00	6.00	4.00
79	Construction of 100 bedded Hospital at Haldia	70.12	6.67	10.00	16.67	0.00
80	Construction of 100 bedded Hospital at Siliguri	63.93	3.10	8.00	11.10	8.00
81	Construction of 100 bedded ESI Hospital at Garshyamnagar, West Bengal	154.63	0.11	15.36	15.47	77.32
82	CONSTRUCTION OF 350 BEDED (upgradable to 500 bedded) ESIC HOSPITAL Sanand, Gujarat	558.12	55.00	55.00	110.00	150.00
83	Construction of 150 bedded ESIC Hospital at Kalol, Gujarat	205.87	20.34	40.00	60.34	100.00
84	100 Bedded ESI Hospital At Rajamahendravaram*	109.30	11.68	35.00	46.68	31.22
85	100 Bedded ESI Hospital At Kakinada (A.P.)	102.77	17.59	25.00	42.59	8.70
86	Construction Of 100 Beds ESIC Hospital At Vizianagram	73.68	11.76	15.00	26.76	41.34
87	Construction Of Model Dispensary Cum Diagnostic Center With 6 Beds And Branch Office At Pydibhimavaram	6.29	0.58	0.30	0.88	0.00
88	Construction Of 350 Bed+50 SST Beds ESIC Hospital At Sheelanagar, Vishakhapatnam (A.P.)	384.26	0.00	20.00	20.00	200.00
89	30 Bedded ESI Hospital At Atchutapuram (A.P)	64.25	0.11	0.00	0.11	40.00



वित्तीय प्राक्कलन तथा निष्पादन बजट 2024-2025

क्र.सं.	परियोजना का नाम एवं स्थान	परियोजना की लागत	दिनांक 01.04.2023 से 30.09.2023 तक किया गया वास्तविक व्यय	01.10.2023 से 31.03.2024 तक निधि की आवश्यकता	संशोधित प्राक्कलन 2023-2024 (6 = 4+5)	बजट प्राक्कलन 2024-2025
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
90	गुणदला, विजयवाड़ा में 110 बिस्तरों वाले क.रा.बी. अस्पताल को ढहाना एवं पुनर्निर्माण (अर्ध स्थायी संरचना)	16.00	3.19	7.00	10.19	3.00
91	क.रा.बी. अस्पताल, सनतनगर में 200 बिस्तरों वाला ओपीडी ब्लॉक	211.23	47.13	20.00	67.13	66.26
92	तूतीकोरिन, तमिलनाडु में 100 बिस्तरों वाले क.रा.बी. अस्पताल तथा स्टाफ क्वार्टर का निर्माण	138.54	9.01	17.00	26.01	85.68
93	तिरुपुर, तमिलनाडु में 100 बिस्तरों वाले क.रा.बी. अस्पताल तथा स्टाफ क्वार्टर का निर्माण	95.13	38.20	25.00	63.20	31.93
94	श्रीपेरुम्बुदूर, तमिलनाडु में 100 बिस्तरों वाले क.रा.बी. अस्पताल तथा स्टाफ क्वार्टर का निर्माण	146.45	4.35	17.00	21.35	97.46
95	मदुरै, तमिलनाडु में 200 बिस्तरों वाले क.रा.बी. अस्पताल की संकल्पना योजना प्रक्रियाधीन है।		अंतिम रूप देना बाकी है 0.00	0.00	0.00	40.00
96	अयनावरम (तमिलनाडु) में 100 बिस्तरों वाले क.रा.बी. अस्पताल का निर्माण	302.18	0.00	0.00	0.00	19.05
97	अयनावरम, तमिलनाडु में मौजूदा अस्पताल की तीसरी मंजिल का पुनरुद्धार		अंतिम रूप देना बाकी है 0.00	0.00	0.00	0.32
98	चेलापुरम, केरल में क.रा.बी. औषधालय आरडीडी कार्यालय (एनजैड), उ.क्षे.का. तथा उप भण्डार गृह का निर्माण	50.81	0.00	7.00	7.00	40.00
99	योग (घ)	8,249.70	489.13	843.27	1,332.40	2,861.71
100	भूमि क्रय (ङ)				10.00	200.00
101	कुल योग राशि (क+ख+ग+घ+ङ)	19,622.55	533.04	951.78	1,494.30	3,978.18



FINANCIAL ESTIMATES AND PERFORMANCE BUDGET 2024-2025

SI No.	Name of the project & place	Cost of The project	Actual expenditure incurred from 01.04.2023 to 30.9.2023	Fund requirement From 1.10.2023 to 31.3.2024	Revised Estimates 2023-2024 (6=4+5)	Budget Estimates 2024-2025
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
90	Demolition And Reconstruction Of 110 Bed ESI Hospital At Gunadala, Vijayawada (Semi permanent Structure)	16.00	3.19	7.00	10.19	3.00
91	200 Bedded Opd Block At ESI Hospital At Sanath Nagar	211.23	47.13	20.00	67.13	66.26
92	Construction Of 100 Bedded ESI Hospital & Staff Quarters At Tuticorin, Tamil Nadu.	138.54	9.01	17.00	26.01	85.68
93	Construction Of 100 Bedded ESI Hospital & Staff Quarters At Tirpur, Tamil Nadu.	95.13	38.20	25.00	63.20	31.93
94	Construction Of 100 Bedded ESI Hospital & Staff Quarters At Sriperumbudur Tamil Nadu.	146.45	4.35	17.00	21.35	97.46
95	Proposed Construction Of 200 Bedded ESI Hospital, Madurai Tamil Nadu Which Concept Plan Is Under Process.	Yet to be finalized	0.00	0.00	0.00	40.00
96	Construction Of 100 Bedded ESIC Hospital At Ayanavarm (Tamilnadu)	302.18	0.00	0.00	0.00	19.05
97	Renovation Of Existing Hospital 3Rd Floor At Aynavaram, Tamilnadu.	Yet to be finalized	0.00	0.00	0.00	0.32
98	C/O Of Esi Dispensary ,Rdd Office (Nz), SRO And Sub Store At Chelapuram Kerla	50.81	0.00	7.00	7.00	40.00
99	TOTAL (D)	8,249.70	489.13	843.27	1,332.40	2,861.71
100	Purchase of Land (E)				10.00	200.00
101	GRAND TOTAL AMOUNT (A + B + C + D + E)	19,622.55	533.04	951.78	1,494.30	3,978.18



वित्तीय प्राक्कलन तथा निष्पादन बजट 2024-2025

कर्मचारी राज्य बीमा निगम निष्पादन बजट 2024-2025

1. भूमिका

कर्मचारी राज्य बीमा निगम की स्थापना कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अधीन की गई है। हालांकि, सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (2020 का अधिनियम 36) को केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया है। कार्यान्वयन की प्रभावी तिथि भी शीघ्र अधिसूचित होना संभावित है। संहिता, सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में अन्य केंद्रीय अधिनियमों के साथ क.रा.बी. अधिनियम, 1948 को समाविष्ट करती है। संहिता की तिथि अधिसूचित होने के बाद क.रा.बी. योजना को देश के संपूर्ण क्षेत्र में लागू करने का प्रस्ताव है।

2. क.रा.बी. अधिनियम, 1948 के तहत व्याप्ति

कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 उन सभी कारखानों पर लागू होता है जिनमें 10 या इससे अधिक व्यक्ति हों। अधिनियम के प्रावधानों को चरणबद्ध तरीके से जिला क्षेत्रवार लागू किया जा रहा है। समुचित सरकार (केन्द्रीय या राज्य) के पास अधिनियम के उपबंधों का स्थापनाओं के अन्य वर्गों-औद्योगिक, वाणिज्यिक, कृषि या अन्यथा पर विस्तार करने की शक्तियां हैं। जहां राज्य सरकार उपयुक्त सरकार है वहां इन प्रावधानों के तहत, राज्य सरकारों ने अधिनियम की धारा 1(5) के तहत दुकानों, होटल, रेस्तरां, पूर्वावलोकन थिएटरों सहित सिनेमा, सड़क-मोटर परिवहन उपक्रम, समाचार पत्र प्रतिष्ठानों, निजी चिकित्सा संस्थानों, शैक्षणिक संस्थानों तथा नगर निगम/नगरपालिका निकायों के संविदा एवं आकस्मिक कर्मचारी जहां कुछ राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 10 या अधिक व्यक्ति रोजगार में हैं, उन्हें व्याप्त किया जाता है। जहां केंद्र सरकार उपयुक्त सरकार है वहां केंद्र सरकार ने धारा 1(5) के तहत दुकानों, होटलों, रेस्तरां, सड़क मोटर परिवहन प्रतिष्ठानों, पूर्वावलोकन थिएटरों सहित सिनेमा, समाचार पत्र प्रतिष्ठानों, बीमा व्यवसाय में लगे प्रतिष्ठानों, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों, पोर्ट ट्रस्ट, विमानपत्तन प्राधिकरणों, भण्डारण प्रतिष्ठान जिनमें 20 या अधिक व्यक्ति कार्यरत हों, को कवरेज में लिया है। तैंतीस राज्य सरकारों और केंद्रशासित प्रदेशों ने दुकानों और प्रतिष्ठानों के कवरेज की सीमा को घटाकर 10 या अधिक व्यक्तियों तक कर दिया है। प्रति माह 21000/- रुपये (विकलांग व्यक्तियों के लिए 25,000/- रुपये) तक वेतन पाने वाले पंजीकृत कारखानों और प्रतिष्ठानों के कर्मचारी इस अधिनियम के अंतर्गत आते हैं।

3. मुख्य उद्देश्य

क.रा.बी. योजना बीमाकृत व्यक्ति तथा उनके परिवारों को चिकित्सा देखभाल उपलब्ध कराने के अलावा बीमारी, मातृत्व तथा रोजगार चोट के मामले में बीमाकृत व्यक्तियों को चिकित्सा और नकद हितलाभ तथा रोजगार चोट के कारण हुई मृत्यु के मामले में आश्रितजन हितलाभ भी उपलब्ध कराती है।



EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION PERFORMANCE BUDGET 2024-2025

1. INTRODUCTION

The Employees' State Insurance Corporation has been established under the Employees' State Insurance Act, 1948. However, the Code on Social Security, 2020 (Act 36 of 2020) has been notified by the Central Government. The effective date of implementation is also expected to be notified shortly. The code subsumes ESI Act, 1948 along with eight other central enactments in the field of Social Security. Once notified ESI Scheme is proposed to be made applicable to the entire area of the country.

2. COVERAGE UNDER ESI ACT, 1948

The ESI Act, 1948 applies to factories employing 10 or more persons. The provisions of the Act are being brought into force in district area-wise in stages. The Act contains an enabling provision under which the "appropriate government" is empowered to extend the provisions of the Act to class of establishments, industrial, commercial, agricultural or otherwise. Under these provisions, the State Governments have extended the coverage under Section 1(5) of the Act to Shops, Hotel, Restaurants, Cinema including preview theatres, Road-motor transport undertaking, Newspaper establishments, Private Medical Institutions, Educational Institutions and to contract and casual employees of Municipal Corporation/Municipal Bodies employing 10 or more persons in the certain States/UTs, where State Govt. Is the appropriate Govt. The Central Govt. Has extended the coverage under Section 1(5) to Shops, Hotels, Restaurants, Road Motor Transport establishments, Cinema including preview theatres, Newspaper establishments, establishment engaged in Insurance Business, Non-Banking Financial Companies, Port Trust, Airport Authorities Warehousing establishments, employing 20 or more persons, where Central Govt. Is the appropriate Govt. Thirty-three state Governments & UT's have reduced the threshold for coverage of shops and establishments to 10 or more persons. The employees of registered factories and establishments drawing wages up to Rs. 21000/- per month (Rs. 25,000/- of Persons and Disability) are covered under the Act.

3. PRINCIPAL OBJECTIVE

The ESI Scheme provides medical and cash benefits to insured persons in case of sickness, maternity, and employment injury and also dependent benefit in case of death due to employment injury besides providing medical care to insured person and their families.



वित्तीय प्राक्कलन तथा निष्पादन बजट 2024-2025

कारखानों आदि के बंद होने के कारण हुई बेरोजगारी के दौरान बेरोजगारी भत्ता तथा चिकित्सा हितलाभ उपलब्ध कराने के लिए दिनांक 01.04.2005 से राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना नामक नकद हितलाभ योजना लागू है तथा कोविड-19 महामारी के दौरान बेरोजगार हो गए बीमाकृत व्यक्तियों को राहत प्रदान करने के लिए शुरू में दो वर्षों की अवधि के लिए, अखिल भारत में प्रायोगिक आधार पर दिनांक 01.07.2018 से "अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना" शुरू की गई है। वर्तमान में, इस योजना की पात्रता शर्तों में छूट के साथ अगले दो वर्षों यानी 01.07.2022 से 30.06.2024 तक बढ़ा दिया गया है।

उपर्युक्त के अलावा, अध्यक्ष, क.रा.बी. निगम ने कोविड-19 के कारण अपना जीवन खोने वाले बीमाकृत व्यक्तियों के परिजनों को सहायता तथा मदद करने के लिए दिनांक 24.03.2020 से "क.रा.बी. निगम कोविड-19 राहत योजना" शुरू करने का अनुमोदन किया है। हालाँकि, यह योजना 23.03.2022 से बंद कर दी गई है।

जहां कहीं भी कर्मचारी राज्य बीमा योजना कार्यान्वित की गई है, नियोक्ता कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 और प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961 के अधीन अपने दायित्व से मुक्त हो जाते हैं।

4. प्रशासन

यह योजना कर्मचारी राज्य बीमा निगम नामक निगमित निकाय द्वारा चलाई जाती है। इसमें नियोक्ताओं, कर्मचारियों, चिकित्सा व्यवसाय, केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों और संसद के प्रतिनिधि सदस्य होते हैं। निगम के सदस्यों में से गठित एक स्थायी समिति कार्यपालक निकाय के रूप में काम करती है। चिकित्सा हितलाभों की व्यवस्था से संबंधित मामलों में निगम को सलाह देने के लिए एक चिकित्सा हितलाभ परिषद् भी है।

5. चिकित्सा सेवाएं

क.रा.बी. योजना के अंतर्गत, क.रा.बी.अधिनियम, 1948 की धारा-58 के अनुसार बीमाकृत व्यक्तियों तथा उनके परिवारों को चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराने का उत्तरदायित्व राज्य सरकार का है। तथापि, दिल्ली तथा नोएडा (उत्तर प्रदेश) में निगम सीधे चिकित्सा देखभाल उपलब्ध करा रहा है।

निगम ने आंचलिक आधार पर बसईदारापुर (दिल्ली), ठाकुरपुकुर (पश्चिम बंगाल), के.के. नगर (चेन्नै), इंदौर (मध्य प्रदेश), अलवर (राजस्थान), बिहटा (पटना) और अंधेरी (मुंबई) में व्यावसायिक रोग केन्द्रों (ओ.डी.सी.) की स्थापना की है। व्यावसायिक रोग केन्द्रों के संचालन पर होने वाला समस्त व्यय क.रा.बी. निगम द्वारा ही वहन किया जाता है।

निगम ने अधिकतर राज्यों में आदर्श अस्पताल भी स्थापित किए हैं/एक अथवा अधिक अस्पतालों को अपने नियंत्रण में लेकर सीधे चला रहा है। आदर्श अस्पताल राज्यों में अन्य क.रा.बी. योजना अस्पतालों के उन्नयन के लिए एक बेंचमार्क के रूप में कार्य करता है। आगे, राज्य सरकारें भी इससे लाभान्वित होंगी, क्योंकि इन अस्पतालों को चलाने के लिए पूरा व्यय निगम द्वारा वहन किया जाता है, जो क.रा.बी. योजना के अंतर्गत चिकित्सा देखभाल सेवाओं की लागत के लिए राज्य सरकार को भुगतान की गई राशि के अतिरिक्त होता है।



The cash benefit schemes related to unemployment, named as Rajiv Gandhi Shramik Kalyan Yojna, which is in force w.e.f. 1.4.2005 to provide unemployment allowance and medical benefit during unemployment arising out of closure of factories etc and “ATAL BEEMIT VYAKTI KALYAN YOJANA”, started w.e.f. 01.07.2018 initially on Pan India pilot basis for a period of two years providing relief to the IPs who have become unemployed during COVID-19 pandemic. Presently, the scheme has been further extended for another two years i.e. from 01.07.2022 to 30.06.2024 with relaxed eligibility conditions.

Besides above, the Chairman, ESI Corporation had approved the “ESIC COVID-19 Relief Scheme”, started w.e.f. 24.03.2020 to provide help and succor to the families of the IPs who lost life due to COVID-19. However, this Scheme has been discontinued from 23.03.2022.

Wherever the ESI Scheme has been implemented, the employers are absolved of their liability under the Workmen’s Compensation Act, 1923 and the Maternity Benefit Act, 1961.

4. ADMINISTRATION

The scheme is administered by a corporate body called the Employees’ State Insurance Corporation. It has members representing employers, employees, the medical profession, the Central and State Governments and the Parliament. The Standing Committee, constituted from amongst the members of the Corporation, acts as the Executive Body. There is also a Medical Benefit Council to advise the Corporation in matters connected with the provision of medical benefit.

5. MEDICAL SERVICES

Under the ESI Scheme, it is the responsibility of the State Governments to provide medical services to the insured persons and their families as per Section 58 of the ESI Act, 1948. However, in Delhi and NOIDA (U.P), the Corporation is providing medical care directly.

The Corporation has set up Occupational Disease Centres (ODC) on zonal basis at Basaidarapur (Delhi), Thakurpukur (West Bengal), K.K. Nagar (Chennai), Indore (M.P.), Alwar (Rajsthan), Bihta (Patna) and Andheri (Mumbai). The entire expenditure on running of these ODCs is borne by the ESI Corporation.

The Corporation has also set up a Model Hospital/taken over one or more hospital in most of the States and runs them directly. The model hospitals are expected to serve as a benchmark for up gradation of other ESIS hospitals in the States. Further, the State Govts. will also be benefited as the entire expenditure on running these hospitals is borne by the Corporation over and above the amount paid to the State Governments on account of cost of medical care services under ESI Scheme.



वित्तीय प्राक्कलन तथा निष्पादन बजट 2024-2025

निगम ने योजना के हितलाभार्थियों को निगम अस्पतालों में ही आंतरिक अतिविशिष्टता उपचार उपलब्ध कराने के लिए सनतनगर, हैदराबाद में अतिविशिष्टता अस्पताल का निर्माण किया है। हाल ही में, क.रा.बी. निगम ने 3 क.रा.बी. निगम अस्पतालों [अर्थात्, बीकानेर (राजस्थान), तिरुपुर (तमिलनाडु) और भिलाई (छत्तीसगढ़)] का निर्माण किया है और 3 क.रा.बी. योजना संचालित अस्पतालों [अर्थात्, कोटा (राजस्थान), मैथन (झारखंड) और भोपाल (मध्य प्रदेश)] का संबंधित राज्य सरकारों से अधिग्रहण किया है। तदनुसार, निगम के पास अब नीचे सूचीबद्ध विभिन्न राज्यों में 57 आदर्श/क.रा.बी. निगम अस्पताल (ओडीसी सहित) हैं।

आदर्श/क.रा.बी.निगम अस्पताल (ओडीसी सहित)

क्र.सं.	राज्य	क.रा.बी.निगम. अस्पताल का नाम	विस्तारों की संख्या
1.	असम	बेलतला, गुवाहाटी	85+
2.		तिनसुकिया	0
3.	बिहार	बिहटा	330
4.		फुलवारीशरीफ, पटना	50
5.	चंडीगढ़ (संघ राज्य क्षेत्र)	रामदरबार	70
6.	छत्तीसगढ़	कोरबा	50
7.		रायपुर	50
8.		भिलाई	100
9.	दिल्ली	बसईदारापुर	600
10.		झिलमिल	300
11.		ओखला	308
12.		रोहिणी	280
13.	गुजरात	बापूनगर	300
14.		अंकलेश्वर	100
15.		नरोडा	50
16.		वापी	75
17.	हरियाणा	फरीदाबाद अस्पताल और चिकित्सा महाविद्यालय	650
18.		गुडगाँव	168
19.		मानेसर	100
20.	हिमाचल प्रदेश	बददी	100
21.	जम्मू और कश्मीर	बरी ब्रह्मणा	50
22.	झारखंड	आदित्यपुर	50
23.		नामकुम, रांची	50
24.		मैथन	30
25.	कर्नाटक	राजाजीनगर, बेंगलुरु	500
26.		गुलबर्गा	470
27.		पीण्या	150
28.	केरल	आश्रमम, कोल्लम	200
29.		एजुकोन	150
30.		उद्योगमंडल	100
31.	मध्य प्रदेश	इंदौर	300
32.		भोपाल	100
33.	महाराष्ट्र	अंधेरी	230
34.		बिबवेवाड़ी	100
35.		कोल्हापुर	30
36.	ओडिशा	अंगुल	0
37.		राउरकेला	50



FINANCIAL ESTIMATES AND PERFORMANCE BUDGET 2024-2025

The Corporation has also constructed super specialty hospital at Sanath Nagar, Hyderabad for providing in-house super specialty treatment to the beneficiaries of the Scheme.

Recently, ESIC has constructed 3 ESIC Hospitals (viz, Bikaner (Rajasthan), Tiruppur (Tamil Nadu) and Bhilai (Chhattisgarh)) and taken over the 3 ESIS run hospitals (viz, Kota (Rajasthan), Maithan (Jharkhand) and Bhopal (Madhya Pradesh), from respective state governments)).

Accordingly, the Corporation now has 57 model/ESIC hospitals (including ODCs) in various states as listed below.

MODEL/ESIC HOSPITALS (INCLUDING ODCS)

S.No.	State	Name of the ESIC Hospital	No. of Beds (Commissioned)
1	Assam	Beltola, Guwahati	85*
2		Tinsukia	0
3	Bihar	Bihta	330
4		Phuwarisharif, Patna	50
5	Chandigarh (UT)	Ramdarbar,	70
6	Chhattisgarh	Korba	50
7		Raipur	50
8		Bhilai	100
9	Delhi	Basaidarapur	600
10		Jhilmil	300
11		Okhla	308
12		Rohini	280
13	Gujarat	Bapunagar	300
14		Ankleswar	100
15		Naroda	50
16		Vapi	75
17	Haryana	Faridabad Hospital & MC	650
18		Gurgaon	168
19		Manesar	100
20	Himachal Pradesh	Baddi	100
21	Jammu & Kashmir	Bari Brahmana	50
22	Jharkhand	Adityapur	50
23		Namkum, Ranchi	50
24		Maithan	30
25	Karnataka	Rajajinagar, Bangalore	500
26		Gulbarga	470
27		Peenya	150
28	Kerala	Asramam, Kollam	200
29		Ezhukone	150
30		Udyogamandal	100
31	Madhya Pradesh	Indore	300
32		Bhopal	100
33	Maharashtra	Andheri	230
34		Bibwewadi	100
35		Kolhapur	30
36	Odisha	Angul	0
37		Rourkela	50



वित्तीय प्राक्कलन तथा निष्पादन बजट 2024-2025

क्र.सं.	राज्य	करा.बी.निगम. अस्पताल का नाम	बिस्तरों की संख्या	
38	पंजाब	लुधियाना	300	
39	राजस्थान	अलवर	220	
40		भिवाड़ी	50	
41		जयपुर	300	
42		उदयपुर	100	
433		बीकानेर	30	
44		कोटा	60	
45		तमिलनाडु	के.के. नगर, चेन्नई*	855
46			तिरुनेलवेली	100
47	तिरुपुर		100	
48	तेलंगाना	अति विशिष्टता अस्पताल सनतनगर	150	
49		सनतनगर चिकित्सा महाविद्यालय	753	
50	उत्तर प्रदेश	बरेली	50	
51		जाजमऊ, कानपुर	50	
52		नोएडा	300	
53		साहिबाबाद	147	
54		सरोजनीनगर, लखनऊ	75	
55		वाराणसी	150	
56		उत्तराखंड	रुद्रपुर	50
57	पश्चिम बंगाल	जोका	470	
			10636	

टिप्पणी :- दिनांक 08.05.2023 से बिस्तरों की संख्या 550 से बढ़ाकर 1000 कर दी गई है।

6. राज्य सरकारों को भुगतान

6.1 क.रा.बी. निगम ने दिनांक 10.09.2021 को आयोजित अपनी 185वीं बैठक में राज्य सरकार को लेखागत भुगतान की संपूर्ण नीति को परिशोधित किया, जिसका विवरण निम्नानुसार है :-

i) वित्तीय वर्ष 2021-2022 के बाद से निधि आबंटन/जारी करने का तरीका :

₹3,000/- प्रति बीमाकृत व्यक्ति प्रति वर्ष की कुल उच्चतम सीमा में कोई परिवर्तन नहीं। हालांकि ₹3000/- की इस व्यापक उच्चतम सीमा के अंतर्गत विभिन्न उच्चतम सीमा को निम्नानुसार परिशोधित किया गया है :-

- चिकित्सा देखभाल व्यय के लिए हकदारी पर वार्षिक उच्चतम उप-सीमा को "प्रशासन" शीर्ष के अंतर्गत व्यय करने हेतु ₹ 1,300/- की उच्चतम उप सीमा सहित विद्यमान ₹ 2,150/- से बढ़ाकर ₹ 2,600/- प्रति बीमाकृत व्यक्ति प्रति वर्ष किया जाएगा।
- परियोजना कार्यान्वयन योजना (पीआइपी) के अंतर्गत व्यय के लिए ₹200 प्रति बीमाकृत व्यक्ति प्रति वर्ष की हकदारी।
- पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान राज्य के क.रा.बी. अस्पतालों और औषधालयों में क.रा.बी. निगम धनवंतरी मॉड्यूल के कार्यान्वयन की सीमा के आधार पर यथानुपात आधार पर ₹ 200/- प्रति बीमाकृत व्यक्ति प्रति वर्ष की हकदारी।

ii) समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान 70% से अधिक बिस्तर अधिभोग वाले सभी राज्यों के क.रा.बी. अस्पतालों को ₹ 3,000/- की उच्चतम सीमा के अतिरिक्त प्रोत्साहन के रूप में ₹ 200.00 प्रति बीमाकृत व्यक्ति प्रति वर्ष की अतिरिक्त हकदारी।

- निवारक एवं उन्नायक स्वास्थ्य सेवाओं के अंतर्गत व्यय के लिए ₹ 3,000/- की उच्चतम सीमा के अतिरिक्त प्रति बीमाकृत व्यक्ति प्रति वर्ष ₹ 20/- की अतिरिक्त हकदारी।



FINANCIAL ESTIMATES AND PERFORMANCE BUDGET 2024-2025

S.No.	State	Name of the ESIC Hospital	No. of Beds (Commissioned)
39	Rajasthan	Alwar	220
40		Bhiwadi	50
41		Jaipur	300
42		Udaipur	100
43		Bikaner	30
44		Kota	60
45		Tamilnadu	K.K. Nagar, Chennai*
46	Tirunelveli		100
47	Tiruppur		100
48	Telangana	S.S. Sanathnagar	150
49		Sanathnagar MC	753
50	Uttar Pradesh	Bareilly	50
51		Jajmau, Kanpur	50
52		Noida	300
53		Sahibabad	147
54		Sarojinagar, Lucknow	75
55		Varanasi	150
56		Uttarakhand	Rudrapur
57	West Bengal	Joka	470
		Total	10636

Note:* Bed strength enhance from 550 to 1000 w.e.f. 08.05.2023.

6. PAYMENT TO STATE GOVERNMENTS

6.1 The ESI Corporation in its 185th meeting held on 10.09.2021 revised entire policy on account payment to State Government as detailed below: -

i) Modalities for fund allocation/release for FY 2021-22 onward:

No change in overall ceiling of ₹ 3,000/- per IP per annum. However, various Sub- ceiling under this broader ceiling of ₹ 3000/- have been revised as under: -

- Annual ceiling on entitlement for medical care expenditure to be enhanced to ₹ 2,600 per IP per annum from existing ceiling of ₹ 2150/- with maximum sub ceiling of ₹ 1,300 for expenditure under "Administration" head.
- Entitlement of ₹ 200 per IP per annum for incurring expenditure under Project Implementation Plan (PIP).
- Entitlement of ₹ 200 per IP per annum on pro-rata basis based on extent of implementation of ESIC Dhanwantari module in State ESI hospitals & dispensaries during previous financial year.

ii) Additional Entitlement of ₹ 200 per IP per annum as incentive, over and above the ceiling of ₹ 3,000/- where bed occupancy in all the State ESI Hospitals is more than 70% during the concluded financial year.

- Additional entitlement of ₹ 20 per IP per annum, over and above the ceiling of ₹ 3,000/- for expenditure under preventive and promotive health services.



वित्तीय प्राक्कलन तथा निष्पादन बजट 2024-2025

iii) राज्य क.रा.बी. योजनाओं को "लेखागत भुगतान" के लिए बजटीय प्राक्कलन(बीई) के परिकलन का तरीका।

माह मार्च तथा अक्टूबर में राज्य सरकार के साथ बैठक में निधि जारी करने और व्यय की समीक्षा के साथ-साथ बजट प्राक्कलन के अनुमोदन पर भी विचार किया जाएगा।

पिछले तीन पूर्ण वित्तीय वर्षों के दौरान वास्तविक प्रति बीमाकृत व्यक्ति व्यय के औसत के आधार पर राज्य क.रा.बी. योजनाओं की हकदारी का प्राक्कलन किया जाएगा। चिकित्सा व्यय की उच्चतम सीमा को ₹2,150/- से बढ़ाकर ₹2,600/- करने का प्रस्ताव है इसलिए (जो लगभग 21% की वृद्धि है), वित्तीय वर्ष 2021-2022 के बजटीय प्राक्कलन पर पहुंचने के लिए वास्तविक प्रति बीमाकृत व्यक्ति व्यय के औसत को 21% बढ़ाया जाएगा।

आगामी वित्तीय वर्षों के बजटीय प्राक्कलन की गणना हेतु मुद्रास्फीति और बीमाकृत व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए वर्तमान उच्चतम सीमा के अध्यधीन वास्तविक व्यय के औसत में 10% की वृद्धि की जाएगी।

यदि राज्य सरकार वर्ष के लिए अनुमोदित बजटीय प्राक्कलन के अलावा अपने संपूर्ण व्यय के अंदर रहते हुए अतिरिक्त निधि के आबंटन हेतु इच्छुक हो तो वह परिशोधित प्राक्कलन के प्रयोजनार्थ व्यय के विवरण और उपयोग प्रमाणपत्र सहित औचित्य के साथ 31 अक्टूबर तक प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकती है। इस प्रस्ताव को महानिदेशक के समक्ष अनुमोदनार्थ रखा जाएगा।

इसके अलावा, किसी भी वित्तीय वर्ष के कुल अनुमोदित बजट में से राज्यों के बीच बजट पुनर्विनियोग को अनुमोदन करने हेतु महानिदेशक को अधिकृत किया गया है।

राज्यों को लेखागत भुगतान के लिए परिशोधित प्राक्कलन 30 नवम्बर तक तैयार किया जाना चाहिए तथा विस्तृत अनुदेशों और दिशा-निर्देशों सहित बजटीय प्रावधान परिपत्र आगामी वित्तीय वर्ष से पूर्व 15 दिसम्बर तक जारी किया जाना चाहिए।

iv "लेखागत भुगतान"जारी करने की प्रस्तावित कार्यरिति

लेखापरीक्षा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् उपर्युक्त परिकलित बजटीय प्राक्कलन में से 10% रखने के बाद बजट प्राक्कलन का 90% संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा 15 अप्रैल और अक्टूबर तक दो किशतों में निम्नानुसार जारी किया जाएगा :

- पहली किशत (अप्रैल से सितम्बर) : बजट प्राक्कलन के 90% का 50% अप्रयुक्त निधि के समायोजन (यदि कोई हो), के बाद जो पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष से पूर्व एक वर्ष के लिए राज्य कर्मचारी राज्य बीमा योजना को प्रदान किया गया था, जो इसके प्रयुक्त प्रमाण पत्र के माध्यम से दर्शाया गया है, 15 अप्रैल तक जारी किया जाएगा। प्रयुक्त प्रमाण पत्र की देय तिथि अगले वर्ष की 30 सितम्बर होगी।

- दूसरी किशत (अक्टूबर से मार्च) : बजट प्राक्कलन के 90% का शेष 50% 15 अक्टूबर तक जारी किया जाएगा। दूसरी किशत देते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखा जाए :

- क) यदि पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष से पहले एक वर्ष के अव्यययित शेष, पिछले वित्तीय वर्ष में व्यय होता है जो अप्रयुक्त प्रमाण पत्र (देय तिथि अगले वर्ष की 30 सितम्बर है), के माध्यम से दर्शाया गया है, तो इस प्रकार के मामले में दूसरी किशत के अलावा पहली किशत के दौरान किया गया समायोजन भी दिया जाए।

ख) यदि वित्तीय वर्ष के माह अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में राज्य सरकार के साथ समीक्षा बैठक में यह संज्ञान में आता है कि पिछली किशत के दौरान दी गई निधि का 50% 30 सितम्बर के अंत तक समाप्त नहीं हुआ है, तो दूसरी किशत समानुपातिक आधार पर दी जाए।



iii) **Modalities for Calculation of Budgetary Estimates (BE) for "On Account" payment to State ESI Schemes.**

The release of funds and review of expenditure as well approval of BE will be made in the meeting with the State Govt. in the month of March & October.

Entitlement of State ESI Schemes shall be estimated based on average of actual per IP expenditure incurred during last three completed financial years. As increase in medical expenditure ceiling is proposed from ₹ 2,150/- to ₹ 2,600/- (which is around 21 percent increase), the average of actual per IP expenditure will be enhanced by 21 percent to arrive at budgetary estimate (BE) for FY 2021-22.

For calculation of Budgetary Estimate (BE) of subsequent financial years, average of actual expenditure will be enhanced by 10 percent considering cost of inflation and increase in nos. of IPs subject to prevailing maximum ceiling

In case the State Govt. desires additional allocation of funds over and above the approved BE for the year but within its overall entitlement, it may submit a proposal with justification with details of expenditure and utilization certificate for the purpose of Revised Estimate by 31st October. The proposal will be submitted before Director General for approval.

Further, the Director General has been authorized to approve re-appropriation of budget among States from within the total approved budget for any financial year.

The preparation of the revised estimates for On Account payment to State should be done by 30th November and budgetary provision circular with details instructions and guidelines will be issued by 15th December prior to subsequent financial year.

iv) **Proposed Modalities for release of "On Account" payment.**

Out of the calculated budgetary estimate (BE) as above, after holding 10% of BE for release subsequent to submission of Audit certificate, 90 percent shall be released in two installments by the 15th of April and October, by concerned Regional office as per following:

- First Instalment (April to September): 50 percent of 90 percent of BE shall be released by 15th April after adjustment for unutilized fund (if any) which was provided to State ESI Scheme for one year prior to preceding financial year as reflected through its utilization certificate. Due date for UC will be 30th September of following year.
- Second Instalment (October to March): Remaining 50 percent of 90 percent of BE shall be released by 15th October. While releasing 2nd instalment following may be taken care of:
 - a) In case of unspent balances of one year prior to the preceding F.Y. get spent in previous F.Y. as reflected through utilization certificate (due date is 30th Sept of following year), adjustment made during 1st instalment may also be released in addition to 2nd instalment.
 - b) In case in the review meeting with State in the 1st week of October of financial year, it is revealed that the 50 percent of fund released during 1st instalment has not been exhausted till the end of 30th Sept, 2nd instalment may be given on proportionate basis.



वित्तीय प्राक्कलन तथा निष्पादन बजट 2024-2025

इसके अतिरिक्त, वित्तीय वर्ष 2021-2022 से जारी की गई किश्त की राशि और उपयोग प्रमाण पत्र का समायोजन निम्नानुसार किया जाएगा :

पहली किश्त : अप्रैल, 2021 के दौरान जारी – वित्तीय वर्ष 2019-20 का उपयोग प्रमाणपत्र

दूसरी किश्त : अप्रैल, 2022 के दौरान जारी – वित्तीय वर्ष 2020-21 का उपयोग प्रमाणपत्र

पहली किश्त : अप्रैल, 2023 के दौरान जारी – वित्तीय वर्ष 2021-22 का उपयोग प्रमाणपत्र

- **अतिरिक्त किस्त:** राज्य सरकार को उपर्युक्त पैरा 'ख' में यथा उल्लिखित परिशोधित प्राक्कलन के प्रस्तुतीकरण के माध्यम से निधि की अतिरिक्त मांग की अनुमति दी गई है। अतिरिक्त निधि, यदि अनुमोदित हो तो उसी वित्तीय वर्ष में 31 दिसम्बर तक जारी की जाएगी बशर्ते वर्ष का कुल आबंटन उच्चतम उप-सीमा सहित उच्चतम सीमा राशि पात्रता के अंदर हो।
- **अन्य शीर्ष के लिए कोई उच्चतम सीमा नहीं:** वेतन पर अधिक व्यय को नियंत्रित करने के प्रयास में वर्तमान में राज्यों को प्रशासनिक एवं अन्य (औषधि एवं मरहम पट्टी आदि) की उच्चतम उप सीमा के भीतर 50:50 के अनुपात में भुगतान किया जाता है। इस प्रकार की घटनाएं सामने आई हैं जहां कुछेक राज्य अन्य शीर्षों पर पात्रता की उच्चतम उप सीमा से अधिक व्यय कर रहे हैं। अब यह अनुमोदित किया गया है कि अन्य की उच्चतम सीमा को सीमित न किया जाए, बशर्ते प्रशासनिक व्यय पर उच्चतम सीमा के साथ बीमाकृत व्यक्तियों को सेवा पर व्यय को प्रोत्साहित करने हेतु पूरी पात्रता उच्चतम सीमा के अंदर जारी रखी जाए।
- **परियोजना कार्यान्वयन योजना (पीआइपी) निधि किस्त:** परियोजना कार्यान्वयन योजना (पीआइपी) निधि लेने के लिए राज्य सरकार आगामी वित्तीय वर्ष के लिए 15 अक्टूबर तक अग्रिम रूप में योजना प्रस्तुत करेगी। क.रा.बी. निगम मुख्यालय के स्तर पर इनकी जांच की जाएगी तथा महानिदेशक से अनुमोदन प्राप्त होने के उपरांत आगामी वित्तीय वर्ष के लिए 31 दिसम्बर तक राज्य सरकार को संस्वीकृति की सूचना दी जाएगी। परियोजना कार्यान्वयन मामले में उपयोग प्रमाण पत्र पूर्ववर्ती वर्ष से पूर्व की 12 महीने की अवधि पर विचार करके लिया जाए। राज्यों को आगामी वित्तीय वर्ष के लिए संस्वीकृति की सूचना वित्तीय वर्ष की शुरुआत से पूर्व दी जाएगी जबकि निधि पूरे वर्ष जारी की जाएगी, बावजूद इसके कि 90% की कोई उच्चतम सीमा को ध्यान में रखते हुए लेखागत अदायगी के लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र के साथ लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाए।
- **पूर्ण तथा अंतिम निपटान :** राज्य क.रा.बी. योजना द्वारा विभिन्न उप शीर्षों और व्यापक उच्चतम सीमा के अधीन व्यय की गई राशि को जारी करने के लिए संबंधित वित्तीय वर्षों का लेखापरीक्षा प्रमाण पत्र अपेक्षित होगा।

6.2.1 हाल ही में, कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने दिनांक 19-20 फरवरी, 2023 को आयोजित अपनी 190वीं बैठक में सिक्किम सहित उत्तर पूर्वी राज्यों की भौगोलिक, जनसांख्यिकीय, सामाजिक, औद्योगिक और वाणिज्यिक स्थितियों पर विचार करते हुए निम्नानुसार निर्णय किया है।

क) **100% व्यय (अधिकतम सीमा तक) निगम द्वारा वहन किया जाएगा:**

पूर्वोत्तर क्षेत्र की कम आबादी, निजी अस्पतालों/औषधालयों/नर्सिंग होम आदि की भारी कमी और कर्मचारी राज्य बीमा निगम योजनाओं की वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए, पूर्वोत्तर राज्यों (असम को छोड़कर) हेतु वित्त वर्ष 2023-24 से अधिकतम सीमा तक का पूरा व्यय कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा वहन किया जाएगा।



FINANCIAL ESTIMATES AND PERFORMANCE BUDGET 2024-2025

Further, the adjustment of released instalment amount and utilization certificate from financial year 2021-2022 onwards will be carried out as under:

1st instalment: Released during April, 2021 — UC of FY 2019-20.

1st Instalment: Released during April, 2022 — UC of FY 2020-21.

1st Instalment: Released during April, 2023 — UC of FY 2021-22 and so on.

- **Additional instalment:** The State Govt. has been allowed to submit additional requirement of fund through submission of revised estimate as explained in Para B above. Additional fund, if approved, shall be released by 31stDecember of the same financial year subject to total allocation of the year being within the entitlement of ceiling amount including sub-ceiling.
- **No sub-ceiling for Others head:** At present payment to States are done within a sub- ceiling of Administration & Others (Drugs & Dressing etc.) in an effort to control excess expenditure on salaries in the ratio of 50:50. Instances have been seen where some of the State are incurring expenditure on Others above the sub-ceiling entitlement. Now It has been approved that the ceiling of Others may not be restricted subject to within the overall entitlement ceiling to encourage expenditure on service to IPs with ceiling on Administrative expenditure to continue.
- **PIP Fund Instalment:** To avail the Project Implementation Plan (PIP) fund, the State Government shall submit plan in advance by 15thOct for subsequent financial year. This will be examined at ESIC Hqrs' level and after getting approval from Director General, the sanction will be communicated to State Government by 31 Dec for subsequent financial year. Utilization Certificate in case of PIP may be taken by considering period of 12 months before preceding year. While sanction for the subsequent financial year will be communicated to the States before commencement of the financial year, the release will be spread over the year irrespective of any ceiling of 90 percent with audit certificate to be furnished with On Account payment audit certificate.
- **Full & final Settlement:** Audit certificate of concerned financial years shall be required for release of balance fund spent by State ESI Scheme subject to various sub-heads and broader ceiling.

6.2 Recently, the ESI Corporation in its 190th meeting held on 19th – 20th February, 2023 considering the geographical, demographical, social, industrial and commercial conditions of North Eastern States (including Sikkim) has decided as under

A. 100% expenditure (upto the ceiling) to be borne by ESI Corporation:

Keeping in view the sparsely populated North Eastern Region, acute shortage of private hospitals / dispensaries / nursing homes etc. and financial position of ESI Schemes, entire expenditure upto the ceiling to be borne by ESI Corporation for North Eastern States (except Assam) w.e.f. FY 2023-24. Rest of the terms & condition as circulated



वित्तीय प्राक्कलन तथा निष्पादन बजट 2024-2025

समय-समय पर परिचालित बाकी नियम और शर्तें इस संशोधन के साथ लागू होंगी कि सीमित अवधि के लिए समर्थन के बजाय, बीमाकृत व्यक्तियों की आबादी 50,000 तक पहुंचने तक अथवा (यानी राज्यों में शेष में सबसे कम बीमाकृत व्यक्तियों की आबादी का 50%) या अतिरिक्त पांच वर्षों के लिए, जो भी पहले हो तक सहायता प्रदान की जाएगी। असम के नए कार्यान्वित जिलों के लिए यह योजना केवल पहले पांच वर्षों के लिए होगी।

अतिरिक्त वित्तीय सहायता (अ.वि.स.)

उत्तर पूर्वी राज्य(असम को छोड़कर सिक्किम सहित) वित्तीय वर्ष 2023-24 प्रति औषधालय ₹40 लाख (त्रैमासिक ₹10 लाख) के अतिरिक्त वित्तीय सहायता के लिए पात्र होगा। मानक चिकित्सा देखभाल के तहत नियमित फंड आवंटन के अलावा अतिरिक्त वित्तीय सहायता एक अतिरिक्त लाभ होगा। यह नए औषधालयों के लिए भी उपलब्ध रहेगा, यदि इसे मौजूदा निर्देशों के अनुसार खोला जाता है और जब तक संबंधित राज्य की बीमाकृत व्यक्ति आबादी 50,000 तक नहीं पहुंच जाती या अगले पांच वर्षों तक, जो भी पहले हो। असम के नए कार्यान्वित औषधालयों के लिए, योजना कार्यान्वयन के बाद पहले पांच वर्षों तक रहेगी। यह निधि संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा अप्रैल 2023 से त्रैमासिक आधार पर जारी की जाएगी। पहली (एक/चौथी) और दूसरी (2/4वीं) किस्त अग्रिम रूप से जारी की जाएगी और बाद की किस्तें व्यय विवरण/उपयोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाने पर जारी की जाएंगी। संबंधित वित्तीय वर्ष के लिए 'ऑन अकाउंट' भुगतान के लेखा परीक्षा प्रमाणपत्र के साथ लेखा परीक्षा प्रमाणपत्र भी जमा करना होगा। लेखा परीक्षा प्रमाणपत्र के अभाव में, राशि 'ऑन-अकाउंट' भुगतान से वसूल/समायोजित की जा सकती है।

ख. लचीली अधिकतम सीमा

एक लचीली उप-सीमा होगी, ताकि 'प्रशासनिक' व्यय के घटक की अधिकतम कैपिंग ₹1,800 हो ताकि दोनों घटक मानक चिकित्सा देखभाल सीमा यानी ₹2,600/- के भीतर रहें। इसे उत्तर पूर्वी राज्यों (असम को छोड़कर सिक्किम सहित) के लिए 5 वर्ष के लिए अनुमति दी जानी चाहिए। वित्त वर्ष 2022-23 और 'पूर्ण एवं अंतिम' गणना तदनुसार लेखा परीक्षा प्रमाण पत्र के आधार पर की जाएगी।

इसके अतिरिक्त, उपर्युक्त नीति में अति विशिष्ट उपचार पर व्यय के प्रावधान सम्मिलित नहीं हैं क्योंकि कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने दिनांक 07.08.2015 को आयोजित अपनी 166वीं बैठक में लाभार्थियों को हो रही कठिनाइयों का जायजा लिया और निर्णय लिया कि अति विशिष्ट उपचार पर होने वाला व्यय सीधे कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा वहन किया जाएगा।



FINANCIAL ESTIMATES AND PERFORMANCE BUDGET 2024-2025

from time to time will apply thereto with the modification that instead of support for a limited period, the support will be provided till the IP population reaches 50,000 (i.e. 50% of the lowest IP population in the rest of the states) or for additional five years, whichever is earlier. For newly implemented districts of Assam, the Scheme will be for first five years only.

Additional Financial Assistance (AFA)

North Eastern States (including Sikkim except Assam) w.e.f. FY 2023-24 will be eligible for AFA to the tune of ₹ 40 lac per dispensary (₹ 10 lac quarterly). AFA would be an additional benefit apart from regular fund allocation under Standard Medical Care. This shall also remain available for the new dispensaries, if same is opened as per the extant instructions and till the IP population of a State concerned reaches 50,000 or for next five years, whichever is earlier. For newly implemented dispensaries of Assam, Scheme will remain for first five years after implementation. This Fund shall be released by Regional Office concerned on quarterly basis starting from April 2023. First(1/4th) and Second (2/4th) installment shall be released in advance and subsequent installments shall be released on submitting expenditure statement / utilization certificate of quarter preceding the last quarter. Further, audit certificate has to be submitted alongwith the audit certificate of 'On Account' payment for the financial year concerned. In absence of audit certificate, amount is liable to be recovered / adjusted from the 'On-Account' payment.

B. Flexible Ceiling

There shall be flexible sub-ceiling, so that component of 'Administrative' expenditure shall have maximum capping of ₹ 1,800 in such a way that both components remain within Standard Medical Care ceiling i.e. ₹ 2,600/-. This should be allowed for North Eastern States (including Sikkim except Assam) for 5 years w.e.f. FY 2022-23 and 'full & final' computations shall be carried out on the basis of audit certificate accordingly.

Further, above policy does not contain the provisions towards expenditure on super specialty treatment as the ESI Corporation in its 166th meeting held on 07.08.2015 took stock of the difficulties being faced by the beneficiaries and decided that the expenditure on super specialty treatment would be borne directly by the ESI Corporation.



वित्तीय प्राक्कलन तथा निष्पादन बजट 2024-2025

7. वित्त: अंशदान को तर्कसंगत बनाना

कर्मचारी राज्य बीमा योजना का वित्तपोषण नियोक्ताओं तथा कर्मचारियों के अंशदान से होता है। केंद्रीय सरकार द्वारा कर्मचारी राज्य बीमा(केंद्रीय)नियमावली 1950 के नियम 51 में संशोधन की अधिसूचना द्वारा दिनांक 01.07.2019 से नियोक्ताओं तथा कर्मचारियों द्वारा अंशदान की दर को क्रमशः 3.25% एवं 0.75% परिशोधित किया गया। प्रतिदिन ₹ 176/- तक वेतन पाने वाले कर्मचारियों को दिनांक 06.09.2019 से कर्मचारी के अंशदान भाग का भुगतान करना आवश्यक नहीं है।

निगम को केन्द्र सरकार से कोई वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं होती। नियोक्ता तथा कर्मचारियों के अंशदान से प्राप्त निगम की आय को आयकर अधिनियम, 1962 की धारा 10 (25)(क) के अंतर्गत कर भुगतान से छूट प्राप्त है।

8. योजना का विस्तार

आर्थिक गतिविधियों में सुधार के कारण वित्तीय वर्ष 2023-2024 के दौरान देश में 29.38 लाख कर्मचारियों की वृद्धि होने की उम्मीद है। इसके अतिरिक्त, 2024-2025 के बजट परिकलन में, व्याप्ति में लिए जाने वाले अतिरिक्त कर्मचारियों की संख्या 32.21 लाख है। व्याप्ति में लिए गए कर्मचारियों की संख्या और चिकित्सा देखभाल के पात्र बीमाकृत व्यक्तियों की संख्या को पैरा 8.1 में दिए गए विवरण में सारणीबद्ध किया गया है।

आशा है कि दिनांक 31.03.2024 तक कर्मचारियों की संख्या 334.81 लाख होगी, जो दिनांक 31.03.2023 को 305.43 लाख थी। दिनांक 31.03.2025 के लिए संबंधित आंकड़े 367.02 लाख होने का अनुमान है। चिकित्सा हितलाभ के लिए लाभार्थियों (बीमाकृत व्यक्तियों और उनके परिवार के सदस्यों) की कुल संख्या परिशोधित प्राक्कलन वर्ष 2023-2024 में 1471.27 लाख और बजट प्राक्कलन 2024-2025 में 1626.63 लाख होने का अनुमान है।



7. **FINANCE: Rationalization of Contribution**

The ESI Scheme is financed by contributions from employers and employees. The rate of contribution by employers and employees was revised to 3.25 percent and 0.75 percent respectively from 01.07.2019 by notification of an amendment to Rule 51 of the ESI (Central) Rules 1950 by the Central Govt. Employees earning wages up-to ₹ 176/- per day are not required to pay employee's share of contribution, effective 06.09.2019.

The Corporation does not receive any financial assistance from the Central Government. The income of the Corporation, received by way of contributions from employer & employees is exempted from payment of tax under Sec 10 (25) (A) of the Income Tax Act, 1962.

8. **EXTENSION OF SCHEME**

During the Financial Year 2023-2024, it is expected there will be an increase of 29.38 lakhs employees due to improvement in economic activity in country. Further, in the Budget Estimates for 2024-2025, the additional number of employees estimated to be covered is 32.21 lakhs. Number of employees covered and number of Insured Persons entitled to medical care are tabulated in the statement placed at para 8.1.

It is expected that the number of employees as on 31.3.2024 will be 334.81 lakhs corresponding to 305.43 lakhs employees on 31.03.2023. The corresponding figures for 31.03.2025 is estimated to be 367.02 lakhs. The total number of beneficiaries (insured persons and their family members) for medical benefit is estimated at 1471.27 lakhs in the Revised Estimates 2023-2024 and 1626.63 lakhs in Budget Estimates 2024-2025.



वित्तीय प्राक्कलन तथा निष्पादन बजट 2024-2025

8.1. निम्नालिखित तालिका में कार्य निष्पादन और किए गए कार्य से संबंधित सांख्यिकीय आंकड़े साम्मालेत हैं:-

क्र. सं.	सूचना की प्रकृति	वास्तविक 2022-2023	परिशोधित प्राक्कलन 2023-2024	बजट प्राक्कलन 2024-2025
1.	व्याप्त कर्मचारियों की संख्या(लाख में)	305.43	334.81	367.02
2.	चिकित्सा देखभाल के लिए पात्र बीमाकृत व्यक्तियों की संख्या(लाख में)	342.97	379.19	419.23
3.	चिकित्सा देखभाल पाने वाले पारिवारिक सदस्यों की संख्या(लाख में)			
	क) बीमाकृत व्यक्तियों के बिना	987.77	1092.07	1207.39
	ख) बीमाकृत व्यक्तियों सहित	1330.74	1471.27	1626.63
4.	क) निर्मित अस्पतालों की संख्या(वास्तविक आंकड़ें)	161	174	182
	सामान्य	153	166	174
	क्षयरोग	8	8	8
	(ख) उप भवनों की संख्या	42	42	42
	सामान्य	27	27	27
	क्षयरोग	15	15	15
	कुल [(क) तथा (ख)]	203	216	224
5.	बिस्तरों की संख्या(सरकारी एवं अन्य मान्यता प्राप्त अस्पतालों में आरक्षित बिस्तरों सहित) (वास्तविक आंकड़ें)			
	क) सामान्य+ क्षय रोग	25929	27559	29409
	क्षय रोग	2050	2050	2050
	ख) उप भवन में/ सामान्य	520	520	520
	क्षय रोग	329	329	329
	कुल [(क) तथा (ख)]	28828	30458	32308
6.	निर्माणाधीन बिस्तरों की संख्या:(वास्तविक आंकड़ें)	3280	5560	6560
7.	उपचार पाने वाले रोगियों की संख्या:			
	क)कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पतालों में भर्ती मामलों की संख्या(लाख में)	53.10	56.82	60.79
	ख) औषधालयों में उपस्थिति(बीमाकृत व्यक्ति एवं पारिवारिक सदस्य दोनों) (लाख में)			
	i. नए मामले	178.19	190.66	204.01
	ii. पुराने मामले	136.39	145.94	156.16
8.	नकद हितलाभ हेतु पात्र कर्मचारियों की संख्या (लाख में)	342.97	379.19	419.23



FINANCIAL ESTIMATES AND PERFORMANCE BUDGET 2024-2025

8.1. The following table contains the statistical data relating to performance and work handled:

Sl. No	Nature of Information	Actual 2022-2023	Revised Estimates 2023-2024	Budget Estimates 2024-2025
1.	Number of employees covered (in lakhs)	305.43	334.81	367.02
2.	No. of Insured Persons entitled to medical care (in Lakhs)	342.97	379.19	419.23
3.	Number of family members to whom medical care has been extended (in Lakhs)			
	a. Excluding the IPs	987.77	1092.07	1207.39
	b. Including the IPs	1330.74	1471.27	1626.63
4.	(a) Number of hospitals Constructed (Actual figure)	161	174	182
	General	153	166	174
	T.B (Tuberculosis)	8	8	8
	(b) No. of annexes	42	42	42
	General	27	27	27
	T.B.	15	15	15
	TOTAL [(a) & (b)]	203	216	224
5.	Number of beds (including beds reserved in Govt. & other recognized hospitals) (Actual figure)			
	(a) General+ TB	25929	27559	29409
	T.B.	2050	2050	2050
	(a) In annexes / General	520	520	520
	T.B.	329	329	329
	TOTAL [(a) & (b)]	28828	30458	32308
6.	Number of beds under construction: (Actual figure)	3280	5560	6560
7.	Number of patients treated:			
	a. Number of cases admitted in ESIC Hospitals (in lakhs)	53.10	56.82	60.79
	b. Attendance at dispensaries (both insured persons and family members) (in lakhs)			
	i. New Cases	178.19	190.66	204.01
	ii. Old Cases	136.39	145.94	156.16
8.	Number of employees eligible for cash benefits (in lakhs)	342.97	379.19	419.23



वित्तीय प्राक्कलन तथा निष्पादन बजट 2024-2025

क्र. सं.	सूचना की प्रकृति	वास्तविक 2022-2023	परिशोधित प्राक्कलन 2023-2024	बजट प्राक्कलन 2024-2025
9.	आश्रितजन हितलाभ पाने वाले आश्रितजनों की संख्या (वास्तविक आंकड़ें)	158316	170605	184195
10.	राजस्व प्राप्तियाँ(लाख ₹ में)	2468335.29	2863771.00	3130470.00
11.	राजस्व व्यय (लाख ₹ में)	1573639.92	1913583.00	2152822.00
12.	कार्यालय, औषधालय एवं अस्पताल तथा चिकित्सा महाविद्यालयों हेतु भवनों के निर्माण पर पूंजीगत व्यय (लाख ₹ में)	75777.25	149430.00	397818.00

क) वर्ष 2022-2023 के वास्तविक और 2022-2023 के संशोधित प्राक्कलन के बीच अंतर

क्रम संख्या	सूचना की प्रकृति	परिशोधित प्राक्कलन 2022-2023	वास्तविक 2022-2023	अंतर (परिशोधित प्राक्कलन से वास्तविक)
	2.	3.	4.	5.
1	व्याप्त कर्मचारियों की संख्या (लाख में)	314.65	305.43	-9.22
2	चिकित्सा देखभाल पाने वाले पारिवारिक सदस्यों की संख्या(लाख में)	1345.38	1330.04	-15.34
3	राजस्व प्राप्तियाँ(₹ लाख में)	2401664.00	2468335.29	+66672.00
4	राजस्व व्यय(₹ लाख में)	1689360.00	1573639.92	-115720.00
5	कार्यालयों, औषधालयों तथा अस्पतालों और चिकित्सा महाविद्यालय हेतु भवनों के निर्माण के लिए पूंजीगत व्यय (स्टाफ क्वार्टर सहित) (₹ लाख में)	156252.00	75777.25	-80474.75

नोट:-

1. ईआरपी आंकड़ों की समीक्षा के कारण परिशोधित प्राक्कलन वर्ष 2022-2023 (314.65 लाख) से 2022-2023 में कर्मचारियों की संख्या घटकर 305.43 लाख हो गई है।
2. राजस्व व्यय में बचत मुख्य रूप से बीमांकक द्वारा संबंधित निधियों के मूल्यांकन के आधार पर पेंशन और पीएमएस आरक्षित निधि के अंतर्गत प्रावधानों के संशोधन के कारण होती है।
3. पूंजीगत व्यय में बचत मुख्य रूप से अस्पतालों और औषधालयों के निर्माण और नवीकरण के लिए अनुमानित व्यय में कम व्यय के कारण है।



FINANCIAL ESTIMATES AND PERFORMANCE BUDGET 2024-2025

Sl. No.	Nature of Information	Actual 2022-2023	Revised Estimates 2023-2024	Budget Estimates 2024-2025
9.	Number of dependents in receipt of dependants' benefits (Actual figure)	158316	170605	184195
10.	Revenue Receipts (₹ in Lakhs)	2468335.29	2863771.00	3130470.00
11.	Revenue Expenditure (₹ in Lakhs)	1573639.92	1913583.00	2152822.00
12.	Capital expenditure for construction of buildings for offices, dispensaries and hospitals & Medical College (₹ in Lakhs)	75777.25	149430.00	397818.00

(A) VARIATION BETWEEN ACTUAL FOR 2022-2023 AND THE REVISED ESTIMATES FOR 2022 - 2023.

Sl. No.	Nature of Information	Revised Estimates 2022-2023	Actual 2022-2023	Variation (Actual from Revised Estimates)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Number of employees covered (in Lakhs)	314.65	305.43	-9.22
2.	Number of family members to whom medical care has been extended (in Lakhs)	1345.38	1330.04	-15.34
3.	Revenue Receipts (₹ in lakhs)	2401664.00	2468335.29	+66672.00
4.	Revenue Expenditure (₹ In Lakhs)	1689360.00	1573639.92	-115720.00
5.	Capital Expenditure for construction of buildings for offices, dispensaries and hospitals & Medical College (including staff Qtrs.) (₹ in Lakhs)	156252.00	75777.25	-80474.75

NOTE :-

- There has been decreased in number of employees from RE 2022- 2023 (314.65 lakhs) to 305.43 lakhs in 2022-2023 due to review of ERP data.
- Saving in Revenue Expenditure is mainly on account of revision of provisions under Pension, and PMS Reserve Funds on the basis of valuation of respective funds by Actuary.
- Saving in capital expenditure is mainly on account of lesser outgo in projected expenditure for the construction and renovation of hospitals and dispensaries.



वित्तीय प्राक्कलन तथा निष्पादन बजट 2024-2025

ख) वर्ष 2023-2024 के परिशोधित प्राक्कलन और वर्ष 2023-2024 के मूल बजट प्राक्कलन में अंतर

क्र.सं.	सूचना की प्रकृति	बजट प्राक्कलन 2023-2024	परिशोधित प्राक्कलन 2023-2024	अंतर (बजट प्राक्कलन और परिशोधित प्राक्कलन) (4) - (3)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	क) व्याप्त कर्मचारियों की संख्या (लाख में)	355.34	334.81	-20.53
	ख) बीमाकृत व्यक्तियों की संख्या (लाख में)	387.59	379.19	-8.4
2.	पारिवारिक सदस्यों की संख्या जिन तक चिकित्सा देखभाल को विस्तारित किया गया है(लाख में)			
	क) बीमाकृत व्यक्तियों के बिना	1116.27	1092.07	-24.20
	ख) बीमाकृत व्यक्तियों सहित	1503.87	1471.27	-32.60
3.	राजस्व प्राप्तियाँ (लाख ₹ में)	2621091.00	2863771.00	242680.00
4.	राजस्व व्यय (लाख ₹ में)	1915177.00	1913583.00	-1594.00
5.	पूँजीगत व्यय (लाख ₹ में)	325304.00	149430.00	-175874.00

नोट: -

- परिशोधित प्राक्कलन वर्ष 2023-24 में कर्मचारियों की संभावित संख्या में कमी ईआरपी आंकड़ों की समीक्षा के कारण है।
- देश में आर्थिक गतिविधियों में सुधार के कारण राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि होने की संभावना है।
- राजस्व व्यय में बचत मुख्यतः बीमांकक द्वारा संबंधित निधियों के मूल्यांकन के आधार पर पेंशन, उपदान और अवकाश नकदीकरण आरक्षित निधि के अंतर्गत उपबंधों में परिशोधन के कारण है।
- पूँजीगत व्यय में बचत अस्पतालों और औषधालयों के निर्माण और नवीकरण के लिए संभावित व्यय से कम व्यय के कारण हुई है।

8.2 कार्यक्रम/गतिविधिवार (ख) वस्तुवार वर्गीकरण तथा उनके वित्त के स्रोत के अंतर्गत चालू वित्त वर्ष 2023-2024 तथा अगले वित्तीय वर्ष 2024-2025 के लिए वित्तीय आवश्यकताओं का वर्णन निम्नलिखित अनुच्छेदों में किया गया है।

(क) कार्यक्रम/ गतिविधि के अनुसार

वर्गीकरण	वास्तविक 2022-2023	परिशोधित प्राक्कलन 2023-2024	बजट प्राक्कलन 2024-2025
			(₹ लाख रुपये में)
गतिविधि व्यय:			
चिकित्सा हितलाभ	1160034.00	1430539.00 (L)	1638029.00 (LL)
नकद हितलाभ	280467.47	254060.00 (M)	256680.00 (MM)
अन्य हितलाभ	252.27	232.00	290.00
प्रशासनिक व्यय	132885.91	228752.00 (N)	257823.00 (NN)
गैर-गतिविधि व्यय			
को आबंटित :			
पूँजीगत निर्माण निधि	0.00	0.00 (O)	0.00 (O)



FINANCIAL ESTIMATES AND PERFORMANCE BUDGET 2024-2025

(B) VARIATION BETWEEN REVISED ESTIMATES FOR 2023-2024 AND THE ORIGINAL BUDGET ESTIMATES FOR 2023-2024.

Sl. No.	Nature of Information	Budget Estimates 2023-2024	Revised Estimates 2023-2024	Variation (BEs and REs) (4) - (3)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	a. Number of employees covered (in Lakhs)	355.34	334.81	-20.53
	b. Number of Insured Persons (in Lakhs)	387.59	379.19	-8.4
2.	Number of family members to whom medical care has been extended (in Lakhs)			
	a. Excluding the IPs	1116.27	1092.07	-24.20
	b. Including the IPs	1503.87	1471.27	-32.60
3.	Revenue Receipts (₹ in Lakhs)	2621091.00	2863771.00	242680.00
4.	Revenue Expenditure (₹ In Lakhs)	1915177.00	1913583.00	-1594.00
5.	Capital Expenditure (₹ in Lakhs)	325304.00	149430.00	-175874.00

NOTE: -

1. Decrease in the projected number of employees in RE 2023-24 is on account of review of ERP data.
2. Increase in Revenue Receipts is expected on account of improvement in economic activities in the country.
3. Saving in Revenue Expenditure is mainly on account of revision of provisions under Pension, Gratuity and Leave Encashment Reserve Funds on the basis of valuation of respective funds by Actuary.
4. Savings in capital expenditure is on account of lesser outgo in projected expenditure for construction and renovation of hospitals and dispensaries.

8.2 The financial requirements for the current financial year 2023-2024 and the next financial year 2024-2025 under (A) Programme/activity-wise (B) Object wise classification and their source of Finance are described in the following paragraphs.

(A) PROGRAMME / ACTIVITY WISE

CLASSIFICATION	Actual 2022-2023	Revised Estimates 2023-2024	Budget Estimates 2024-2025
			(₹ in Lakhs)
Activity Expenditure:			
Medical Benefit	1160034.00	1430539.00 (L)	1638029.00 (LL)
Cash Benefits	280467.47	254060.00 (M)	256680.00 (MM)
Other Benefits	252.27	232.00	290.00
Administrative Expenditure	132885.91	228752.00 (N)	257823.00 (NN)
Non-Activity Expenditure			
Allocation to:			
Capital construction Fund	0.00	0.00 (O)	0.00 (O)



वित्तीय प्राक्कलन तथा निष्पादन बजट 2024-2025

आकस्मिक आरक्षित निधि	0.00	0.00 (00)	0.00 (00)
कुल राजस्व व्यय	1573639.92	1913583.00	2152822.00
कार्यालयों, औषधालयों और अस्पतालों और अन्य गैर-परियोजना परिसंपत्तियों के लिए भूमि के अधिग्रहण और भवन निर्माण पर पूंजीगत व्यय	75777.25	149430.00	397818.00

(ठ)	निम्नलिखित प्रावधान सम्मिलित हैं: -	(₹ In Lakhs)
1	राज्य सरकारों को पूर्व देयताओं के लिए	527092.00
2	कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पतालों/औषधालयों हेतु	540800.00
3	अति विशिष्ट उपचार हेतु	199035.00
4	आईटी रोल आउट	16734.67
5	एमईयूडी तथा आईएमपी हेतु	1100.00
6	स्वच्छता कार्य योजना(स्व.का.यो.)	12.00
7	चिकित्सा महाविद्यालयों हेतु	81820.00

(ठठ)	निम्नलिखित प्रावधान सम्मिलित हैं:	(₹ In Lakhs)
1	राज्य सरकारों को पूर्व देयताओं के लिए	579965.00
2	कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पतालों/औषधालयों हेतु	623040.00
3	अति विशिष्ट उपचार हेतु	225425.00
4	आईटी रोल आउट	5915.00
5	एमईयूडी तथा आईएमपी हेतु	1130.00
6	स्वच्छता कार्य योजना(स्व.का.यो.)	62.00
7	चिकित्सा महाविद्यालयों हेतु	86520.00

- (ड) इसमें राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना के लिए 950.00 लाख और कर्मचारी राज्य बीमा निगम कोविड-19 राहत योजना कोष के लिए 8000.00 लाख शामिल हैं।
- (डड) इसमें राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना के लिए 1020.00 लाख रुपये और कर्मचारी राज्य बीमा निगम कोविड-19 राहत योजना निधि के लिए 7600.00 लाख रुपये शामिल हैं।
- (ढ) भर्ती व्यय के लिए 10025 लाख का प्रावधान शामिल है।
- (ढढ) भर्ती व्यय के लिए 10025 लाख का प्रावधान शामिल है।
- (ण) निगम के निर्णय के अनुसार आगे पांच वर्षों के लिए कोई और परिवर्धन नहीं किया जाएगा।
- (णण) आकस्मिकता आरक्षित निधि के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है क्योंकि निधि में शेष 7500.00 लाख रुपये की निर्धारित सीमा तक पहले ही पहुंच चुकी है।



FINANCIAL ESTIMATES AND PERFORMANCE BUDGET 2024-2025

TOTAL Revenue Expenditure	1573639.92	1913583.00	2152822.00
Capital Expenditure on acquisition of land and construction of building for offices, dispensaries & Hospitals and other non-project assets	75777.25	149430.00	397818.00

(L)	Includes Provision for: -	(₹ In Lakhs)
1	Towards past liability to State Govts.	527092.00
2	Towards ESIC Hospitals/ Dispensary	540800.00
3	Towards Super Specialty Treatment	199035.00
4	IT Roll out	16734.67
5	Towards MEUD& IMP	1100.00
6	Swachhata Action Plan (SAP)	12.00
7	Towards Medical Colleges	81820.00

(LL)	Includes provision for:	(₹ In Lakhs)
1	Towards past liability to State Govts.	579965.00
2	Towards ESIC Hospitals/ Dispensary	623040.00
3	Towards Super Specialty Treatment	225425.00
4	IT Roll out	5915.00
5	Towards MEUD& IMP	1130.00
6	Swachhata Action Plan (SAP)	62.00
7	Towards Medical Colleges	86520.00

- (M) Includes ₹ 950.00 Lakhs for Rajiv Gandhi Shramik Kalyan Yojna and ₹ 8000.00 Lakhs for ESIC COVID-19 Relief Scheme Fund.
- (MM) Includes ₹ 1020.00 Lakhs for Rajiv Gandhi Shramik Kalyan Yojna and ₹ 7600.00 Lakhs for ESIC COVID- 19 Relief Scheme Fund.
- (N) Includes provision of ₹ 10025 Lakhs for Recruitment Expenses.
- (NN) Includes provision of ₹ 10025 Lakhs for Recruitment Expenses.
- (O) In accordance with the decision of the Corporation no further additions would be done for further five years.
- (OO) No provision has been made for the Contingency Reserve Fund as the balance in the Fund has already reached the prescribed ceiling of ₹ 7500.00 Lakhs.



वित्तीय प्राक्कलन तथा निष्पादन बजट 2024-2025

(ख) उद्देश्यवार वर्गीकरण

	वास्तविक 2022-2023	परिशोधित प्राक्कलन 2023-2024	बजट प्राक्कलन 2024-2025
(₹ लाख रुपये में)			
निम्नलिखित पर व्यय:			
1. लाभार्थियों को चिकित्सा देखभाल	1160034.00	1430539.00	1638029.00
2. नकद हितलाभ	280467.74	254060.00	256680.00
3. अन्य हितलाभ	252.27	232.00	290.00
4. वेतन एवं अन्य प्रशासनिक व्यय :			
i. वेतन (यात्रा व्यय एवं बोनस सहित)	83281.95	99614.00	117393.00
ii. लेखन सामग्री एवं प्रपत्र	514.78	850.00	850.00
iii. जल एवं विद्युत प्रभार	2260.43	3510.00	4035.00
iv. किराया, दरें एवं कर	4030.13	5500.00	6000.00
v. बीमा न्यायालय एवं विधिक शुल्क	653.85	1535.00	1700.00
vi. भर्ती एवं परीक्षा	2608.83	10025.00	10025.00
vii. विज्ञापन एवं प्रचार-प्रसार	2000.30	3400.00	3500.00
viii. कंप्यूटर्स एवं अन्य का क्रय तथा मरम्मत एवं अनुरक्षण	5226.01	12455.00	7520.00
ix. बैंक खाता अनुरक्षण प्रभार	891.78	1322.00	1360.00
x. लेखा परीक्षा शुल्क	7.87	350.00	420.00
xi. प्रशिक्षण	87.99	900.00	960.00
xii. दूरभाष/ डाक शुल्क तथा समूह 'घ' कार्मिकों को वर्दी सहित अन्य कार्यालयीन व्यय	1171.84	1350.00	1560.00
xiii. विविध/ अन्य	11718.12	16980.00	19280.00
xiv. आईएसएसए आदि को अंशदान	91.90	130.00	130.00
xv. कार्यालय भवन की मरम्मत एवं अनुरक्षण (स्टाफ क्वार्टर सहित)	2495.15	11624.00	15396.00
xvi. अवमूल्यन	5557.20	9033.00	12601.00
xvii. सेवानिवृत्ति हितलाभ	10287.78	50174.00	55093.00
5. पूंजीगत निर्माण निधि आबंटन	0.0	0.00	0.00
कुल राजस्व व्यय :	1573639.92	1913583.00	2152822.00

पूंजीगत व्यय :	वास्तविक 2022-2023	परिशोधित प्राक्कलन 2023-2024	बजट प्राक्कलन 2024-2025
क) कार्यालय भवन(स्टाफ क्वार्टरों सहित)	51.36	3793.00	10523.00
ख) अस्पताल एवं औषधालय भवन(स्टाफ क्वार्टरों सहित)	75723.63	135244.00	331090.00
ग) चिकित्सा शिक्षा परियोजनाएं	2.26	10393.00	56205.00
घ) अन्य परिसंपत्तियाँ(अन्य गैर-परियोजना व्यय)	18666.00	52097.00	62331.00
6. वित्तीय स्रोत:			
राजस्व प्राप्तियाँ			
कर्मचारी एवं नियोक्ता अंशदान	1740305.00	2088000.00	2296800.00
निवेश ऋण और अगिम आदि पर ब्याज	674508.00	737635.00	791134.00
भवन किराया	799.25	20586.00	24786.00
अन्य राजस्व प्राप्तियाँ	52723.04	17550.00	17750.00
कुल राजस्व:	2468335.29	2863771.00	3130470.00



FINANCIAL ESTIMATES AND PERFORMANCE BUDGET 2024-2025

(B) OBJECT WISE CLASSIFICATION

	Actual 2022-2023	Revised Estimates 2023-2024	Budget Estimates 2024-2025
(₹ in lakhs)			
Expenditure on providing:			
1. Medical care to beneficiaries	1160034.00	1430539.00	1638029.00
2. Cash Benefit	280467.74	254060.00	256680.00
3. Other Benefits	252.27	232.00	290.00
4. Salaries and other Admn. Expenditure:			
i. Salaries (including travelling expenses and bonus)	83281.95	99614.00	117393.00
ii. Stationery & Forms	514.78	850.00	850.00
iii. Water & Elect. Charges	2260.43	3510.00	4035.00
iv. Rent, Rates & Taxes	4030.13	5500.00	6000.00
v. Insurance Courts and Legal Charges	653.85	1535.00	1700.00
vi. Recruitment & Examination	2608.83	10025.00	10025.00
vii. Advertisement & Publicity	2000.30	3400.00	3500.00
iii. Purchase and R & M of Computers & others	5226.01	12455.00	7520.00
ix. Charges for maintaining Bank A/cs.	891.78	1322.00	1360.00
x. Audit Fees	7.87	350.00	420.00
xi. Training	87.99	900.00	960.00
xii. Other office expenses including telephone / postage charges and liveries to Gr. 'D' Staff	1171.84	1350.00	1560.00
iii. Miscellaneous/Others	11718.12	16980.00	19280.00
iv. Contribution to ISSA etc.	91.90	130.00	130.00
xv. Repair & maintenance of office building (including staff quarters)	2495.15	11624.00	15396.00
xvi. Depreciation	5557.20	9033.00	12601.00
vii. Retirement benefits	10287.78	50174.00	55093.00
5. Allocation to Capital Construction Fund	0.0	0.00	0.00
TOTAL REVENUE EXPENDITURE:	1573639.92	1913583.00	2152822.00

	Actual 2022-2023	Revised Estimates 2023-2024	Budget Estimates 2024-2025
CAPITAL EXPENDITURE:			
a) Office Buildings (including staff quarters)	51.36	3793.00	10523.00
b) Hospital & Dispensary Buildings (including staff quarters)	75723.63	135244.00	331090.00
c) Medical Education Projects	2.26	10393.00	56205.00
d) Other Assets (Other Non-Project Expenditure)	18666.00	52097.00	62331.00
6. Source of Finance:			
Revenue Receipts			
Employees' & Employers' Contribution	1740305.00	2088000.00	2296800.00
Interest on investment loans & advances etc.	674508.00	737635.00	791134.00
Rent of Buildings	799.25	20586.00	24786.00
Other Revenue Receipts	52723.04	17550.00	17750.00
TOTAL REVENUE:	2468335.29	2863771.00	3130470.00



वित्तीय प्राक्कलन तथा निष्पादन बजट 2024-2025

9. संलग्नक-II में दिया गया विवरण व्यय के मुख्य शीर्षों के अंतर्गत प्रति व्यक्ति व्यय के प्रभाव को दर्शाता है।

9.1 निगम के व्यय को मुख्य रूप से निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है:

क) चिकित्सा हितलाभ

ख) नकद हितलाभ एवं अन्य हितलाभ

ग) निदेशन, अधीक्षण तथा क्षेत्र कार्य के अंतर्गत प्रशासनिक व्यय

घ) पूंजीगत व्यय जिसमें निर्माण कार्य सम्मिलित है

9.2 निगम के व्यय को विनियमित करने के लिए अंतर्निहित मानदंड, उच्चतम सीमा और सांविधिक नियम हैं। इन्हें आगे निम्नलिखित पैरा में विस्तृत रूप से दिया गया है:

I- चिकित्सा हितलाभ

10.1 चिकित्सा हितलाभ पर व्यय नीचे दिया गया है:

वास्तविक 2022-2023	परिशोधित प्राक्कलन 2023-2024	बजट प्राक्कलन 2024-2025
(₹ लाख रुपये में)		
1160034.00	1430539.00	1638029.00

इस मद पर होने वाला व्यय (दिल्ली तथा उत्तर प्रदेश के नोएडा क्षेत्र को छोड़कर) प्रारंभ में राज्य सरकारों द्वारा वहन किया जाता है जो कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अधीन चिकित्सा देखरेख के प्रशासनिक नियंत्रक हैं। व्यय की प्रतिपूर्ति की एक उच्चतम सीमा नियत की गई है। निगम, राज्य सरकारों को उच्चतम सीमा के 7/8वें अंश का 90% तिमाही आधार पर अग्रिम रूप में तथा शेष राशि संबंधित राज्य सरकारों के महालेखाकार द्वारा जारी लेखा परीक्षित व्यय विवरण के आधार पर भुगतान करता है। इन उच्चतम सीमाओं से अधिक होने वाला व्यय राज्य सरकारों द्वारा वहन किया जाता है तथा इस अधिक व्यय को निगम के बजट में दर्शाया नहीं जाता। दिनांक 01.04.2015 से पूर्ण चिकित्सा देखभाल पर व्यय की उच्चतम सीमा ₹ 2,150/- कर दी गई है जिसे दिनांक 01.04.2017 से पुनः बढ़ाकर ₹ 3,000/- कर दिया गया है।

हालाँकि, कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने दिनांक 10.09.2021 को आयोजित अपनी 185वीं बैठक में निष्पादन बजट के पैरा 6.1 में बताए गए अनुसार राज्य सरकार को लेखागत भुगतान की पूरी नीति को परिशोधित किया है। इसके अतिरिक्त, कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने दिनांक 19-20 फरवरी, 2023 को आयोजित अपनी 190 वीं बैठक में सिक्किम सहित पूर्वोत्तर के राज्यों की भौगोलिक, जनसांख्यिकीय, सामाजिक, औद्योगिक और वाणिज्यिक स्थितियों पर विचार करते हुए निष्पादन बजट के पैरा 6.2 में वर्णित उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए नई योजना को अनुमोदन प्रदान किया है।



FINANCIAL ESTIMATES AND PERFORMANCE BUDGET 2024-2025

9. The Statement in **Annexure-II** shows the incidence of per-capita expenditure under the main heads of expenditure.
- 9.1. The expenditure of the Corporation is classified broadly under the following heads:
- Medical Benefit
 - Cash Benefits and Other Benefits
 - Admin. Expenditure under Direction, Superintendence and Field Work.
 - Capital expenditure which include Construction work.
- 9.2 There are in-built norms, ceilings and statutory rules, which regulate the expenditure of the Corporation.

These are further detailed in the following paras:

I – MEDICAL BENEFIT

- 10.1 The expenditure on medical benefit is shown below:

Actual 2022-2023	Revised Estimates 2023-2024	Budget Estimates 2024-2025
		(₹ in Lakhs)
1160034.00	1430539.00	1638029.00

The expenditure on this activity is initially borne by the State Govts. who are having administrative control over the medical care under the ESI Scheme, (except in Delhi & Noida area of U.P). A ceiling has been fixed for reimbursement of expenditure. The Corporation pays in advance to State Govts to the tune of 90% of its 7/8th share of the ceiling on quarterly basis, and the balance on the basis of audited expenditure statements issued by the concerned Accountants General to the State Govts. Expenditure incurred by the State Govts. over and above these ceilings are borne by them and such excess expenditure is not reflected in the Corporation's budget. The ceiling of expenditure on full medical care is ₹ 2,150/- per IP per annum with effect from 01.04.2015. It has been again raised to ₹ 3,000 w.e.f. 01.04. 2017.

However, the ESI Corporation in its 185th meeting held on 10.09.2021 revised entire policy on account payment to State Government as detailed in para 6.1 of Performance Budget. Also, the ESI Corporation in its 190th meeting held on 19th – 20th February, 2023 considering the geographical, demographical, social, industrial and commercial conditions of North Eastern States (including Sikkim) has approved the new scheme for North Eastern States as detailed in para 6.2 of Performance Budget.



वित्तीय प्राक्कलन तथा निष्पादन बजट 2024-2025

10.2 इसके अलावा, व्यावसायिक रोग केन्द्र वाले क.रा.बी. अस्पताल बसईदारापुर (दिल्ली), ठाकुरपुकुर (पश्चिम बंगाल), के.के. नगर (चेन्नै), इंदौर (मध्य प्रदेश) और अंधेरी (मुंबई) पर होने वाला संपूर्ण व्यय क.रा.बी. निगम द्वारा वहन किया जाता है।

साथ ही, क.रा.बी.निगम ने आदर्श अस्पतालों की एक योजना बनाई है जिसके तहत चिकित्सा देखभाल सुविधाओं का उन्नयन करने के लिए प्रत्येक राज्य में कम से कम एक अस्पताल अपने नियंत्रण में लेकर उसका प्रशासन सीधे निगम द्वारा चलाया जाएगा। इन आदर्श अस्पतालों को चलाने का सारा व्यय भी पूर्णतः क.रा.बी.निगम द्वारा वहन किया जाता है। अब तक क.रा.बी.निगम ने निष्पादन बजट के पैरा 5 में यथाउल्लिखित अस्पतालों को अपने अधीन ले लिया है/निर्माण किया है। अतिविशिष्ट उपचार हेतु परिशोधित प्राक्कलन 2023-2024 में ₹199035 लाख तथा बजट प्राक्कलन 2024-2025 में ₹225425 लाख का प्रावधान किया गया है।

10.3 क.रा.बी. निगम ने अपनी 174वीं बैठक में प्राथमिक चिकित्सा सेवा हेतु क.रा.बी.निगम की उपस्थिति दर्ज करवाने के लिए प्रत्येक जिले में, चाहे वह जिला आंशिक रूप से व्याप्त हो अथवा पूर्णतः या उस क्षेत्र में राज्य सरकार का संचालित कोई औषधालय हो, एक औषधालय-सह-शाखा कार्यालय (डीसीबीओ) की स्थापना के लिए अनुमोदन प्रदान किया है। वर्तमान में निगम 104 औषधालय-सह-शाखा कार्यालय संचालित कर रहा है तथा औषधालय-सह-शाखा कार्यालय (डीसीबीओ) को संचालित करने के लिए परिशोधित प्राक्कलन 2023-2024 तथा बजट प्राक्कलन 2024-2025 में क्रमशः ₹4192 लाख तथा ₹5200 लाख रुपये का आबंटन किया गया है।

परिशोधित प्राक्कलन 2023-2024 में ₹81820 लाख तथा बजट प्राक्कलन 2024-2025 में ₹86520 लाख की राशि का प्रावधान चिकित्सा शिक्षा पर व्यय करने के लिए किया गया है।

क.रा.बी.निगम में समग्र रूप से हो रहे कम्प्यूटरीकरण के कारण अस्पतालों एवं औषधालयों में सूचना प्रौद्योगिकी सूत्रपात के लिए बजट प्राक्कलन 2024-2025 में ₹5915 लाख का प्रावधान किया गया है।

II- क - नकद हितलाभ

11 नकद हितलाभों पर अनुमानित व्यय नीचे दिया गया है :

वास्तविक 2022-2023	परिशोधित प्राक्कलन 2023-2024	बजट प्राक्कलन 2024-2025
(₹लाख में)		
280467.74	254060.00	256680.00

रोजगार चोट के अतिरिक्त विभिन्न श्रेणियों के नकद हितलाभों की पात्रता, किसी एक अंशदान अवधि में दिनों की संख्या पर आधारित है जिनके लिए कर्मचारियों द्वारा अंशदान का भुगतान किया गया हो/देय हो। बीमारी हितलाभ की वर्तमान दैनिक दर को औसत दैनिक मजदूरी के 60% से बढ़ाकर इसका लगभग 70% तथा निःशक्तता और आश्रितजन हितलाभ की दैनिक दर को 75% से बढ़ाकर मजदूरी का लगभग 90% कर दिया गया है। बीमाकृत महिलाओं को देय मातृत्व हितलाभ पूर्ण मजदूरी दर है और इसे जनवरी 2017 से बढ़ाकर 26 सप्ताह किया जा चुका है।



FINANCIAL ESTIMATES AND PERFORMANCE BUDGET 2024-2025

- 10.2** In addition, the entire expenditure on the ESI Hospitals Basaidarapur (Delhi), Thakurpukur (W.B), K.K. Nagar (Chennai), Indore (M.P.) and Andheri (Mumbai) having Occupational Diseases Centre is borne by the ESI Corporation.

Further, the ESI Corporation has formulated a scheme for Model Hospitals, under which at least one hospital in each State shall be taken over and administered directly to upgrade the medical care facilities. The expenditure on running of these Model Hospitals are also borne fully by the ESIC. So far ESIC has taken over/constructed Hospitals as stated in Para 5 of the Performance Budget. For Super Speciality Treatment a provision of ₹199035 Lakhs has been made in Revised Estimate 2023-2024 and ₹225425 Lakhs in Budget Estimates 2024-2025.

- 10.3** The ESI Corporation in its 174th meeting has approved setting up of a DCBO in every district to mark the presence of ESIC for primary care service in each district, irrespective of whether a district has been partially implemented or fully implemented or existence of a State-run Dispensary in the area. At present the Corporation runs 104 DCBOs and for operating the same an amount of ₹4192 Lakhs and ₹5200 Lakhs has been allocated in the Revised Estimates 2023-2024 and Budget Estimates 2024-2025 respectively.

An amount of ₹81820 Lakhs in Revised Estimates 2023-2024 and ₹86520.00Lakhs has been kept in Budget Estimates 2024-2025 for running expenditure of Medical Education.

A provision of ₹5915 Lakhs has been made in Budget Estimates 2024-2025 for IT Roll Out of Hospital & Dispensaries due to ongoing computerization of ESIC as a whole.

II – A – CASH BENEFIT

- 11 The expenditure on cash benefit has been anticipated as under:**

Actual 2022-2023	Revised Estimates 2023-2024	Budget Estimates 2024-2025
(₹ in Lakhs)		
280467.74	254060.00	256680.00

The eligibility for different categories of cash benefits, except employment injury, is dependent on the number of days for which contributions are paid / payable by the employees in a contribution period. The present daily rate of Sickness Benefit has been enhanced from about 60 percent of average daily wage to about 70 percent of average daily wage and the daily rate of disablement and dependent benefits was enhanced from about 75 percent to about 90 percent of wages. Maternity Benefit payable to Insured Women (IW) is the full wage rate and has been enhanced to 26 weeks from January 2017.



वित्तीय प्राक्कलन तथा निष्पादन बजट 2024-2025

12. पिछले दस वर्षों के दौरान कर्मचारी राज्य बीमा योजना में निम्नलिखित सुधार किए गए हैं:

- क) निर्वाह व्यय में वृद्धि के चलते बीमाकृत व्यक्तियों को क्षतिपूर्ति के लिए स्थायी निःशक्तता हितलाभ तथा आश्रितजन हितलाभ की राशि को समय-समय पर परिशोधित किया जाता है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने दिनांक 15 दिसम्बर, 2023 को आयोजित अपनी 192वीं बैठक में दिनांक 31.12.2021 या उससे पहले रोजगार चोट के कारण मृत्यु/निःशक्तता के मामलों में स्थायी निःशक्तता हितलाभ/आश्रितजन हितलाभ दरों में वृद्धि के लिए प्रस्ताव अनुमोदित किया है। यह वृद्धि दिनांक 01 अगस्त, 2022 से प्रभावी है। तदनुसार, मुद्रास्फीति के परिणामस्वरूप इनके वास्तविक मूल्य में कमी की भरपाई हेतु दिनांक 01.08.2022 से स्थायी निःशक्तता हितलाभ तथा आश्रितजन हितलाभ की मूल राशि में 1.4% से 8350 प्रतिशत (पिछली बढ़ोतारियों सहित) तक वृद्धि की जा चुकी है।
- ख) स्थायी निःशक्तता हितलाभ प्राप्त कर रहे बीमाकृत व्यक्ति उक्त आवधिक भुगतान को संराशीकृत कर सकते हैं अगर इन भुगतानों की दैनिक दर ₹1.50/- प्रतिदिन तक हो अथवा स्थायी निःशक्तता का अंतिम निर्णय करते समय संराशीकृत मूल्य ₹10000/- से अधिक न हो। दिनांक 19.04.2003 से इस सीमा को बढ़ाकर ₹5.00/- प्रतिदिन अथवा ₹30,000/- तक कुल संराशीकृत मूल्य कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, दिनांक 01.06.2013 से इसे ₹10.00/- प्रतिदिन अथवा संराशीकृत मूल्य ₹60,000/- तक दोबारा बढ़ा दिया गया है।
- ग) बीमाकृत व्यक्ति की मृत्यु होने पर अंत्येष्टि खर्च का भुगतान किया जाता है। इस प्रयोजनार्थ राशि को दिनांक 18.09.2018 से ₹15000/- कर दिया गया है।
- घ) बेरोजगार हुए कर्मचारियों को नकद भत्ता देने के लिए राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना हेतु वर्ष 2024-2025 के बजट प्राक्कलन में ₹1020 लाख का प्रावधान किया गया है। बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने के लिए पात्रता शर्तों में छूट देते हुए बीमायोग्य रोजगार को 5 वर्ष से घटाकर 3 वर्ष कर दिया गया है। हितलाभ की अवधि 12 महीने से बढ़ाकर 24 महीने कर दी गई है। प्रथम 12 महीनों के लिए हितलाभ की दर पिछली औसत दैनिक मजदूरी का 50% तथा शेष अवधि के लिए पिछली औसत दैनिक मजदूरी का 25% की गई है।
- ड.) विस्तारित बीमारी हितलाभ (ईएसबी) की वर्तमान कुल अवधि 400 दिनों (91+309) को बढ़ाकर अधिकतम दो वर्ष करना और योग्य मामलों में ईएसबी को 400 दिनों से अधिक अवधि की मंजूरी देने हेतु महानिदेशक को शक्तियों का प्रत्यायोजन।
- च) प्रसव के दौरान शिशु को छोड़कर मृतक बीमाकृत महिला के मामले में प्रसूति हितलाभ हेतु पात्रता की वर्तमान अवधि छह सप्ताह से बढ़ाकर प्रसूति हितलाभ हेतु पात्रता की पूरी अवधि के लिए करना।
- छ) बीमाकृत महिलाओं और बीमाकृत व्यक्ति की पत्नियों को चिकित्सा बोनस (वर्तमान में प्रसूति व्यय) की दर को ₹50/- से ₹250/- तक प्रति मामले में वृद्धि यदि यह प्रसव उस स्थान पर हुआ हो जहाँ क.रा.बी. योजना के तहत चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध नहीं हों। निगम ने दिनांक 13.02.2020 को आयोजित अपनी 181वीं बैठक में प्रसूति खर्च की मौजूदा राशि को ₹5,000 से बढ़ाकर ₹7,500 कर दिया है जो दिनांक 27.10.2020 से प्रभावी है।



FINANCIAL ESTIMATES AND PERFORMANCE BUDGET 2024-2025

12 The following improvements have been affected in the ESI Scheme during the last ten years:

- a. The amount of permanent disablement benefits and dependents' benefits is revised from time to time to compensate the IP's against increase in the cost of living. The ESI Corporation in its 192nd meeting held on 15th December, 2023 has approved the proposal for increase in the PDB/DB rates for cases where the employment injuries resulting in death/disablement on or before 31.12.2021. The increases are effective from 1st August, 2022. Accordingly, the rates of PDB and DB have been enhanced ranging from 1.4 percent to 8350 percent of the basic amount (including previous increases) w.e.f. 01.08.2022, to protect against erosion in the real value of these as a result of inflation.
- b. The insured persons in receipt of permanent disablement benefit were entitled to commute the periodical payment of permanent disablement benefit if the daily rate of such payments was up-to ₹ 1.50/- per day or the commuted value did not exceed ₹ 10,000/- at the time of final award of permanent disability. This limit has now been further enhanced to ₹ 5.00/- per day or commuted value not exceeding ₹ 30,000/- w.e.f. 19.4.2003. Further it has again enhanced to ₹ 10.00/- per day or commuted value not exceeding ₹ 60,000/- w.e.f. 01.06.2013.
- c. Funeral expenses are paid in the event of the death of the insured person. The amount for this purpose was raised to ₹ 15,000/- w.e.f 18.09.2018.
- d. Provision of ₹ 1020.00 Lakh has been made in Budget Estimates 2024-2025 for Rajiv Gandhi Shramik Kalyan Yojna to provide cash allowances to employees who are out of employment. Eligibility conditions for availing the Unemployment Allowance has been relaxed from 5 years of insurable employment to 3 years. The duration of benefit has been enhanced from 12 months to 24 months. The rate of benefit for first 12 months is 50 percent of the last average daily wage and for the rest of the period is 25 percent of the last average daily wage.
- e. Enhancement of the total duration of extended sickness benefit (ESB) from present 400 days (91+309) to a maximum period of two years and delegation of powers to the Director General for granting ESB beyond 400 days in deserving cases.
- f. Enhancement of period of entitlement for maternity benefit in the case of death of an insured woman during delivery while leaving behind a child from the present six weeks to the entire period of entitlement for maternity benefit.
- g. Enhancement in the rate of medical bonus (now called Confinement Expenses) on account of confinement expenses from ₹ 50/- to ₹ 250/- per case to Insured Women & Wives of insured persons, if the confinement has taken place where medical facilities under ESI Scheme are not available. The Corporation in its 181st meeting held on 13.02.2020 enhanced existing amount of confinement expenses from ₹ 5,000 to ₹ 7,500 w.e.f 27.10.2020.



वित्तीय प्राक्कलन तथा निष्पादन बजट 2024-2025

- ज) कृत्रिम अंग के प्रतिस्थापन को जोड़ने और सुधारने हेतु निःशक्त बीमाकृत व्यक्ति को कृत्रिम अंग केंद्र में ठहरने के लिए पुनर्वास भत्ते को दैनिक मानक हितलाभ दर से बढ़ाकर दोगुना करना।
- झ) चिकित्सा बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत होने पर बीमाकृत व्यक्ति को होने वाली मजदूरी की हानि की क्षतिपूर्ति की दर को दैनिक मानक हितलाभ दर से बढ़ाकर दोगुना करना।
- ष) दिनांक 06.09.2019 से अंशदान के कर्मचारी के हिस्से के भुगतान हेतु औसत दैनिक मजदूरी की छूट सीमा ₹137/- प्रतिदिन से ₹176/- प्रतिदिन बढ़ाना।
- त) बीमारी हितलाभ और प्रसूति हितलाभ की पात्रता शर्तों का उदारीकरण।
- थ) लाभार्थियों की परेशानी को कम करने के लिए जीवन प्रमाणपत्र को 06 माह के स्थान पर वर्ष में 1 बार प्रस्तुत करने की अनुमति दी गई है तथा क.रा.बी. निगम संस्थानों को प्रमाणपत्र जमा करने के लिए प्रति लाभार्थी को प्रतिवर्ष ₹100/- का भुगतान करने का भी निर्णय लिया गया है।
13. अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना (एबीवीकेवाई) कर्मचारी राज्य बीमा (क.रा.बी.) अधिनियम, 1948 के अंतर्गत व्याप्त कर्मचारियों के लिए एक कल्याणकारी उपाय है, जो बीमाकृत व्यक्ति (आईपी) की बेरोजगारी की आकस्मिकता में श्रमिक के जीवनकाल में एक बार 90 दिनों तक नकद क्षतिपूर्ति के रूप में दिया जाता है।
- इस योजना को दिनांक 01.07.2018 से लागू किया गया था और कोविड-19 महामारी के दौरान बेरोजगार हुए बीमाकृत व्यक्तियों को राहत प्रदान करने के लिए इस योजना को दिनांक 24.03.2020 से पात्रता और अन्य शर्तों में छूट के साथ दिनांक 01.07.2020 से 30.06.2021 तक और दिनांक 01.07.2021 से 30.06.2022 तक दो बार बढ़ाई गई। योजना की पात्रता तथा अन्य शर्तों को दिनांक 24.03.2020 से निम्नानुसार शिथिल किया गया था:-
- योजना के अंतर्गत राहत की दर को दावाकर्ता की औसत दैनिक आय के 25% से बढ़ाकर औसत दैनिक आय का 50% कर दिया गया है।
 - बीमाकृत व्यक्ति को न्यूनतम 2 वर्षों के लिए बीमायोग्य रोजगार में होना चाहिए तथा उसने बेरोजगारी से ठीक पहले की अंशदान अवधि में न्यूनतम 78 दिनों के लिए अंशदान दिया हो तथा बेरोजगारी से पहले दो वर्षों में शेष तीन अंशदान अवधियों में से एक में न्यूनतम 78 दिनों का अंशदान दिया हो। पूर्व में, चार अंशदान अवधियों में से प्रत्येक में 78 दिनों का न्यूनतम अंशदान आवश्यक था।
 - दावा फाइल करने की प्रतीक्षा अवधि को 90 दिनों से घटाकर 30 दिन कर दिया गया था।
- वर्तमान में, इस योजना को पात्रता शर्तों में शिथिलता के साथ अगले दो वर्षों अर्थात् दिनांक 01.07.2022 से 30.06.2024 तक बढ़ाया गया है।
14. कोविड-19 के कारण अपना जीवन खोने वाले बीमाकृत व्यक्तियों के परिवारों को मदद पहुंचाने के लिए, अध्यक्ष, क.रा.बी. निगम ने "क.रा.बी. निगम कोविड-19 राहत योजना" को अनुमोदन दे दिया है। यह योजना बीमाकृत व्यक्तियों के लिए यह कल्याणकारी योजना है जिसे दिनांक 24.03.2020 से दो वर्षों की अवधि के लिए लागू किया गया है और यह कोविड-19 के कारण अपना जीवन खोने वाले बीमाकृत व्यक्तियों के आश्रितों को राहत प्रदान करती है। कोविड-19 के कारण बीमाकृत व्यक्ति की मृत्यु के मामले में मृतक बीमाकृत व्यक्ति के पात्र आश्रितजनों को सीधे बैंक खाते में समय-समय पर भुगतान किया जाता



- h. Enhancement of the rate of Rehabilitation allowance for stay of the disabled IP in artificial limb center for fixation, repair to replacement of artificial limb from the daily standard benefit rate of double that rate.
 - i. Enhancement of the rate of compensation for loss of wages of an IP required to appear before the Medical Board, from the daily standard benefit rate to double that rate.
 - j. Raising of exemption limit of average daily wage for payment of employees share of contribution from ₹ 137/- per day to ₹ 176/- per day from 06.09.2019.
 - k. Liberalization of eligibility conditions for entitlement of sickness benefit and liberalization of eligibility conditions for entitlement of maternity benefit.
 - l. To mitigate the hardship of the beneficiaries, life certificate has been introduced once in a year instead of 6 monthly periods and it has also been decided to pay ₹ 100 per beneficiary per annum for submission of the certificate to the ESIC institutions.
- 13.** Atal Beemit Vyakti Kalyan Yojana (ABVKY) is a welfare measure for the employees covered under the Employees' State Insurance (ESI) Act, 1948 in the form of cash compensation up to 90 days once in lifetime of the worker in the contingency of Insured Persons' (IPs) unemployment.
- The scheme came into force on 01.07.2018 and extended twice from 01.07.2020 to 30.06.2021 and from 01.07.2021 to 30.06.2022 in order to provide relief to those IPs who became unemployed during the Covid-19 pandemic. The eligibility and other conditions of the scheme were relaxed w.e.f. 24.03.2020 as under: -
- i. The rate of relief under the scheme was enhanced from 25% of the average daily earnings to 50% of average daily earnings of the claimant.
 - ii. The IP should have been in insurable employment for a minimum 2 years and should have contributed for not less than 78 days in the contribution period immediately preceding the unemployment and minimum 78 days in one of the remaining three contribution periods in two years prior to unemployment. Earlier, minimum contribution of 78 days in each of four contribution periods was required.
 - iii. The waiting period to file the claim was reduced from 90 days to 30 days.
- Presently, the scheme has been further extended for another two years i.e. from 01.07.2022 to 30.06.2024 with relaxed eligibility conditions.
- 14.** In order to provide help and succor to the families of the IPs who died due to COVID-19, the Chairman, ESIC approved the 'ESIC COVID-19 Relief Scheme', This scheme is a welfare measure for IPs made effective for a period of two years w.e.f. 24.03.2020 and it provides relief to the dependents of the IP in case of his/her death due to COVID-19. In case of death of IP due to COVID-19, the eligible dependents family members of IP are paid periodic payments directly to the bank account. As per the eligibility condition of the scheme, the deceased IP must have been in employment on the date of diagnosis of



वित्तीय प्राक्कलन तथा निष्पादन बजट 2024-2025

है। योजना की पात्रता शर्तों के अनुसार, मृतक बीमाकृत व्यक्ति कोविड-19 रोग के निदान की तारीख को रोजगार में होना चाहिए और कोविड-19 निदान की तारीख से ठीक पहले एक वर्ष की अवधि के दौरान कम से कम 70 दिनों के अंशदान का भुगतान हुआ हो या संदेय हो। इसके अलावा, इस योजना के तहत बीमाकृत व्यक्ति के सम्बंधी मृतक बीमाकृत व्यक्ति की औसत दैनिक मजदूरी के 90 प्रतिशत की समतुल्य राशि पाने के पात्र होंगे जिसे राहत की पूर्ण दर कहा जाएगा। वर्तमान में, इस योजना को दिनांक 23.03.2022 से बंद किया जा रहा है।

15. बीमाकृत व्यक्तियों/हितलाभार्थियों को नकद हितलाभ का संवितरण सीधे निगम की शाखाओं और भुगतान कार्यालयों द्वारा किया जाता है। ये कार्यालय लगभग सभी औद्योगिक केन्द्रों में स्थित हैं जहाँ योजना कार्यान्वित की गई है। दिनांक 31.03.2023 को इन कार्यालयों की संख्या 702 थी जबकि दिनांक 31.03.2022 को 687 थी। नकद हितलाभों पर व्यय कई कारकों पर निर्भर करता है, जैसे स्वास्थ्य की स्थिति, औद्योगिक शांति और हितलाभों की पात्रता के बारे में कामगारों की जागरूकता आदि।
16. विभिन्न श्रेणियों के तहत नकद हितलाभों के व्यय का ब्यौरा निम्नलिखित तालिका में दिया गया है:-

	वास्तविक 2022-2023		परिशोधित प्राक्कलन 2023-2024		बजट प्राक्कलन 2024-2025	
	कर्मचारियों की भारत औसत संख्या (लाख में)	राशि (लाख रुपये में)	कर्मचारियों की भारत औसत संख्या (लाख में)	राशि (लाख रुपये में)	कर्मचारियों की भारत औसत संख्या (लाख में)	राशि (लाख रुपये में)
बीमारी हितलाभ	292.02	42536.42	306.71	43060.00	350.90	46070.00
विस्तारित बीमारी हितलाभ	292.02	6541.22	306.71	6700.00	350.90	7170.00
प्रसूति हितलाभ	292.02	41797.58	306.71	46500.00	350.90	49760.00
अस्थायी निःशक्तता हितलाभ	292.02	11155.02	306.71	11200.00	350.90	11980.00
स्थायी निःशक्तता हितलाभ	292.02	64854.50	306.71	61500.00	350.90	58600.00
आश्रितजन हितलाभ	292.02	31594.95	306.71	72900.00	350.90	71000.00
अंत्येष्टि खर्च	292.02	3094.93	306.71	3100.00	350.90	3320.00
राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना	292.02	1532.92	306.71	950.00	350.90	1020.00
अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना	292.02	603.11	306.71	150.00	350.90	160.00
क.रा.बी. निगम कोविड- 19 राहत योजना	292.02	76757.09	306.71	8000.00	350.90	7600.00
कुल:	292.02	280467.74	306.71	254060.00	350.90	256680.00

- 16क. अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना और क.रा.बी.निगम कोविड -19 राहत योजना के अंतर्गत प्राप्त और अनुमोदित दावों की संख्या:-

क्र. सं.	योजना का नाम	दिनांक 30.11.2023 तक प्राप्त दावों की संख्या	दिनांक 30.11.2023 तक प्राप्त और अनुमोदित दावों की संख्या	भुगतान की गई राशि (रु. लाख में)
1	अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना	87269	66368	88.40
2	क.रा.बी.निगम कोविड- 19 राहत योजना	8124	7625	168.94



FINANCIAL ESTIMATES AND PERFORMANCE BUDGET 2024-2025

COVID-19 disease and contributions for at least 70 days should have been paid or payable in respect of him / her during a period of maximum one year immediately preceding the diagnosis of COVID-19 disease resulting in death. Further under this scheme the relatives of the IP shall be eligible to receive periodical payments equivalent amount of 90 percent of the average daily wages of the deceased IP, which will be called as full rate of the relief. However, the scheme is now being discontinued from 23.03.2022.

15. Cash benefits are disbursed to the insured persons / beneficiaries directly by the Corporation through network of its Branch / Pay Offices which are located in almost all the industrial centers where the Scheme has been implemented. The number of such offices was 702 on 31.03.2023 against 687 as on 31.3.2022. The incidence of expenditure on cash benefits depends on a number of factors, e.g. state of health, industrial peace and the awareness of the workers about their entitlement to benefits, etc.

16. The break-up of expenditure under different categories of cash benefits is given in the following table: -

	Actual 2022-2023		Revised Estimates 2023-2024		Budget Estimates 2024-2025	
	Weighted average of No. of employees (in lakhs)	Amount (Rs. in lakhs)	Weighted average of No. of employees (in lakhs)	Amount (Rs. in lakhs)	Weighted average of No. of employees (in lakhs)	Amount (Rs. in lakhs)
Sickness Benefit	292.02	42536.42	306.71	43060.00	350.90	46070.00
Extended Sickness Benefit	292.02	6541.22	306.71	6700.00	350.90	7170.00
Maternity Benefit	292.02	41797.58	306.71	46500.00	350.90	49760.00
Temporary Disablement Benefit	292.02	11155.02	306.71	11200.00	350.90	11980.00
Permanent Disablement Benefit	292.02	64854.50	306.71	61500.00	350.90	58600.00
Dependants' Benefit	292.02	31594.95	306.71	72900.00	350.90	71000.00
Funeral Expenses	292.02	3094.93	306.71	3100.00	350.90	3320.00
Rajiv Gandhi Shramik Kalyan Yojna	292.02	1532.92	306.71	950.00	350.90	1020.00
Atal Bimit Vyakti Kalyan Yojna	292.02	603.11	306.71	150.00	350.90	160.00
ESIC COVID-19 Relief Scheme	292.02	76757.09	306.71	8000.00	350.90	7600.00
TOTAL:	292.02	280467.74	306.71	254060.00	350.90	256680.00

16A. Details of no. of claims received and approved under Atal Bimit Vyakti Kalyan Yojna and ESIC Covid-19 Relief Scheme: -

Sl. No.	Name of the Scheme	Total No. of claims received upto 30.11.2023	Total no. of claims accepted and approved Upto 30.11.2023	Amount Paid (Rs. In Crore)
1	Atal Bimit Vyakti Kalyan Yojna	87269	66368	88.40
2	ESIC Covid-19 Relief Scheme	8124	7625	168.94



वित्तीय प्राक्कलन तथा निष्पादन बजट 2024-2025

II (ख) अन्य हितलाभ:

अन्य हितलाभों पर व्यय निम्नानुसार है:-

वास्तविक 2022-2023	परिशोधित प्राक्कलन 2023-2024	बजट प्राक्कलन 2024-2025
(रु. लाख में)		
252.27	232.00	290.00

इस गतिविधि में चिकित्सा बोर्ड के सदस्यों को शुल्क का भुगतान और चिकित्सा अपील अधिकरण, पुनर्वास भत्ता और वाहन शुल्क का भुगतान, बीमाकृत व्यक्तियों को मजदूरी के नुकसान के लिए क्षतिपूर्ति, जब उन्हें चिकित्सा निर्देशी, चिकित्सा बोर्ड या चिकित्सा अपीली अधिकरण के समक्ष पेश होने की आवश्यकता होती है, शामिल होता है। इस प्रकल्पित राशि में, वर्ष में एक बार जीवन प्रमाणपत्र जमा करने के लिए वाहन भत्ते के भुगतान के लिए प्रति लाभार्थी ₹100/- का भुगतान भी शामिल है।

III. निर्देशन, पर्यवेक्षण और क्षेत्र कार्य :

17. इस मद में बजट प्रावधान निगम के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के वेतन आदि तथा स्थापना पर अन्य व्यय के संबंध में है। 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार निगम के कर्मचारियों को वेतन की बढ़ी हुई दर के लिए बजट प्राक्कलन 2023-2024 का प्रावधान किया गया है। यह दिनांक 31.03.2023 को कुल स्वीकृत स्टाफ संख्या 21745 कर्मचारियों की संख्या के मुकाबले 13089 अधिकारियों की संख्या पर आधारित है। नए क्षेत्रों में योजना के विस्तार के परिणामस्वरूप अतिरिक्त पदों की आवश्यकता होगी जो मौजूदा कर्मचारियों की पुनः-तैनाती और नई भर्ती से पूरी होने की संभावना है।

IV सूचना एवं संप्रेषण प्रौद्योगिकी (आईसीटी)

18. क.रा.बी.निगम ने अपने सूचना प्रौद्योगिकी मामलों के प्रबंधन में कार्यनीतिक भूमिकाएं और जिम्मेदारियां लेने में कुछ प्रगति की है। डाटा केंद्र (डीसी) और डाटा रिकवरी केन्द्र (डीआरसी) अवसंरचना के अनुरक्षण और व्यवसायी निरंतरता के साथ-साथ सभी केंद्रीय अनुप्रयोगों (ईआरपी बीमा और धनवंतरी, इत्यादि सहित) का कार्य सेवा प्रदाता को सौंपा गया है। शेष सभी क्षेत्र गतिविधियों सहित कंप्यूटर अवसंरचना का प्रबंधन, नेटवर्क बैंडविड्थ का प्रावधान और केंद्रीय गतिविधियां जिसमें लाइसेंस का पुनरुद्धार, अनुरक्षण/तकनीकी अनुबंध, डाटा केंद्र/डाटा रिकवरी (डीसी/डीआर) में सभी मूर्त और अमूर्त केंद्रीय परिसंपत्तियों का प्रबंधन क.रा.बी.निगम द्वारा अपने आंतरिक गैर-तकनीकी संसाधनों के माध्यम से किया जा रहा है।



FINANCIAL ESTIMATES AND PERFORMANCE BUDGET 2024-2025

II (B) OTHER BENEFITS:

The expenditure on other benefits is as under: -

Actual 2022-2023	Revised Estimates 2023-2024	Budget Estimates 2024-2025
		(₹ in Lakhs)
252.27	232.00	290.00

This activity embraces the payment of fees to the members of Medical Boards and Medical Appeal Tribunals, rehabilitation allowance and payment of conveyance charges, compensation for loss of wages to insured persons when they are required to appear before Medical Referee, Medical Board or Medical Appellate Tribunal. The amount projected also covers payment of ₹ 100 per beneficiary for payment of conveyance allowances for submission of life certificate once in a year.

III. DIRECTION, SUPERINTENDENCE AND FIELD WORK:

17. The budget provision under this head is in respect of salary etc. of officers and staff of the Corporation and other expenditure on establishment. The provision for Budget Estimate 2023-2024 has been made for increased rate of salaries to employees of the Corporation as per of 7th Central Pay Commission recommendations. It is based on the staff strength of 13089 Officers and Staff in position against the total sanctioned strength of 21745 as on 31.03.2023. The requirement of additional posts consequent on extension of the Scheme to new areas is likely to be met by re-deployment of the existing staff and new recruitment.

IV INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY (ICT)

18. ESIC has made some progress in taking over strategic roles and responsibilities in managing its own IT affairs. The Service Provider has been entrusted with the job of all central Applications (including ERP Insurance and Dhanwantri, etc.), along with Data Centre (DC) and Data Recovery Centre (DRC) infrastructure maintenance and business continuity. Remaining all field activities including management of computer Infrastructure, Network & Bandwidth provisioning and central activities which includes renewal of licenses, maintenance /technical contracts, subscriptions of all tangible and intangible central assets at DC/DR are being done by ESIC through its internal non-technical resources.



वित्तीय प्राक्कलन तथा निष्पादन बजट 2024-2025

क.रा.बी. निगम ने वर्ष 2022-23 में निम्नलिखित पहल कार्यान्वित की हैं:

- (i) बीमाकृत व्यक्ति द्वारा औषधालय बदलने में सुगमता: अनुमेय सीमा और शर्तों के अध्यक्षीन, अपनी सुविधानुसार अपनी पसंद का औषधालय / आईएमपी क्लिनिक बदलने के लिए बीमाकृत व्यक्तियों के लिए ऑनलाइन अनुरोध हेतु नई सुविधा का प्रावधान किया गया है।
- (ii) आईपी को बहुभाषी एसएमएस: लाभार्थियों को भाषा चुनने की सुविधा दी जा रही है जिसमें उन्हें जानकारी-वर्धन एसएमएस भेजे जा सकते हैं। अब बीमाकृत व्यक्ति एसएमएस प्राप्त करने के लिए अपनी पसंद की भाषा चुन या बदल सकते हैं। उसके पास राष्ट्रीय भाषा के अलावा 12 विभिन्न भाषाओं में से कोई एक भाषा चुनने का अधिकार होगा।
- (iii) पीएमओ के प्रयास पोर्टल ऑनबोर्डिंग: क.रा.बी.निगम ने प्रयास पोर्टल पर कुछ प्रमुख निष्पादक संकेतक प्रदर्शित करने के लिए पीएमओ के प्रयास पोर्टल को ऑनबोर्ड किया है।
- (iv) क.रा.बी. ऑनबोर्डिंग और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (एबीडीएम) के अनुरूप बनने की प्रक्रिया में है। एकीकरण प्रक्रिया पूरी हो जाने के पश्चात, रोगी की सहमति के अध्यक्षीन, जब भी आवश्यक हो, यह बीमाकृत व्यक्ति और लाभार्थी के अन्य आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (एबीडीएम) अनुरूप अस्पतालों/स्वास्थ्य केंद्रों में स्वास्थ्य रिकॉर्ड की उपलब्धता की सुविधा प्रदान करेगा।
- (v) क.रा.बी. ने पारदर्शिता और शीर्ष प्रबंधन द्वारा प्रशासन की सहायता के लिए कई डैशबोर्ड विकसित किए हैं।
 - क) अस्पताल डैशबोर्ड
 - ख) चिकित्सा उपस्कर डैशबोर्ड
 - ग) रिक्ति डैशबोर्ड
 - घ) निर्माण डैशबोर्ड
 - ङ) बिस्तर अधिभोग डैशबोर्ड
- (vi) बीमाकृत महिलाओं के लिए मातृत्व हितलाभ का दावा करने की प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए क.रा.बी.निगम ऑनलाइन मातृत्व हितलाभ दावा पोर्टल शुरू किया गया था। यह प्रक्रिया अब ऑनलाइन कर दी गई है। लाभार्थी अपनी सुविधानुसार अब कहीं से भी मातृत्व हितलाभ का दावा कर सकते हैं।

19. पूंजीगत निर्माण कार्य

19.1 पूंजीगत निर्माण कार्य के अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं /किए गए थे:

	वास्तविक 2022-2023	परिशोधित प्राक्कलन 2023-2024	बजट प्राक्कलन 2024-2025
			(₹ लाख में)
कार्यालय भवन (स्टाफ क्वार्टर सहित)	51.36	3793.00	10523.00
अस्पताल और औषधालय (स्टाफ क्वार्टर सहित)	75723.63	135244.00	331090.00
चिकित्सा शिक्षा परियोजनाएं	2.26	10393.00	56205.00
कुल	75777.25	149430.00	397818.00

उपर्युक्त में संबंधित आरक्षित निधि से अंतरित/अंतरित की जाने वाली राशि सम्मिलित है जो निगम की 08.02.2013 को संपन्न बैठक में निर्धारित प्रतिशतता के अनुरूप है। यह व्यय संबंधित आरक्षित निधि से किया जाता है और इसमें मरम्मत और अनुरक्षण व्यय शामिल नहीं है, यह राजस्व खाते में प्रभारित होता है।



FINANCIAL ESTIMATES AND PERFORMANCE BUDGET 2024-2025

ESIC has implemented the following initiatives in the year 2022-23:

- (i) Changing Dispensary by IP at ease: New Facility has been provisioned for the Insured Persons to generate request online, at his comfort to Change Dispensary / IMP Clinic of his choice, subject to the permissible limit and conditions.
- (ii) Multilingual SMSs to the IPs: The Beneficiaries are being facilitated for opting language in which value-addition SMSs may be sent to them. Now IP can choose or change Language of his choice for receiving SMSs. He shall have any one of the 12 different languages to choose, in addition to the National Language.
- (iii) Onboarding the Prayas portal of PMO. ESI has onboarded Prayas portal of PMO to display some of the key performance indicators on the Prayas portal.
- (iv) ESI is in the process for onboarding and becoming ABDM compliant. Once the integration process is complete it shall facilitate the availability of the health records of the IP and beneficiary at other ABDM compliant hospitals/ health centres as and when required, subject to the consent of the patient.
- (v) ESI has developed several dashboards for transparency and to aid governance by the top management,
 - a) Hospital Dashboard
 - b) Medical Equipment Dashboard
 - c) Vacancy Dashboard
 - d) Construction Dashboard
 - e) Bed Occupancy Dashboard
- (vi) ESIC Online Maternity Benefit Claim Portal was introduced to ease the process of claiming maternity benefits for Insured Women as the process has now been made online, where the beneficiaries, at their convenience can now claim maternity benefits from anywhere.

19. CAPITAL CONSTRUCTION WORKS:

19.1 The following are / were the provision for capital construction works:

	Actual 2022-2023	Revised Estimates 2023-2024	Budget Estimates 2024-2025
(₹ in Lakhs)			
Office Building (including staff quarters)	51.36	3793.00	10523.00
Hospitals & Dispensaries (including staff quarters)	75723.63	135244.00	331090.00
Medical Education Projects	2.26	10393.00	56205.00
TOTAL:	75777.25	149430.00	397818.00

The provision represents the amount transferred / transferable to the concerned reserve funds in accordance with the percentage fixed by the Corporation in its meeting held on 08.02.2013 for the purpose. The expenditure is incurred from the concerned reserve fund except for Repair & Maintenance which is charged to revenue account.



वित्तीय प्राक्कलन तथा निष्पादन बजट 2024-2025

- 19.2 परिशिष्ट-III में दिए गए विवरण में चालू परियोजनाओं के लिए बजट आवश्यकता को दर्शाया गया है।
- 19.3 अस्पताल के बिस्तरों, औषधालयों तथा कार्यालय भवनों को मिलाकर पूंजीगत निर्माण कार्य की स्थिति जिनमें उनके निर्माण के लिए संस्वीकृत राशि, निर्माण एजेंसियों के लिए व्यय की जाने वाली निधि तथा लगभग राशि, की जानकारी निम्नलिखित है :

(क) अस्पताल बिस्तर

पिनांक 31-03-2023 की स्थिति के अनुसार प्रतिमानक के अनुसार स्वीकार्य बिस्तरों की संख्या (बीमाकृत व्यक्तियों की संख्या के आधार पर)	68595
पहले से निर्मित अस्पतालों और उपभवनों में बिस्तरों की संख्या (सितंबर, 2023)	25929+50 बिस्तर फुलवारीशरीफ अस्पताल और 849 उपभवन
निर्माणाधीन अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या (सितंबर, 2023)	4380
निर्माण के लिए पहले से सहमति प्राप्त अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या	9845

(ख) भवन

i.	वर्तमान में निर्माण के लिए पात्र औषधालयों की संख्या	1574
ii.	पैनल क्षेत्र में अपेक्षित औषधालय भवनों की संख्या	934
	कुल (i) + (ii)	2508
iii.	निर्मित औषधालयों की संख्या (सितंबर, 2023 तक)	412
	उन औषधालय की संख्या, जिनका निर्माण अभी किया जाना है	2096

(ग) उपर्युक्त (क) और (ख) के मामलों में वित्तीय परिव्यय :

(₹ लाख में)

i.	निर्मित परियोजनाएं /निर्माणाधीन परियोजनाएं:	
	सितंबर, 2023 तक मंजूर राशि	1971949
	सितंबर, 2023 तक जारी राशि	1433621
	शेष देयता (क)	538328
ii.	निर्माण की जाने वाली परियोजनाएं	
क	28391 अस्पताल बिस्तर *100 लाख (बिस्तरों की संख्या x प्रत्येक बिस्तर की लागत) (ख)	2839100
ख	2096 औषधालय * 200 लाख (औषधालयों की संख्या x प्रत्येक औषधालय की लागत) (ग)	419200
ग	कार्यालय भवन के लिए परिव्यय (स्टाफ क्वार्टर के साथ)	
	i. सितंबर, 2023 तक संस्वीकृत राशि	1971949
	ii. सितंबर, 2023 तक जारी राशि	1433621
	iii. शेष देयता (घ)	538328
	कुल देयता (क+ख+ग+घ)	4334956

निर्माणाधीन परियोजनाओं की प्रगति और साथ ही निर्मित अस्पतालों को शुरू करने के लिए भी आवधिक समीक्षा की जाती है। इस प्रयोजन के लिए एक निर्माण उप-समिति गठित की गई है।



FINANCIAL ESTIMATES AND PERFORMANCE BUDGET 2024-2025

19.2 The statements at Appendix-III indicate the budget requirement in respect of projects, which are in progress.

19.3 The position of capital construction programme for hospital beds, dispensaries and office buildings together with the information about funds sanctioned for their construction, funds placed at the disposal of construction agencies and approximate amount that will be further required is given below:

(A) Hospital Beds:

	No. of beds admissible as per norms (on the basis of No. of Insured Persons) as on 31-03-2023	68595
	No. of beds in hospitals & annexes already constructed (Sept., 2023)	25929+50 bed Phulwarisharif Hospital and 849 Annexes
	No. of beds in hospitals under construction (Sept., 2022)	4380
	No. of beds in hospitals already agreed for construction	9845

(B) Buildings:

i.	No. of dispensaries at present eligible for construction	1574
ii.	No. of dispensary buildings that may be required in panel areas	934
	TOTAL (i) + (ii)	2508
iii.	No. of dispensaries constructed (up-to September, 2023)	412
	No. of dispensaries yet to be constructed	2096

(C) Financial outlay in case of (a) & (b) above:

		(₹ In Lakhs)
i.	Projects constructed / under construction:	
	Amount sanctioned up-to September, 2023	1971949
	Amount released up-to September, 2023	1433621
	Balance Liability (A)	538328
ii.	Additional liability for Projects to be constructed:	
a.	Hospital beds: 28391 beds *100 lacs (No. of beds X cost of each bed) (B)	2839100
b.	Dispensaries: 2096*200 lacs (No. of dispensaries x cost of each dispensary) (C)	419200
c.	Outlay for office building and staff quarters	
	(i) Amount sanctioned up-to Sept. 2023	1971949
	(ii) Amount released up-to Sept. 2023	1433621
	(iii) Balance Liability (D)	538328
	Total Liability (A+B+C+D)	4334956

A periodical review is conducted in respect of the progress made in case of projects under construction and also the commissioning of the constructed hospitals. For this purpose, a Construction Sub-Committee has been constituted.



वित्तीय प्राक्कलन तथा निष्पादन बजट 2024-2025

तुलन पत्र

20. दिनांक 31.03.2023 की स्थिति के अनुसार तुलन-पत्र का सारांश नीचे दिया गया है:

शीर्ष देयताएं	रुलाख में	शीर्ष परिसंपत्तियां	रुलाख में
क.रा.बी. सामान्य आरक्षित (व्यय से आय का आधिक्य)	11740438.00	स्थायी परिसंपत्तियां	1689097.00
आरक्षित निधियाँ	3713105.00	चालू परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम	609587.00
वर्तमान देयताएँ	442396.00		
प्रतिभूति जमा	5843.00	उद्दिष्ट/अक्षयनिधि से निवेश	3691285.00
भविष्य निधि आदि में ऐसी जमा राशियां जिनके दावेदार नहीं हैं।	0.00	क.रा.बी. सामान्य आरक्षित का रोकड़ शेष तथा निवेश	9911813.00
कुल:	15901782	कुल:	15901782



FINANCIAL ESTIMATES AND PERFORMANCE BUDGET 2024-2025

BALANCE SHEET

20. A summary of the Balance Sheet as on 31-03-2023 is as below:

Heads	₹ In Lakhs	Heads	₹ In Lakhs
LIABILITIES		ASSETS	
ESI General Reserve (Excess of Income over Expenditure)	11740438.00	Fixed Assets	1689097.00
Reserve Funds	3713105.00	Current assets, loans, advances	609587.00
Current Liabilities	442396.00	Investment from earmarked/ endowment fund	3691285.00
Deposit of Securities	5843.00	Cash Balance and investment of ESI General Reserve	9911813.00
Unclaimed deposits in Provident Fund etc.	0.00		
TOTAL:	15901782	TOTAL:	15901782



वित्तीय प्राक्कलन तथा निष्पादन बजट 2024-2025

संलग्नक - 1

दिनांक 31.03.2023 की स्थिति के अनुसार कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अधीन (1) व्याप्त कर्मचारियों (2) बीमाकृत व्यक्तियों/परिवार एककों बीमाकृत महिलाओं और हितलाभार्थियों की संख्या की राज्यवार स्थिति का सूचक विवरण तथा दिनांक 31.03.2025 तक व्याप्त किए जाने वाले कर्मचारियों की संख्या

क्र.सं.	राज्य	1. व्याप्त कर्मचारियों 2. बीमाकृत व्यक्तियों/ परिवार एककों की संख्या	बीमाकृत महिलाओं की संख्या	लाभार्थियों की कुल संख्या	व्याप्त किए जाने वाले कर्मचारियों की संख्या [केवल धारा 2(12)]
1.	2.	3.	4.	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	575510 632060	179558	2452393	33000
	(i) विजयवाड़ा	262340			
	(ii) तिरुपति	289610	81716	1123687	31790
	(iii) विशाखापट्टणम	355660 395250	87799	1533570	22860
2.	तेलंगाना	1545930 1740420	447452	67528296	146070
3.	असम, मेघालय, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश	306680 332460	58593	12899448	23383
4.	सिक्किम	26400 28420	8152	110270	330
5.	बिहार	376980 411210	37677	1595495	49360
6.	चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र	127660 141210	24747	547895	8900
7.	छत्तीसगढ़	502070 557400	62119	2162712	42480
8.	दिल्ली				
	(i) राजेन्द्र प्लेस	316600 356900	43518	1384772	6050
	(ii) रोहिणी	222210 244420	27004	948350	18370
	(iii) ओखला	543690 626670	62232	2431480	16410
	(iv) नंदनगरी	164940 184390	21479	715433	10440
9.	गोवा	174580 195110	40047	757027	21190
10.	गुजरात				
	i अहमदाबाद	722820 819270	106558	3178768	56540
	ii वडोदरा	420860 481060	48741	1866513	28170



FINANCIAL ESTIMATES AND PERFORMANCE BUDGET 2024-2025

ANNEXURE - I

STATEMENT SHOWING STATE-WISE POSITION OF NUMBER OF (1) COVERED EMPLOYEES (2) INSURED PERSONS / FAMILY UNITS, INSURED WOMEN AND NUMBER OF BENEFICIARIES UNDER EMPLOYEES' STATE INSURANCE SCHEME AS ON 31-03-2023 AND NO. OF EMPLOYEES TO BE COVERED BY 31.03.2025

Sl. No.	State	No. of (1) Covered employees (2) Insured persons / Family unit	No. of Insured women	Total no. of beneficiaries	No. of employees yet to be covered {Section 2(12) only}
1.	2.	3.	4.	5	6
1.	Andhra Pradesh	575510	179558	2452393	33000
	i. Vijayawada	632060			
	ii. Tirupati	262340	81716	1123687	31790
	iii. Visakhapatnam	289610			
		355660	87799	1533570	22860
		395250			
2.	Telangana	1545930	447452	67528296	146070
		1740420			
3.	Assam, Meghalaya, Mizoram, Manipur Nagaland, Tripura & Arunachal Pradesh	306680	58593	12899448	23383
		332460			
4.	Sikkim	26400	8152	110270	330
		28420			
5.	Bihar	376980	37677	1595495	49360
		411210			
6.	Chandigarh U.T	127660	24747	547895	8900
		141210			
7.	Chhattisgarh	502070	62119	2162712	42480
		557400			
8.	Delhi				
	i Rajender Place	316600	43518	1384772	6050
		356900			
	ii Rohini	222210	27004	948350	18370
		244420			
	iii Okhla	543690	62232	2431480	16410
		626670			
	iv Nandnagari	164940	21479	715433	10440
		184390			
9.	Goa	174580	40047	757027	21190
		195110			
10.	Gujarat				
	i. Ahmedabad	722820	106558	3178768	56540
		819270			
	ii. Vadodara	420860	48741	1866513	28170
		481060			



वित्तीय प्राक्कलन तथा निष्पादन बजट 2024-2025

क्र.सं.	राज्य	1. व्याप्त कर्मचारियों 2. बीमाकृत व्यक्तियों/ परिवार एककों की संख्या	बीमाकृत महिलाओं की संख्या	लाभार्थियों की कुल संख्या	व्याप्त किए जाने वाले कर्मचारियों की संख्या [केवल धारा 2(12)]
1.	2.	3.	4.	5	6
	iii. सूरत	368360 401630	48321	1558324	26950
11.	हरियाणा				
	(i) फरीदाबाद	829090 966280	129424	3759166	55680
	(ii) गुरुग्राम	1036680 1263620	146945	4902846	91130
	(iii) करनाल	289470 320410	41292	1243191	31660
12.	हिमाचल प्रदेश	326520 368090	59162	1428189	20800
13.	जम्मू एवं कश्मीर	119510 134600	19839	522248	8070
14.	झारखण्ड	452220 494210	62272	1917535	58810
15.	कर्नाटक				
	i. बेंगलुरु	867090 996300	292023	3865644	60850
	ii. हुबली	352470 381360	96674	1479677	31780
	iii. पीण्चा	455060 525060	177213	2037233	36340
	iv. बोम्मसंद्रा	599130 695850	208752	2699898	58850
	v. गुलबर्गा	175720 194500	29319	757660	17680
	vi. मैसूर	248260 274460	104862	1064905	17210
	vii. मैंगलूरु	183700 196810	83743	763623	11450
16.	केरल				
	(i) तृशूर	146700 160290	72609	621925	9280
	(ii) एरणाकुल्लम	368780 407270	156563	1580208	29380
	(iii) कोल्लम	126310 150650	88076	584522	-320
	(iv) कोजिकोड	150670 163650	69380	634962	8130
	(v) तिरुवनंतपुरम	119560 132070	58284	512432	5400
17.	मध्य प्रदेश				



FINANCIAL ESTIMATES AND PERFORMANCE BUDGET 2024-2025

Sl. No.	State	No. of (1) Covered employees (2) Insured persons / Family unit	No. of Insured women	Total no. of beneficiaries	No. of employees yet to be covered {Section 2(12) only}
1.	2.	3.	4.	5	6
	iii. Surat	368360 401630	48321	1558324	26950
11.	Haryana				
	i) Faridabad	829090 966280	129424	3759166	55680
	(ii) Gurugram	1036680 1263620	146945	4902846	91130
	(iii) Karnal	289470 320410	41292	1243191	31660
12.	Himachal Pradesh	326520 368090	59162	1428189	20800
13.	Jammu & Kashmir	119510 134600	19839	522248	8070
14.	Jharkhand	452220 494210	62272	1917535	58810
15.	Karnataka				
	i. Bangalore	867090 996300	292023	3865644	60850
	ii. Hubli	352470 381360	96674	1479677	31780
	iii. Peenya	455060 525060	177213	2037233	36340
	iv. Bommasandra	599130 695850	208752	2699898	58850
	v. Gulbarga	175720 194500	29319	757660	17680
	vi. Mysore	248260 274460	104862	1064905	17210
	vii Mangalore	183700 196810	83743	763623	11450
16.	Kerala				
	(i) Thrissur	146700 160290	72609	621925	9280
	(ii) Ernakulum	368780 407270	156563	1580208	29380
	(iii) Kollam	126310 150650	88076	584522	-320
	(iv) Kozhikode	150670 163650	69380	634962	8130
	(v) Thiruvananthapuram	119560 132070	58284	512432	5400
17.	Madhya Pradesh				



वित्तीय प्राक्कलन तथा निष्पादन बजट 2024-2025

क्र.सं.	राज्य	1. व्याप्त कर्मचारियों 2. बीमाकृत व्यक्तियों/ परिवार एककों की संख्या	बीमाकृत महिलाओं की संख्या	लाभार्थियों की कुल संख्या	व्याप्त किए जाने वाले कर्मचारियों की संख्या [केवल धारा 2(12)]
1.	2.	3.	4.	5	6
	(i) इंदौर	648810 716080	109963	2778390	77050
	(ii) भोपाल	356740 395280	57401	1533686	53500
18.	महाराष्ट्र				
	i. तोअर परेल	451760 500270	81840	1941048	45660
	ii. मरोल	685460 756320	136400	2934522	58900
	iii. ठाणे	680790 760450	115246	2950546	53480
	iv. नागपुर	351880 378730	43242	1469472	35850
	v. औरंगाबाद	275050 303980	35599	1179442	25210
	vi. पुणे	1319620 1497740	230202	5811231	152040
	vii. नासिक	235310 258000	31194	1001040	41630
19.	ओडिशा				
	i. भुवनेश्वर	633640 703330	76462	2728920	106310
	ii. झारसुगुदा	197240 215120	21532	834666	36860
20.	पुदुच्चेरी, माहे और येणम	98230 108580	39216	421290	4070
21.	पंजाब				
	i. चंडीगढ़ (पंजाब)	465700 521070	92291	2021752	29320
	ii. जालंधर	292850 316850	69013	1229378	12950
	iii. लुधियाना	398320 439020	72398	1703398	8830
22.	राजस्थान				
	i. जयपुर	907480 1035680	126615	4018438	77900
	ii. उदयपुर	210080 237480	31369	921422	19680
	iii. जोधपुर	187530 209530	27014	812976	15570



FINANCIAL ESTIMATES AND PERFORMANCE BUDGET 2024-2025

Sl. No.	State	No. of (1) Covered employees (2) Insured persons / Family unit	No. of Insured women	Total no. of beneficiaries	No. of employees yet to be covered {Section 2(12) only}
1.	2.	3.	4.	5	6
	(i)Indore	648810 716080	109963	2778390	77050
	(ii)Bhopal	356740 395280	57401	1533686	53500
18.	Maharashtra				
	i. Lower Parel	451760 500270	81840	1941048	45660
	ii. Marol	685460 756320	136400	2934522	58900
	iii. Thane	680790 760450	115246	2950546	53480
	iv. Nagpur	351880 378730	43242	1469472	35850
	v. Aurangabad	275050 303980	35599	1179442	25210
	vi. Pune	1319620 1497740	230202	5811231	152040
	vii. Nasik	235310 258000	31194	1001040	41630
19.	Odisha				
	i. Bhubaneswar	633640 703330	76462	2728920	106310
	ii. Jharsuguda	197240 215120	21532	834666	36860
20.	Puducherry, Mahe & Yenam	98230 108580	39216	421290	4070
21.	Punjab				
	i Chandigarh (Pb)	465700 521070	92291	2021752	29320
	ii Jalandhar	292850 316850	69013	1229378	12950
	iii Ludhiana	398320 439020	72398	1703398	8830
22.	Rajasthan				
	i Jaipur	907480 1035680	126615	4018438	77900
	ii Udaipur	210080 237480	31369	921422	19680
	iii Jodhpur	187530 209530	27014	812976	15570



वित्तीय प्राक्कलन तथा निष्पादन बजट 2024-2025

क्र.सं.	राज्य	1. व्याप्त कर्मचारियों 2. बीमाकृत व्यक्तियों/ परिवार एककों की संख्या	बीमाकृत महिलाओं की संख्या	लाभार्थियों की कुल संख्या	व्याप्त किए जाने वाले कर्मचारियों की संख्या [केवल धारा 2(12)]
1.	2.	3.	4.	5	6
23.	तमिलनाडु				
	i. चेन्नई	1702000 1931640	637773	7494763	177200
	ii. तिरुनेलवेली	176690 194770	77820	755708	5080
	iii. सेलम	463620 516140	166302	2002623	85630
	iv. कोयम्बतूर	801540	920630	3572044	92980
	v. मदुरै	414110 454510	195393	1763499	8540
	Vi अंडमान निकोबर द्वीप समूह	3520 3710	766	14395	2430
24.	उत्तर प्रदेश				
	i. कानपुर	476870 523820	53155	2032422	35080
	ii. वाराणसी	137910 151480	13520	587742	11410
	iii. नोएडा	1205130 1400020	197350	5432078	138680
	iv. लखनऊ	546100 597830	61723	2319580	63510
25.	उत्तराखण्ड	568400 664230	104758	2577212	42030
26.	पश्चिम बंगाल				
	i. कोलकाता	1241770 1337040	165719	5187715	47650
	ii. बैरकपुर	290080 309780	37179	1201946	4960
	iii. दुर्गापुर	258200 275330	18457	1068280	47650
	अखिल भारत	30542660 34297410	6760814	133073951	2679950



FINANCIAL ESTIMATES AND PERFORMANCE BUDGET 2024-2025

23.	Tamil Nadu				
	i. Chennai	1702000 1931640	637773	7494763	177200
	ii. Tirunelveli	176690 194770	77820	755708	5080
	iii. Salem	463620 516140	166302	2002623	85630
	iv. Coimbatore	801540	920630	3572044	92980
	v. Madurai	414110 454510	195393	1763499	8540
	vi. AN Islands	3520 3710	766	14395	2430
24.	Uttar Pradesh				
	i. Kanpur	476870 523820	53155	2032422	35080
	ii. Varanasi	137910 151480	13520	587742	11410
	iii. Noida	1205130 1400020	197350	5432078	138680
	iv. Lucknow	546100 597830	61723	2319580	63510
25.	Uttarakhand	568400 664230	104758	2577212	42030
26.	West Bengal				
	i. Kolkata	1241770 1337040	165719	5187715	47650
	ii. Barrackpore	290080 309780	37179	1201946	4960
	iii. Durgapur	258200 275330	18457	1068280	47650
	ALL INDIA	30542660	6760814	133073951	2679950
		34297410			



वित्तीय प्राक्कलन तथा निष्पादन बजट 2024-2025

संलग्नक - II

कर्मचारी राज्य बीमा योजना प्रति व्यक्ति अंशदान आय व
विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत व्यय

(राशि रु. में)

	विषय	वास्तविक 2020-2021	वास्तविक 2021-2022	वास्तविक 2022-2023	परिशोधित प्राक्कलन 2023-2024	बजट प्राक्कलन 2024-2025
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
I.	अंशदान आय	4956.16	5828.11	5599.44	6522.76	6545.36
II.	व्यय					
1.	हितलाभ :					
क)	नकद हितलाभ :					
	बीमारी हितलाभ	104.21	141.33	145.66	134.52	131.29
	विस्तारित बीमारी हितलाभ	17.84	22.15	22.40	20.93	20.43
	मातृत्व हितलाभ	140.20	142.72	143.13	145.26	141.80
	अस्थायी निःशक्तता हितलाभ	29.71	44.65	38.20	34.99	34.14
	स्थायी निःशक्तता हितलाभ	664.83	0.00	222.09	192.12	167.00
	आश्रितजन हितलाभ	0.00	1299.80	108.19	227.73	202.33
	अंत्येष्टि खर्च	9.99	15.87	10.60	9.68	9.46
	राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना	4.73	8.54	5.25	2.97	2.91
	अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना	21.27	8.58	2.07	0.47	0.46
	क.रा.बी. निगम कोविड-19 राहत योजना	0.00	190.98	262.84	24.99	21.66
	अन्य हितलाभ	1.22	1.03	0.86	0.72	0.83
	कुल नकद हितलाभ	994.01	1875.66	961.29	794.39	732.31
ख)	चिकित्सा हितलाभ पर व्यय (निगम का अंश)	3425.88	4161.96	3972.38	4468.90	4668.01
2.	प्रशासनिक व्यय	528.84	505.53	455.05	714.60	734.74
	कुल प्रति व्यक्ति व्यय (II)	4948.73	6543.16	5388.72	5977.89	6135.06
	अंशदान आय में अंतर	7.43	(715.05)	570.72	544.87	410.30



FINANCIAL ESTIMATES AND PERFORMANCE BUDGET 2024-2025

ANNEXURE – II

EMPLOYEES' STATE INSURANCE SCHEME PER CAPITA INCOME FROM CONTRIBUTION AND EXPENDITURE UNDER DIFFERENT HEADS

(Amount in ₹)

	Subject	Actual 2020-2021	Actual 2021-2022	Actual 2022-2023	Revised Estimates 2023-2024	Budget Estimates 2024-2025
1.	2.	3.	4.	5.		6.
I.	Contribution Income	4956.16	5828.11	5599.44	6522.76	6545.36
II.	Expenditure					
1.	Benefits:					
a)	Cash Benefit:					
	Sickness Benefit	104.21	141.33	145.66	134.52	131.29
	Extended Sickness Benefit	17.84	22.15	22.40	20.93	20.43
	Maternity Benefit	140.20	142.72	143.13	145.26	141.80
	Temporary Disablement Benefit	29.71	44.65	38.20	34.99	34.14
	Permanent Disablement Benefit	664.83	0.00	222.09	192.12	167.00
	Dependant's Benefit	0.00	1299.80	108.19	227.73	202.33
	Funeral Expenses	9.99	15.87	10.60	9.68	9.46
	Rajiv Gandhi Shramik Kalyan Yojna	4.73	8.54	5.25	2.97	2.91
	Atal Bimit Vyakti Kalyan Yojna	21.27	8.58	2.07	0.47	0.46
	ESIC Covid -19 Relief Scheme	0.00	190.98	262.84	24.99	21.66
	Other Benefits	1.22	1.03	0.86	0.72	0.83
	TOTAL CASH BENEFIT	994.01	1875.66	961.29	794.39	732.31
b)	Expenditure on Medical Benefit (Corporation's Share)	3425.88	4161.96	3972.38	4468.90	4668.01
2.	Administrative Expenditure	528.84	505.53	455.05	714.60	734.74
	TOTAL PER CAPITA EXPENDITURE (II)	4948.82	6543.16	5388.72	5977.89	6135.06
	Margin in Contribution Income	7.43	(715.05)	570.72	544.87	410.30



वित्तीय प्राक्कलन तथा निष्पादन बजट 2024-2025

संलग्नक - III

चिकित्सा शिक्षा संस्थाओं / पाठ्यक्रमों की सूची

क. क.रा.बी.निगम चिकित्सा महाविद्यालय	
1.	क.रा.बी.निगम चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, फरीदाबाद -हरियाणा
2.	क.रा.बी.निगम चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, राजाजी नगर- बेंगलुरु
3.	क.रा.बी.निगम चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, गुलबर्गा -कर्नाटक
4.	क.रा.बी.निगम चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, सनतनगर- हैदराबाद
5.	क.रा.बी.निगम चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, के के नगर, तमिलनाडु
6.	क.रा.बी.निगम चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, बिहटा, पटना
7.	क.रा.बी.निगम चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, अलवर, राजस्थान
8.	क.रा.बी.निगम चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, जोका, कोलकाता

ख. स्नातकोत्तर संस्थाएं	
1.	क.रा.बी.- पीजीआईएमएसआर अंधेरी, मुंबई
2.	क.रा.बी.- पीजीआईएमएसआर बसईदारापुर, दिल्ली

ग. क.रा.बी.निगम दंत्य महाविद्यालय	
1.	क.रा.बी.निगम दंत्य महाविद्यालय, रोहिणी -दिल्ली
2.	क.रा.बी.निगम दंत्य महाविद्यालय, गुलबर्गा- कर्नाटक

घ. क.रा.बी.निगम नर्सिंग महाविद्यालय	
1.	क.रा.बी.निगम नर्सिंग महाविद्यालय, इंदिरानगर- बेंगलुरु
2.	क.रा.बी.निगम नर्सिंग महाविद्यालय, गुलबर्गा -बेंगलुरु

ङ. परा चिकित्सा संस्था	
1.	क.रा.बी.निगम चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, गुलबर्गा- कर्नाटक

च. अति विशिष्टता पाठ्यक्रम	
1.	क.रा.बी.निगम- पीजीआईएमएसआर बसईदारापुर

छ. ब्रॉड स्पेशलिटी में डीएनबी पाठ्यक्रम	
1.	क.रा.बी.निगम अस्पताल, रोहिणी, दिल्ली
2.	क.रा.बी.निगम चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, सनतनगर
3.	क.रा.बी.निगम अस्पताल, नोएडा -उत्तर प्रदेश
4.	क.रा.बी.निगम अस्पताल, ओखला- दिल्ली
5.	क.रा.बी.निगम अस्पताल, झिलमिल -दिल्ली
6.	क.रा.बी.निगम अस्पताल, नंदानगर, मध्यप्रदेश
7.	क.रा.बी.निगम अस्पताल, जयपुर- राजस्थान
8.	क.रा.बी.निगम अस्पताल, बापूनगर -गुजरात
9.	क.रा.बी.निगम अस्पताल, लुधियाना -पंजाब
10.	क.रा.बी.निगम अस्पताल, वाराणसी- उत्तर प्रदेश
11.	क.रा.बी.निगम चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, बिहटा, पटना

टिप्पणी : राज्य सरकार को मौजूदा अवसंरचना का अंतरण/एमबीबीएस पाठ्यक्रम की शुरुआत : चिकित्सा शिक्षा के संबंध में क.रा.बी.निगम द्वारा लिए गए समीक्षा निर्णय के कारण (i) कोयम्बटूर, तमिलनाडु; (ii) परीपल्ली, केरल और मंडी; हिमाचल प्रदेश में प्रस्तावित चिकित्सा महाविद्यालयों को संबंधित राज्य सरकारों को अंतरित किए गए हैं जिन्होंने उन स्थानों पर चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित किया और एमबीबीएस पाठ्यक्रम चालू किया।



ANNEXURE - III

LIST OF MEDICAL EDUCATIONS INSTITUTIONS/COURSES

A. ESIC MEDICAL COLLEGES	
1.	ESIC MEDICAL COLLEGE AND HOSPITAL FARIDABAD-HARYANA
2.	ESIC MEDICAL COLLEGE AND HOSPITAL RAJAJINAGAR-BANGALORE
3.	ESIC MEDICAL COLLEGE AND HOSPITAL GULBARGA-KARNATAKA
4.	ESIC MEDICAL COLLEGE AND HOSPITAL SANATHNAGAR-HYDERABAD
5.	ESIC MEDICAL COLLEGE AND HOSPITAL K.K. NAGAR, TAMIL NADU
6.	ESIC MEDICAL COLLEGE AND HOSPITAL, BIHTA, PATNA
7.	ESIC MEDICAL COLLEGE AND HOSPITAL, ALWAR, RAJASTHAN
8.	ESIC MEDICAL COLLEGE AND HOSPITAL JOKA, KOLKATA

B. POST GRADUATE INSTITUTES	
1.	ESIC PGIMSR, ANDHERI -MUMBAI
2.	ESIC PGIMSR, BASAIDARAPUR- NEW DELHI

C. ESIC DENTAL COLLEGES	
1.	ESIC DENTAL COLLEGE- ROHINI -DELHI
2.	ESIC DENTAL COLLEGE- GULBARGA- KARNATAKA

D. ESIC NURSING COLLEGES	
1.	ESIC NUSING COLLEGE- INDIRA NAGAR- BANGALORE
2.	ESIC NURSING COLLEGE- GULBARGA- KARNATAKA

E. PARAMEDICAL INSTITUTE	
1.	ESIC MEDICAL COLLEGE AND HOSPITAL GULBARGA-KARNATAKA

F SURPERSPECIALITY COURSE	
1.	ESIC PGIMSR, BASAIDARAPUR

A. DNB COURSES IN BROAD SPECIALITY	
1.	ESIC HOSPITAL ROHINI, DELHI
2.	ESIC MEDICAL COLLEGE & HOSPITAL, SANATH NAGAR
3.	ESIC HOSPITAL NOIDA -UP
4.	ESIC HOSPITAL OKHLA- DELHI
5.	ESIC HOSPITAL JILMIL- DELHI
6.	ESIC HOSPITAL NANDA NAGAR- MP
7.	ESIC HOSPITAL JAIPUR RAJASTHAN
8.	ESIC HOSPITAL BAPU NAGAR -GUJRAT
9.	ESIC HOSPITAL LUDHIANA – PUNJAB
10.	ESIC HOSPITAL VARANSI- UP
11.	ESIC MEDICAL COLLEGE & HOSPITAL BIHTA -PATNA


Note: Transfer of existing infrastructure to State Government/ starting MBBS Course, Due to the review of decision by ESIC regarding Medical Education, proposed medical college at (i) Coimbatore-TN (ii) Paripally – Kerala & Mandi – HP have been transferred to the respective State Government who have established the medical colleges and started MBBS Course at their location.




वित्तीय प्राक्कलन तथा निष्पादन बजट 2024-2025

एक नजर में प्रदर्शन

प्रति व्यक्ति पैसा खर्च (रूपये)



प्रति व्यक्ति योगदान बनाम व्यय (रूपये)







FINANCIAL ESTIMATES AND PERFORMANCE BUDGET 2024-2025

PERFORMANCE AT A GLANCE

PER-CAPITA MONEY EXPENDED (₹)




PER CAPITA CONTRIBUTION INCOME Vs EXPENDITURE (₹)






वित्तीय प्राक्कलन तथा निष्पादन बजट 2024-2025

प्रति व्यक्ति आय एवं व्यय प्रति वर्ष (रूपये)





नकद हितलाभ (प्रति व्यक्ति व्यय)





FINANCIAL ESTIMATES AND PERFORMANCE BUDGET 2024-2025





वित्तीय प्राक्कलन तथा निष्पादन बजट 2024-2025

निष्पादन एक झलक में

क.रा.बी. निगम - पिछले पांच वर्षों का वित्तीय विवरण						(₹ लाख में)
लेखा-शीर्ष	वास्तविक 2019-2020	वास्तविक 2020-2021	वास्तविक 2021-2022	वास्तविक 2022-2023	परिशोधित प्राक्कलन 2023-2024	
i) अंशदान	1674456	1378779	1530898	1740305	2088000	
ii) ब्याज	529819	597384	623438	674508	737635	
iii) किराया, दरें तथा कर	547	491	1204	799	20586	
iv) चिकित्सा हितलाभ के निमित्त दिल्ली राज्य सरकार का अंश जो प्रथमतः निगम द्वारा वहन किया गया	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
v) शुल्क, जुर्माना एवं जब्तियां	4868	3116	4393	5547	6050	
vi) चिकित्सा शिक्षा प्राप्तियां	3397	3582	3094	5658	7000	
vii) विविध	3106	125780	34392	41518	4500	
कुल राजस्व प्राप्तियां :	2216193	2109132	2197419	2468335	2863771	
ख. राजस्व व्यय						
क) हितलाभ :						
i) चिकित्सा हितलाभ :	936830	953063	1093244	1160034	1430539	
ii) नकद हितलाभ :	186721	276188	492417	280467	254060	
iii) अन्य हितलाभ :	212	339	271	252	232	
कुल हितलाभ :	1123763	1229590	1585932	1440754	1684831	
ख) प्रशासनिक व्यय	172770	147120	132791	132886	228752	
ग) पूंजीगत निर्माण हेतु प्रावधान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
कुल राजस्व व्यय (क+ख+ग)	1296533	1376710	1718723	1573640	1913583	
ग पूंजीगत व्यय						
i) निगम के कार्यालय (स्टाफ क्वार्टर्स सहित)	551	212	3693	51	3793	
ii) अस्पताल एवं औषधालय	43987	25868	44267	75723	135244	
iii) चिकित्सा शिक्षा परियोजना	13221	4182	1401	2	10393	
iv) अन्य परिसंपत्तियां	20421	12389	54433	18666	52097	
कुल पूंजीगत व्यय	78182	42651	103794	94443	201527	
कुल व्यय (ख+ग)	1374715	1419361	1822518	1668083	2115110	
राजस्व व्यय से राजस्व आय की अधिकता	919658	155676	478695	894695	950188	



FINANCIAL ESTIMATES AND PERFORMANCE BUDGET 2024-2025

E.S.I.C. – FINANCIALS OF LAST FIVE YEARS						
(₹ in Lakhs)						
	Head of Account	Actuals 2019- 2020	Actuals 2020-2021	Actuals 2021- 2022	Actuals 2022- 2023	RE 2023- 2024
i)	Contribution	1674456	1378779	1530898	1740305	2088000
ii)	Interest	529819	597384	623438	674508	737635
iii)	Rent, Rates & Taxes	547	491	1204	799	20586
iv)	Delhi State Govts. Share towards medical benefit initially incurred by the Corporation.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
v)	Fees, Fines & Forfeiture	4868	3116	4393	5547	6050
vi)	Medical Education Receipts	3397	3582	3094	5658	7000
vii)	Miscellaneous	3106	125780	34392	41518	4500
	TOTAL REVENUE RECEIPT:	2216193	2109132	2197419	2468335	2863771
B.	REVENUE EXPENDITURE					
a)	BENEFITS:					
i)	Medical Benefits:	936830	953063	1093244	1160034	1430539
ii)	Cash Benefits:	186721	276188	492417	280467	254060
iii)	Other Benefits:	212	339	271	252	232
	Total Benefits:	1123763	1229590	1585932	1440754	1684831
b)	ADMINISTRATIVE EXPENDITURE	172770	147120	132791	132886	228752
c)	Provision for Capital Construction	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL REVENUE EXPENDITURE (a+b+c)	1296533	1376710	1718723	1573640	1913583
C	CAPITAL EXPENDITURE					
i)	Offices of the Corporation (with staff quarters)	551	212	3693	51	3793
ii)	Hospitals & Dispensaries	43987	25868	44267	75723	135244
iii)	Medical Education Projects	13221	4182	1401	2	10393
iv)	Other Assets	20421	12389	54433	18666	52097
	TOTAL CAPITAL EXPENDITURE	78182	42651	103794	94443	201527
	TOTAL EXPENDITURE (B+C)	1374715	1419361	1822518	1668083	2115110
	EXCESS OF REVENUE INCOME OVER REVENUE EXPENDITURE	919658	155676	478695	894695	950188



क.रा.बी.नि
ESIC

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

Employees' State Insurance Corporation

श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय

भारत सरकार

Ministry of Labour & Employment

Government of India

Panchdeep Bhawan, C.I.G. Marg, New Delhi-110 002

Toll Free No. 1800-11-2526

Website: www.esic.gov.in

www.esic.gov.in [@esichq](https://www.facebook.com/esichq) [@esichq](https://www.instagram.com/esichq) [@esichq](https://www.linkedin.com/company/esic) [@esichq](https://www.youtube.com/channel/UC...) [@esichq](https://www.tiktok.com/@esichq) [@esichq](https://www.pinterest.com/esichq)

FOLLOW US ON



(Scan QR Code)